

Shodh Chetna

The International Reffered, Reviewed & Multifocal Research Journal

Year - 4

April to June, 2018

Vol. II

Patron

Prof. Ved Prakash Upadhyaya

Ex-chairman Punjab University, Chandigarh
U.G.C. Professor....
e-mail : drvedprakash.upadhyaya@gmail.com
Mob. : 9915746560, 8168875124

Dr. Uma Kant Mishra

Ex. Prof. & H.O.D. (Sanskrit-Academic)
T.R.S. College, Rewa
e-mail : umakantm864@gmail.com
Mob. : 9131416281, 9424638051

Dr. D. N. Tripathi

Associate Professor & HOD (Sanskrit)
Dharma Samaj P.G. College, Aligarh
e-mail : drdntripathi248@gmail.com
Mob. : 9412485280

Dr. Lokesh Singh Shekhawat

Ex. V.C. Jai Narain Vyas University
Jodhpur, Rajasthan
e-mail dr.lokesh.sekhawat@gmail.com
Mob. : 9983885077

Chief Advisor

Ajay Srivastava

Librarian, State Central Library, Rewa
e-mail : ajayshrivastava1957@gmail.com
Mob. : 8770693612

Founder & Chief Editor

Sushil Kumar Kushwaha

e-mail : skkushwaha1956@gmail.com
Mob. : 9532481205, 9329225173

Honourary Editor

Dr. Sanjay Shankar Mishra

Professor and Head, Department of Commerce
Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)
e-mail : ssm6262@yahoo.com
Mob. : 9827375632

Editor

Dr. Surya Naryan Gautam

Associate Professor (Sanskrit), J.J.T. University
Jhunjhunu (Rajasthan)
e-mail : sngautam73@gmail.com
Mob. : 9179391709

Managing Editor

Harsh Kushwaha

e-mail : harshkushwaha1996@gmail.com
Mob. : 9807520344

Editorial Board

Dr. Rajan Suntoo

Asso. Prof. Social Studies & Humanities
University of Mauritius, Reduit-80837, Mauritius
e-mail : r.suntoo@uom.ac.mu
Mob. : 002304037400

Pran Kumar Kaul

Lecturer
Royal University of Bhutan, Bhutan
e-mail : peekaykaul@gmail.com
Mob. : 8769985767 (India)

Dr. (Mrs.) Aditya Sakia

Associate Professor & H.O.D.
M.D.K.G. College, Dibrugarh (Assam)
e-mail : dradityasaikia@gmail.com
Mob. : 9435160571

Dr. Piyush M. Maurya

Asst. Prof. & H.O.D. (Chemical Science)
Shri J.J.T. University, Jhunjhunu (Raj.)
e-mail : drpmmaurya1990@gmail.com
Mob. : 8104883369

Dr. C.L. Sharma

Ex. Principal, S.K. Govt. P.G. College
Seekar, Rajasthan
e-mail : drchirangeevd@gmail.com

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

Dr. Umesh Kumar Mishra

Guest Faculty,
Government Science College, Rewa (M.P.)
e-mail : umesh.1393@rediffmail.com
Mob. : 9424315816

Subject Expert / Advisory Board**Dr. Smt. Poonam Mishra** (History)

Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)
e-mail : poonamtrs@gmail.com
Mob. : 9425847111

Dr. Rajendra Prasad Chaturvedi

Prof. & HOD (Sanskrit)
Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)
e-mail : rajendrachaturvedi1960@gmail.com
Mob. : 9424638148

Dr. Dinesh Kumar Singh (Botany)

Shri J.J.T. University, Jhunjhunu (Raj.)
e-mail : singhdk.singh955@gmail.com
Mob. : 9410060600

Mr. Vineet Kumar Gupta (English)

Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar (Raj.)
e-mail : vineetgupta1962@gmail.com
Mob. : 9460576302

Dr. Chandra Lekha Sharma (Philosophy)

Member Rajasthan Sanskrit Academy
e-mail : dr_clsharma@rediffmail.com
Mob. : 8638148985

© *Publishers*

Registration Fee : Rs. 1000.00

Membership Fee :

Single Copy Rs. 250.00
(Individual)

Annual (4 Issues) Rs. 1000.00
(Institution)

Life Member Fee Rs. 5000.00

Mode of Payment :

*DD/Cheque/Cash should be
sent in favour of*

G. H. PUBLICATION
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394301010122432
IFSC-UBIN 0539431

Special Appearance :**R.L. Vishwakarma**

Rewa (M.P.), e-mail : lakhan vishwakarma@gmail.com
Mob. : 9827262820, 9399149346

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remuneration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित।
प्रधान संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com
website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

SHODH-CHETNA

शोध चेतना

*The International Referred & Reviewed
Multifocal Research Journal
Frequency - Quarterly*

We are providing a platform

For

The Publication of
Original Unpublished Research Paper,
Summary of Research Project,
Thesis and Book

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers
can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि
हमारी त्रैमासिक, अन्तर्राष्ट्रीय पंजीकृत पत्रिका

“शोध-चेतना”

में प्रकाशित माननीय लेखकों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों
(केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय),
शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों
के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से भेजी जा रही है जिससे,

इन शोध दृष्टियों से

‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’

का

उद्देश्य पूर्ण हो सके।

...प्रकाशक

आज ही आदेश करें।

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं
पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, इलाहाबाद-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

अनुक्रम

1. **"RISK MANAGEMENT IN MPSEB"** 7
Dr. A. P. Shukla
Richa Sharma
2. **GENDER EQUALITY IN PARTICIPATORY RURAL INSTITUTIONS OF MADHYA PRADESH** 16
Dr. Geeta Chauhan
3. **RESERVATION POLICY AS A CONSTITUTIONAL MANDATE FOR THE ERADICATION OF DISPARITIES AMONG DIFFERENT GROUPS OF INDIAN SOCIETY** 23
Abdul Hamid Teli
Dr.Sona Shukla
Dr. Geeta Chauhan
4. **IAEA AS AN CHIEF INTERMEDIATE OF UN SECURITY COUNCIL FOR THE PROLIFIC IMPLEMENTATION OF NPT AND REGIME THEORIES** 27
Dr. Sofi Yasir Hassan
Dr.Sona Shukla
5. **Marketing Strategies of FMCG Companies in Rural India** 36
Naman Shukla
Imran Mehraj Dar
6. **गाँधी और दलित विमर्श** 44
ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह
अखिलेश्वर नारायण पाण्डेय
7. **“पुस्तकालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव”** 49
(मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में)
कृष्ण कुमार सिंह
8. **वैदिक युग में नारी शिक्षा** 59
डा. धरणी दुङ्गेल
9. **निराला का निरालापन** 62
डॉ. दिनेश कुमार पाण्डेय

| | |
|--|-----|
| 10. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढाँचा : भारत की चिंताएँ भागवत प्रसाद उपाध्याय, डॉ. अमरजीत कुमार सिंह | 65 |
| 11. बौद्ध धर्म में नारी डॉ. सुधा सोनी | 72 |
| 12. पवाई व्यवस्था एवं कर योग्य पवाईयाँ डॉ. अजय शंकर शुक्ल, डॉ. (श्रीमती) प्रवीण पाण्डेय | 77 |
| 13. शहडोल जिले में निवास करने वाली बैगा जनजातियों के विकास का अध्ययन डॉ. एस.पी. पाण्डेय, सरिता देवी | 82 |
| 14. प्राचीन कवि उनका साहित्य (छतरपुर के संदर्भ में) शगुफ्ता फातमा | 89 |
| 15. शासन की जवाबदेही में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उपयोगिता डॉ. गायत्री मिश्रा, राजेन्द्र कुमार साकेत | 95 |
| 16. रीवा लोक सभा निर्वाचन 2014 में महिला मतदाताओं के मतदान व्यवहार का अध्ययन (रीवा संसदीय क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में) डॉ. गायत्री मिश्रा, डॉ. संजली गुप्ता | 102 |
| 17. अंधायुग में व्यक्त आधुनिकता बोध शालिनी सक्सेना | 107 |
| 18. कूर्म पुराण में नारी सशक्तिकरण : एक अध्ययन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी | 110 |
| 19. बाल साहित्य और राष्ट्रीय-चेतना सरिता, डॉ. निलय गोस्वामी | 113 |
| 20. INTEGRATED NUTRIENT MANAGEMENT FOR SOIL SUSTAINABILITY Shiv Prasad Vishwakarma, Dr. Sheetla Prasad Verma | 117 |
| 21. RABIES FREE INDIA : CHALLENGES Dr. Sheetla Prasad Verma | 123 |
| 22. कानपुर जनपद में स्थित भीतरगाँव मन्दिर की मृणमूर्तियाँ डॉ. राजेश कुमार | 128 |
| 23. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन डॉ. जे.पी. सिंह | 136 |
| 24. Lead, Zinc, Chromium and Cadmium Concentration in the soil of Talanagri area of Aligarh District Dileep Gupta | 141 |





"RISK MANAGEMENT IN MPSEB"

- Dr. A. P. Shukla*
□ Richa Sharma**

ABSTRACT

We commenced our operations in 1969 for the purpose of developing the power infrastructure in rural areas. Our schemes have historically aimed at extending and improving the supply of electricity and the energisation of agricultural pumpsets. Through our funding of transmission and distribution projects in rural areas, we have significantly contributed to the development of rural India and India's agriculture. Since our inception in 1969, our mandate has evolved to permit us to finance all segments of the power sector throughout the country.

We provide funding to our clients and assist them in formulating and implementing various types of power project-related schemes. Our clients include public sector power utilities at the central and state levels and private sector power utilities. Additionally, we fund power projects for our joint sector clients. Our financial products primarily include long-term loans, short-term loans, bridge loans and debt refinancing. We occupy a unique position within the area of rural electrification of India and we believe we will continue to play an integral role in implementing the Government of India rural electrification strategy. We currently administer grants and provide loans as the nodal agency for the Rajiv Gandhi Gramin Vidut Yojna (RGGVY), which is primarily aimed at the electrification of all villages in India. We are responsible for overseeing this programme from conception to completion.

Keyword : Risk, Management, Organization, Business, assessment .MPSEB.

* Prof. & Head, Dept. of Commerce, Govt. T.R.S. College Rewa (M.P.)

** M.Com., M.Phil (Commerce), Dept. of Commerce, Govt. T.R.S. College Rewa (M.P.)

Risk Management is an outgoing process within the organization. The company has robust risk management framework to identify, monitor and minimize risk in also identify business opportunities. The business activities of the company carry various Internal and external risk. The identification, analysis, assessment, control and avoidance, minimization or elimination of unacceptable risk. An organization may use risk assumption, risk avoidance, risk retention, risk transfee or any other strategy or combination of strategies in proper management of future events. Risk management's objectives is to assure uncertainty does not deflect endeavor from the business goal.

Introduction :

Risk management is to provide innovative, efficient and tailored electricity products and services with a strong emphasis on risk management for itself and its consumer maximise the value of assets employed in Madhya Pradesh power sector by optimizing the utilization of these assets, whether they are generating plants transmission lines, distribution network or other resources. Creates more business opportunity for other segment in Madhya Pradesh power sector and enhance the profitability for each of those segments. The purpose of risk management in to ensure that is able to effectively, execute its strategies and to reach its targets in the short term as well as over the long run. The key is to identify the risk that have the potential to restrain the company from reaching its goals and to determine whether those risks are at an acceptable level.

The management of India power corporation limited believes that pro-active approach in reporting, evaluating and resolving risks associated with the business is the key to sustained operations there by protecting shareholders value, improving governance process and achieving strategic objectives The principle objective of the poling is being well prepared for adverse situation or unplanned circumstances, if they were to occur in the life cycle of the business activities.

Risk in literal items can be defined as the effective of uncertainty on the objectives. Risk is measured in terms of consequences' and likelihood. Risk can be internal and external and inherent in all administrative and business achieves Every members of any organization continuously manages various types of risks. Formal and systematic approaches to managing risks risk have evolved and they are now regarded as good management practice also called as risk management. In order to achieve the key objective the policy establishes a structured and disciplined approach to risk management committee of the board of directors. in order to guide decision on risk related. India power shall ensure implementation of effective Research management by

- * Putting in place Risks Management-framework and process.
- * Identifying risks and promoting a pro-active approach to treating such risks.
- * Allocating adequate resources to mitigate and manage risks and minimize their adverse impact on the business.
- * Optimizing risk operations to manage adverse exposure and ensure that they are with in acceptable appetite of the company.

- * Providing clear and strong basis for informed decision making at all the levels of the organization.
- * Strengthening the risk management system through continuous learning and development.
- * Complying with all relevant laws and regulations across in to areas of operations.
- * Communicating the policy to the required stakeholders and periodically reviewing its relevance in a continuously changing business environment.

The process of developing business community for Risk management plans for unforeseen

The main objectives are to achieve efficiency gains and making necessary changes to mark the company commercially viable, progressively self sustainable and less government dependent and at the same time balancing the interest of the consumers in regard to quality would include among other things, metering, billing, collection, identifying the present deficiencies and the improvement to be made, mapping supply feeders, measurement of energy supplied to feeders and energy audit. Study of losses and scheme for progressive reduction, reduction input costs, consumer affairs handling investments required for improvement in the distribution systems.

Review Literature :

We are one of the leading public financial institutions in Indian power infrastructure. We are engaged in the financing and promotion of transmission, distribution and generation projects throughout India. We believe our

organisation occupies a key position in the GoI's plans for the growth of the Indian power sector.

As a public sector undertaking, we have been accorded "Mini Ratna Grade-I" status by the Government of India by virtue of our operational efficiency and financial strength, which affords greater operational freedom and autonomy in decision-making. In recognition of our performance and our consistent achievement of targets negotiated under the memoranda of understanding that we enter into with the GoI on an annual basis, the GoI has rated our performance as "Excellent" continuously from Fiscal 1994 through Fiscal 2006. We have also been ranked among the top ten public sector undertakings in India by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for Fiscal 2000,

Larence V. Snyder(2016) published on Journal IIE Transaction : OR/MS models for supply chain disruptions: a review The Operations Research/Management Science (OR/MS) literature on supply chain disruptions in order to take stock of the research to date and to provide an overview of the research questions that have been addressed. We first place disruptions in the context of other forms of supply uncertainty and discuss common modeling approaches. We then discuss 180 scholarly works on the topic, organized into six categories: evaluating supply disruptions; strategic decisions; sourcing decisions; contracts and incentives; inventory; and facility location. We conclude with a discussion of future research directions.

The concept of risk For further inquiry, it is essential to take a closer look at the concept of risk. According to Renn (1992), a prerequisite for the existence of risk is uncertainty, i.e. that future is not predetermined but is dependent on present human activities. Bernstein (1998) argues for the non-existence of absolute certainty, claiming that one can never be certain of anything, since the mass of available information is either inaccurate or incomplete. Consequently, uncertainty is a necessary and constant element of life. In his brief review of Bernstein (1998), Adams (1997) refers to virtual risks as a synonym of uncertainties. Such risks are mostly the products of our imagination (e.g. the possibility of an extraterrestrial attack), the probability of which therefore cannot be estimated. Klinke and Renn (2002) also attempted to decompose uncertainty, and identified four components in the process. An evaluation of the components ultimately influences risk perception itself; however, as they are often strongly correlated, it is sufficient to examine only one of them. In Knight (1921/1964), risk is defined as measurable uncertainty, and the term 'uncertainty' itself is only used in the opposite case. In other words, risk is probable uncertainty, and consequently one of its descriptive features is the probability of occurrence Following Renn's (1992) argument, the second descriptive feature of risk is a future state of reality i.e. the outcome of risk. The third descriptive feature is the probability of occurrence and the method of aggregating the outcomes (Renn 1998), the result of which is the magnitude of risk.

Objectives

1. The main objectives are to achieve efficiency gains and making necessary changes to make the company commercially viable, progressively self suitable and less government dependent and at the same time, balancing the interest of the consumer in regard to quality of services and economical tariff.

2. The plan would include among other things, metering, billing collection identifying the present deficiencies and the improvement to be made, mapping supply feeders, measurements of energy supply to feeders and energy, audit, study of losses and scheme for progressive reduction, in put cost, consumer affair hardly, investment required for improvement in the distribution system.

3. The main objectives of the company is the better execution of work for achieving efficiency gain and to make company commercially rival, progressively self sustainable and less government dependent.

4. A balance between the quality and service and logic tariff is to be maintained to safeguard the interest of consumers.

5. We aim to provide an efficient distribution services in a transparent and non discriminatory manner by adopting the best practices and standards laid down from time to time.

Limitation

1. Prepare and manage inventory for emergency operations.

2. Training of electricity department workers and make sure that proper norms are being followed at the time of installation of various electric units/instruments.

3. Make various applicable and implementable schemes regarding the setup and examination of electrical units/instrument.

4. Make people aware so as to minimise the damage to life/limb caused due to electricity.

Proposed work Area

The purpose of the proposed study is to attempt a critical investigation of the Risk Management in MPSEB perspective with the purpose of identifying Madhya Pradesh Risk Vidut Management Authority will work for management and implementing body manage-ment by following the guidelines of central and state government disaster management authority. It's role and responsibility is explained in under :

1. To prepare and implement Madhya Pradesh Vidut Vitran management plan. To implement and monitor national and state policy and plan. To identify Vidut Vitran prone area in district with proper prevention and mitigation and preparation by district level government department and local bodies.

2. To give direction to district level different authorised institution and local authorities about necessary prevention and mitigation measures. To make it implementation, monitoring and control. To develop, manage, monitor and improve a body for communication of notice and pre-warning to people. To organize special training program for district level Officers, employees and volunteers in the light of this project entitled "Risk Management in MPSEB".

3. Three distribution companies which are distributing electricity in Madhya Pradesh are : 1) Madhya Pradesh Poorv kshetra vidyut vitran company ltd. 2) Madhya Pradesh madhya kshetra vidyut vitan company ltd. 3) Madhya Pradesh paschim kshetra vidyut vitran company ltd.

4. All three of them have different website for online bill payment. and there are other option as well as based on convenience and ease of use, people can choose one of the multiple method that are available for making the payment.

5. MPONLINE - (<http://www.mponline.gov.in> portal) Mponline portal provides multiple services that include phone bill payment (both mobile and landline) electricity bill payment, this is the most commonly used and preferred portal by most people in Madhya Pradesh.

6. Madhyaapradesh paschim kskhetra vidyut vitran company ltd. (<http://www.mpwz.co.in/portal>) Indore.

7. Madhya Pradesh Madhya kshetra vidyut vitran company ltd. (<http://www.madhyavitran.org/it/bill/asp>). The portal is specifically for the consumers of Madhya kshetra for central part of Madhya Pradesh.

8. Modes of payment accepted : 1) Debit/credit card, 2) VISA, 3) Master card, 4) AMEX cards. If you are not aware of which utility services your districts, you can use our online bill payment tool to determine the same.

9. Bijli Bachao - Bijli Bachao is an initiative to provide electricity saving tips to people & motivate them for saving electricity at their home and offices. Bijli Bachao has

been started with the vision of empowering consumers with useful information and tools to help them understand their electricity consumption and learn ways to reduce the same. The essentially is to make energy efficiency. 'A Cool Product'.

10. Wages and allowance Manual - Every employee shall be required to declare his/her dependents at the time of joining for claiming medical benefits and welfare programme. The dependents list shall be updated by submitting a request to the HR department which shall be subject to verification and approval. The details of the policy shall be notified by the company.

11. Medical Allowance at the rate of rs. 150 per month shall be disbursed to all employees for their OPD coverage. Group life/Accident Insurance;

12. All employees shall be covered under the a group life/accident insurance scheme which shall cover compensation to the employees in account of death, partial disablement permanent disablement. Details of the same shall be notified by the company.

Methodology of Research Work :

Research Methodology is the prime importance in the field of research. Its guidelines serve the purpose how both primary as well as secondary data is collected. For the requirement of particular study the primary material of the study area for the authenticity of research and secondary sources will be evaluated accordingly, further its analysis will be done under the keen supervision of research guide. Besides the use of internet different libraries will be visited for the required purpose. In the course of the research in the Internet, Text Book and

Departmental resources will be consulted. The textual, theoretical, comparative, critical, analytical, Graphical, Tabulation work and conceptual theories would be helpful for the research purpose.

Committee Responsibility and authority :

* The risk management committee shall annually review and approve the risk management policy and associated frameworks, process and practice of the company.

* The risk management committee shall ensure that the company in taking the appropriate measures to achieve prudent balance between risk and reward in both ongoing and business activities.

* The Risk management committee will coordinate in activities with the audit committee in instances where there is any overlap with audit activities e.g. internal or external audit issue relating to risk management of policy or practice

* The risk management committee may form and delegate authority to subcommittees to appropriate. The risk management committee shall report to the Board.

* The Risk management committee shall review and reassess the adequacy of the Risk management policy annually and recommend any proposed changes to the Board for approval.

The Risk management committees shall also authority to obtain advice and assistance from internal or external legal or accounting or other advisors. Risk management is a continuous process of analyzing and managing all the opportunities and threats

faced by the company in its efforts to achieve its goals and to ensure the continuity of the business. The basis for risk management is lifecycle quality and products and the continuous systematic loss. Prevention efforts at all level of the group not only as an integrated part of management system, but as part of every employees daily work. In the long term this is the only means for reducing the overall risks related costs.

The company has been incorporated as part of the implementation of the power sector reform in Madhya Pradesh initiated by the government of Madhya Pradesh. The company has taken over the Generation achieves of MPSEB. The company in a public company fully owned by government of M.P. The company was incorporated on 22-11-2001. The company obtained the certificate of commencement of business on 16.07.2002. The registered office of company in at shakti bhawan, Rampur Jabalpur. The authorised capital of company at present is Rs. 10000 (Rs. Divided into 10,000,000,00 shares of Rs. Each).

The residual MPSEB was vested with the function of bulk purchase of electricity from generating companies and supply of electricity in bulk to the there income of the state subsequently, the state government' schemes rules 2006 vide notified dated 3rd June 2006 where by the function, properties, interest rights and obligation of the residual Madhya Pradesh state Electricity Board relating to bulk purchase and Bulk supply of electricity along with the related agreement and arrangements have been transferred and vested in M.P. Power Trading company limited (TRADECO) has starting functioning w.e.f. 03/06/2006 and from that

date onwards, all three discoms are buying the power of their requirements from a single source i.e. TRADECO including short term power.

I. Madhya poor kshetra vidyut vitaran company limited.

II. Madhya Pradesh pashcim kshetra vidyut company

III. Madhya Pradesh Madhya kshetra vidyut vitaran company.

(i) Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitran Company Limited :

The government of Madhya Pradesh vide order dated 1st July 2002 has incorporated Madhya Pradesh Poorve kshetra vidyut vitran company limited as a wholly owned government of Madhya Pradesh of corporation under the comprises out 1950 to undertake achieves of distribution and retail supply for and on behalf of Madhya Pradesh State Electricity board in the areas covered by the communication of Jabalpur and Rewa

To achieve this mission, the company and its employee commit themselves to honesty and integrity, result oriented work, dedication to duty, cost consciousness, openness to suggestion and feedback from all. Government of Madhya Pradesh proposed a transient phase in which the assets and liabilities would continue to be serviced by the board with only the operational activities being wasted into their new company. Madhya Pradesh electricity Regularity commission in the order dated 10th July 2002 has granted approval this operation and management arrangement for facilitating the process of reform and reorganization bringing in economy and efficiency in operational achieves of the electricity sector.

Poorve kshetra encompasses an area served by 59,489 kms of HT and 1,02,231 km of LT distributing network. The seize of the administrative set up in a below :

| | |
|------------------------------------|------|
| 1- Number of regions | 03 |
| 2- Number of circle | 13 |
| 3- Number of divisions | 39 |
| 4- Number of sub- division | 189 |
| 5- Number of distribution centrers | 368 |
| 6- Number of fuse call centre | 1888 |

(ii) Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitaran company Ltd.

The Government of Madhya Pradesh vide order dated 1st July 02 has incorporated Madhya kshetra vidyut vitaran company limited as a wholly owned government of Madhya Pradesh corporations under the companies act 1956 to undertake activities of distribution and retail supply for and on benefit of Madhya Pradesh state Electricity board in the areas covered by the commission Aires of Indore and Ujjain. Madhya Pradesh Electricity Regulatory commissionaires in the order dated 16th July 02 has granted approval to this operation and management arrangement for facilitating the process of reform and organization and bringing in economy and efficiency in the operational activities of the electricity sector.

(iii) Madhya Pradesh Madhya a kshetra vidyut vitaran company

Madhya Pradesh Madhya kshetra vidyut-vitaran company Ltd. (MPMKVLL) was incorporated as a wholly owned Government company on 31rd may 2002, under the companies Act 1956, the same has been notified vide order No. 5555/RS/413/2001 dated 1st July 2002 of the Govt. of Madhya Pradesh. The company undertakes the

achieves of distribution and retail supply in the areas covered by the commissionaires areas of Bhopal, Hoshangabad, Gwalior and Chambal.

Result and Discussion :

The expected outcome of the proposed work will prove the unique attempt of the deep study will be done on various Risk Management in MPSEB and what were the consequences of these policies on MPSEB Level scenario.

The researcher has formed the hypothesis on the basis of Departmental Data done studies that the analyse of Management of in MPSEB role and the researcher may prove or bring some exceptional points to this Management. Development of agricultural and industrial sector depend on adequate development of economic and social infrastructure like irrigation, power generation, transport, communication, technology and human resources. Power sector plays a crucial role in enhancing the growth of all social and economic sectors of economy. State is treating Power Sector as one of the priority sector to strengthen agriculture and industrial base of the state.

The installed capacity of Madhya Pradesh Power Generation Company as on 31.3.2012 is 3724.7 MW comprising of 2807.5 MW Thermal and 917.2 MW State Hydel projects. In addition, state has share of 2426.5 MW from hydel projects in joint venture and 2640.3 MW in the Central Sector Projects. Apart from the above, state has installed capacity of 361 MW from Private and Non-conventional sources. Thus total installed capacity of 9452.8 MW is available with state as on 31.3.2012.

Reference :

1. Annual plan 2013-14 All chapters Volume state Planning Commission. (MP Planning commission.gov.in) chapter final 22-08-2013 pd.
2. Alexander Eydeland, (2012) Energy and Power Risk Management New Developments in Modeling Pricing and Hedging, Published by John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey,
3. Davis W. Edwards (2010) Energy Trading and Investing : Trading Finance & Investing. (Risk Management and Structuring McGraw-Hill.
4. Mohammad, Shahidehpour, (2015) Market Operations in Electric Power systems : Electric Power systems : forecasting Scheduling and Risk Management.
5. Tax Mann, (2017) Treasury, Investment and risk Management Iind Edition, India.
6. EDr. Seyged Ali Powermousavhkani, (2005) Electric Power Components & systems Vol. 33, No. 10; University of Queensland, America.
7. Theodone Wildi (2006) Electrical Machines Drives and Power systems (Fifth Edition) Sperika Enterprises Ltd.
8. Sanal Kumar Vulayudhen (2007) Rural Marketing : targeting the non urban Consumer. B1/B11, Mohan Cooperative Industrial Area Mahatma Road, New Delhi-110044
9. Pradeep Kashyap (2014) Rural Marketing IIIrd Edition. Online Amazon.in India.
10. Frankyates (1953) Sampling methods for Censuses and servery, hafner Publishing Co.
11. George Simpson and Fritz Kafka (1965) Statistics oxford IBH Publishing Co. 36 chowringhee Road Calcutta.
12. H.N. Morse (1924) The social survey in town and country areas.
13. J.L. Gillin and J.F. Gillin (1954) Cultural sociology the MaCmilln, New York.
14. Jones, M.E. (1949) Basic sociological Principles Ginns Co.
15. Maclyer and Page. (1955) Society-An Introductory analysis, Macmillans Co. London.
16. Majumdar D.N. (1958) Racgs and cultures of India. Asia public house, Bombay.
17. Nurullaha S. and Naik J.P. (1951) A history of education in India.
18. Weber, Max : (1958) The Religion of India, The Free Press Unions,
19. William J. Goode and Paul K. Hatt : Methods in social Research, Megraw hill kogakusha Ltd.
20. Info@Indianpower sector.com copyright 2012. Indian power sector.com, <home>2010/10
21. Guidelines regarding Sections 126 and 135 of the Electricity Act 2003 for the Field Officers. M.P. Poorve Kshetra Vidyut vitran Company Limited, Black No. 7, Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur 482008
22. <https://www.dailytechtutus.com>.





GENDER EQUALITY IN PARTICIPATORY RURAL INSTITUTIONS OF MADHYA PRADESH

□ Dr. Geeta Chauhan*

ABSTRACT

The well-being and development of women depends on their empowerment social, economic, cultural and political. Women contribute almost half of the world population. As compared to men the contribution of women to the social and economic development of societies is also more than half due to their dual role in productive and reproductive spheres. Since women contribute half of the world population they should have equal participation and representation in the world democracies but when it comes to their representation in the political position in the government, their percentage is very low. Poor representation of women is not specific in the political domain alone but also in the administrative and managerial position. This gender inequality, which is of major concern to the issue of human development all over the world, is manifested in many forms.

Keywords : Empowerment, Population, Administration, Managerial position, Gender equality, Rural Institutions.

Introduction

The well-being and development of women depends on their empowerment social, economic, cultural and political. Women contribute almost half of the world population. As compared to men the contribution of women to the social and economic development of societies is also more than half due to their dual role in productive and reproductive spheres. Since

women contribute half of the world population they should have equal participation and representation in the world democracies but when it comes to their representation in the political position in the government, their percentage is very low. Poor representation of women is not specific in the political domain alone but also in the administrative and managerial position. This gender inequality, which is of major concern

* Guest Faculty Dept. Of Legal Studies and Research ,Barkatullah University,Bhopal,M.P.

to the issue of human development all over the world, is manifested in many forms.

The marginalized status of women is an established historical phenomenon all over the world. It is said that while writing Politics, Aristotle pondered over the question of moral rightness or justification of slavery but there was no doubt regarding the inferior status and subordination of women to men. Women's inferior status is also evident from the universal feature of women's absence from public arena. Women across the globe have fought for equality, dignity and freedom against inequality, oppression and subordination. The objective of contemporary feminist approach is to change the essence of politics and feminise politics rather than be a part of the men's stream.

There has been a slight positive change during the last decade of the 20th century with regard to political participation of women all over the world. It is interesting to observe that there are regional variations in political participation of women. It has been noted that women in South Asia have the lowest participation in governance structure. The status of women has caught the attention of the United Nations as early as its inception. Major world conferences have been organized by the UN on the status of women during the last 40 years or so. The debate on the political representation of women continues to be of great importance to the international community. Though there has been a worldwide attempt to involve women in the decision-making process, the effectiveness of participation of women is of further concern and needs to be evaluated.

In India, the demand for representation of women at higher level of political decision

making process has been continuing for a long time. There is also a growing demand for reservation of seats for women in the parliament. The essence of the growing demand for greater participation of women in the political process by women themselves is the growing realization that besides representing the neglected half of the population it would provide and equip them with the power to specify the political agenda and persuade their interest.

Panchayats as people's bodies have been an integral part of Indian society and polity since long in the country. However the participation of rural women in availing different levels of education, employment opportunities and political activities has been much lower as compared to women in the urban areas. Taking into account, the unsatisfactory progress that has been achieved in improving socio-economic status and empowerment of women in the past it has been felt important to maximize the participation of women in the Panchayati Raj Institutions including the issues related to decision making and the implementation of various rural and development programmes. With this objective the 73rd constitutional amendment act 1992, proposed that not less than one third of total seats in all the three tiers of panchayats to be reserved for women. This act definitely empowered women in terms of number at the grass root level but being in large number is not sufficient as reservation only provides the possibility of a voice for women it does not guarantee it. The reason being male dominance, illiteracy, casteism, deep rooted cultural beliefs and values which do not promote women's assertion but retain

them in their traditional role of dependent housewife and mother. It becomes necessary to examine the nature and effectiveness with which the women members are able to participate amidst such social, cultural and economic constraints in the working of the Panchayati Raj Institutions.

Review of Literature

G.S.Mehta (2002) in his book entitled, “Participation of women in the Panchayati Raj System,” has attempted to examine the issues related to the implementation pattern of reservation policy and its awareness among rural women, socio-economic and political background and personal characteristics of women elected to PRIs and their participation of development programmes and welfare activities and improvements in the socio economic status and empowerment after representing the Panchayats.

Ashok Kumar Jha (2004) in his edited book on “ Women in Panchayati Raj Institution,” stated that despite of reservation for women , effective participation in Panchayati Raj Institutions have failed due to misuse and manipulation by local power brokers. Ignorance of women about their rights and procedures and about their potential and responsibilities have kept them far behind men in the local bodies. It is very much doubtful that mere increase in number of reserved seats for women in local bodies is likely to increase participation of women. Unless structural changes are brought about and a sincere effort is made to educate women and the power structure existing in rural areas are neutralized , nothing much can be achieved.

GiriMohiniV.(2007) in her essay on “Federation of Panchayati Women in India : Beginning of a social Transformation,” takes into consideration the experiences of Panchayat women in six states of India; Haryana, Madhya Pradesh , Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. The author considers that the political empowerment and consequent decision making roles of women ensures harmony in society and paves the way for undisturbed economic and social progress. The author opines that various social supports, when created can make rooms for women to act powerfully within society and thereby within its local political structure.

Methodology and Hypothesis

To examine the issues related to the implementation pattern of reservation policy and its awareness among rural women. Their participation in different stages of the implementation of development programmes and welfare activities and improvements that have occurred in the mobility, freedom, socio economic status, political awareness and empowerment after representing the panchayats. The present study is based on primary and secondary sources. The primary data has been collected through survey based questionnaire and the secondary data has been collected from different published articles, books and websites.

Objectives of the study

The principle objective of this research is to study the nature of participation of women members in PRIs in Madhya Pradesh with a special represent to Bhopal, Sehore

and Raisen Districts. In doing so the focus of the present study has been on the following issues:

- * To study the gender wise variation in the profile of elected male and female members at all the three levels of PRIs.

- * To find out the level of awareness among women in the villages about their role, responsibilities, powers and authority in the PRIs.

- * To examine the practices in our society which have adversely affected women's rights and welfare.

- * To critically assess the participation of women in Panchayati Raj in study area.

- * To increase women's effective participation in decision making in PRIs in study areas.

Area of the study

The work is based on a comprehensive study which looks into the whole issue of women's participation at all the three tiers of Panchayati Raj Institution- Gram Panchayat, Janpad Panchayat and Zila Panchayat in the three districts of Madhya Pradesh State in India, namely Bhopal, Sehore and Raisen. The special focus of the study was on women representatives but the views of male counterparts was also taken into account in order to compare the functioning and also the perceptions about the participation of women.

Interpretation

Due to reservation of seats there is greater participation of women in election process. It is an effort or a nursery of creating women politicians for national politics. The participation of common women citizen in various activities like attending gram sabha

meetings has increased. Women have started participating actively in rural development as per their capacity. There is increased participation of women in decision making and they give their suggestion for various works and problem. They are acting as an agent of change in the society and raise their voice against injustice. There is reduction in violence against women as they contest the election and are becoming aware of their powers and rights. This growing participation of marginalised section in general and women in particular is transforming the democratic setup from representative democracy to participatory democracy. The officials of block panchayats should ensure the participation of local people specially women in meetings of Gram Sabha to instill in them the seed of democracy.

Challenges faced by women representatives in Panchayat Raj Institution :

- * Male domination of politics, political parties and culture of formal political structure is a major factor that hinders political participation of women.
- * Women also find it hard to actively participate in village politics due to limited time available to them because of their domestic responsibilities. Women also face cultural constraints on their mobility.
- * Economic dependence on male members also limit the scope of political work.
- * Women mostly act as proxies for men. There is too much intervention of the male family members in the functioning of the elected women.

- * Lack of political awareness among women regarding their rights, authority and working of the panchayats.
- * Women often lack social capital because they are not the head of communities or tribes. There is negative public opinion regarding leadership capacity of women.
- * Lack of proper training course regarding the working of panchayats especially for women representatives
- * Another stumbling block is illiteracy among women in rural areas.
- * There is also dominance of elected male representatives in the panchayats.

Conclusion and Suggestions

The educational qualification plays a vital role. It influences the nature and extent of participation in various activities of block and village panchayats including issues related to decision making, implementing and supervising developmental programme in a proper way and attending various social, cultural and political activities. In this backdrop it is suggested that some educational qualification should be fixed for the candidates willing to contest the election of Sarpanch and members of Gram Panchayats, Janpad and Zila Panchayat.

Educational qualification alone cannot serve the purpose unless women come out of the purdah to ensure their active participation and end the proxy system which is prevalent now at various levels of panchayats. The direction for the presence of members and exclusion of husband or male members of the family from meetings should be enforced with heavy hand. Beside illiteracy and purdah system economic dependence of women on the male members of their family is also an important factor

responsible for their ineffective participation. Therefore it is necessary to have a network of cottage industries for women in rural areas. Some industries which are based on agricultural produce should also be developed in each Panchayat. The Gram Panchayats must be provided with telephone facility, television and a small library to enlighten and educate the members and also the residents of the village.

* Awareness should be created among the people about the implication and objectives of the new system. In order to bring awareness to PRI representatives about the constitutional rights, functions and duties, the nature of Indian democracy and policies and programmes for women, methodology to be adopted for successful implementation of different developmental programmes and maximize the local participation and providing information about the nature of developmental programmes, government agencies should organize frequent training.

* Training is a very important aspect. Most of the women members are not well qualified and if qualified they are not well versed with the panchayat act and rules and the accounting process. They should be given thorough training in the relevant subject so that they may not remain at the mercy of government officials and the male members of their family. Besides other hindering factors for their failure to perform their mandatory roles most of the elected women representatives have low capabilities. The task of evolving a suitable future strategy for enhancing the capabilities of the elected women representatives thorough training should be taken very seriously. Elected members should be provided with adequate

information on the 29 subject's ear marked for local body institutions in the Eleventh schedule of the Constitution. The elected members should be acquainted with the process of planning from the grass root level. They should be equipped with the devices of resource management. The role of Government machinery should be that of facilitator.

* There should be proper supervision of every work. The supervisors should be well trained and should realize their responsibility to ensure quality control. Meetings convened by the Government on panchayats must be attended by women members. Every women representative at village, block and Zila Panchayat should be asked to attend the meetings and different activities of panchayat. They should be asked to take part in discussion and present their views on policy decisions. It will enhance the leadership qualities, culture and self confidence. Gradually they will perform better in mandominated meetings of the panchayats.

* The goal of political empowerment of women does not end up only with their induction into power positions in the panchayat institutions. The policy of political empowerment of women should aim at ensuring their actual participation in the process of decision making in these institution. After being elected to these institutions their actual role begins. The achievement of the goal of rural development depends on the active participation of the representatives of PRI's in the meetings. attending the meetings would be considered as a precondition to exercise influence on the decision making process. Regularity in

attending the meetings could be considered as an indication of their involvement while participation in the discussion in PRI meetings by the women leaders would be considered as an indication of their active participation in decision making.

* A necessary condition for the efficiency of reservation policy in PRIs is that the elected women representatives have independent power and autonomy. The husband of women office bearers should not be allowed to meddle with the affairs of Gram, janpad of Zila panchayat. Sarpanchpati or husband of Janpad and Zila Panchayat women office bearers should not be encouraged by the officers to represent on behalf of the women office bearer.

* In villages there are veterinary hospitals, Primary school, Anganwadikendras, health care centre's run by State Government. It should be made compulsory that the officers inform Sarpanch of their visit, meet them and endorse a copy of the inspection note also to the Sarpanch. Efforts should be done for the formation of MahilaMangal Dal, MahilaManch Welfare Societies to achieve the maximum participation of women in these institutions. It will improve the socio-economic status and empower the women in rural areas.

* The problems like education, land reform and primary health are not touched by the Panchayati Raj system. The powers given to the panchayats are narrow in scope. The control of the Panchayat over the state functionaries is illusionary. The scope for panchayat autonomy is limited because the state controls the flow of funds to the panchayats and also primary implementation of the major development projects. Although

Madhya Pradesh was the first state to set up three tier system of panchayats, it's functioning was severely affected by financial constraints and inadequate resource mobilization. Taxes assigned to them are not too productive of revenue. Panchayati Raj Institutions should be enabled to levy local taxes on their own.

Since the Panchayati Raj Institutions are at the nascent stage much care and caution is required on the part of government to strengthen them. These institutions should be given more and more financial help and support. Moreover the problems which are being felt by the Panchayati Raj Institutions should be addressed in a participatory and democratic way. If proper support and attention is given, these institutions will certainly change the scenario of the country with regard to upliftment of women, development, overall improvement in the quality of living conditions and thinking at the grass root level.

Empowerment as process is slow but self-perpetuating. The reservation policy for women under the Panchayati Raj system provides an opportunity to bring significant improvement in their socio economic status and makes them aware of their rights and authority. Providing women with opportunity and support system like reservation and similar concrete effort has the potential to

put into motion a sustainable process for bringing a change in gendered power relation allowing them to break the shackles of existing inequality and differences and to bring them at par. Thus allround development and harmonious growth of a nation would be possible only when women are considered as equal partners in progress with men.

References:

- * Altekar, A.S., The Position of Hindu Civilization, MotilalBanarasiDas, Delhi 1962.
- * Bajpai, A. and Verma M S, Panchayati Raj in India- A New Thrust, Vol.I, Sahitya, Delhi 1995.
- * Khanna, B.S., Rural Local Government in India and South-Asia, Deep & Deep Publishers, New Delhi, 1979.
- * Palanithurai, G., Dwaraki B.R. and Narayanaswami S. (ed), Major Issues in New Panchayati Raj System, Kanishka Publishers, 1994.
- * Pylee, Dr. M.V., An Introduction to the Constitution of India, Vikas Publishing House, New Delhi, 2007.
- * Sharma, Parul, Panchayati Raj Prashashan, Ritu Publication, Jaipur 2007
- * Verma, Sudhir, Women's Struggle for Political Space, Rawat Publishers, New Delhi, 1997.





RESERVATION POLICY AS A CONSTITUTIONAL MANDATE FOR THE ERADICATION OF DISPARITIES AMONG DIFFERENT GROUPS OF INDIAN SOCIETY

- Abdul Hamid Teli*
- Dr.Sona Shukla**
- Dr. Geeta Chauhan***

ABSTRACT

Reservation policy, not a concern of India only but is deeply rooted in the big powers of the world also, with different labels such as affirmative action in the USA, positive discrimination in the United Kingdom etc. Reservation policy is by and large expressed as positive or protective or compensatory discrimination in favour of the backward classes for the purpose of ensuring justice and justifying inequalities that are embedded in the socio-economic and political system. In order to bring the unequals with the rest of the society the Constitution makes available means in the form of reservation.

Key words: Reservation Policy, inequality, discrimination, backward classes, constitution

Introduction

Reservation policy also called affirmative action or protective discrimination denotes a policy of initiatives used in India to counterbalance the inequalities of those who have been historically discriminated in the fields such as services, business, education, politics and other fields. Reservation policy is an endeavour to bring the unequals equal with the rest of the society; an attempt not only to eliminate discrimination but one to redress

the wrongs done in the past. Reservation by definition demands some preferences for the deprived that may otherwise lose in an open competition with those who belong to the privileged classes. It has been incorporated in the Indian Constitution as a measure for the deprived and discriminated classes of citizens, so that they would improve their well being (Arora, 2010, p. 5.18).

Reservation policy is just not only a tool for keeping a respective portion of seats reserve, but a mission to evolve a nation,

based on social harmony wherein no one could face any sort of inequality on those grounds which an individual gets through birth and not by intention like caste creed, religion, sex etc. It also intends to create a network of support or social capital and to meet the deficit of 'cultural capital' for those who were alienated from social mainstream and deprived of opportunity, human freedom and dignity (Yadav, 2010, p. 3).

Prior to the advent of Indian Constitution, reform movements, sanskritisation westernization, preference policies etc. bring about some revolutionary changes among dalits. But after the India's Independence, amelioration of conditions of the underprivileged groups engaged the attention of the framers of the Constitution (Ahuja, 1999, p. 57). They committed themselves for bringing dignity and social justice for those at the bottom of the social order. They called for attacking the inequities of the caste system, a lasting feature of Hindu society. An independent and modern India could not possibly live with the notion that, depending on the Caste in which one is born, a human being's rights and responsibilities would be different; that discrimination would continue to be practiced as in olden days; and that roughly one fifth of the Hindu Community, whose touch would pollute those hierarchically above, could be called untouchables. A modern polity could not accept radically different bundles of rights based on birth (Varshney, 2014, p. 5). India has embraced equality as a central value, this happened against the background of extreme inequalities (Haan, 1995, p.3).

It is because of the past experiences, which draw the keen attention of founding fathers of Indian Constitution to reflect both on civil and political rights on the one hand

and social and economic rights on the other. They incorporated within the fold of Indian Constitution, the political and civil rights movements of USA and the social and economic rights movements of USSR, aiming at radical social revolution in the country (Sandanshiv, 1986, p. 34). The Constitutional ethos of the social revolution running through the 'preamble', fundamental Rights and the directive principles expressly emphasize the establishment of an egalitarian social order and based on human values of justice, Social, economic and political, equality of status and of opportunity and fraternity assuring human dignity (Kumar, 2016, p. 96).

Research Methodology & Data Sources

For the methodological purposes, the study relies wholly and solely on non-empirical methods. Under the non-empirical or doctrinal study, the historical and descriptive methods have been used partly in carrying out this work.

In this study the researcher has made use of secondary data. The secondary data has been culled from various books, journals, magazines, working/discussion papers, published articles, Annual Reports of National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes etc.

Statement of the Problem

Reservation policy is a constitutional obligation that seeks to recompense people, unfavourably located in scheme of resource endowment for the loss incurred on account of their exploitation and stagnation.

Constitutional Safeguards

Having an eye on the conditions of different sections of society, the founding fathers of the Constitution felt that certain

sections in the country have got entangled in extreme social, educational and economic backwardness which arose out of age-old practice of untouchability and certain others on account of the primitive agricultural practices, lack of infrastructure facilities and geographical isolation, and who need special consideration for safeguarding their interests and to find out the way in order to help them out of the gravest backwardness (National Commission for Scheduled Tribes, 2015). The Constitution framers with their great efforts geared up the Indian Constitution and welcome the social revolution in India. The Social revolution anticipated to get India out of the traditional evil practices based on birth, custom and community and renovate social structure on modern fundamentals of law, individual merit and secular education (Austin, 1972, p. 26). They framed the Indian Fundamental law in such a manner that they put into it the remedy to the inequalities and injustices which had engulfed the Indian society. Our Constitution intends to provide equality and justice (Basu, 1982, p. 327) In order to bring the unequals with the rest of the society the Constitution makes available means in the form of reservation. By providing reservation the state is free to take a positive action for encouraging the down-trodden and to remove unequal treatment arising from social, economic and political conditions of the society.

Following are the Constitutional safeguards which make the base of Reservation policy in India terribly strong.

Article 14 of the Indian Constitution establishes the general right of equality: The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

The Article 14 concept of equality espouses the principle that similarly situated persons will be treated alike. The law, therefore, need not apply identically to each and every person. The principle of equality does not mean that every law must have universal application for all persons who are not by nature, attainment or circumstances in the same position, as the varying needs of different classes of persons often require separate treatment (Chandola, 1992, p. 107).

Further, Article 15, prohibits the discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth (Basu, 1982, p. 59). It provides that the state can make special provisions for the upliftment of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Accordingly Article 15 provides the basis for incorporating Reservation in the Constitutional framework (Purane, 2000, p. 41). Article 16 provides equality of opportunity in public employment. This Article under clause (4) allows the state to reserve the seats for backward classes of citizens (National Commission for Religious and Linguistic Minorities, 2010, p. 15).

Article 46 has been framed to pay keen attention towards the promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the weaker sections (Singh, 1992, p. 37).

The original Indian Constitution mandates representation for SCs and STs in the lower house of Parliament (Lok Sabha) under Article 330 and in the state legislative assemblies under Article 332. Furthermore, the 73rd and 74th Amendments of 1993 mandated representation for SCs, STs and OBCs at a more local level of government (Chin & Prakash, 2009, p. 6).

According to Article 335, “the claims of the members of the scheduled castes and scheduled tribes shall be taken into consideration in the matter of appointment to services and posts under the union and the states, as far as may be consistent with the maintenance of efficiency of administration” (Basu, 1982, p. 87).

Conclusion

The Constitution of India therefore, shapes the growth of modern India and its road map for inclusive growth of India’s society. The Constitution provides a legal framework for social transformation from a society of castes and communities to a modern society of citizens based on the equal consideration of individuals without regard for caste, creed or gender.

In order to bring the unequals with the rest of the society the Constitution makes available means in the form of reservation. By providing reservation the state is free to take a positive action for encouraging the down-trodden and to remove unequal treatment arising from social, economic and political conditions of the society.

References

- * Ahuja R. (1999), Indian Social System. Rawat Publications, New Delhi
- * Arora N. D. (2010), Political Science for Civil Services Examination, Tata McGraw –Hill Education Pvt. Ltd, New Delhi
- * Austin G. (1972), The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford University Press, Bombay
- * Basu D. D. (1982). Introduction to the Indian Constitution, Prentice-hall of India Pvt. Ltd, New Delhi
- * Chandola, M. V. (1992), Affirmative Action in India and the United States: The Untouchable and Black Experience. Indiana Comparative Law Review, Vol. 03, No.01, pp. 101-133.
- * Chin, Aimee., and Prakash, Nishith. (2009), The Redistributive Effects of Political Reservation for Minorities: Evidence from India. IZA Discussion Paper, No. 4391.
- * Haan, A. D. (1995). Bibliographical review on social exclusion in South Asia. Geneva: International Institute for Labour Studies. ILS Publications.
- * Kumar, V. (2016). Social Justice and Empowerment in India: Dr. Ambedkar’s Thoughts. Social Justice and Emancipation. International Seminar on "Globalization of Dr. Ambedkar’s Thoughts & Philosophy." Indore: Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences (BRAUSS).
- * National Commission for Religious and Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. (2010).
- * National Commission for Scheduled Tribes. (2015). Handbook. New Delhi: Government of India.
- * Purane K. D. (2000), Untouchability and Law-the Ground Reality, Gyan Publishing House, New Delhi
- * Sandanshiv D. N. (1986). Reservations for Social Justice, Current Law Publishers, Bombay
- * Varshney A. (2014). Battles Half Won: India's Improbable Democracy, Penguin, UK.
- * Yadav, S. (2010). Reservation & Inclusive Growth. New Delhi: Indian Institute of Public Administration.





IAEA AS AN CHIEF INTERMEDIATE OF UN SECURITY COUNCIL FOR THE PROLIFIC IMPLEMENTATION OF NPT AND REGIME THEORIES

- Dr. Sofi Yasir Hassan*
- Dr.Sona Shukla**

ABSTRACT

IAEA was founded in 1957; this safeguard system has provided a vital instrument for nuclear non-proliferation and peaceful nuclear cooperation. Also the NPT makes it compulsory for all NNWS parties to conclude comprehensive safeguards agreements with the IAEA, and thus allow for their safeguard application to all of their sources of fissionable material. It was established independently from the United Nations under its own international treaty but it follows the UN as a part of regulatory system. Article III of the agreement obligates, the IAEA to report to the Security Council and General Assembly in any case of non-compliance by signatory states to the Treaty. On the other hand the existence of effective international institutions to a unipolar (hegemony) configuration of power in the issue-area in question. Without the existence of a hegemonic power international cooperation in various domains like trade, monetary, and other matters in international affairs becomes exceptionally difficult, if not impossible to achieve.

Keywords : IAEA, Security Council, NPT and regime theories and its approaches.

Introduction

World under the umbrella of nuclear weapons cannot serve without the imagination of disaster. Nuclear weapons are having the capacity to destruct the world with in the blink of eye. So to stop or limit the manufacturing of these weapons we have an international organization i.e., UNO. One of

the main organs of UNO is its security council. Non-proliferation treaty abbreviated as NPT was established by the UN Committee of disarmament carrying the purpose of restricting the number of nuclear countries to gain international control over potential of armed conflicts and to commit for the peaceful use of nuclear energy.

Text of the Treaty

The NPT is divided into three different pillars. These are non-proliferation, the right to peaceful use of nuclear technology, and disarmament. They also act as the guidelines for the signatory states. The major incentive under NPT is to acquire nuclear weapons based on a national security concerns but to eliminate such incentives that will lead insecurity to the mankind, the concerns must be allayed. In the case of many countries the concerns have been met through a nuclear umbrella offered by alliances.

NWS members assure NNWS in the UN Security Council about abstaining from use of nuclear armaments against them.¹ Consequently there is a strong thrust to avoid the danger of nuclear war and thereby safeguard the security of nations as it is felt that, the proliferation of nuclear weapons would seriously improve the danger of nuclear war. Under Article I and Article II of the treaty what can be viewed as the non-proliferation pillar. The NWS agree not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or any other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any NNWS to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices, and each NNWS party to the treaty undertakes not to receive the transfer from whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.²

The partition between NWS and NNWS makes the NPT an irregular regime because on one hand the treaty places similar obligations on both NWS and NNWS to prevent the proliferation of these weapons and on other hand it allows the five recognized NWS legally permitted to be in the possession of nuclear weapons. In most cases where there is a lack of incentive for states to participate in international institutions the carrot principle came into existence as a new incentive. For NNWS, the carrot is to sign the NPT is fundamentally in return of foregoing the attainment of nuclear weapons as long as the nuclear states entrust to provide them with nuclear technology suitable for the development of nuclear energy industry. Creating an incentive to join the treaty in exchange of nuclear energy capability that the majority of the member states most likely would not be able to achieve otherwise because most of the countries that build their first nuclear reactor usually need outside technical help. The only countries that have built their first reactor entirely unaided were the US, Soviet Union and France.³ Article IV of the treaty gives the member states the inalienable right to develop research, production, and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of the NPT. All the parties to the treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful use of nuclear technology. Member states of the NPT in a position to do so shall also cooperate in contributing alone or together with other states or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in

the territories of the NNWS party to the treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.⁴ The regime and the IAEA are playing contrasting roles where it has to check the proliferation of nuclear weapons, and meanwhile it has to promote and provide the use of civil nuclear energy. There is always a risk of converting nuclear energy that is currently for civil purposes into nuclear weapons.

The disarmament pillar is mainly based on the Article VI of the treaty where each of the party to the treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at any early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.⁵

According to this the pillar of the treaty, NWS can negotiate in good faith the elimination of nuclear arsenals in their possessions but not strictly required to disarm themselves of nuclear weapons.

Regime Theories

John Ruggie defined regimes as “a set of mutual expectations, rules and regulations, plans, organizational energies and financial commitments which have been accepted by a group of states”.⁶ The most used definition was presented in 1983 by Stephen D. Krasner, “sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision making procedures around which actor’s expectations converge in a given area of international relations. Principles are beliefs of facts, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. Decision making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice”.⁷

The three theories that can explain regimes as an international institution are power based, interest based and knowledge based.

Power Based

Neorealist envisions a world of competition on fundamental ground and where states cooperate with each other. It is difficult to achieve and more difficult to sustain. This cooperation is limited due to logic of security competitions which is far possible to overcome by cooperative actions. International distribution of power is the principle of the rules reflecting state calculation of self interest. The most powerful states shape the institution according to them to maintain and improve the share of world power. Therefore institutions are the platform for expressing the power relationships.⁸ Some arguments have also arrived from Neorealists like Waltz and Mearsheimer who have argued that the international regimes is a reflection of the most powerful states in the system. Neorealism is not able to explain the working strategy of international regimes but if Neorealism is supplemented with the theory of hegemonic stability, the explanation of working of international regime is possible.

It links the existence of effective international institutions to a unipolar (hegemony) configuration of power in the issue-area in question. Without the existence of a hegemonic power international cooperation in various domains like trade, monetary, and other matters in international affairs becomes exceptionally difficult, if not impossible to achieve.⁹ The existence of a hegemonic power doesn’t necessarily mean that it is domination of the entire world; according to Mearsheimer we can separate more narrowly between global hegemons,

which dominates the world, and regional hegemony, which dominates distinct geographical areas.

It also claims the presence of a single, strongly dominant actor in international politics leads to combined desirable outcomes for all states in the international system. They may enforce strict adherence to rules; or may rely on positive sanctions. Both hegemonic powers and smaller states are interdependent and collaborate in maintaining a regime. The hegemonic power although dominates yet providing benefits to small and middle powers. An assumption thus exists that there must be a sufficient incentives from hegemonic power to provide public good and bear all the expenses of cooperation provisions but this could be possible only when hegemonic power is sufficiently large relative to all other states. Smaller states enjoy the advantage of goods regardless of whether or not they contribute in the maintenance of goods and therefore often referred to as free rider. This can be a hurdle in the progress therefore hegemonic power must be capable of preventing cheatings and free ridings by smaller states. This can be gained through enforcement of rules of the regimes and encouraging smaller states to contribute in costs of maintenance of the system.¹⁰ Another factor that might lead to the dissolution of the regime is if other states begin to regard the actions of the hegemony as self-serving and contrary to their own political and economic interests.

According to the theory of hegemonic stability, the explanation behind success or failure of NNPT will be the presence of a hegemonic power in the international society whose motive is to prevent nuclear proliferation and benign and coercive means to do so. Even if the regime is not effective it may be robust as long as it is in the interest

of the hegemonic power to maintain it, based on its coercive and non-coercive power.

Interest-Based

According to Keohane, international cooperation occurs only when actors behave according to the actual or anticipated preference of other actors through a process of policy coordination. With this description it is possible to differentiate among cooperation, harmony, and discord. Harmony and cooperation are usually having superimposed meanings but in world politics they should be, because harmony is apolitical. As under harmony no communication is necessary, and no influence needs to be exercised while Cooperation is highly political, as somehow patterns of behavior must be altered which can be accomplished through negative as well as positive inducements. Certainly, strategies that involve treats and punishment, as well as promises and rewards, are more effectual in attaining cooperative outcomes than those that rely on persuasion and good example. Cooperation, therefore, does not mean an absence of conflict. On the contrary, it is typically mixed with conflict and reflects partially successful efforts to overcome conflict, real or potential. Cooperation among actors happens when they felt conflict in their policies not where there is harmony. Cooperation should not be taken as the absence of conflict, but rather as a reaction to conflict or potential conflict. Without conflict, there would be no need to work together.

Ronald Coase argued that the existence of externalities alone does not essentially prevent effective coordination among independent actors but under certain conditions, bargaining among these actors could lead to solutions that are Pareto-

optimal regardless of the rules of legal responsibility. The Coase theorem could therefore predict that problems of collective action could easily be raised above international politics through bargaining and mutual adjustment. Coase specified three crucial conditions for this conclusion to hold: (a) a legal framework establishing legal responsibility for actions, most likely supported by governmental authority, (b) perfect information, and (c) zero transaction costs including organization costs and costs of making side-payments. If all these conditions were met in the international society, ad hoc agreements would be costless and international regimes unnecessary. On the other hand, by reversing the Coase theorem also allows us to scrutinize international institutions largely as a reaction to problems of property rights, uncertainty, and transaction costs. Besides this, it also provides us therefore with a list of conditions, where at least one must apply if regimes are to be of value in facilitating agreements among governments: (a) Lack of clear legal frameworks establishing liability for actions, (b) information imperfections, and (c) positive transaction costs.¹¹

In international society, according to Neoliberals, all of these conditions are met all of the time. World governments does not exist, information is extremely expensive and often impracticable to obtain. Transaction costs, including costs of organization and side-payments, are often very high. Yet, the Coase theorem is useful not merely as a way of categorizing these familiar problems but because it suggests how international regimes can improve actors' ability to make mutually beneficial agreements. From the deficiency of self-help systems, we get a need for international regimes. In so far as they fill this need, international regimes perform the

functions of establishing patterns of legal liability, providing relatively symmetrical information, and arranging the costs of bargaining to make specific agreements more easily. This typology therefore allows us to specify regime functions, as devises to make agreements possible, and therefore to understand the demand for international regimes. Insofar as international regimes can correct institutional defects in the international society along any of these three dimensions, (a) liability, (b) information, and (c) transaction costs, they may become efficient devices for the achievement of state purposes. Therefore, international regimes are developed in part because actors in world politics believe that with such arrangements they will be able to make, mutually beneficial agreements that would otherwise be difficult or impossible to obtain. Regimes arise because actors forgo self-regulating decision making in order to deal with collective problems. They do so in their own self-interests because jointly accessible outcomes are preferable to those that are or might be reached independently. It is in their interests mutually to establish arrangements to shape their subsequent behavior and allow expectations to converge, thus solving the dilemmas of independent decision-making.

According to neoliberals international regimes along with its institutions and procedures perform the function of reducing uncertainty and risk through linking discrete issues to one another and by improving the quantity and quality of information available to participants and this capacity are the secret of success of international regime of participants. Therefore, the explanatory factor for the degree of success or failure of the Nuclear Non-Proliferation treaty according to interest-based theory of regimes is the quantity and quality of information that

the regime is capable of producing for its member states. From a neoliberal view, there has to be a harmony among the majority of the signatory states for the regime to prevail and this determination to maintain the regime may come from a shown effect, or it may be vigorous because of the belief in a potential future effect, since regimes are more costly to produce than to maintain.

Knowledge-Based

In accordance with Constructivists, ideas and knowledge are the explanatory variables in the study of international politics. The constructivists would argue that the assumption of state-egoism is challenging because we should not make a prior supposition about state identity in anarchy. In other words, identities are created through interaction; we open the door to systemic change. They also argue that assuming a selfish identity and thus a self-help system, is either helpful, because it blocks the opportunity for systemic change, or precise because identities are made and not given.¹²

A constructivist analysis on cooperation would concentrate on how the expectations that are produced by behavior definitely affect identities and interests. The process of creating institutions is one of internalizing new understanding of oneself as well as others, of acquiring new role identities, not just of creating external constraints on the behavior of exogenously constituted actors. By coincidence, the process by which egotists gain knowledge of cooperation is at the same time a process of reconstructing their interests in terms of shared commitments to social norms. Over time, this will be likely to transform a positive interdependence of outcomes into one of utilities or communal interests organized around the norms in question. These norms will resist change for the reason that they are tied to actors'

commitment to their identities and interests, not just because of the cost of transaction.¹³

Structures of Inter-subjective system consist of the mutual understandings, expectations, and social knowledge embedded in international institutions and threat complexes, in terms of which there lies the identities and interests of states. It also determines how much "slack" exists in a states system for dynamics of collective identity formation to develop. If there is greater degree of conflict in a system, there will be more fear in the states and they defend their egotistic identities by engaging in relative gains and resisting the factors that might undercut it. Constructivists argue that the demand for regimes depends on how the actors perceive international problems, which is, in part, formed by their causal and normative beliefs.¹⁴

According to constructivism, the degree of success or failure of the NPT is explained by the ability and willingness by states to escape the security dilemma. They may do so by creating a new identity and willingness to follow the norms and rules of the regime, and showing a collective interest in a nuclear-free international society. This way they try to reduce the fear among states for a potential nuclear conflict. By changing identity, foes may become friends and the need for nuclear weapons becomes less demanding.

Safeguards and the UN Security Council

The transparency of regime seeks information because there is a demand for information and the purpose of incentives and capacity of relevant actors.¹⁵ Since IAEA was founded in 1957, this safeguard system has provided a vital instrument for nuclear non-proliferation and peaceful nuclear cooperation. Also the NPT makes it compulsory for all NNWS parties to conclude comprehensive safeguards

agreements with the IAEA, and thus allow for their safeguard application to all of their sources of fissionable material. Article III of the NPT provides that each NNWS party to the treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the IAEA in accordance with the Statute of the IAEA and the agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfillment of its obligations assumed under the treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.¹⁶ IAEA has no means in itself to force states to abide by the rules of the NPT. It was established independently from the United Nations under its own international treaty but it follows the UN as a part of regulatory system. Article III of the agreement obligates, the IAEA to report to the Security Council and General Assembly in any case of non-compliance by signatory states to the Treaty. The Treaty also instructs the nuclear powers not to transfer nuclear weapons to anyone and control over them, and not to help the non-nuclear weapon states in the acquisition of such weapons.¹⁷

Below describes the obligations of non-nuclear-weapon states in NPT:

“Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices”.¹⁸

International Atomic Energy Agency (IAEA) monitored the working of NPT and

was founded in late 1950s in Vienna. It plays role in assisting developing countries in getting hold of nuclear energy and make certain its safe use. After execution of the NPT, the IAEA has signed an agreement with the non-nuclear states and got the right to visit and inspect the facilities of the states declared as a nuclear developing state.¹⁹

It is also necessary to advocate NPT as a regime. According to the analysis of Brzoska and Tate, the effort of nuclear non-proliferation and trying to identify that as describing above formulates an international regime. Brzoska considers NPT as a regime but also he identifies problems about the lack of mutual managerial principles and norms in this regime.²⁰ Conversely, two sets of principles in this system of non-proliferation which formulate different types of actors in the system.²¹

Practically, these two sets of principles and norms create a trouble. As the non-proliferation system with its managerial norms working in the field of nuclear arms distributions to more states, may cause threat to international security. This should be prohibited but also it works more in the peaceful exploitation of nuclear energy.²²

This refers to the understanding of the non-proliferation norms in nuclear states. Developed countries in east and west possessing advanced nuclear industries have rejected unilaterally the ownership of nuclear weapons before entering NPT.²³

Conclusion

In certain way, NPT also acts as a contributor of nuclear material and technology and as an assistant to the states working in the area of peaceful nuclear energy development. Fundamentally, restraining of nuclear weapon distribution shows the need of suppliers being together. In fact, many suppliers were linked with the

Nuclear Supplier Group (NSG), which was viewed as the core of the nuclear non-proliferation system, viz. the significance often linked to the NSG and the US Nuclear Non-Proliferation Act of 1978. Exclusively, the principle of the regime entails the elimination of nuclear weapons by all states. Some states do not possess nuclear arms and this gives an outlook of “confidence-building measure” wished for encouraging the nuclear weapon states to surrender their nuclear weapons. According to the arguments taken place at the NPT review conferences, have raised the question of nuclear reduction among the nuclear weapon states, while non-NPT members make the absence of development as their key protest to sign the treaty as non-members. James Keeley considered the unification of this understanding when the NPT was concluded. On the other hand the negotiation record does not support this argument. In fact, several of the states, even after pushing, chose not to be members of the NPT.

In its place, the NPT clasp both sets of principles and norms with different level of concentration. The ban of the first-time acquirement of nuclear weapons by such protesting states is very different; though the signatory states possessing nuclear weapons simply assured to do something about their weapons as soon as possible. Several non-nuclear weapon states have recognized this “injustice” as the norm of the NPT.

Compromise position poses big complications for diplomats and NPT analysts at the review conferences of NPT, there occur the questions of being a regime with contradictory norms or the regime is divide into categories of nuclear suppliers, support of civilian nuclear activities, abolition of nuclear weapons which are loosely connected via IAEA safeguards and NPT review conferences.

This issue grows into a more complicated matter when regime participation is considered. The regimes having only one nuclear provider certainly have relatively inadequate number of participants. In fact, non-suppliers who have signed up the NPT lend a hand to the functioning of the supplier’s regime; however they do not participate in the construction of rules and procedures.

If non-possession of nuclear weapons within regime is considered as the main principle, the involvement must include all those states which have approved one of the above-mentioned partial “nuclear arms control treaties”, for the most part the “Partial Test Ban Treaty”. On the subject of the negotiation conditions, membership in the NPT is very important as it guard the horizontal distribution of nuclear weapons. Certainly, the IAEA is an essential forum for members as well. The fact regarding the distribution of nuclear weapons has stayed properly incomplete even between non-participants in these regimes “puzzle analysts”, who use both of these approaches.

Among all the states which protest being the partners in establishing the rules and norms even after having all technical resources, only few states have acquired nuclear weapons. Contrarily there are some new nuclear states and a small number of states more similar to those statuses, who are also the members in the second and perhaps third regimes, like India and Pakistan.

References

1. Gjelstad, J. and Njølstad, O. (1996), “Nuclear Rivalry and International Order”, Published by SAGE publications LTD. Pp.1.26
2. International Atomic Energy Agency: <http://www.iaea.org>:
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/others/infcirc140pdf>

- <http://www.iaea.org/NewsCenter/Transcripts/2005/derspiegel21022005.html>
- http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC51/GC51Documents/English/gc51-19_en.pdf
3. Kaufmann, C. (2006), “Why Nuclear Proliferation is Getting Easier”, *Peace Review A Journal of Social Justice*, published by Routledge. Pp.318.
4. International Atomic Energy Agency: <http://www.iaea.org>: <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infocircs/Others/infocirc140.pdf>
5. International Atomic Energy Agency: <http://www.iaea.org>: <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infocircs/others/infocirc140pdf>
- <http://www.iaea.org/NewsCenter/Transcripts/2017/derspiegel21022017.html>
- http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC51/GC51Documents/English/gc51-19_en.pdf
6. Smith R. K. (1987), “Explaining the Non-Proliferation Regime: Anomalies for Contemporary International Relations”, *International Organization*. Vol. 41, No. 2, Pp. 257.
7. Krasner S. D. (1983), “International Regimes”, Ithaca: Cornell University Press.
8. Gilpin, R. (1987), “The Political Economy of International Relations”, Published by Princeton University Press. Pp. 85.
9. Snidal, D. (1985), “The Limits of Hegemonic Stability. *International Organization*”, The MIT Press. Vol. 39, No. 4, pp. 581
10. Gilpin, R. (1987), “The Political Economy of International Relations”, Published by Princeton University Press. Pp. 74.
11. Mercer. J. (1995), “Anarchy and Identity”, *International Organization*, The MIT Press Vol. 49, No. 2, pp. 232.
12. Wendt, A. (1992), “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, *International Organization*, The MIT Press. Vol. 46, No. 2, pp. 417.
13. Wendt, A. (1994), “Collective Identity Formation and the International State”, *American Political Science Review*, American Political Science Association. Vol. 88, No. 2, pp. 389.
14. Wendt, A. (1994), “Theories of International Regimes”, Cambridge University Press. Pp. 137
15. Mitchell, R. (1998), “Sources of Transparency: Information systems in International Relations”, *International Studies Quarterly*, Published by The International Studies Association. Vol. 42, No. 1, pp. 110.
16. International Atomic Energy Agency: <http://www.iaea.org>: <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infocircs/Others/infocirc140.pdf>
17. Harvey C. (2010), “Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty”, *Arms Control Association*. (Accessed 25 January, 2017). http://www.armscontrol.org/pdf/NPTRevConf2005_MajorProposals.pdf
18. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (1970). (Accessed 21 October, 2016). <http://www.un.org/en/conf/npt/2005/npttreaty.html>
19. Pikaev, A. (October 2007), “International Nuclear Weapons Non-Proliferation Regime”, *Perspectives*. (Accessed 21 March, 2017). http://www.perspektivy.info/rus/desk/mezhdunarodnyj_rezhim_nerasprostraneniya_jadernogo_oruzhija_2007-10-25.htm
20. Brzoska, M. (1992), “Is the Nuclear Non-Proliferation System a Regime? A Comment on Trevor McMorris Tate”, *Journal of Peace Research*. Vol. 29, No. 2, pp.215-220.
21. Keeley, J. F. (1990), “Toward a Foucauldian Analysis of International Regimes”, *International Organization*. Vol. 44, No. 1, pp.83-105.
22. Tate, T. M. (1990), “Regime-building in the Non-Proliferation System”, *Journal of Peace Research*. Vol. 27, No. 4, pp. 399-414
23. Brzoska, M. (1992), “Is the Nuclear Non-Proliferation System a Regime? A Comment on Trevor McMorris Tate”, *Journal of Peace Research*. Vol. 29, No. 2, pp.215-220





MARKETING STRATEGIES OF FMCG COMPANIES IN RURAL INDIA

□ Naman Shukla*
□ Imran Mehraj Dar**

ABSTRACT

Rural marketing is seen as a function of RD-rural development and its propellers and dynamics as agricultural modernization, non-agricultural development wealth, education, and above all, “marketization” of the rural economy. The vast untapped potential of the rural markets is growing at a rapid pace. With the rising income, population growth rate and government thrust, the rural market is providing an immense opportunity for the FMCG companies to develop their emerging strategies to tap the rural market. The Cut throat competition in urban areas has also compelled many companies to look for new, unexploited rural markets. Further, rural India is insulated against global economic downturns, which adds to its attractiveness. As a result, it is becoming an important for all FMCG companies to develop the effective rural market development strategies to capture the rural market.

Therefore in order to go rural, the companies should understand the Indian rural marketing Scenario as a prelude. The paper is an attempt to examine the rural marketing trends of FMCG companies in India. It also highlights the challenges and opportunities along with the strategies adopted by FMCG companies in Indian rural Market.

Introduction

The rural markets represent the heartland of the true culture, racial, language and demographic identity of India. This is so because the majority of India lives in the rural masses. The Indian rural markets with

its vast size and demand base offer great opportunities to marketers. Approximately 2/3rd of the consumers live in rural areas consist of about 650,000 villages. These villages are inhabited by about 850 million consumers making up for about 70 per cent

* Research Scholar, CRIM, Barkatullah University, Bhopal (M.P), Mobile No.-7738356300

** Research Scholar, CRIM, Barkatullah University, Bhopal (M.P)

of population and contributing around half of the country's Gross Domestic Product (GDP). Consumption patterns in these rural areas are gradually changing to increasingly resemble the consumption patterns of urban areas. Some of India's largest consumer companies serve one-third of their consumers from rural India. Owing to a favourable changing consumption trend as well as the potential size of the market, rural India provides a large and attractive investment opportunity for private companies. In fact, as per McKinsey, despite rising urbanization, 63% of India's population will continue to live in the rural areas even in 2025.

1. Research Methodology

The research paper is descriptive and informative in nature based on secondary data. The data has been collected from different published books and papers, articles published in different journals, periodicals, conference paper, working papers and other related websites.

2. Objectives of the Study

- > To examine the current rural marketing scenario in the rural market,
- > To examine the hindrance facing the FMCG Companies in the rural areas.
- > To identify rural marketing Allure for the FMCG Companies.
- > To identify and define the emerging marketing practices to be adopted by FMCG companies that will help them to capture the rural market.

3. Rural Marketing

Rural marketing in India is still in its infancy stage. It is an area of darkness to Indian entrepreneurs, although, with its

immense size and demand base, it offers plethora of opportunities to marketers. The rural market of India is very much larger than the urban in the aggregate and represents the largest potential market. Still it faces various problems with respect to marketing, product designing and positioning, pricing, distribution and promotion. In order to tackle this hindrance, companies must understand the rural market in different context to widen their business horizon, to expand their market and to take advantage of the opportunities available in the rural areas. The key to face the challenges is to understand the market, the consumer requirement and conduct and to formulate its strategies accordingly.

According to Velayudhan (2002), rural marketing includes all those activities of assessing, stimulating and converting the rural purchasing power into an effective demand for specific products and with the aim of raising the standard of living. It is a two way marketing process of flow of goods and services from rural to urban areas and vice-versa (George & Mueller, 1955).

3.1 Emerging trends in the rural Market

The days are gone when a rural consumer went to a nearby city to buy "branded products and services". Time was when only a select household consumed branded goods, be it tea or jeans. There were days when big companies flocked to rural markets to establish their brands. Today, rural markets are critical for every marketer - be it for a branded shampoo or an automobile. Time was when marketers thought van campaigns, cinema commercials and a few wall paintings would suffice to entice rural

folks under their folds. Thanks to Internet & television, today a customer in a rural area is quite literate about myriad products that are on offer in the market place.

Trends indicate that the rural markets are coming up in a big way and growing twice as fast as the urban, witnessing a rise in sales of hitherto typical urban kitchen gadgets such as refrigerators, mixer-grinders and pressure cookers. According to a National Council for Applied Economic Research (NCAER) study, there are as many 'middle income and above' households in the rural areas as there are in the urban areas. There are almost twice as many 'lower middle income' households in rural areas as in the urban areas. At the highest income level there are 2.3 million urban households as against 1.6 million households in rural areas. According to Mr. D. Shiva Kumar, Business Head (Hair), Personal Products Division, of Hindustan Lever Limited, the money available to spend on FMCG (Fast Moving Consumer Goods) products by urban India is Rs. 49,500 crores as against is Rs. 63,500 crores in rural India.

NCAER projections indicated that the number of "middle income and above" households was expected to grow to 111 million in rural India by 2012, compared to 59 million in urban India i.e. absolute size of rural India is expected to be double that of urban India. Even in lifestyle products, rural India will be significant over next five years.

A latest market trend shows that there is a huge scope for companies to penetrate rural market. 46% of soft drinks sales happened at rural areas, 59% cigarette were consumed by rural people, 53% of FMCG sales done in rural market. Therefore rural market has

emerged as one of the crucial market for FMCG sector. Since last ten years especially FMCG companies have started exploring rural market for two reasons. One is due to saturation in urban market and second is because of potential lies in rural market. The potential of rural India is because it contains 70% of the total population of India that are living in 65000 villages, increase in disposable income of rural people, better infrastructure, roads and distribution system.

3.2 Allure for FMCG to go Rural:

India is undergoing a massive change and the companies operating in India will have only two options either go Global or go Rural. The cost of going global is very high, and it's difficult to gauge markets in other countries. Also there has been a significant growth in purchasing power, change in lifestyle, increase in brand consciousness, change in consumption pattern, improvement in infrastructural facilities and spread of communication network in rural market. These changes resulted the FMCG companies to target the rural market as it is growing day by day. Rural India is emerging as a large market for a number of goods and services - financial services, healthcare, education and telecommunication, etc. Like Thoreau and Tolstoy, Gandhi, revered as the father of modern India, believed that the country's future lay in her villages. These days, every marketer would agree.

Some of the reasons that attract the FMCG's to go rural are given below:

1. Increasing Population of India
2. Rise in Rural Income
3. Remittances from Abroad :

4. Rural Development Programme / Govt. Initiative
5. Urban Markets are Getting Saturated :
6. Intensive Interaction with Urban Population:
7. Development of Transport and Communication Networks:
8. Rising literacy levels
9. Infrastructural facilities.
10. Impact of Media:
11. Rapid Socio-economic Changes:

4.3. Hindrances offered by rural market to the FMCG Industry

Although the rural markets are a huge attraction to marketers, it should also be recognized that it not easy to operate there. Rural market is a time consuming affair and requires considerable investments in terms of evolving appropriate strategies. The peculiarities of the rural markets and rural consumers pose challenges to the marketers in reaching them effectively. Therefore it is a challenge for every marketer to reach the rural market effectively. Some of the hurdles that FMCG is facing while entering the rural market are given below:

1. Transportation Bottlenecks:
2. Deprived People and underdeveloped Markets:
3. Communication impasse:
4. Inadequate Media Coverage
5. Ineffective Warehousing System:
6. Ineffective Distribution Channels:
7. Inadequate Banking and Credit Facilities
8. Seasonal Demand :
9. Dummy Brands
10. Low Levels of Literacy:
11. Low Per Capita Income:

4.4. Rural Marketing Strategies of FMCG companies

In earlier days rural marketing practices was used to designate marketing of agricultural product and village artisan products. Due to globalization, privatization, liberalization, and IT revolution, rural income and Indian Diaspora have entirely changed the rural marketing scenario. The huge opportunities offered by the rural market are getting more and more importance today. The FMCG companies are reaching the remote rural areas for marketing of their products. But it is necessary to develop the fascinating 'village value', comprising of originality, purity and quality of product, to conquer untapped robust consumption potentiality of 120 million household of the 'Rural India'. In order to achieve that target, FMCG companies have adopted new emerging practices. The new emerging rural marketing practices include 4P and 4A strategies which are explained as below. The 4P strategies include Product, Price, Place of distribution, and Promotional Strategies and 4A strategies include Availability, Affordability, Acceptability and Awareness Strategies.

4.4.1. 4P Strategies

Due to the changing scenario of rural market it is important FMCG companies to understand the 4P strategies in order to enter the rural remote areas.

The 4P Strategies that may be helpful in improving marketing in rural areas are listed below:

A. Product Strategies:

A product is the heart of rural marketing and the rural people spend their money for

basic needs only. Due to low income, for any purchase they think hard and try to postpone or spend very little. Product is very important component of marketing mix and it needs to be targeted in rural market with special modification as per rural demand and accordingly product strategies should be formulated, Some of the Product strategies for rural India are-

- (a) Small unit and Low price packing:
- (b) New Product Design:
- (c) Sturdy Products:
- (d) Usable Products:
- (e) Brand Name:

In brief, In order to formulate the product strategy successfully, the FMCG companies should keep low pricing, small packets, product utility, rugged build, and easy brand names into consideration while entering the rural market.

B. Pricing Strategies

There is a notion that rural folks more likely, prefer products that are low priced. Instead what rural consumers seek is the value for money. Therefore, the pricing has to be in line with this expectation and FMCG companies devise their strategies that can make their products affordable for rural customers. Pricing strategies are linked to product and its packaging. Hence, packaging and product has been made to suit low value purchases by rural people. Some of the pricing strategies are given below

- (a) Low Cost/Cheap Products
- (b) Low Cost Packaging
- (c) Reusable packs
- (d) Application of value engineering
- (e) Conversions

C. Strategies for Place of Distribution

It has been revealed from some studies that the bigger villages of above 5000 population are fairly covered by the marketing people of various companies including manufacturing, consumable and durable products, in comparison to smaller villages. Some of the strategies for distribution to various rural segments are discussed as under:

- (a). Using Own Delivery Vans:
- (b) Agro- input Dealers:
- (c) Co-operative Societies :
- (d) PDS Stores and Petrol Pumps:
- (e) Annual Melas:

D. Promotion Strategies

Promotion strategy is a way of communicating the product to the target market. It is an important strategy to be adopted by every FMCG marketer in order to enter the rural market. Due to technological innovations people can now communicate through both traditional and newer methods of media. Both mass communication and / or target communications can be used as per requirements. The promotion measure should be cost effective. Word of mouth is an important message carrier in the rural areas and ‘opinion leader’ play a significant role in influencing the prospective rural consumers about accepting or rejecting a product or a brand.

Mass media is a powerful medium of communication and other strategies that can be followed to promote the product in rural market include:

- (a) Cinema
- (b) Television

(c) Radio
 (d) Print Media
 (e) Hoardings
 (f) Various Events- Mela, Jathra, Shondis and Hats are important places for promotion of FMCG in rural India.

Apart from this there are various other power ways by means of which products in the rural market are promoted by the FMCG companies as given below :

- (i) Promoting Products with Indian Models and Actors
- (ii) Promoting Indian Sports Team:
- (iii) Talking about a Normal Indian:

4.4.2. 4A Strategies

Although rural market offers vast opportunities for FMCG companies but also shows some hurdles of low per capita incomes, large number of daily-wage earners, acute dependence on the monsoon, seasonal consumption linked to harvests, festivals, and special occasions, poor roads, power problems, and inaccessibility to conventional advertising media. These problems are associated with the problem of availability, affordability, acceptability and awareness of rural consumers regarding the product. In order to overwhelm this, FMCG companies have used the 4A approach which are explained below:

A. Availability:

Indian rural market is very large. So in order to make a pan India presence marketing activities have to be undertaken on a very big scale. It is very big challenge for the FMCG companies to avail their products in far flung areas of the rural India. For making the products available to consumers,

companies adopt a variety of means such as direct selling, using company delivery vans, syndicated distribution between non-competitive marketers, setting up of temporary stalls in rural melas or haths etc. FMCG companies have realized this and are trying to be creative in this situation.

B. Affordability

It involves pricing the product in such a manner that the people are attracted and at the same time products should be affordable. As the rural market is characterized by low income levels with huge inequality in distribution, the FMCG companies need to focus on low cost production techniques and marketing products that offer value for money.

Some companies have addressed the affordability problem by introducing small unit packs. Godrej recently introduced three brands of Cinthol, Fair Glow and Godrej in 50-gm packs, priced at Rs 4-5 meant specifically for Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh - the so-called 'BIMARU' States.

C. Acceptability:

It is not necessary that the products successful in the urban areas will also be successful in rural area. Therefore products for the rural market need to be crafted in such a way that it should be easily acceptable by incorporating attractive features. Keeping this in view, company like LG Electronics has reaped rich dividends by developing a customized TV for the rural market and christened it Sampoorna. Coca-Cola provides low-cost ice-boxes - a tin box for new outlets

| 4P's | 4C's | 4A's |
|-----------|-----------------------|---------------|
| Product | Customer Satisfaction | Acceptability |
| Price | Cost to Customer | Affordability |
| Place | Convenience | Accessibility |
| Promotion | Communication | Awareness |

and thermocol box for seasonal outlets to overcome the lack of electricity and refrigerators problems of rural India.

D. Awareness:

Awareness is a means of communication which is linked with the promotion of the product. In order to make the rural India aware about the products, FMCG companies need to adopt the rural environment, and local language as a means of communication. The majority of the rural population (57%) is not exposed to mass media and poses a grave challenge for FMCG companies to market their products. In order to tackle this situation conventional media is not alone favoring the FMCG companies but along with non conventional media provides fruitful results. The appropriate mix of conventional and non-conventional media-mix like, Television, radio, Audio-visual vans, cinema commercials, wall paintings, intensive door-to-door campaigns, live demonstrations, distribution of samples can be used as an effective media for the effective awareness.

It has been seen that the top most FMCG companies like HLL, ITC and Dabur etc. have understood the rural India well and have applied their strategies accordingly. The FMCG companies need to understand the 4P, 4C and 4A strategies as given below in table 1 effectively in order to enter the rural India.

Awareness

Figure 1 Compiled from different sources

Some of the FMCG companies treat rural market as a dumping ground for the lower end products designed for an urban audience. They survive for very short term as consumers in the rural market are now becoming very sensitive towards their purchasing behavior. This changing scenario of rural market makes consumer a king, and thereby need of customer becomes the priority and the strategies becomes consumer centric. Hence it is important for every FMCG companies to understand the 4Ps along with 4As keeping 4C in mind while adopting rural marketing practices in order to enter and survive in the competitive market of Rural India.

Conclusion:

Rural market is like goldmine with lot of difficulties. The FMCG's needs to formulate a well designed strategy to feel the pulse of the rural consumers and to tackle the mystic rural market. Many companies go to rural markets, still to make money, not to guide or help or develop rural consumers. The rural marketers must think rural for long-term success instead of short-term profit. Another factor responsible for hastening this phenomenon is the construction of national highways connecting all the four metros through the hundreds of villages. This will enable companies to serve the rural markets, to ensure availability of products through a sound distribution network, overcoming prevalent attitudes and habits of rural customers and creating brand awareness. In short FMCG companies need to understand

the rural India well and should apply their strategies accordingly. It can be said that the future is very promising for those who can understand the dynamics of rural markets and exploit them to their best advantage by focusing on the 4P, 4C and 4A strategies effectively.

Reference

- > Babu, S. Dhineshet al (2008), “Emerging Trends in Rural Marketing”, www.bmsgroup.blog.co.in/files/2008/07/final-pro.doc
- > Del Castello, Ricardo, Maul Braun (2006), “Framework for effective rural communication for development”
- > Goswami, Rahul (2009) “Making sense of the rural rush”, <http://www.indiatogether.org/2009/apr/eco-ruraleco.htm>
- > Iyer, Vidya (2009-2010), “Rural Marketing”, SIES Journal of Management, Vol. 6, Iss. 2; pg. 110, 4 pgs
- > Jha, M., (April 1999) „Rural Marketing: Some Conceptual issue? Rural Scan, vol. I no.2
- > Kashyap, Predeep and Raut, Siddhartha (2010 ed.), The Rural Marketing Book
- > Krishnamurthy, Jagadeesh (2009), “Yeh „Rural? Kya Hai? The Challenges and Opportunities of Marketing in Rural India”, EF, December
- > Lane, Bernard, Kenji Yoshinaga (1994), “Niche markets for the rural world”, The OECD Observer. Paris: Oct/Nov 1994., Issue no. 190; pp. 14
- Vishwanathan, Gomathi, “Challenges.in.Rural.Marketing”, http://EzineArticles.com/?expert=Dr._Gomathi_Viswanathan
- > Pradeep Kashyap, Siddhartha Raut, The Rural Marketing, 2008, biztantra, New Delhi.
- > S. Dhinesh Babu, A. Peer Mohamed Ariff, M. Ravichandran, Emerging Trends in Rural Marketing.
- > <http://www.ibef.org/industry/indian-rural-market>
- > http://www.inianmba.com/Faculty_Column/Fc875.html
- > http://www.cpuh.in/academics/pdf/Rajat_Rural_Marketing
- > <http://indianresearchjournals.com/pdf/APJMMR/2013/July/4>
- > <http://publications.anveshanaindia.com>





गाँधी और दलित विमर्श

□ ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह*

□ अखिलेश्वर नारायण पाण्डेय**

शोध सारांश

भारत की स्वतंत्रता से पूर्व अछूतों के उद्धार के लिए सबसे अधिक योगदान राष्ट्रपिता मोहनदास करमचन्द गाँधी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने समाचार-पत्रों का दामन थामकर 'यंग-इण्डिया' और 'हरिजन' में अपने विचारों को व्यक्त किया था। उन्होंने अनुभव किया कि छुआछूत हानिकार और भयंकर दानव है। उन्होंने लिखा था कि "यदि हम छुआछूत को नहीं मिटायेंगे, तो स्वयं मिट जायेंगे।" महात्मा गाँधी ने 30 सितम्बर, 1932 के दिन छुआछूत विरोधी संघ की स्थापना की थी, बाद में उसका नाम बदलकर 'हरिजन सेवक संघ' कर दिया गया था। इसी के बाद से भारत के अछूत, हरिजन कहकर संबोधित किये गये। 1933 ई. में अगस्त माह में महात्मा गाँधी ने छुआछूत के विरोध में आन्दोलन प्रारम्भ किया था, और हिन्दुओं की अन्तरआत्मा को जगाने के उद्देश्य से गाँधी जी ने मई 1933 ई. में 21 दिन का अंशन रखा था, किन्तु धर्मान्ध प्रवृत्ति के लोगों ने काली पट्टियाँ बाँधकर गाँधी जी के इस प्रयास का विरोध भी किया और उनके विरुद्ध प्रदर्शन भी दिया गया। सनातनियों ने गाँधी जी का विरोध करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। उन्होंने गाँधीजी को धर्म का द्रोह करने वाला, नास्तिक, पाखण्डी, पापी, भ्रष्ट और क्या नहीं कहा, परन्तु गाँधी जी इससे विचलित नहीं हुए।

गाँधी जी के उपवास की खबर ने सारे देश को हिला दिया। अन्ततः दलित जातियों के प्रति स्नेह और सहानुभूति का जैसे देश में ज्वार ही आ गया। अछूतों के लिए मन्दिर, कुएँ और अन्य सार्वजनिक स्थान धड़ाधड़ खोले जाने लगे।

भारत वर्ष के मुक्तिदूत, गाँधी जी का अवतरण भारत की ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की एक महान घटना है। अपने गरिमामय एवं अलौकिक चरित्र-बल से गाँधी जी सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित करके युगपुरुष कहलाये। वह एक युगद्रष्टा एवं असाधारण पुरुष थे। दिव्यपुरुष—महात्मा गाँधी, भारत के ही नहीं अपितु

सम्पूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतरित हुए, जिस प्रकार राम-कृष्ण, गौतम-बुद्ध, ईसा, मुहम्मद साहब तथा गुरुगोविन्द सिंह आदि भगवान के रूप में अवतरित हुए। जिस प्रकार लिंकन ने अमेरिका का तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया था, उसी प्रकार गाँधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दासता

* शोध छात्र (वाणिज्य), डॉ. रा.म.लो.अ.वि.वि., फैजाबाद (उ.प्र.)

** शोध छात्र (वाणिज्य), डॉ. रा.म.लो.अ.वि.वि., फैजाबाद (उ.प्र.)

से मुक्ति दिलायी। भारत राष्ट्र के महानायक गाँधी जी समद्रष्टा तथा सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने वाले थे, और विश्वबन्धुत्व तथा भाई-चारे की भावना से ओतप्रोत थे। वह एक महान राष्ट्रनायक, स्वतंत्रता के पुजारी सत्य और अहिंसा की मूर्ति, निर्भीक, साहसी, दृढ़प्रतिज्ञ एवं संयमी व्यक्ति थे।

महात्मा गाँधी भारतीय जनता के सच्चे नेता थे। गाँधी जी का भारतीय जनता के हृदय पर पूर्ण राज था। महात्मा गाँधी में दया, करुणा, त्याग, इन्द्रिय संयम, मानवता के प्रति प्रेम एवं वीरता के गुण कूट-कूट कर भरे हुए थे। गाँधी जी की दृष्टि में न कोई छोटा था, न अस्पृश्य और न ही तुच्छ। वे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। गाँधी जी हरिजनों की समस्या से अत्यधिक दुःखी थे। देश के अन्दर ऊँच-नीच, जाति-पात का भेद-भाव उन्हें अच्छा नहीं लगता था। महात्मा गाँधी ने जीवन पर्यन्त दलितों-पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया और छुआछूत को मिटाने के लिए अनवरत प्रयास किये। प्रसिद्ध कवि 'डॉ. राजेन्द्र मिश्र' ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“दलितों के उद्धार हेतु ही, तुमने झण्डा किया बुलन्द।
तीस वर्ष तक रहे जूझते, अंग्रेजों से अथक् अमन्द।।”

महात्मा गाँधी के जीवन पर अपने माता-पिता के चरित्र की गहरी छाप थी। बचपन में ही सत्य हरिश्चन्द्र और श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से महात्मा गाँधी बहुत प्रभावित हुए थे। गाँधी जी को 'हरिजनों तथा हिन्दुस्तानी' दोनों से ही अगाध स्नेह था। उनकी माता ने उन्हें समझाया था कि गिरते हुए को सहारा दो तथा देश के भूखे व्यक्तियों को भोजन दो, तब उन्होंने मन-ही-मन संकल्प किया कि वे दीन-हीन व्यक्तियों को सहारा देंगे तथा अपनी जन्म-भूमि के बन्धन काट डालेंगे। यदि देश का एक भी बालक नंगा-भूखा है, तो मुझे सुख किस प्रकार मिल सकता है? अछूतों को भी उसी ईश्वर ने पैदा किया है। इन अछूतों ने उच्च वर्णों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, फिर इनके प्रति भेद-भाव कैसे रखा जा सकता है।

वर्तमान शताब्दी के द्वितीय चरण में, भारत विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए स्वतंत्रता आन्दोलन में जुटा हुआ था, उस समय मोहनदास करमचन्द गाँधी ने भारत के पद-दलितों के समर्थन में आवाज उठाई। हरिजन के मन्दिर में प्रवेश करने से यदि मन्दिर अपवित्र हो जाता है, तो उस मन्दिर में भगवान का वास बिल्कुल नहीं है। यही सोचकर गाँधी जी ने अपने आश्रम में रहने के लिए हरिजनों को आमन्त्रित किया था। गाँधी जी के इस कार्य की प्रतिक्रिया हुई और जनता ने आश्रम को चन्दा देने से मना कर दिया। तब गाँधी जी ने कहा कि यदि जनता आश्रम के लिए चन्दा नहीं देती है, तो मैं हरिजनों के बस्ती में रह लूँगा, पेड़ के नीचे सो लूँगा, किन्तु मैं आदमी-आदमी में भेद नहीं कर सकता। मेरे जीते जी घृणा और द्वेष नहीं चल सकता। पहले देश आजाद हो जाए, फिर मैं हरिजन समस्या का भी निवारण करूँगा। गाँधी जी के इस कथन से आश्रमवासियों में नवीन चेतना उत्पन्न हुई, और वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में रहे।

भारत में अनुसूचित जातियाँ विभिन्न उपजातियों में विभाजित थी। कुछ खेतीहर मजदूर थे, कुछ वेतनभोगी कर्मचारी थे, जो रोजी-रोटी के लिए सपरिवार मजदूरी करने जाते थे। कुछ खरीदे हुए अथवा बंधुआदास थे, जिनका कार्य भी मजदूरी था, लेकिन इसके अलावा नारी जाति के विभिन्न वर्ग भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित हैं। इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति हीन थी। निरन्तर दरिद्रता और निरक्षरता के कारण ये लोग इतने अधिक पिछड़े हुए थे, कि इन्हें अपने ऊपर आत्म-विश्वास नहीं रहा था। शताब्दियों से इनके साथ जो छुआछूत और भेद-भाव का व्यवहार किया जाता था, उसके कारण इन लोगों में सामाजिक निर्बलता घर कर चुकी थी, जो दीन-हीन, अछूत, बंधुआ, प्रताड़ित, बहिष्कृत, अस्पृश्य, पराश्रित किसी भी देश के हों वे दलित वर्ग में आते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो उच्चवर्गीय समाज द्वारा फैलाई गयी भेद-भावपूर्ण सामाजिक गंदगी यानि वर्गभेद

की कीचड़मयी मानसिकता के शिकार दलगत जीवन-यापन करने वाले जन-समुदाय। जन्म लेने मात्र से ही उसे मानवीय अधिकारों से वंचित रखकर उससे उपेक्षित एवं घृणित व्यवहार किया गया। दलित शब्द जिन्दगी के साथ धार्मिक खिलवाड़ का सूचक है। दलित शब्द सुनते ही जेहन में एक ऐसे शख्स की तस्वीर सामने आती है, जो दुःखी, बेबस, लाचार, फटेहाल, दरिद्र, उपेक्षित मनुष्य है। जबकि संविधान के अनुसार—सभी भारतीय नागरिक समान हैं, परन्तु अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता था, और अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत का व्यवहार किया जाता था।

इस प्रकरण को कवयित्री सुमित्रानन्दन पंत ने अपनी कविता के माध्यम से लिखा है—

**“छुआछूत का भूत भगाने,
किया व्रति ने दृढ़ आन्दोलन।
हिले द्विजों के रुद्ध हृदय पर,
खुले मन्दिरों के जड़ प्रांगण॥”**

20वीं शताब्दी में गाँधी जी एवं गाँधी जी के प्रखर नेतृत्व में अस्पृश्यता से सम्बन्धित क्षेत्रीय आन्दोलनों ने राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया, लेकिन इस दिशा में गाँधी जी के प्रयास भिन्न थे। जन्म से इस वर्ग से सम्बद्ध होने के कारण गाँधी जी ने स्वयं भी अस्पृश्यता के अभिशाप को भोगा था। गाँधी जी ने एक बार कहा था कि मेरी प्रार्थना है कि यदि मेरा पुनर्जन्म होता तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में नहीं बल्कि अतिशूद्र के रूप में हो ताकि मैं उनके कष्टों, दुःखों तथा अपमानों का भागीदार बनकर स्वयं को और उन्हें इस दयनीय स्थिति से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर सकूँ। दलित-वर्ग सम्मेलन अहमदाबाद में हिन्दुओं की स्थिति को स्पष्ट करते हुए गाँधी जी ने कहा— “हिन्दू सम्भवतः पापी नहीं हैं, वे अज्ञान में डूबे हुए हैं। मेरी दो बड़ी इच्छाएँ हैं, जिनके कारण मैं जीवित हूँ। ये हैं—अछूतों की मुक्ति और गायों की रक्षा। जब मेरी ये दोनों इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी तभी स्वराज्य मिल जायेगा और उन्हीं की मुक्ति में मेरा मोक्ष निहित है।” उन्होंने कहा कि “यदि

मेरा बस चले तो मैं अपने प्रभाव में आने वाले सभी सवर्ण हिन्दू लड़के-लड़कियों को इस बात के लिए तैयार कर दूँगा कि वे हरिजनों से विवाह करें।” चूँकि जाति व्यवस्था आर्थिक शोषण का एक सर्वमान्य साधन बन गया था। अतः गाँधी जी ने अपने अनुभवों के आधार पर बाद में कहा था कि— छुआछूत तभी समाप्त हो सकती है, जब जाति-प्रथा का उन्मूलन हो जाए। गाँधी जी ने अपनी सोच का केन्द्र-बिन्दु अनुसूचित जाति पर केन्द्रित किया था। यह प्रसिद्ध है कि गाँधी जी ने कस्तूरबा (गाँधी जी की धर्मपत्नी) से भी शौचालय की सफाई करवाई और आश्रम में रहने वालों से आश्रम की सफाई स्वयं करने को कहा। उन्होंने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का कलंक बताया और हिन्दू समाज का फोड़ा कहकर इसकी निन्दा की। एक अन्य अवसर पर गाँधी जी ने कहा कि अस्पृश्यता रावण अथवा डायर के शैतानी कृत्यों से भी बड़ा राक्षस है।

भारत में अछूतों की मुख्यतया तीन श्रेणियाँ रही हैं। पहली श्रेणी अस्पृश्यों की है अर्थात् जिन्हें छुआ न जा सके। दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं, जिनके नजदीक भी न जाया जाए। तीसरी श्रेणी के वे लोग हैं, जिन्हें देखा भी न जाए। इस सदी के शुरू में हिन्दुओं में कुल जनसंख्या 30 करोड़ थी, जिनमें 6 करोड़ लोग अछूत थे, और वे हिन्दुओं की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत थे। गाँधी जी ने दलित की पीड़ा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से उत्पीड़ित भारतीयों तथा ‘गिरमिटिया’ मजदूरों की जिन्दगी में देखी। दलित की वेदना अपने देश के अछूतों में, बाल-विधवाओं में और जिस्मफरोशी का धंधा कर पेट पालने के लिए मजबूर पतित बहनों में देखी। दलित की व्यथा उन्हें अंग्रेज निलहे जमींदारों द्वारा सताये जा रहे चम्पारण के किसानों में दिखायी पड़ी तो दलित की आह! कराह उन्हें देश के हर-एक फटेहाल, भूख से बेहाल, बेरोजगार आदमी में सुनायी पड़ी।

मानव अधिकारों की माँग को अछूतोंद्वारा आन्दोलन के अन्तर्गत आगे बढ़ाने के लिए गाँधी ने स्वयं मध्यप्रदेश, चेन्नई और मुम्बई के तूफानी दौर किये थे, उन्होंने मालाबार

के अछूतों की दुर्दशा का समाचार सुना और वहाँ सभा में गये। वहाँ के अछूत परिवारों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, उन्हें मृत मशुओं का मांस खाना पड़ता था, उनकी औरतों को आधी नंगी रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मानव अधिकारहीन इन अर्द्धमानव प्राणियों को देखकर उनका खून खौल गया। वे एक नेता थे जिन्होंने समस्त अछूतों के दुःखों और पीड़ाओं को अपना वैयक्तिक अपमान समझा। अतः उन्होंने यह प्रतिज्ञा की, कि वह अछूतों को दासता की स्थिति से मुक्त करेंगे और उनके मानवीय अधिकारों की दिशा में सतत संघर्ष करेंगे। गाँधी जी का दृढ़ मत था कि हिन्दू समाज में दलित वर्गों की हीन स्थिति उच्च समझे जाने वाले वर्गों की अन्यायपूर्ण और स्वार्थी दृष्टिकोण के कारण ही बनी है। गाँधी उन्हीं धार्मिक सुधारों को महत्वपूर्ण मानते थे, जो दलित वर्गों व सवर्णों के मानसिक स्तर में परिवर्तन ला सकें। उनका मत था कि दलित वर्ग अपना समय और क्षमताएँ मन्दिर प्रवेश जैसी निरर्थक बातों में व्यय करने की अपेक्षा यदि उच्च शिक्षा, अच्छे रोजगारों में प्रवेश पाने तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयत्नों में लगायेंगे, तो निश्चित रूप से उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी।

ध्यान में रखने वाली बात यह है कि गाँधी जी अछूतपन के सवाल पर यह सब तब सोच और कर रहे थे, जब भारतीय राजनीति में बाबा साहेब अम्बेडकर का कहीं पता नहीं था। वास्तव में देखा जाए तो गाँधी जी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग के रूप में जिस राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का बिगुल फूँका था, उसे सफल बनाने के लिए सभी वर्गों, सम्प्रदायों, समूहों की एकजुटता आवश्यक थी। देश में बहुसंख्यक हिन्दू थे और उनमें वर्चस्व था सवर्णों का, जो थे तो अल्पसंख्यक लेकिन देश एवं समाज में प्रभावशाली वे ही थे, और उनका समर्थन आन्दोलन की सफलता के लिए बहुत अहमियत रखता था। दूसरी तरफ, बहुसंख्यक अछूत थे जो सवर्णों के उत्पीड़न से चिढ़कर इस स्वराज्य दिलाने वाले आन्दोलन से दूर थे। जाहिर है इस काम को निहायत समझदारी एवं

सावधानी से करना था, ताकि दुराव रखने वाले दलित राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ सकें, तो दूसरी तरफ इस आन्दोलन को समर्थन देने वाले सवर्ण भी बिदककर इससे अलग-थलग न हो जाए। अतः गाँधी जी ने यहाँ भी वही तरीका अपनाया यानि सत्याग्रह की वही पद्धति जिसके अन्तर्गत हृदय परिवर्तन का कार्य प्रमुख था। अस्पृश्यता विरोधी अभियान को राष्ट्रव्यापी एवं सशक्त बनाने के लिए गाँधी जी ने लेखन, सम्मेलन, सभा आदि सभी प्रचार माध्यमों का समान रूप से इस्तेमाल किया।

कुल मिलाकर देखा जाए तो गाँधी जी के सन्दर्भ में 'दलित भारत जागरण' का मतलब है, भारत के आम-आदमी के जीवन को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण, उत्पीड़न, दमन, अन्याय आदि से मुक्त कर उसके समक्ष उन समस्त अवसरों को उपलब्ध कराना जो उसके अन्दर मानवीय सद्गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। दक्षिण-अफ्रीका से लेकर भारतवर्ष तक उनके समस्त सत्याग्रह संघर्ष के केन्द्र में 'सामान्य-मनुष्य' ही रहा। गाँधी जी का यह सामान्य मनुष्य न किसी सम्प्रदाय का, न किसी एक वर्ण या वर्ग का था, अपितु वह हिन्दू, मुसलमान, पारसी, इसाई, स्त्री-पुरुष, किसान-मजदूर, अछूत आदि का समन्वित रूप था, जो या तो सामाजिक विसंगतियों के कारण या फिर औपनिवेशिक दासता के कारण शोषण, दोहन, दमन एवं अपमान का शिकार था। हरिजन शब्द के प्रयोग पर आज के दलित बन्धु लाख आपत्ति करें किन्तु जिस कालखण्ड में गाँधी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, उसने इस समुदाय में आत्म-गौरव के भाव का संचार किया था। यह मानने से इनकार करने का अर्थ है—ऐतिहासिक सन्दर्भ को अनदेखा करना। यह ध्यातव्य है कि 'हरिजन' शब्द का चयन गाँधी जी ने अपने मन से नहीं किया था, बल्कि गुजरात के एक अस्पृश्य भाई के सुझाव पर किया था।

वस्तुतः गाँधी जी ने 'दलित भारत' के उद्धार के लिए समाज-सुधार, साम्प्रदायिक सौहार्द, भाषा एवं राष्ट्रभाषा का महत्व, आर्थिक स्वावलम्बन, राजनीतिक स्वाधीनता

आदि सबको अपने भारत-जागरण अभियान के अन्तर्गत स्थान दिया। स्वराज्य जागरण को केवल राजनीतिक स्वाधीनता के सवाल तक सीमित नहीं रहने दिया, अपितु उन्होंने लोगों के नैतिक, आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी अपने कार्यक्रम से अलग नहीं रहने दिया, और स्वराज्य को परिभाषित करते हुए कई अवसरों पर इस आशय की बात भी कही। निष्कर्षतः अगर हम गाँधी जी के विचारों को अपनी विकास-यात्रा का पाथेय बना सकें, तो सम्भवतः हम विकास के उन्माद में विनाश की ओर बढ़ रहे विश्व-समुदाय को बचाने में कामयाब हो सकें।

सन्दर्भ :

1. प्रकाश नारायण नाटाणी, गाँधी दर्शन मीमांसा, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर (राजस्थान), 2007।
2. कन्हैया लाल चंचरीक, आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008।
3. रामजी सिंह, गाँधी और गाँधी विचार का सौर-मण्डल, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2010।
4. श्री भगवान सिंह, गाँधी और दलित-भारत जागरण, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ 32 एवं 34।
5. उप. पृ. 251 एवं 252।
6. उप., पृ. 256।
7. श्यौराज सिंह बेचैन, अम्बेडकर गाँधी और दलित पत्रकारिता, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 2010।
8. डॉ. एम.के. मिश्रा, डॉ. कमल दाधीच, गाँधी एवं सर्वोदय, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2010।
9. डॉ. महेश भटनागर, भारतीय इतिहास (1526 ई. से अब तक), राजलक्ष्मी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2013, पृ. 336।
10. डॉ. अलका जैन, अहिंसा प्रशिक्षण (एक अभिनव शान्ति तकनीक), रीगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009।
11. डॉ. एम.के. मिश्रा, डॉ. कमल दाधीच, गाँधी और दलित, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2011, पृ. 12।
12. उप., पृ. 16 एवं 20।
13. उप., पृ. 28, 33 एवं 34।
14. उप., पृ. 43 एवं 136।
15. डॉ. राजेन्द्र मिश्र, मुक्तिदूत, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन्स (इण्डिया) प्रा.लि., इलाहाबाद, 2013-14, पृ. 279 से 283 तक।
16. सुमित्रानन्दन पंत, मुक्ति यज्ञ, चित्रा प्रकाशन (इण्डिया) प्रा.लि., मेरठ, 2013-14, पृ. 506।
17. उप., पृ. 512।
18. डॉ. रीता सिंह, गाँधी जी एवं भारतीय समाज, कला प्रकाशन, वाराणसी, 2009, पृ. 69।
19. मोहनदास करमचन्द गाँधी, मेरे सपनों का भारत, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम संस्करण, फरवरी, 2010, पृ. 228।
20. उप., पृ. 229 एवं 230।





“पुस्तकालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव”

(मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में)

□ कृष्ण कुमार सिंह*

शोध सारांश

भारत में विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित अनेक प्रमुख पुस्तकालय (प्रायः सभी कम्प्यूटरीकृत) विभिन्न पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के समीक्षात्मक विवरण इसमें आगे विस्तृत तथा विवेचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके द्वारा पाठकों को उनके पुस्तकालय सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवं नेटवर्क अपनाने में बहुत सहायता होगी। तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय के डेटाबेस की सहायता से कैसे डाटा संग्रहित किया जाना है आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

पुस्तकालय आटोमेशन अब पुस्तकालय तथा सूचना वैज्ञानिक के लिए अपरिचित विषय नहीं है। अब अनेक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय आटोमेशन का अध्ययन पृथक् विषय के रूप में पुस्तकालय विस्तार के क्षेत्रों को उसको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों पहलुओं पर अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया गया है। पुस्तकालय आटोमेशन के फलस्वरूप पुस्तकालय को अधिक व्यवहारिक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यों एवं सेवा को अधिक उद्देश्य पूर्ण तथा पूर्तिदायक बना दिया है। सही मायनों में यदि आज पुस्तकालय, पुस्तकालय का आटोमेशन के प्रारूप को नहीं अपना पायेंगे तो वे अव्यवहारिक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष अपने व्यवसायिक महत्ता खो देगा। इस कारण आज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सूचना वैज्ञानिक पुस्तकालय आटोमेशन की महत्ता को देखते हुए इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस तरह की नवाचारी तकनीकी ज्ञान का उपयोग आज मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पुस्तकालयों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

शब्दबीज:— पुस्तकालय, नवाचारी तकनीक, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ पठन-पाठन सामग्री, कम्प्यूटरीकृत।

* शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रस्तावना

इस इकाई में कम्प्यूटर तकनीकी अर्थात् कम्प्यूटर की विशेषतायें, इतिहास, जनरेशन, वर्गीकरण, प्रभागों से अवगत कराया गया है। इसके अलावा इसमें कम्प्यूटर की विभिन्न अर्न्तगामी एवं निर्गत इकाइयों, कम्प्यूटर वेयर, पुस्तकालय में कम्प्यूटर सेवाओं का भी उल्लेख किया है।

मानव सभ्यता के इतिहास में हुए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कारों में कम्प्यूटर का विशेष महत्व है। यह उन आविष्कारों में से एक है जन्होंने मानव सभ्यता के विकास को एक नई दिशा प्रान की। जिस दिन से मनुष्य ने बढ़ती हुई समस्याओं और कार्य आदि के दबाव में आकर हाथ की अंगुलियों से ज्यादा कुशल गणना विधि की आवश्यकता महसूस की शायद उसी दिन से आधुनिक युग के कम्प्यूटर की खोज प्रारंभ हो गई। वास्तव में कम्प्यूटर के आविष्कार का इतिहास हजारों साल पुराना और विस्मयकारी है।

विश्व का प्रथम गणक बेबीलोन और ग्रीस सुकारातिस नदियों के किनारे बसी मानव सभ्यताओं के पास ईसा पूर्व सन् 3200 में बनाया गया वह सरल यंत्र मिट्टी के गोल टुकड़ों में छेद करके लकड़ी की तिलियों में डालकर बनाया गया था। इस यंत्र से संख्याओं को जोड़ना घटना बहुत आसान था। तदपरान्त जापान तथा चीन में सन् 2600 ईसा पूर्व इस प्रकार के यंत्र का उपयोग मिलता है जिसे चीन में एबेकस कहा जाता था। सन् 1524 के आस-पास सेकरोमन तत्वेत्ता वोयेथियस ने एक गणना चक्र का निर्माण किया जिसके द्वारा कठिन गणनाएं करना आसान था।

वर्तमान में कम्प्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि वर्तमान युग कम्प्यूटर का युग है। आटोमेशन का महत्व पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रों के प्रति दिन के कार्यों में इसकी महत्ता को देखते

हुए अधिकतर सभी कार्यों में इसका हस्तक्षेप बढ़ गया है। आटोमेशन का उपयोग कम्प्यूटर द्वारा प्रति दिन कार्यों में गति, शुद्धता, स्वचालन तथा संग्रहण आदि गुणों के कारण ही इसका महत्व और बढ़ जाता है। पुस्तकालय के कार्यों को दक्षतापूर्ण करने के लिए कम्प्यूटर का विशिष्ट महत्व है।

उद्देश्य :-

इस इकाई के अध्ययन का उद्देश्य कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के तहत कम्प्यूटर को परिभाषित करते हुए उसके इतिहास, पीढ़ियों (जनरेशन), विशेषताएँ, प्रकार, मुख्य भाग, पुस्तकालय में कम्प्यूटर सेवाएं परिचित कराना है।

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के सभी तथ्यों से भली-भाँति परिचित हो सकेंगे।

कम्प्यूटर तथा पुस्तकालय :-

पुस्तकालय के स्वरूप में आधार पर मूल-भूत परिवर्तन होने के पश्चात् वर्तमान युग में पुस्तकालय मूल पुस्तकालयाध्यक्ष उद्देश्य छोड़कर उसके स्वयं में बड़ा परिवर्तन हुआ। यदि पुस्तकालयाध्यक्ष इस आधार भूत परिवर्तन के अनुरूप नहीं ढले तो पुस्तकालय तथा पुस्तकालयाध्यक्ष अपना महत्व खो देंगे। क्योंकि सूचना विज्ञान के क्षेत्र में कम्प्यूटर के पर्दापण के पश्चात् सूचना तकनीकी ने सूचना के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है जिसके परिणामस्वरूप ज्ञान जगत् के प्रत्येक विषय में नई तकनीकी तथा आज सही मायने में प्रत्येक विशय वैज्ञानिक तीके से खोज में लगे हैं। जिसके फलस्वरूप परिणामों एवं उद्देश्यों परिलक्षित पूर्ति हो पा रही है जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका अब पुस्तक संग्रहकर्ता के रूप में न होकर उससे सूचना यथा स्थान यथा समय यथा सूचना पाठक को कम्प्यूटर की मदद से प्रदान करने के लिए उसे सूचना वैज्ञानिक के रूप में ज्यादा अहम हो

गई है। इस कारण प्रत्येक पुस्तकालय में संग्रहित रखे पत्र पत्रिकाओं से सूचना छोटकर पाठक को पहुंचाना है। सही मायनों में पहले पुस्तकालयाध्यक्ष पाठकों को पुस्तकों/प्रलेखों के मूल स्वरूप की ओर इंगित करता था किन्तु आज पुस्तकालयाध्यक्ष सूचना वैज्ञानिक के रूप में पुस्तकालय में उपलब्ध साहित्य की सभी पुस्तकों के प्रत्येक पेज तथा वाक्यों तथा लाइनों को पाठकों तक इंगित करने से पाठकों तथा पुस्तकालय हो गई है। आज पाठक सिर्फ कागज पर प्रकाशित सूचना पर निर्भर नहीं है। वह कम्प्यूटर मदद से आन लाइन तथा सॉफ्ट पब्लिकेशन सूचना प्राप्ति की ओर ज्यादा जागरूक तथा आकर्षित हो रहा है।

पाठक सूचना प्राप्ति के लिए सिर्फ फ्लायपी, सी.डी. तक ही सीमित नहीं है वह आज इन्टरनेट के माध्यम से उसको सूचना खोज कर क्षेत्र में विश्वव्यापी हो गया है। उसी के परिणाम स्वरूप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने नई ऊँचाईयों को छुआ है तथा इसी के पद चिन्हों पर समाज विज्ञान तथा मानव विज्ञान भी बढ़ रहा है। इसके फलस्वरूप विश्व स्तर पर सूचना संप्रेषण तथा स्वरूप सूचना के विश्व व्यापी आदान प्रदान से सूचना विज्ञान तथा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकालय तथा पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका ही बदल डाली। तथा अनेक स्थानों पर पुस्तकालयाध्यक्ष का पद साथ ही परिवर्तित कर सूचना वैज्ञानिक कर दिया गया है।

आज पुस्तकालयाध्यक्ष ज्यादा आत्मनिर्भर तथा पाठकों को व्यक्तिगत रूप से सेवा प्रदान का पा रहा है इसका मुख्यश्रेय कम्प्यूटर का पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण करना है। अतः पाठकों को सूक्ष्म से सूक्ष्म त्वरित एवं नवीनतम सूचना को पाठकों तक पहुंचाना आज सिर्फ कम्प्यूटर की मदद से ही संभव हो सकता है। क्यों कि विश्व व्यापी साहित्य के ग्रंथपरक

नियंत्रण करने के लिए कम्प्यूटर अहम भूमिका निभा रहा है।

जब तक की एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क यानी कम्प्यूटर साफ्टवेयर पैकेज न डाला जाय जैसे कि बगैर मस्तिष्क के शरीर की भूमिका नगण्य है। आज पुस्तकालय के विशालतम डाटा को पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज के द्वारा ही नियंत्रित तथा संचालित किया जा रहा है।

वर्तमान में अनेक पुस्तकालय पैकेज का उपयोग पुस्तकालय में प्रतिदिन कार्यो तथा डाटा का प्रबंधन तथा संचालन सफलता तथा बड़ी निपुणता के साथ किया जा रहा है। अतः पुस्तकालय के डाटा बेस मैनेजमेंट हेतु ही सॉफ्टवेयर की मूलभूत आवश्यकता है।

आटोमेशन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के आटो तथा मेशन शब्द से मिल कर हुई है जिसका अर्थ होता है 'स्वयं' ही अपने आप होना, अतः यह तो स्पष्ट है कि आटोमेशन का सीधा संबंध वह यंत्र या उपकरण जिसके माध्यम से कार्यो का संचालन अपने आप मशीन द्वारा संचालित किया जाये लेकिन मीन के द्वारा आटोमेशन की आवश्यकता महसूस क्यों कि गई क्योंकि इसके द्वारा कार्यो में गुणवत्ता का विकास किया जा सकता है तथा मानवीय ऊर्जा का कम से कम उपयोग करके अधिक दक्षतापूर्ण तरीकेसे कठिन कार्यो को अचूक तथा शीघ्र हो सकने वाली गणना तथा कम से कम समय में अधिक कार्यो के सम्पादन के लिए मनुष्य ने मशीन का निर्माण किये जसके परिणामस्वरूप कम्प्यूटर के निर्माण की कल्पना साकार हो सकी।

आज आटोमेशन का पर्यायवाची कम्प्यूट्रीकरण हो गया है। कम्प्यूट्रीकरण तथा आटोमेशन एक ऐसा पर्यायवाची शब्द है जिसमें अन्तर करना कठिन है। आटोमेशन का अर्थ कम्प्यूटर्स तथा अन्य मशीन में सामान्यस्थ स्थापित करना जिससे कम से कम मानवीय ऊर्जा का उपयोग करके अधिक दक्षतापूर्ण

कठिन कार्यों को अचूक तथा शीघ्रताशीघ्र तार्किक पूर्ण ढंग से कम से कम समय में कार्यों का सम्पादन कर सके।

शोध समीक्षा :-

प्रस्तुत शोध समीक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालय में शासन की सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव के सम्बन्ध में विभिन्न शोधकर्ताओं के द्वारा पुस्तकालय विषय में शोध-पत्र एवं पुस्तकें लिखी गई हैं जो निम्नवत हैं :-

1. Tsuji et al (2016), के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान सूचना विज्ञान शिक्षा केन्द्र का विकास सबसे पहले शिक्षित लायब्रेरियन (Shisho) के रूप में कार्य करना शुरू किया। इससे पहले पुस्तकालय सूचना विज्ञान के तहत कोई भी सुव्यवस्थित शिक्षा के रूप में विकसित नहीं था। यहीं से लायब्रेरी के विकास को गति मिली।

2. Chu H. (2006) के शोध आलेख पत्र में कैरीकुला ऑफ लायब्रेरी एण्ड इनफरमेशन साइंस प्रोग्राम में यह बताया गया कि पुस्तकालय सूचना विज्ञान में आने वाले सलैबी को रिव्यू किया गया। यहीं से लायब्रेरी सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के पाठ्यक्रमों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया। इससे पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को विशेष लाभ मिलने लगा। इससे रोजगार के नये अवसर भी लायब्रेरी शिक्षा के क्षेत्र में मिलने लगे।

3. जोशी एम.के. (2010) एवं राना (2011) इन्होंने लायब्रेरी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा जो भारत में लगभग एक शताब्दी से शिक्षा के प्रचास-प्रसार के बाद आज सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान में विकास की नित नये तरीकों का प्रयोग किया गया जिससे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान

के क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है। जिसका सीधे लाभ छात्र/छात्राओं एवं अध्येताओं व प्राध्यापकों एवं शिक्षकों को मिला है।

4. Rangnathan (1889-1972) के अनुसार लायब्रेरी शिक्षा में आपने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शुरूआत में नये नये ट्रायल किया गया जिससे सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हो सका। साथ ही साथ स्कूल लायब्रेरी एवं महाविद्यालयीन शिक्षा में लायब्रेरी शिक्षा का उपयोग कर पुस्तकों के रख-रखाव में गुणात्मक सुधार हुआ है। अपने समय-समय पर अपने शोध पत्रों के माध्यम से नई-नई जानकारीयों को लायब्रेरी शिक्षा में जोड़ने का प्रयास किया है।

5. डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद एवं जगन्नाथ कुमार कश्यप (मई 2017) कौशल विकास के साथ उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास के समर्पित) वर्ष 63, अंक 7 पृ. 29 से 34

वर्तमान सरकार ने जहां दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में कौशल विकास के द्वारा कार्यबल के मानव संसाधन के रूप में परिणत करने की दिशा में बढ़ाया वही मृद्रा योजना और स्टैण्डअफ इंडिया जैसी योजनाओं के द्वारा पूंजी की समस्या को साधनों का प्रयास दिखाता है यहां तक कि मनरेगा जैसी योजना जाकि महज अकुशल श्रम के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित थी उसे भी कौशल विकास से जोड़ने तक सीमित थी उसे भी कौशल विकास से जोड़ने की कोशिश की गई है। इन सबके अतिरिक्त ग्रामीण भारत में अवसंरचनाओं के विकास पर बल देने वाले अर्बन मिशन तथा मेक इन इंडिया जैसी मुहिम का भी ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

6. अरुण गोयल : (अगस्त 2017) जी.एस.टी. युग : मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन योजना, कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास के समर्पित) वर्ष 63, अंक 7 पृ. 11 से 14

भारत में जीएसटी लागू करना एक रूप परिवर्तनकारी सुधार है और यह कि व्यापार प्रणाली को भी परिवर्तित कर देगा। सभी हितधारकों ने इस सुधार का स्वागत किया है जीएसटी के नए तंत्र से अधिक से अधिक व्यापार औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे। इतने बड़े एवं व्यापक आमूल परिवर्तन से कुछ कठिनाइयां तो जरूर उत्पन्न होंगी। केन्द्र और राज्यों दोनों स्तरों पर प्रशासन इस परिवर्तन काल को सुचारू बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

7. रंगनाथम, एस. आर. (1961) रिफ्रेंस सर्विस सेक्ण्ड एडिड बाम्बे, एशिया पब्लिकेशन हाउस – में लेख किया गया है कि व्यक्तिगत रूप से पुस्तकालय की सेवाएं पाठकों को उपलब्ध कराने के लिए उनकी रुचि के अनुसार ही पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था के संदर्भ में कहा गया है।

8. करेन (2007) एक भौतिक रूप से तैयार पुस्तकालय में अच्छी योजना के तहत पर्याप्त जगह होनी चाहिए जिससे पुस्तकों को आने वाले पाठकों को सुलभ स्थान मिल सके जिससे पुस्तकों से ज्ञानार्जन कर सकें। साथ ही साथ पाठकगण पुस्तकालय को कैफे की तरह या प्रदर्शनी की तरह उपभोग कर सकें आवश्यकता अनुसार पुस्तकों को ले सकें।

9. ब्राउन (2007) इन्होंने पुस्तकालय के सम्बन्ध में यह इंगित किया कि सामूहिक रूप से पाठकगण पठन-पाठन के लिए पुस्तकालय में आये और ज्यादा से ज्यादा स्पेश में बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करें। और कम्प्यूटर पर ई-लाइब्ररी का भी साथ-साथ लाभ उठाएं, मंहगी पुस्तकों का भी

पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन कर लाभ लिया जा सकता है। इस तरह का कथन किया है।

महाविद्यालयों को गुणवत्ता परिसर के रूप में विकसित करने के लिये नैक द्वारा सुझाये गये दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले महाविद्यालयों को अपना 'स्वॉक'(SWOC)-स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपार्युनिटी और चैलेंजेज, यानि ताकत, कमजोरियाँ, अवसर और चुनौतियाँ) विश्लेषण करते हुए तथा जनभागीदारी समिति को विश्वास में लेते हुए आवश्यक सहयोग लेते हुए कार्य करना चाहिए ताकि वैश्वीकरण के आज के माहौल में विद्यार्थियों को मानवीय संवेदनाओं से भरपूर गुणात्मक, नैतिकतापूर्ण और राष्ट्रीय भावना के साथ शिक्षा मिल सके।

महाविद्यालयों में सुविचारित, व्यावहारिक और स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मिल-बैठ कर योजनाएं तैयार करें। किसी भी योजना को थोपें नहीं। सभी मिशन भावना से काम करें और प्रत्येक कार्य में अपना दिल जोड़े।

अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न समितियों और क्लबों का गठन करें और व्यक्तियों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके संचालन हेतु सदस्यों को नियुक्त करें। यथासंभव इनमें विद्यार्थियों को उनसे अपनी-अपनी रुचि के अनुसार जोड़े। इस हेतु **क्रियेटिव राइटिंग क्लब, वाद-विवाद क्लब एवं बुक रीडिंग क्लब** का गठन सुनिश्चित किया जाये। अपने 'स्वॉक विश्लेषण' को ध्यान में रखते हुए नवाचार करें। जन भागीदारी समिति को विश्वास में लेते हुए आवश्यक सहयोग लें। समिति के सदस्यों को बताएं कि आज के इस वैश्वीकरण के माहौल में विद्यार्थियों को मानवीय संवेदनाओं से युक्त गुणात्मक, नैतिकता और राष्ट्रीय भावना से दूर भरपूर रोजगारोन्मुखी प्रेरक शिक्षा की कितनी

आवश्यकता है और इसमें उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और विस्तार की दिशा में सोचें

आज कल समस्या गंभीर समस्याओं में से एक है। इससे निपटने के लिए बारिश के पानी को संग्रहित कर संरक्षित करने के उद्देश्य से योजना बनाएं। कैम्पस की सुरक्षा का बंदोबस्त करे। जनभागीदारी समिति और जिला योजना से मिल कर निर्माण कार्य कराएं। बिजली की समस्या से निपटने के लिए इन्वर्टर से सभी कक्षाओं में आपाती प्रकाश व्यवस्था करें तथा खराब हो रहे बल्बों को सी.एफ.एल. से बदलें।

कम्प्यूटर के सहयोग से शिक्षण-प्रदाय सुविधा विकसित करें व ब्रांडबैण्ड की सुविधा लेते हुए इंटरनेट से ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करें व शिक्षकों और विद्यार्थियों को जोड़ें। क्रीडा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं विकसित करें।

विद्यार्थियों और शिक्षकों में पढ़ने की आदत विकसित करने की दिशा में सोचें-

विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिये कार्य आवश्यक है। अतः सामान्य ज्ञान वृद्धि की योजना पर कार्य करना आरंभ करें। विद्यार्थियों की अखबार पढ़ने की आदत बढ़ाने तथा उनमें रुचि जाग्रत करने और सूचनाओं के महत्व को प्रतिपादित करने के उद्देश्य योजना बनाएं। पुस्तकालय में 'रीडिंग और मोटिवेशन स्पेस' का सृजन करें। महीने में एकबार 'सामान्य ज्ञान परीक्षा' का आयोजन करें। पुस्तकालयों में प्रकाश की व्यवस्था और पीने के पानी का प्रबंध किया जाये। विद्यार्थियों के हित में ग्रंथपालों को इस हेतु प्रेरित किया जाये। विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए वाचनालय के सूचना पटल पर दैनिक अखबारों में छपी किसी खबर पर आधारित

एक प्रश्न चस्पा करें। विद्यार्थियों को इसके उत्तर लिख कर एक डिब्बे में डालने हेतु प्रेरित करें। अगले दिन लाटरी सिस्टम से सही उत्तर देने वाली किसी एक विद्यार्थी को पुरस्कृत करें। एक अन्य नवाचार के अंतर्गत शिक्षक कक्षा में पढ़ाना आरंभ करने के पूर्व ससर्दभ एक समाचार विद्यार्थियों को सुना सकते हैं। शिक्षक स्वयं नया जानने और करने के प्रति उत्सुक रहें तथा नये रूचिकर तरीकों से पढ़ाने के बारे में सोचें। नयी पुस्तकों के बारे में विद्यार्थियों को अध्यापन के दौरान बतायें जिससे वे उन्हें पढ़ने के लिये प्रेरित हों। भाषा सुधार अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी सुधार हेतु संकलन जारी किया गया है। महाविद्यालयों में भाषा सुधार हेतु कार्यशालाएं आयोजित करें। इसके साथ ही प्रतिदिन महाविद्यालयों में नोटिस बोर्ड पर अंग्रेजी के पांच शब्द हिन्दी अर्थ सहित लिखने हेतु निर्देशित किया गया है। इनका पालन सुनिश्चित करें। कक्षा में विद्यार्थियों से इनके अर्थ पूछें। इससे पता चलेगा कि वे नोटिस बोर्ड पर लगायी गयी सूचनाओं को देखते हैं अथवा नहीं।

खाली कक्षाओं को उत्पादक कक्षाओं में बदल जाना चाहिए-

प्रायः देखा गया कि जब भी कोई शिक्षक अवकाश पर रहता है, विद्यार्थीगण उस कक्षा के समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इससे अनुशासन तो बिगड़ता ही है, विद्यार्थियों के पालकों को भी महाविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होने की शिकायत रहती है। इस स्थिति से निपटने के लिए खाली कक्षाओं को उत्पादक कक्षाओं में परिवर्तित करने के उद्देश्य से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से कक्षा अध्यापन कराने की एक अनूठी योजना आरंभ की जा सकती है। अपनी इच्छा से पढ़ाने में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों को चयनित कर उन्हें अपनी रुचि के विषयों पर व्याख्यान हेतु सामग्री तैयार

करने को कहा जा सकता है। संबंधित शिक्षक द्वारा सामग्री जांचने के बाद उन्हें पॉकेट डायरी रखने और उसमें इसे बिंदुवार लिखने की सलाह दी जा सकती है। फिर जो भी शिक्षक अवकाश के लिए आवेदन करे, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह आवेदन में उस विद्यार्थी का नाम भी बताएं जो उसके स्थान पर कक्षा को लगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से उसके पढ़ाने के कौशल पर फीडबैक देने हेतु कहा जा सकता है। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की जा सकती है।

विभाग द्वारा नवाचारी योजनाओं के अर्न्तगत वर्चुअल कक्षाओं का प्रसारण किया गया है। विद्यार्थियों को इन कक्षाओं में उपस्थित होने के लिये करें। इसके साथ ही श्रेष्ठ कक्षा अध्यापन की वीडियो रिकार्डिंग हेतु योजना बनायें जिसे रिकार्ड कर विद्यार्थियों के हित में पुस्तकालय में संधारित किया जाये।

प्राचार्य महाविद्यालय में साफ-सफाई एवं टूट-फूट की सूचना प्राप्त करने में सभी लोगों का सहयोग लेने हेतु सूचना और क्रियान्वयन रजिस्टर की व्यवस्था करें। सभी से इसमें सहयोग की अपील करें। कार्यालय अधिकारी इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित को समय-सीमा में कार्य संपादित करने हेतु जिम्मेदारी तय करें। स्वच्छ पेय-जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पर्यावरण को शुद्ध रखने की दृष्टि से टायलेट और पेशाबघर की रोजाना दो या तीन बार सफाई की नियमित व्यवस्था करे। आज के ऊर्जा-संकट के दौर में बिजली का अपव्यय आपराधिक ही माना जाना चाहिए। अतः प्राचार्य महाविद्यालय में बिजली-बचत हेतु सभी को समझाईश देने के साथ ही अपने अपने स्तर पर इस अभियान में जुटने को कहें। आग्रह करें कि जब किसी को भी कहीं अनावश्यक पंखा चलता हुआ अथवा बल्ब जलते हुए दिखे, वह उसे बंद कर दे।

सामान्यतः विद्यार्थियों में व्यवहार कौशल के विकास की और संवाद कला को निखारने की आवश्यकता होती है। अतः समय सारणी में राष्ट्र गीत और मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के गान के बाद के आधे घंटे को अभिव्यक्ति प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए आवंटित किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को रैंडमली आमंत्रित कर महाविद्यालय के बारे में कुछ बोलने अथवा किसी प्रेरक प्रसंग को सुनाने हेतु कहा जा सकता है। आरंभिक झिझक के बाद विद्यार्थी इसमें रुचि लेना आरंभ कर देंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक दिन श्रेष्ठ वक्ता और रोता को पुरस्कार देने की घोषणा की जा सकती है।

मोटिवेशन हेतु कार्यक्रमों का आयोजन

प्राचार्य एवं स्टॉफ के सदस्य नियमित नोटिवेशन कक्षाओं का आयोजन करें। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ने के उद्देश्य और लाभों से परिचित कराते हुए उनके समूचे व्यक्तित्व-विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से उन्हें जीवन में कुछ बनने और अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया जा सकता है। साल में तीन या चार बार विद्यार्थियों की विशिष्ट विद्वत्तजनों की विद्यार्थियों से बातचीत कराने पर भी जोर दिया जा सकता है।

विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करने का तय किया जा सकता है। हमारे आसपास विज्ञान मौजूद है। दैनिक क्रिया-कलापों में विज्ञान शामिल है। लेकिन हम उनसे अक्सर अनभिज्ञ रहते हैं। वैज्ञानिक जागरूकता और दृष्टिकोण को विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान दिस मनारएं। आज विकराल रूप धारण कर रही पर्यावरणीय समस्या ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में पर्यावरण चेतना और जागरूकता को ले कर विभिन्न कार्यक्रमों का

आयोजन करें। इनमें हरियाली महोत्सव, विश्व जल दिवस, अर्थ अंतर, पृथ्वी दिवस आदि जैसे आयोजनों को वृहद स्तर पर आयोजित करें। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय भावना जगाने और नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिये विभिन्न आयोजन भी करें। इनमें स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों के अलावा प्रमुख हैं।—पोषण आहार सप्ताह, यातयात और स्वच्छता सप्ताह, एड्स दिवस, विश्व युवा दिवस, शिकागों में स्वामी विवेकानंद का व्याख्यान स्मृति दिवस, हिंदी दिवस, युवा उत्सव, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नियमित राष्ट्रगान और मध्यप्रदेश गान का आयोजन, वार्षिक स्नेह सम्मेलन, सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, विधिक साक्षरता शिविर आदि।

महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एम्बेसेडर प्राध्यापक के आने पर उसे विद्यार्थियों से जोड़ने और पुस्तकालय आदि के भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एम्बेसेडर प्राध्यापक विषय से संबंधित सन्दर्भ पुस्तकों, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ-साथ विद्यार्थियों को उस विषय की नवीनतम जानकारी देते हैं और उन्हें विषय के प्रति उन्मुख भी करते हैं जिससे विद्यार्थियों की रुचि बढ़े और वे गंभीर अध्ययन के प्रति उदासीन न रहें।

कम्प्यूटर जागरूकता लाने हेतु प्रयास करें—

कम्प्यूटर जागरूकता की समस्या कम्बोई महाविद्यालयों में अधिक है। इन महाविद्यालयों में पढ़ रहे अधिकांश विद्यार्थी मानते हैं कि कम्प्यूटर चलाना कठिन इसलिए है कि वे उसकी भाषा नहीं समझते। लेकिन घबराने से बात नहीं बनती। सीखने की चाह हो तो कुछ भी पाना असंभव नहीं होता। यह निर्विवादित वास्तविकता है कि कम्प्यूटर ज्ञान के बिना आज सफलता की संभावना कोरी कल्पना है।

जागरूकता लाने के लिए विद्यार्थियों से कहें कि जब आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं

तो कम्प्यूटर का क्यों नहीं? किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए संकल्पित और अंदर से मजबूत होना जरूरी होता है। जैसे-जैसे विद्यार्थियों में रोमांच जगने लगेगा, वैसे-वैसे वे सीखना शुरू करेंगे। उन्हें एम.एस. वर्ड, एम.एस. पावर पॉइंट, एम.एस. एक्सेल आदि के बारे में बताते हुए इनके अनुप्रयोगों के साथ ही इंटरनेट से लाभ लेना भी सिखाएं। शुरुआत भले ही कुछ विद्यार्थियों से हो, लेकिन फिर संदेश फैलेगा और कार्य आसान होता चला जाएगा।

स्वरोजगार को प्रेरित करने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करें

आज विद्यार्थियों के पास डिग्रियाँ होने के बावजूद संवाद, भाषा एवं व्यक्तित्व कला का अभाव है। विषय के ज्ञान के अतिरिक्त किसी न किसी हुनर का होना भी आवश्यक है। अच्छे स्वरोजगार के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करना पड़ती है। आकर्षक और सौम्य व्यक्तित्व, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार कुशलता, स्पष्ट दूर-दृष्टि तथा हिंदी और अंग्रेजी में संवाद करने का कौशल कॅरियर की सफलता में अहम रोल अदा करते हैं। कॅरियर का निर्णय करते समय मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व अभिरुचि, अपनी क्षमता व्यवहार कुशलता,

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन— सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के छोटे-छोटे कस्बों में आधारभूत संरचना एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना। विभिन्न निगमों कम्पनियों, सोसाइटी, कंसलटेंसी, सॉफ्टवेयर विकास, नेटवर्किंग हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर खरीद, परीक्षण, प्रशिक्षण और सिस्टम इंटीग्रेशन सेवाएँ उपलब्ध कराने के द्वारा मध्यप्रदेश के सरकार के बोर्डों आदि आईटी/आईटीईएस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए।

आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना विशेष आर्थिक जोन, और संबंधित बुनियादी ढाँचों के विकास से राज्य में निवेश का आकर्षित करने के लिए है।

ई-शासन के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क सामान्य केन्द्र की तरह राज्य में आम बुनियादी सुविधाओं को लागू करने के लिए, राज्य पोर्टल आदि ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन में अन्य सरकारी विभागों की मदद करने के लिए।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश के राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और विकसित करना।

कम्पनियों को शुरू करने और अधिक लेने का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी कोई विवरण के औद्योगिकी उद्यमों इलेक्ट्रॉनिक्स इकाईयों के प्रबंधन पर अपने काम में सुधार लाने के लिए एक दृश्य के साथ लेने के लिए विकास के लिए बनाया गया योजनाओं में राज्य सरकार सरकार एजेंसी के रूप में काम करने के लिए संघों की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स मध्यप्रदेश में या कहीं और आईटी उद्योग।

आम तौर पर एक औद्योगिक प्रबंधन वित्तीय और तकनीकी सलाहकार के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी उद्योगों के विकास के लिए उन्हे भावी उद्यमियों, चिंताओं और कॉर्पोरेट निकायों सहायता और सेवा सलाह के लिए विशेष रूप से कार्य करने के लिए।

यह जानकारी प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों/एजेंसियों के लिए और उन्हे कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग में सहायता। सरकार में आईटी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की सुविधा के लिए। किसी भी अन्य समारोह में राज्य सरकार द्वारा सौंपा जा सकता है।

निष्कर्ष :-

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय पुस्तकालय में शासन की सूचना प्रौद्योगिकी का

प्रभाव उपयुक्त साहित्य समीक्षा में देखने को मिलता है। शिक्षक को वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में डिजिटल इज्जद व्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। ई-प्रिंट इंडिया भारत के लिए उपयुक्त 10 प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में प्रमुख अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियां से निपटने के लिए अनुसंधान की योजना तैयार करने हेतु हाल ही में प्रारंभ की गई एक आई आईटी और आईआईएससी के संपूर्ण नेटवर्क के बीच की जा रही संयुक्त पहल है।

इस पहल के उद्देश्य हैं –1.समाज के तत्काल प्रांगिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना जहां नवाचार की आवश्यकता है। 2. चिह्नित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान का निर्देश देना, 3. इन क्षेत्रों में अनुसाधन के लिए उच्च त्तिपोषण सुनिश्चित करना, 4. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में रहन-सहन के स्तर पर प्रभाव के संदीर् में अनुसंधानके प्रयास के निष्कर्षों का आंकलन करना।

इंप्रिंट इंडिया के तहसत दस विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इनमें से प्रत्येक आईआईटी, आईआईएससी द्वारा संचालित होगा।

उपरोक्त रिव्यू लिटरेचर में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में डिजिटल इज्जद व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है जिससे लोगों में शिक्षा के प्रति नवाचार विचारों का जन्म हो रहा है छात्र/छात्राओं की पठन-पाठन में सुविधा प्राप्त हो रही हैं।

संदर्भ :

Chu H (2006), Curricula of LIS programs in the USA: A content analysis. <http://www.coursehero.com/file/1303179/SHiggins4/>

Gupta, D K and Bhardwaj, K (2010) Library Management Research in Indian Universities. Annals of Library and Information Studies. Vol. 57(Dec), p.333-338. <http://www.jtaer.com/statistics/>

download/
id=JTA20110307

Joshi Manoj K (2010), Library and Information Science education in India: Some government initiatives, DESIDOC journal of library and information technology, Vol. 30(5), Sept., p 67-73.

Karen, L. (2007) Users and public space : what to consider when planning library space In IFLaA library building Guidelines : Development & reflections Munchken, : K.G. Saur

Pathak, Vijay and Ramaiah, L.S. Bibliography of research in library and information science in India, Gurgon: India Documentation Service. p 1-123, 1986.

Rana, R. (2011), "Research trends in Library and Information Science in India with a focus on Panjab University, Chandigarh", International Information and Library Review, Ranganathan, S.R. Reference service. 2nd ed. Mobmbay: Asia pu,kication house, 1961

Sharma, Harikrishna, Organisation and Administration of College libraries. New Delhi. S. Chand. 1997.

Wilson T.D. (2010) "Fifty Years of Information Behavior Research Paper, Bulletin of The Association Information Science and Technology Vol. 36, Issue 3, Page 27-34





वैदिक युग में नारी शिक्षा

□ डा. धरणी दुङ्गेल*

श्रीमद्भागवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते¹ अर्थात् इस संसार में ज्ञान जैसा पवित्र कोई दूसरा विषय नहीं है। मानवीय समाज में अन्य सभी विषयों की अपेक्षा ज्ञान को ही पवित्र और श्रेष्ठ विषय के रूप में माना गया है। भारतभूमि ज्ञानसाधना की भूमि है। यहाँ अनेक ऋषि और मुनियों का जन्म हुआ था। इसीलिए भगवान मनु ने कहा है—एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥² अर्थात् पृथ्वी के सभी लोग हमारे इस देश में जन्मग्रहण किए हुए अग्रजन्मा लोगों से अपने-अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। हमारा देश चरित्र की दृष्टि से अत्यन्त उन्नत अवस्था में था। चरित्र की शिक्षा वे निश्चय ही वेद से ही प्राप्त करते थे। यह वेद पृथिवी के सर्वप्राचीन लिखितसाहित्य के रूप में स्वीकृत है। विद् धातु में घञ् प्रत्यय से निष्पन्न वेद शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त होने पर भी ज्ञान यह अर्थ ही मुख्य अर्थ के रूप में गृहीत है। वेद भारतीय धार्मिक विचारधारा का सार्वकालिक मूलस्रोत है।³ विश्व के सर्वप्राचीन ग्रन्थ के रूप में भी यह वेद सर्वजनस्वीकृत है⁴। ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-अथर्ववेद के रूप में चार वेद हैं⁵।

इन वेदों में तथा वैदिक साहित्य में भारतीय नारियों का वर्णन प्राप्त होता है जिससे अन्य विषयों के साथ उनके शिक्षा विषयक ज्ञान के विषय में भी जाना जा सकता है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ

है कि वैदिक युग में नारियों के विशेषतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि उच्चवर्णीय नारियों के शिक्षा के विषय में जाना जा सकता है। ये नारियाँ मन्त्रद्रष्टा, शिक्षिका, छात्रा, तपस्विनी (विदुषी), ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मवादिनी के रूप से जाने जाते थे। ऋग्वेद के अध्ययन से जाना जाता है कि वैदिक युग की नारियाँ केवल वेदाध्ययन और अध्यापनकार्य में ही संलग्न थीं ऐसा नहीं है अपितु वे कविता आदि के रचनाकार्य में भी संलग्न थीं।⁶

मन्त्रद्रष्टानारियों में ऋग्वेद में वर्णित विश्ववारा (5-28), अपाला (8-9), रोमशा (1-126), लोपमुद्रा (1-179), अम्भृणीवाक् (10-125), काक्षितवतीघोषा, जारिता, श्रद्धाकामायनी, जुहू, पौलोमी इत्यादि अन्यतम थीं।

सामवेद में नोधा, गोपायना, अकृष्टभाषा, सिकता, निरावरी इत्यादि मन्त्ररचयित्री नारियों के विषय में भी प्राप्त होता है⁷। मन्त्रद्रष्टा नारियों के अलावा शिक्षादान कार्य में संलग्न शिक्षयित्री नारियों के विषय में भी प्राप्त होता है। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में शिक्षादान कार्य में संलग्न आपिशाली, औदमेधी इन दो नारियों के विषय में कहा है। आपिशाली एक वैयाकरण थीं जिनके द्वारा लिखित व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन कार्यों में निमग्न लोगों को आपिशाली इस संज्ञा से जाना जाता है। उसी प्रकार औदमेधी नामक शिक्षिका के शिष्यों को औदमेध नाम से जाना जाता था। तदुपरि काशकृत्स्न व्याकरण की शिक्षिका काशकृत्स्न ब्राह्मणी के विषय में

* कनिष्ठ प्रवक्ता, आनन्दचन्द्र-आगरवाला-कनिष्ठ-महाविद्यालय, मिसामारी, हेलेम, विश्वनाथ, असम प्रान्त-संयोजक, पूर्वोत्तर प्रान्त, अनौपचारिक संस्कृतशिक्षण, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।
मोबाइल : 8473825965, ई-मेल :

भी काशिका नाम के वृत्तिग्रन्थ में प्राप्त होता है।⁸ जिससे वैदिक युग में नारियाँ न केवल शिक्षादान कार्य में ही संलग्न थीं अपितु वे एक व्याकरण ग्रन्थ की रचयित्री थीं ऐसा जाना जाता है।

वैदिक साहित्य में प्रतिष्ठ लाभ किये हुए नारियों के विषय में जाना जाता है। इन नारियों में वचक्नु की दुहिता गार्गी अन्यतम थीं। इन विदुषी ने राजा जनक की राजसभा में अनुष्ठित वादविवाद सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ प्रतिद्वन्द्वता की थी। बृहदारण्यकोपनिषद् में ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के साथ हुए संवाद से मैत्रेयी के विद्वत्ता के विषय में जाना जाता है⁹।

ऐतरेय ब्राह्मण में अग्निहोत्र यज्ञ के कालनिर्धारण के सम्पर्क में हुए मतानैक्य के निवारण के लिए गन्धर्वगृहीता नाम की एक महिला को निमन्त्रण दिया गया था। उसके बाद उस महिला के द्वारा दिए हुए मतानुसार यज्ञ का कालनिर्धारण किया गया। इस वर्णन से हम वैदिकयुग में नारियों की समाज में जो उच्चतम प्रतिष्ठा थी उसके विषय में जान सकते हैं।¹⁰

वेदों के अध्ययन और अध्यापन के अतिरिक्त उस युग की नारियाँ नृत्य, गीत आदि में शिक्षित थीं। तदुपरि उन का काम, सिलाई का काम, वस्त्रों में फल बनाने का काम, सामरिक कार्य इत्यादि कार्यों में संलग्न नारियों के विषय में वैदिकसाहित्य में प्राप्त होता है। इससे वैदिकयुग के नारियों के सामाजिक उच्च मर्यादा के विषय में जाना जाता है। मनु ने भी कहा है—**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः** अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमण करते हैं। परन्तु नारियों को भी पूजा का लाभ करने के लिए योग्य होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है—**गुणाः पूजास्थानं गुणीषु न च लिङ्गं न च वयः।** अर्थात् गुण ही पूजा प्राप्ति का कारण है। किसी का लिङ्ग और वयः (उम्र) नहीं है। क्योंकि वैदिक नारियाँ पूजिता थीं। अतः इससे यह जाना जाता है कि उन नारियों के अन्य गुणों के अतिरिक्त शिक्षारूपीगुण भी विद्यमान था ऐसा जाना जाता है।

हम जानते हैं कि भारत का प्राचीनकाल का इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण था। भारतीय समाज उच्चशिक्षित था तथा इसके शिक्षानुष्ठानों में शिक्षाग्रहण के लिए विदेशों से भी अनेक छात्र-छात्राएँ यहाँ आते थे। कोई एक घर सुशिक्षित तभी होगा जब उस घर की नारियाँ सुशिक्षित हों। उसी तरह किसी एक देश को भी सुशिक्षित करने के लिए उस देश के नारी समाज को सुशिक्षित होना चाहिए। जबकि प्राचीनकाल में भारतीय समाज सुशिक्षित था। अतः उस समाज के सुशिक्षा के मूल में निश्चय ही उस समाज की सुशिक्षित नारियाँ थीं, जिसको उपरोक्त प्रमाण ही प्रमाणित करते हैं। परन्तु काल के कुटिल गति के कारण भारत के राजनैतिक अस्थिरता और अनार्यों के कुशासन के कारण नारियों के चरित्र रक्षा के प्रत्याह्वान को मन में रखते हुए ही भारतीय समाज नारी शिक्षा के विषय में पश्चाद्गामी होने के लिए बाध्य हुआ जिसके कारण स्वरूप इस आधुनिक युग में भी भारत वर्ष नारी शिक्षा में पृष्ठवर्ती ही है। परन्तु यह अतीव आनन्द का विषय है कि वर्तमान भारतवर्ष के स्वाधीनता के परिप्रेक्ष्य में नारी शिक्षा में उन्नति हो रहा है जिसके कारण आधुनिक नारियाँ उच्च शिक्षा से शिक्षित होकर पुरुष समाज के समभागी होकर केवल विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अनेक अनुष्ठानों के मुख्य अधिकारी, अनेक ग्रन्थों की रचयिता इत्यादियाँ होने में ही समर्थ नहीं हुईं और न हो रही हैं अपितु भारतवर्ष की राष्ट्रप्रधान भी हुईं और हो रही हैं। वर्तमान काल में वैसा कोई भी कार्यक्षेत्र बचा नहीं है जहाँ नारियों का प्रवेश नहीं हुआ हो। परन्तु वहाँ भी आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य की भोगवादी संस्कृति नारी समाज को आक्रमण न करे इस विषय में हमें सचेतन रहना चाहिए। क्योंकि भारतीय नारियों के आदर्श के विषय में महाकवि कालिदास ने स्वरचित विश्वविख्यात नाट्यकृति **अभिज्ञान शाकुन्तल** के चतुर्थ अंक में मुनि कण्व के शकुन्तला के प्रति उपदेश के रूप में कहा है कि **भोगेष्वनुत्सेकिनी** अर्थात् नारियाँ भोगों के प्रति उत्साहशील न हों। उसके कारण के रूप में भर्तृहरि ने स्वरचित

वैराग्यशतकं में कहा है कि **भोगे रोगभयम्** अर्थात् यदि हम अधिकतया भोगों के प्रति लालायित होंगे तो निश्चितरूप से अनेक रोगों से आक्रान्त होकर मृत्यु के प्रति अग्रसर होंगे। अतः मृत्यु के तरफ ले जाने वाले भोगवाद के प्रति सम्पूर्ण समाज के साथ यदि नारी समाज भी धावित न हो तो निश्चय ही हमारी यह वसुन्धरा स्वर्गवत् सुखदायिका होगी। इति शम्।

सन्दर्भ :

1. गीता, पृ. 5-8
2. मनु., पृ. 2-20
3. वै.सा.रू., पृ. 1
4. क. वेद वेदवाङ्मय का परिचय एवं अपौरुषेयवाद, पृ. 143
5. वही
6. क. नारी., पृ. 112
7. वे.प., पृ. 211
8. वही, पृ. 215
9. वही
10. वही, पृ. 216

संक्षिप्ताक्षराणि

1. क. नारी
2. क. वेद
3. गीता
4. वे.प.
5. वै.सा.
6. मनु.

सम्पूर्णाक्षराणि

- कल्याण नारी अङ्क
कल्याण वेदकथाङ्क
श्रीमद्भगवद्गीता
वेदर परिचय
वैदिक साहित्य की रूपरेखा
मनुस्मृति

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. मनुस्मृति, निर्णयसागर मुद्रणालय, दिल्ली-1946।
2. श्रीमद्भगवद्गीता, वेदव्यास (सचित्रसाधकसञ्जी हिन्दीटीका), गीताप्रेस, गोरखपुर, चत्वारिंशद् संस्करण, वि.सं. 2057।
3. अग्रवाल, हंसराज, वैदिक साहित्य की रूपरेखा, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-1965।
4. खेमका, राधेश्याम, कल्याण वेदकथाङ्क, गीताप्रेस, गोरखपुर-1999।
5. पोद्दार, हनुप्रसाद, गोस्वामी, चिम्मनलाल, कल्याण नारी अङ्क, गीताप्रेस, गोरखपुर-1948
6. बसु, डा. योगीराज, वेदर परिचय (असमीया), असम प्रकाशन परिषद, गुवाहाटी, सप्तम संस्करण, जून, 2012।





निराला का निरालापन)

□ डॉ. दिनेश कुमार पाण्डेय*

‘जीवनवृत्त’

कवि के जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं वो वैचित्र्य से भरी हुई हैं। जिसका कारण कवि का बहुमुखी व्यक्तित्व था जो अपने आप में विविध संभावनाओं को समेटे हुए थे जिसका प्रारम्भ महाकवि के जन्म से ही प्रारम्भ हो जाता है। निराला जी के पूर्वज मूलरूप से गढ़ीकोला उन्नाव के निवासी थे किन्तु आजीविका की तलाश में निराला जी के पिता पं. रामसहाय त्रिपाठी जी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक एक रियासत में सिपाही (जमादार) की नौकरी करनी पड़ी। दैवयोग से पं. राम सहाय त्रिपाठी की पत्नी का देहावसान हो जाने के कारण पं. राम सहाय त्रिपाठी को दूसरा विवाह करना पड़ा। इसी महिला के गर्भ से सन् 1896 ई. में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक रियासत में ‘सूर्यकान्त’ का जन्म हुआ। कहा जाता है कि रविवार के दिन ‘निराला’ का जन्म होने के कारण इनका बचपन का नाम सुर्ज कुमार पड़ा। निराला जी की शिक्षा कार्य प्रथमतः बंगला स्कूल में प्रारम्भ कराया जाता है। निराला जी के पिता का बंगाल में नौकरी करने के कारण निराला का बचपन लगभग बंगाल में ही बीता और निराला जी के पिता जी इन्हें राज-काज अर्थात् रियासत की सेवा में ही पढ़ा-लिखा कर लगाना चाहते थे। महिषादल रियासत के अधिपति की भी यही इच्छा थी कि सुर्ज कुमार को गोद ले लिया जाए किन्तु निराला जी प्रारम्भ से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनका इन राजकाज के कार्यों में

मन न लगता था तथा पढ़ाई-लिखाई में भी गणित आदि विषयों में उनकी रुचि बिल्कुल न थी जिसके कारण उन्हें कई बार पिता जी से मार भी खानी पड़ी थी। यहीं से निराला के उस जीवन की शुरुआत होती है जो आगे चलकर उन्हें विश्व फलक पर सुविख्यात कर देता है। इससे निराला के व्यक्तित्व के विराट रूप की पहचान होती है या जिद की यह तो निराला का भावी जीवन ही बतायेगा फिर भी बड़ी सहजता से यदि कोई अपने सिद्धान्त या व्यक्तित्व का विलय यदि किसी सिद्धान्त या व्यक्तित्व में कर देता है तो इसका अर्थ है कि कहीं-न-कहीं उस व्यक्ति को अपने सिद्धान्त और अपने व्यक्तित्व पर भरोसा नहीं है। निराला जी के द्वारा तो सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य की दशा व दिशा का निर्धारण होना था सो निराला जी इतनी आसानी से कहाँ किसी बात को स्वीकार करने वाले थे।

निराला जी का अन्तर्द्वन्द्व यहीं से प्रारम्भ हो जाता है। सर्वप्रथम उनके जन्म को ही उठाकर देखें तो उनकी धमनियों में कान्यकुब्ज संस्कार था किन्तु जन्म स्थान उस संस्कार के ठीक विपरीत बंगाल का जो कि तमाम बातों को लेकर आपस में एक-दूसरे से मेल नहीं खाते जिसके कारण कवि स्वभाव में परिवर्तन हुआ और शायद कवि मांसाहारी हो चला क्योंकि बंगाल का आज भी प्रिय भोजन (मछली भात) ही है। मांसाहारी होने का पूरा मूल्य निराला जी को अपने जीवन में चुकाना पड़ा क्योंकि निराला जी जिस समय के समाज में थे। उस समय के

* एम.ए.; बी.एड., नेट, पीएच.डी., मोबाइल : 9415885168

समाज में उत्तर प्रदेश में विशेषकर इलाहाबाद व उन्नाव में ब्राह्मण समाज या तो बिल्कुल ही मांसाहारी नहीं था या था तो लुका-छिपी न के बराबर ही था। उस समय के समाज में भी निराला बिना किसी परवाह के मांस भक्षण किया करते थे जिसके कारण उन्हें ब्राह्मण समाज से लेकर अपने पत्नी तक से उपेक्षा झेलनी पड़ी। इनकी पत्नी मनोहरा देवी जो कि डलमऊ (उ.प्र.) के निवासिनी थी। शुद्ध सात्विक हिन्दू महिला थीं उन्हें निराला जी के इस कृत्य से असहजता महसूस होती थी जिसके कारण वो अपने मायके चली गयीं और वहीं पर एन्फ्लुएन्जा नामक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। यह निराला जी का निरालापन ही था जिसके कारण उन्हें अपनी पत्नी से भी हाथ धोना पड़ा। जब जीवन संघर्ष में जीवनसंगिनी ही धोखा दे जाए तो फिर व्यक्ति की जिन्दगी से सुखमय जीवन की परिकल्पना ही दिवास्वप्न लगने लगती है। एक व्यक्ति के जीवन में वैसे तो जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ सकती हैं निराला का जीवन स्वयं अकेले ही उन सबका अकेला उदाहरण है। वैसे निराला के जीवन में इसकी शुरुआत धरती पर जन्म लेते ही प्रारम्भ हो गयी थी फिर जरा होश संभालते ही पढ़ने-लिखने की जिम्मेदारी भी निराला जी के काँधे पर आ गयी जिसमें निराला जी का फक्कड़पन दृष्टिगोचर होता है क्योंकि गणित की कॉपी में पच्चाकर के कवित्त निराला जी प्रश्नों के उत्तर में लिखकर आये थे। मुझे लगता है यह निराला जी का सायास प्रयत्न था जो कि जान-बूझकर किया गया था। कई बार इसी तरह के प्रयत्नों द्वारा निराला जी को अपने पिता के कोपभाजन का शिकार भी होना पड़ता था। कुछ भी हो निराला जी थे परम साहसी उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन को प्रयोगशाला बना डाला था और सम्पूर्ण सिद्धान्तों का परीक्षण अपने जीवन को होम करके किया।

निराला जी अपनी धुन के पक्के निःस्वार्थ और निर्लिप्त व्यक्ति थे। मानवीय प्रेम और करुणा के प्रति उनमें अपार संवेदना थी सर्वहारा, शोषित, वंचित, दीन-

हीन के प्रति उनके हृदय में अथाह करुणा थी। इस वर्ग के हितों को संरक्षित करना इसके हिमायत की बात करना और कहीं यदि इस वर्ग का हित यदि बाधित हो रहा हो तो उसके प्रति संघर्ष करना निराला जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य था। अपनी इसी विचारणा के फलस्वरूप अपने बाल्यकाल से ही महिषादल राज्य का सुख-वैभव निराला जी को अच्छा न लगा और अन्दर-ही-अन्दर वहाँ व्याप्त वर्ग-वैषम्य, ऊँच-नीच की भावना आदि के प्रति उनके मन में खिन्नता व्याप्त होने लगी और संभवतः इसी कारण अपनी रचनाओं में इन मूल्यों का प्रतिकार करने का काम निराला ने किया है। गौरतलब है कि निराला जी के पिता पं. रामसहाय त्रिपाठी महिषादल राज्य में सौ सैनिक के प्रशासक (जमादार) थे। राजकार्य में उनकी निष्ठा थी तथा अपनी आजीविका के लिए भी वो राज्य पर ही निर्भर थे तो जाहिर-सी बात है कि राजाज्ञा का पालन करना उस मानसिकता का पोषण करना तथा सामंती संस्कृति को संरक्षित करना पं. राम सहाय त्रिपाठी अपना परम कर्तव्य मानते थे जो कि निराला जी के मानवतावादी विचारधारा से कहीं मेल नहीं खाता है। निराला जी के जीवन सिद्धान्त का मूलमंत्र ही यह था कि 'नर सेवा नारायण सेवा' वह रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानन्द के इस सिद्धान्त से प्रभावित थे कि "मानव सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है।"

एक ओर निराला जी की यह मानसिकता दूसरी ओर पं. राम सहाय त्रिपाठी की आजीविका का यह संसाधन जिसे देखकर मुझे लगता है कि एक ही छत के नीचे दो विचारधाराएँ फल रही थीं और विचारधाराओं का अन्तर्मिलन न होना थी। शीतयुद्ध को ही निमंत्रण देता है जिससे कभी-कभी विचारधाराएँ आपस में टकराने लगती हैं। निराला के जीवन-संघर्षों में यह भी एक अहम मुद्दा था।

निराला जी का व्यक्तित्व न तो दबने वाला था न डरने वाला था न झुकने वाला था क्योंकि उनके सिद्धान्तों में आत्मबल था तथा वह स्वयं भी स्वाभिमानी व्यक्ति थे

और इस तरह का बल उसी व्यक्ति में पैदा हो सकता है जो अपने संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर अपने निहित स्वार्थों का त्याग कर सम्पूर्ण मानवता के कल्याण हेतु अपने आप को समर्पित कर सके। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिस भी व्यक्ति ने इस त्याग को कर लिया है वह नर से नारायण की कोटि में पहुँच गया है क्योंकि मानव जीवन वह धन्य व श्रेष्ठ जीवन है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों से देवत्व की कोटि भी प्राप्ति कर सकता है और अपने अधम कर्मों से दानव की कोटि तक भी पहुँच सकता है। निराला जी भी उसी कोटि तक पहुँचे हुए व्यक्ति हैं जो मानव जीवन की धन्यता व श्रेष्ठता को परिभाषित करते हुए लिखते हैं—

मैंने मैं शैली अपनायी देखा दुःखी एक निज भाई

अर्थात् निराला जी दूसरों के दुःख को अपना दुःख मानते थे और यही हमारा दर्शन भी कहता है 'आत्मैवानुपश्यति' अर्थात् वह व्यवहार दूसरों के साथ भी करें जो आपको अपने बारे में भी अच्छा लगता हो और वह आचारण आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ कदापि न करें जो आपको अपने प्रति अच्छा न लगता हो हमारे यहाँ धर्म को भी परिभाषित करते हुए इसी अर्थ में कहा गया कि 'धारयते इति धर्मः'। अर्थात् जो आचरण अपने लिए उचित समझते हो वही आचरण व व्यवहार भी दूसरे के साथ करें। यही मानव जीवन की सहजता है तथा यही 'श्रीमद्भगवद्गीता' का समत्व योग है।





पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढाँचा : भारत की चिंताएँ

- भागवत प्रसाद उपाध्याय*
□ डॉ. अमरजीत कुमार सिंह**

शोध सारांश

पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और इसके आसपास के इलाकों की क्षेत्रीय सीमा के दावों पर आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जारी है। सीमावर्ती इलाके में व्यापक आतंकवादी ढाँचे के कारण पी.ओ.के. आतंकवाद का केन्द्र बना हुआ है। यहाँ पर आतंकी नेटवर्क का सबसे सक्रिय प्रयोजक पाकिस्तान है। चूँकि पी.ओ.के. भू-राजनीतिक स्थिति के कारण, सम्बद्ध हितकारकों के लिए बहुत सामरिक महत्व वाला है। अतः पी.ओ.के. में भारत और पाकिस्तान दोनों अपना-अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में कश्मीर का सम्पूर्ण क्षेत्र तीन भागों में विभाजित है लगभग दो तिहाई भाग भारत के साथ है लगभग एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान में है और उसके एक तिहाई छोटे से हिस्से को पाकिस्तान द्वारा चीन को उपहार में दिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में पाकिस्तान के कब्जे वालों कश्मीर (पी.ओ.के.) के बारे में संकेत है। शोध पत्र में, पी. ओ.के. में आतंकवादी घटनाओं के पीछे कारणों आतंकी ढाँचों, पाक प्रायोजित आतंकवाद तथा भारत की आतंकवादी ढाँचों को समाप्त करने की रणनीतियों के बारे में उल्लेख किया गया है।

परिचय

29 सितम्बर 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) में भारत द्वारा किये गये सर्जिकल हमलों ने एक बार फिर इस क्षेत्र में आतंकवाद के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। सीमावर्ती इलाके में व्यापक आतंकवादी ढाँचे और व्यापक नेटवर्क के

कारण पी.ओ.के. आतंकवाद का केन्द्र बन गया है। नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण पाकिस्तान आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने के लिये पी.ओ.के. को लांच पैड के रूप में इस्तेमाल किया गया है। भारत लम्बे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहा है। पाकिस्तान

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, (यूजीसी नेट), शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय-रीवा (म.प्र.)

** सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय-रीवा (म.प्र.)

का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को अस्थिर करने का है। 1971 में भारतीय सेना से हार के बाद पाकिस्तान का गुस्सा दो गुना हो गया। यह पहली बार था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 29 सितम्बर 2016 में कश्मीर में उड़ी में सेना शिविर पर आतंकवादी हमले के प्रत्युत्तर में पी.ओ.के. में सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिलचस्प बात यह है कि 1947 के आजादी के बाद पाकिस्तान को तीन युद्धों में भारत ने हराया था। सभी युद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर से सम्बन्धित थे।

पी.ओ.के. एक बहुत ही अलग और अनूठा क्षेत्र है। यह वह जगह है जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया है और पंजाबी-उर्दू-शरीयत वर्चस्व लगाया। यह साबित हुआ है कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर आतंकवादी ढाँचे का निर्माण किया है जिससे भारत के लिए गम्भीर सुरक्षा समस्या पैदा हो रही है। ये आतंकवादी हमेशा भारतीय क्षेत्र में घुसने को फिराक में रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर के भारतीय हिस्से में पाकिस्तानी सेना, आई.एस.आई. और आतंकवादी समूहों द्वारा उकसाये और समर्थित गुमराह युवाओं द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शनों और पत्थर फेंकने का काम किया जा रहा है। हालांकि भारत द्वारा अभी हाल ही में पी.ओ.के. में एल.ओ.सी. के पार आतंकवादी ढाँचे के गठन को समाप्त करने के लिए आपरेशन शुरू किया है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इतिहास :-

भारत और राजा हरिसिंह के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते के दस्तावेज के बाद, भारतीय सेना कश्मीर में उतरकर पाकिस्तानी कबाइलियों को घुसपैठ को रोक दिया। हालांकि अचानक तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने एकपक्षीय युद्ध विराम घोषित किया और इस

मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गये। तत्कालीन भारतीय सेना के जनरल के एम.आर.करिप्पा ने 24 घंटे का समय देने का अनुरोध किया, ताकि भारतीय सेना पूरे कश्मीर पर नियंत्रण कर सके, लेकिन नेहरू जी ने इंकार कर दिया। कब्जे वाले कश्मीर का लगभग आधा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में छोड़ दिया गया था। बाद में पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित कश्मीर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाने लगा और उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद में बनायी गयी और भारत के साथ वाले हिस्से को जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता था। कश्मीर के क्षेत्र को पी.ओ.के., जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन और शोक्सम घाटी जैसे क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया गया। तीनों भाग उपमहाद्वीप के तीन परमाणु ऊर्जा देशों के नियंत्रण में हैं, अर्थात् भारत, पाकिस्तान और चीन। यह क्षेत्र दक्षिण में पाकिस्तान के पंजाब और गिलगिट बालिस्तान प्रांत और पश्चिम में खैबर पख्तुनख्वा प्रांत की सीमाओं के बीच है। कश्मीर क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2.22 लाख वर्ग किलोमीटर है जिसमें से लगभग 35 प्रतिशत या 78000 वर्ग किलोमीटर पी.ओ.के. है।

मौजूदा आतंकी नेटवर्क और पी.ओ.के. में बुनियादी ढाँचा

आतंक प्रशिक्षण शिविर कई वर्षों से पी.ओ.के. में फलफूल रहे हैं। पी.ओ.के. में विभिन्न शिविरों में लगभग 2500 आतंकवादी हैं और वह आई.एस.आई और पाकिस्तान सेना द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 42 आतंकवादी कैप हैं, जिसमें से 25 पी.ओ.के. में और 17 पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में हैं। इन संगठनों का मुख्यालय कराँची में स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से पी.ओ.के. के माध्यम से कार्य करते हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 29 विद्रोही समूह कार्य कर

रहे हैं। जिसमें एक की जड़े पी.ओ.के. में है। भारतीय सेना का दावा है कि लगभग 20000 युवा भारतीय को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित और सक्षम बनाया गया है। 3 जनवरी 2012 को सेना ने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) भारत में घुसपैठ करने के लिए पी.ओ.के. में 21 महिला आतंकवादियों के एक समूह को प्रशिक्षण दे रहा था। मुजफ्फराबाद शिविर में जकीउर रहमान लखवी ने इन आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जैश-ए-मोहम्मद (जेएएम), एलईटी और हिजबुलमुजाहिदीन के लगभग 300 आतंकवादी पी.ओ.के. कैम्प से निकल भागने में सफल रहे हैं। पी.ओ.के. में भर्ती शिविर मुजफ्फराबाद और लाहौर के बीच है। यहाँ से हथियार नेविगेशन और रेडियो, टेलीफोन के बारे में जानने के लिए आतंकवादियों को अन्य शिविरों में भेजा जाता है। हाल ही में सर्जिकल हमलों ने आठ आतंकी लांचपैड को नष्ट कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए, रिपोर्ट के मुताबिक, आई.एस.आई. हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैय्यद सलाहुद्दीन और जमात-उद-दावा (ज्यूड) के प्रमुख हाफिज सईद के माध्यम से धन भेज रहा है। पैसा कश्मीर आतंकवादियों के प्रशिक्षण, हथियार, और गोला-बारूद पर खर्च किया जाता है। अब आतंकवाद में भर्ती में स्थानीय लोगों की तेजी से वृद्धि हुई है।

पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रयोजन

लेखक डेनियल बायमैन के अनुसार पाकिस्तान सम्भवतः आज आतंकवाद का सबसे सक्रिय प्रयोजक है। इसके बावजूद कभी भी अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य के रूप में

सूचीबद्ध नहीं किया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने पुष्टि किया कि उनकी सेना ने जम्मू-कश्मीर में भारत से लड़ने के लिए आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 2001 के बाद आई.एस.आई. ने तालिबान को पाला-पोसा है। भारत यह नियमित रूप से यह कह रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में स्थानीय उग्रवादियों/ आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति में शामिल है।

आई.एस.आई. सभी आतंकवादी समूहों को वित्त पोषण कर रहा है। एफ.बी.आई. ने सैटेलाइट से पाकिस्तान में कई आतंकवादी शिविरों के अस्तित्व का संकेत दिया है। पाकिस्तान को इन आतंकवादी समूहों के लिए एक स्वर्ग कहा जाता है। सईद और लखवी समेत कश्मीरी आतंकवादी पाकिस्तान में हीरों हैं। तालिबान, हक्कानी, ओसामा बिन लादेन, जवाहिरी कई पाकिस्तानी युवाओं के लिए आदर्श हैं। वर्ष 2001 में पाकिस्तान ने नाटो बलो द्वारा अफगानिस्तान में घेर लिए गए तालिबान और अलकायदा के लगभग 5000 शीर्ष नेतृत्व को निकालने में सहायता की। 1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर में एल.ई.टी. ने अपना अभियान शुरू कर दिया था। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जुलाई 2010 में स्वीकार किया कि पिछली सरकारों द्वारा आतंकवादियों को जानबूझकर बनाया और पोषित किया गया था।

फरवरी 2018 में भारतीय थलसेना के उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने कहा कि तीन सौ से ज्यादा आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा ;स्वच्छ पर इंतजार कर रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और आई बी की सूचनाओं के हवाले से उत्तरी कमान के प्रमुख ने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सेना भी घुसपैठ की इस योजना में आतंकवादियों का साथ दे रही है। दूसरी ओर फरवरी 2018 में ही अमेरिकी खुफिया

प्रमुख ने बताया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन भारत के भीतर हमले जारी रख सकते हैं। वाशिंगटन में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक देन कोट्स ने सुजवान सैन्य शिविर पर आतंकी हमले के सन्दर्भ में जुटाई गई खुफिया जानकारी पर सीनेट की चयन समिति को पेश की गयी अपनी गवाही में कहा कि पाकिस्तान नए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का संकेत देकर, आतंकवादियों से अपने संबंध बरकरार रखकर आतंकवाद विरोधी सहयोग को रोककर और चीन से करीबी बनाकर अमेरिकी हितों को नुकसान पहुँचाना जारी रखेगा। साथ ही साथ भारत देश के खिलाफ हमले की योजना बनाना और हमले करना जारी रखेगा।

भारत की चिंताएँ

अगर 18 सितम्बर 2016 को उड़ी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला भारत के लिए जम्मू कश्मीर में एक सैन्य चुनौती का सबूत है तो पी.ओ.के. को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत संकल्प को काफी माना जा रहा है। इससे पहले दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के समय में कुछ अपवादों को छोड़ दे तो इस तरह की कूटनीति पहली बार देखी जा रही है। दरअसल जिस समय यह स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान के हठ के कारण जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता है तभी से भारत की नीति दृढ़तापूर्ण होनी चाहिए थी। पी.ओ.के. पर पूरी तरह अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद पाकिस्तान ने अपना ध्यान जम्मू-कश्मीर खासकर कश्मीर घाटी पर केन्द्रित करना शुरू कर दिया था और वहाँ संकट खड़ा करने के लिए हर तरह की कोशिश करने लगा था, जो आज तक जारी है। जब तक गिलगिट बालतिस्तान समेत पी.ओ.के. को लेकर पाकिस्तान पर दबाव नहीं बनाया जाता

है तब तक इस्लामाबाद घाटी में दखल देने से बाज नहीं आने वाला है। इसलिए पी.ओ.के. में ज्यादा सक्रिय होने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फैसला ताजा हवा में सांस लेने जैसा है। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए अब इस रणनीति पर पूरी ताकत से अमल करना चाहिए। भारत के नेतृत्वों को गिलगिट बालिस्तान समेत पी.ओ.के. के विभिन्न हिस्सों के उन नेताओं से करीबी संबंध बनाना चाहिए, जो पाकिस्तान की ज्यादतियों के कारण निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को बढ़ा चढ़ाकर उठाना चाहिए, पी.ओ.के. को लेकर पाकिस्तान के दोहरे मापदंडों को उजागर करना चाहिए और पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं व लोगों को नैतिक समर्थन देना चाहिए।

भारत सीमा सुरक्षा उपायों पर कई समस्याओं का सामना कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह के मुताबिक किसी विशेष सीमा के साथ सुरक्षा व्यवस्था सीमाओं के लोगों के बीच जातीय धार्मिक संबंधों पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान और भारत ने जम्मू-कश्मीर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लगभग चार युद्ध लड़े हैं। तकनीकी विकास, सूचनाओं के त्वरित प्रेषण और आतंकवादी समूहों को धन के हस्तांतरण ने सीमा सुरक्षा के नजरिये को बदल दिया है। उग्रवादी युवा कश्मीरी मुसलमानों को सैन्य प्रशिक्षण देते हैं और परिष्कृत हथियार प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण आई.एस.आई. द्वारा या तो सीधे या पी. ओ.के. में स्थित धार्मिक कट्टर पंथियों और जेहादी संगठनों द्वारा दिया गया है। आतंकवादी संगठन भारत के भीतर हिन्दू-मुस्लिमों के सौहार्दपूर्ण संबंधों को भी कड़वा करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 1999 में एक साक्षात्कार में हाफिज सईद ने जिहाद की घोषणा की और भारत के टुकड़े करने और

पूरी तरह से पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की थी।

भारत की आतंकवादी ढाँचे को समाप्त करने की रणनीति

शीर्ष सैन्य अधिकारियों का मानना है कि अल्पकालिक कार्यवाही आतंकवादियों की क्षमताओं को बहुत नुकसान नहीं पहुँचायेगी। एक निर्धारित और लगातार अभियान की आवश्यकता है। भारत के सैन्य और खुफिया आंकलन के अनुसार; पी. ओ.के. में 40 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं। 2000 आतंकवादियों की मेजबानी करने की क्षमता वाले लगभग 50 लांचपैड हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन साइटों को पूरी तरह से पाकिस्तान सेना द्वारा संरक्षित किया गया है। सेना भविष्यवाणी करती है कि अब पाकिस्तान सर्जिकल हमलों का बदला लेने के लिए और अधिक आतंकवादियों को आंगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। सर्जिकल हमला आतंकवादियों के लिए एक उचित और तगड़ा झटका था। प्रधानमंत्री मोदी का बलूचिस्तान की उथल-पुथल पर बयान पाकिस्तान के कश्मीर राग को कम करने की सर्वश्रेष्ठ रणनीति थी। इसने एक विषहर औषधि के रूप में काम किया है, जिसका प्रमाण पाकिस्तान में पहले से दिखाई दे रहा है। जी. पार्थसारथी का मानना है कि भारत को बलूचिस्तान की उथल-पुथल का जितना संभव हो उतना अधिक फायदा उठाना चाहिए। विद्वानों का तर्क है कि अब भारत को पी.ओ.के. और बलूचिस्तान के मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। आतंकवाद पर पाकिस्तान को मजबूर करने के लिए भारत को विश्व संगठन को समझाना चाहिए। 2016 के उड़ी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और आतंकवाद से निपटने में कठोर-मुलायम-काकटेल रणनीति अपनायी है। सर्वप्रथम दिल्ली ने पाकिस्तान को अलग-थलग

करने के लिए राजनयिक चैनल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और दूसरे आतंकवादी ढाँचें को नष्ट करने के लिए कड़ी/सैन्य कार्रवाई का इस्तेमाल किया। भारत ने घोषणा की है या तो पाकिस्तान आतंकवादी ढाँचे को नष्ट कर देगा या दिल्ली अपने तरीके से इसे नष्ट कर देगी। अब आतंकी और कश्मीर की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना ने खुली छूट देने का अनुरोध किया है।

आतंकवादियों की नकेल कसने के लिए नवम्बर 2017 में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलायी गयी तथा सुरक्षा बलों को निर्देशित किया गया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किया जायेगा। सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया कि वे राज्य में लगातार हिंसा फैला रहे तत्वों को खत्म करें। जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति लाने की कोशिश सभी पक्षों से बातचीत शुरू करने के लिए केन्द्र की ओर से दिनेश शर्मा को विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने के बावजूद आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही गयी।

आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। आकाशवाणी पर प्रसारित 'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने कहा कि चार दशक से भी अधिक समय से भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है तब दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया अब जबकि पूरे विश्व को आतंकवाद के विनाशकारी पहलुओं का अहसास हो गया है। आतंकवाद के खात्मों के लिए दुनिया को हाथ मिलाना होगा।

भारत में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य जम्मू-कश्मीर है और वही राज्य भारत में आतंकवाद का सबसे अधिक ऐतिहासिक कारण भी है। अतः कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए

कुछ नए तरीकों का पता लगाने के लिए मंथन चल रहा है। 1998 में सरकार ने अपनी रणनीति को कठोर सैन्य अभियानों से मानवतावादी जैसे अभियानों में बदल दी लेकिन राजेश राजगोपालन ने कहा है कि नई दिल्ली को कश्मीर में अपनी आतंकवाद विरोधी रणनीति का पुर्नमूल्यांकन करना चाहिए। दृष्टिकोण में सैन्य और राजनीतिक उपायों के संयोजन की जरूरत है। राजनीतिक दृष्टिकोण का अर्थ है वातावरण बनाना जिससे कश्मीर के आम लोग राज्य में विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग ले सके। लोकतंत्र निश्चित रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए और लोगों को भारतीय संघ का सम्मान करना चाहिए। लोगों और राज्य के बीच यह कथित अलगाव आतंकवादियों के लिए उपजाऊ आधार प्रदान करता है। राज्य सरकार को नियमित रूप से स्थानीय लोगों से जुड़ना चाहिए, शिक्षा में बड़ा निवेश करना चाहिए, रोजगार प्रदान करना चाहिए और रोजगार में वृद्धि करना चाहिए। नई दिल्ली को बिजली क्षेत्र, फल प्रसंस्करण और लकड़ी उद्योगों में भारी निवेश करना चाहिए। नई दिल्ली को पूरे मजबूत बल के साथ आतंकवादी समूहों से लड़ना चाहिए। 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने पी.ओ.के., गिलगिट और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के बर्बर कृत्यों को सही तरीके से उजागर किया। साथ ही अनु. 370 और ए.एफ.एस. पी.ए. (AFSPA) के मुद्दों को अच्छी तरह से संशोधित किया जाना चाहिए। भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में पी.ओ.के. को संबोधित करते हुए मोदी ने भविष्य में शांति वार्ता में पी.ओ.के. के लोगों को शामिल करने के लिए कहा।

निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उड़ी आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों के

खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई की सराहना की गई है। राक शीर्ष यूरोपीय संसद के अधिकारी ने अक्टूबर 2016 में कहा कि नई दिल्ली को आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में वैश्विक समर्थन मिलना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक शायद भारत का पहला सैन्य प्रतिशोध था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह पाकिस्तान में मौजूद और सेना समर्थित आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने में संकोच नहीं करेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर वास्तव में कोई भी देश शामिल नहीं होना चाहता है जब तक कि उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता है।

भारत को क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर पाकिस्तान को उजागर करना चाहिए। पी.ओ.के. पर संदेश रेखांकित करता है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ और निश्चयात्मक नीति जो सिर्फ पी.ओ.के. के मामले में ही नहीं है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक और उससे पहले म्यांमार में देखी गयी थी बल्कि हर कहीं देखी जा सकती है। समस्या के समाधान में कारगर साबित हो सकती है और मील का पत्थर बन सकती है। लेकिन इसके साथ ही दुनिया में प्रगति और मानवता के कल्याण के लिए शांति प्रेम और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों का कोई विकल्प नहीं है। शायद प्रधानमंत्री मोदी ओर पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ दोनों ही इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। दरअसल इच्छा शक्ति हो तो दुनिया में कोई भी समस्या हल हो सकती है, क्योंकि इंसान प्रयास करे तो कुछ भी असंभव नहीं हैं।

सन्दर्भ :

1. Early day motion 1107, "Annexation of Gilgit Baltistan by pakistan as its fifth frontier,"The British parliament march 23, 2017, at <http://www.parliament.uk./edm/2016-17/1107>
2. Kashmir in Turmoil 2016 south Aisa politics; New Delhi Vol 15, no 9 Jan 2017
3. Navnita ehadha Behera, Demystifying Kashmir, pearson- Longman, New Delhi 2006
4. "The Fifth Province," The nation, June 7, 2015, at http://nation.com.pk/editorials/07-June.2015/The_fifth_province
5. Jansatta news paper New Delhi Date 14.02.2018, Date 15.11.2017, Date 27 Nov 2017
6. Times of India dated 2nd June 2017
7. Dainik sanbad Agartala 17/5/2017
8. Open Magazine; sep. 5,2016 issue, May 1, 2017 issue & May 29; 2017 issue.





बौद्ध धर्म में नारी

□ डॉ. सुधा सोनी*

शोध सारांश

बौद्धधर्म का उदय हिन्दू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने एवं स्वस्थ समाज की संरचना करने के उद्देश्य से हुआ। बौद्ध धर्म त्याग, अहिंसा, सन्यास और मोक्ष पर आधारित था। चूंकि नारी घर, गृहस्थी की केन्द्र बिन्दु थी इसलिये सारा प्रहार नारी पर था। नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक मानी गयी थी। लेकिन ब्राम्हण साहित्य की अपेक्षा बौद्ध साहित्य में कन्याओं की स्थिति संतोषजनक मानी गयी थी। बौद्ध धर्म में पुत्र और पुत्री के बीच भेद नहीं था अनेक शिलापटों में नारी शिक्षा के प्रतीक उत्कीर्ण हैं। जातक कथाओं में भी पुत्रियों की उच्च स्थिति के उदाहरण प्राप्त होते हैं। बौद्ध समाज रूढ़ियों से ऊपर उठकर गृहस्थ आश्रम में स्त्रियों का आदर करता हुआ प्रतीक होता है। पत्नी के रूप में भी नारी की स्थिति सम्मानित रही है। बौद्ध संघ में नारी को स्थान दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश अस्वीकार किया था। किन्तु बाद में उन्होंने संघ में स्त्रियों को अनुमति प्रदान की। बौद्ध विहार में भी स्त्रियां स्वतंत्र रूप से रहती थी। बिम्बसार की पत्नी खेमा बौद्ध शास्त्रों की ज्ञाता थी। बौद्धकाल में स्त्रियों का दैवीकरण किया गया। मानवेत्तर नारी के अन्य स्वरूप जैसे अप्सरा, किन्नरी, दिग्देवी, पाताल नाग कन्यायें, यक्षिणी आदि के रूप में प्रसिद्ध रही।

बौद्धधर्म का उदय हिन्दू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने एवं स्वस्थ समाज की संरचना करने के उद्देश्य से हुआ। हिन्दू धर्म में यह युग अत्यंत भोगवादी युग था। हिंसा और दान को धार्मिक स्वरूप प्रदान कर उसे संरक्षण दिया गया और स्त्रियों का शोषण इस युग में अपनी चरम सीमा पर था। बौद्ध धर्म त्याग, अहिंसा, सन्यास और मोक्ष पर

आधारित था। इस धर्म की मान्यता थी कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों को मोक्ष प्राप्ति असंभव हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्धधर्म का प्रमुख उद्देश्य ही गृहस्थी का उन्मूलन था। चूंकि नारी घर, गृहस्थी की केन्द्र बिन्दु थी इसलिये सारा प्रहार नारी पर था। नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक मानी गयी थी, क्योंकि पुरुष नारी को सभी रूपों में भय की

* प्राध्यापक इतिहास, शास.कन्या महाविद्यालय—रीवा (म.प्र.)

दृष्टि से देखने लगा। चूंकि नारी प्रत्येक रूप में आशक्ति का केन्द्र बिन्दु हैं, इसलिये त्याज्य हैं। पुरुष समाज कैवल्य की खोज में भिक्षाटन करने लगा। इस तरह नारी जीवन तिरस्कृत होता चला गया।

ब्राह्मण साहित्य की अपेक्षा बौद्ध साहित्य में कन्याओं की स्थिति संतोषजनक मानी गयी हैं। ब्राह्मण धर्म में पुत्र का विशेष महत्व था, वहीं धार्मिक क्रियाओं, तर्पण इत्यादि का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र होना अनिवार्य नहीं था। महात्मा बुद्ध के अनुसार पुत्रहीन व्यक्ति की मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। इसलिये बौद्ध धर्म ग्रंथों में इस दृष्टि से पुत्र और पुत्री के बीच भेद नहीं था।

माता-पिता के लिये पुत्र-पुत्री दोनों ही समान थे, जातक ग्रंथों में महा सुवर्ण नामक एक गृहस्थ पुत्र अथवा पुत्री दोनों के लिये प्रार्थना करता है। संयुक्त निकाय में स्वयं महात्मा बुद्ध का कथन है कि कभी-कभी पुत्री, पुत्र की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होती है। जो कि तात्कालीन समाज में पुत्रियों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। सोमवती नामक कन्या एक ऐसी ही पुत्रियों में से एक थी, जो इस प्रथा एवं पुत्रियों की प्रियता को स्पष्ट करती हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार किसी कन्या के हाथ से बने पूरे भोजन का खाने की कोई मनाही नहीं थी। बौद्ध समाज रूढ़ियों से ऊपर उठकर कार्य करने की चेष्ट करता था एवं गृहस्थ आश्रम में स्त्रियों का आदर करता था।

बौद्ध समाज में विवाह वयस्क होने पर ही होते थे। कन्या के लिये विवाह की आयु सीमा 16 वर्ष मानी जाती थी। धम्मपद टीका में उल्लेख है कि कन्या के लिये विवाह के लिये यही आयु उपयुक्त थी। यद्यपि बौद्ध साहित्य में सगोत्र विवाह इत्यादि

के उदाहरण मिलते हैं। जो कि साधारणतः निन्दनीय माने जाते हैं। विवाह के आठ प्रकारों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रजापात्य विवाह था। जिसमें लड़के-लड़की का विवाह, माता-पिता के द्वारा सुनियोजित होता था। बौद्ध समाज में स्त्रियों द्वारा अपने वर्ण के अतिरिक्त उच्च या निम्न वर्ण में किये गये विवाह को हेय माना जाता था। अन्य धर्मों की भांति बौद्ध धर्म में भी स्त्रियां पत्नियों के रूप में अनेक कर्तव्यों और निर्देशों से बंधी हुयी थी। उनके लिये असंख्य निर्देश थे। जैसे पति के भोजन करने के पूर्व स्वयं भोजन न करना, अपने सास-ससुर का पहले भली-भांति भोजन कराने के पश्चात् ही भोजन करना, अपने पति के शयन से पूर्व शयन न करना, परिवार के विविध सदस्यों के प्रति अपने सम्पूर्ण कर्तव्यों और निर्देशों से बंधी हुयी थी। उनके लिये असंख्य निर्देश थे। परिवार के विविध सदस्यों के प्रति अपने सम्पूर्ण कर्तव्यों का पालन कर चुकने के बाद शयन करना, अपने पति एवं सास-ससुर को आराध्य समझकर पूजा करना द्वार पर आयु भिक्षु को भोजन कराने के पश्चात् ही स्वयं भोजन करना इत्यादि।

गृहस्थी संचालन करने हेतु पत्नियों को विशेष निर्देश दिये गये थे। जैसे अपनी घर की बात को बाहर न कहना, घर में उत्पन्न हुई समस्याओं का जिक्र दूसरों से न करना। बाहर के झगड़ों को घर में प्रविष्ट न करना इत्यादि।

अंगुतर निकाय के अनुसार पत्नी को सदा पति की आज्ञा में रहना चाहिये। सारे कार्य पति की इच्छानुसार करने चाहिये। पति के साथ मधुरता के साथ बातचीत करना, अपने पति का सम्मान एवं उसके गुरुजनों का सम्मान करना चाहिये। बौद्ध समाज में दहेज प्रथा प्रचलित थी। पारिवारिक जीवन

में बंधुओं के लिये अनेक शिक्षायें थी जैसे अंदर की अग्नि को बाहर न ले जाना, बाहर की अग्नि को अंदर न ले जाना जो दे उसी को प्रदान करना, अग्नि की परिक्रमा करना, कुल देवता का सम्मान करना इत्यादि।

आदर्श पत्नी के लिये अनेक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक हैं। जैसे अतिथियों को सेवा में जरा भी विवाद न करना, पति की कमाई को भली भांति संभालना, घर के सदस्यों के साथ-साथ नौकरों के आराम का ख्याल करना, बीमार पड़ने वालों की चिकित्सा का ख्याल करना, दुर्व्यसनों इत्यादि में धन के नाश को रोकना। अंगुतर निकाय में प्रत्येक स्त्री में चार गुणों का होना आवश्यक बताया गया था। गृह कार्य में प्रवीणता, घर के सभी सदस्यों की भली-भांति चिंता, पति की इच्छानुसार कार्य करना, मित्रव्यता। आदि उल्लेख हैं कि जो स्त्री इन गुणों से युक्त होकर बौद्ध धर्म और संघ रखती हैं उसे लोक व परलोक दोनों का सुख प्राप्त होता है।

बौद्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को दासी के रूप में रखा जाता था। बुद्ध घोष कहते हैं दासी भोग यानी दासी का काम हैं खेतों में काम करना, गंदगी उठाना और निम्न स्तर का कार्य करना। घरेलू कार्यों के लिये भी स्त्रियों के बीच कई श्रेणियां होती थी।

माना जाता है कि बौद्ध धर्म नारी जाति का उद्धारक हैं क्योंकि बुद्ध ने नारी को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी परन्तु सच यह था कि बुद्ध को स्वयं नारी की योग्यता पर संदेह और अनास्थायी। वे संघ में नारी के प्रवेश के विरुद्ध थे। बुद्ध ने स्वयं अपनी बिमाता, महाप्रजापति गौतमी की संघ में प्रवेश की प्रार्थना को तीन बार अस्वीकार कर दिया था। जब अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने

नारियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी तो कहा कि आनंद मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे द्वारा स्थापित यह धर्म 5000 वर्षों तक इस धरती में कायम रहेगा। किन्तु संघ में नारी के प्रवेश के साथ ही मुझे यह आशंका हो रही है कि अब शायद यह धर्म 500 वर्षों तक टिक नहीं पायेगा। नारी के संबंध में बुद्ध की युक्ति इस बात का संकेत हैं कि उनके मन में भी स्त्री-पुरुष विभेद था।

बाद में बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश की अनुमति स्त्रियों को प्राप्त हुई परन्तु विभेद जारी रहा। संघ में भिक्षुओं का ही वर्चस्व कायम था। उनकी तुलना में भिक्षुणियों को निम्न श्रेणी का माना जाता था। संघ स्त्री भिक्षुणी बनकर निर्वाण साधना तो कर सकती थी, परन्तु उसे संघ में पुरुष वर्ग की अपेक्षा कम आदर किया जाता था। एक युवा भिक्षुक भिक्षुणी को भी नहीं था। भिक्षु के आगमन पर भिक्षुणियों को भी नहीं था। भिक्षु के आगमन पर भिक्षुणियां सम्मान प्रदर्शन करती थी। परन्तु किसी भिक्षुणी के स्वागत में भिक्षुओं के द्वारा सम्मान प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं था।

बाद में बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश की अनुमति स्त्रियों को प्राप्त हुई परन्तु विभेद जारी रहा। संघ में भिक्षुओं का ही वर्चस्व कायम था। उनकी तुलना में भिक्षुणियों को निम्न श्रेणी का माना जाता था। संघ स्त्री भिक्षुणी बनकर निर्वाण साधना तो कर सकती थी, परन्तु उसे संघ में पुरुष वर्ग की अपेक्षा कम आदर किया जाता था। एक युवा भिक्षुक भिक्षुणी को भी नहीं था। भिक्षु के आगमन पर भिक्षुणियां सम्मान प्रदर्शन करती थी। परन्तु किसी भिक्षुणी को भी नहीं था। भिक्षु के आगमन पर भिक्षुणियां सम्मान प्रदर्शन करती थी। परन्तु किसी भिक्षुणी के स्वागत में भिक्षुओं के द्वारा सम्मान प्रदर्शित करना

आवश्यक नहीं था। किसी भिक्षुणी को किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं था और न ही कोई अपशब्द कहने का। बौद्ध बिहार में कोई भी भिक्षुणी स्वतंत्र रूप से भिक्षु से वार्ता नहीं कर सकती थी। जबकि भिक्षु भिक्षुणियों से कभी भी बातचीत करने के लिये स्वतंत्र थे।

सारे नियमों को देखते हुये यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध ने न केवल सामाजिक मर्यादाओं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों को भी ध्यान में रखकर कार्य किया। उन्होंने भिक्षुणियों को संयम में रखने की व्यवस्था मनुष्य की प्रकृति को दृष्टिकोण करते हुये। गौतम बुद्ध अपने संघ में स्त्रियों को दीक्षित करके प्रसन्न नहीं थे। इससे उन्हें अपने धर्म की पवित्रता संदिग्ध जान पड़ने लगी है। इसीलिये मैंने संघ में स्त्रियों को आठ कठोर नियम बना दिये हैं जिनका पालन अनिवार्य है जब तक धर्म है भिक्षुणियों को थेरी कहा जाता था। ऐसी थेरियों में सर्वाधिक विदुषी धम्मदिता 'सुक्का' थी जो जन समुदाय के बीच व्याख्यान देने के लिये प्रसिद्ध थी। श्रीवास्ती के श्रेष्ठ की पुत्री पटाचारा नियमों में प्रवीण थी उसने तीस भिक्षुणियों को सिद्ध मार्ग में प्रवृत्त किया था।

बिम्बसार की पत्नी महारानी खेमा बौद्ध शास्त्रों की ज्ञाता थी। बुद्ध ने उसे विदुषी थेरियों में स्थापन दिया था। थुल्लनंदा प्रवचन करने में कुशल थी विनय पिटक ने उसे कुशल बताया था। कंजगला बिना बुद्ध के प्रवचन सुने ही बौद्ध ग्रंथों की पण्डिता थी उसकी व्याख्यान शैली श्रेष्ठ थी। राजगृह के ६ अनादय श्रेष्ठ की कन्या भच्छदा कुण्डल केशा तर्कशास्त्र में प्रवीण थी। अनेक बौद्ध भिक्षुणियों को आध्यात्मिक क्षेत्र में परम सिद्धि प्राप्त थी। थेरी गाथा ग्रंथ (77) भिक्षुणियों द्वारा रचित 522 गीतों का संग्रह है।

उज्जैनी की जिनदत्ता को परमज्ञान मिला था। वैशाली की रूपवती, गणिका आम्रपाली ने गीतों की रचना की तथा अर्हता पद प्राप्त किया। अनेक नारियां संघ में न होते हुये भी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी उन्हें उपासिका कहा गया। रानी सामावती, सज्जतारा और विशाखा उनमें प्रमुख नाम हैं। बौद्ध धर्म में सम्प्रदायों के उदय के साथ ही शक्ति की उपासना का उदय होता है। महायान सम्प्रदाय में ऐसी अनेक देवियों का उल्लेख मिलता है। हेनसांग ने नालंदा बिहार में तारा और हारीती महायान देवियों की उपासना का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार पौराणिक धर्म में दुर्गा की उपासना मातृ शक्ति के रूप में की गयी है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय में बुद्ध व बोधिसत्व की माता के रूप में स्त्रियां पूज्य थी। बौद्ध देवी तारा का उल्लेख नालंदा ताम्र पत्र में मिलता है। बौद्ध धर्म के एक नये मत वज्रयान सम्प्रदाय में तारा देवी वज्रतारा के रूप में उपासित हुई। ऐसी अनेक देवियों की मूर्तियां संग्रहालयों में देखी जा सकती हैं। जिनकी पूजा अनुमानतः मंदिरों में होती थी। सारनाथ में मारिची देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो तीन मुख और अष्ट भुजाधारी हैं। इसी प्रकार ढाका संग्रहालय में प्रज्ञापारमिता, हारीती, वासुधारा एवं वागीश्वरी देवी की मूर्तियां सुरक्षित हैं।

बौद्धकाल में स्त्रियों का देवीकरण किया गया। मानवेत्तर नारी के अन्य स्वरूप जैसे अप्सरा, किन्नरी, दिग्देवी, पाताल नाग कन्यायें, यक्षिणी आदि कके रूप में प्रसिद्ध रही। इन्हें देवी की भांति कृपा दात्री माना गया जो कि साधक को इच्छित सभी सांसारिक वस्तुयें प्रदान करती हैं। नारी शक्ति अपने रूप तथा प्रकाश अप्सराओं में प्रतिबिम्बत हुई और उस प्रतिबिम्ब

को ईश्वर मानकर उसकी प्राप्ति मानव का लक्ष्य माना गया। दिग्देवियों का वर्णन अभिलेखों में मिलता है जिन्हें ईश्वरीय शक्ति मानकर हिन्दू धर्म की तरह उनके महत्त्व को स्वीकार किया गया।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. समाज और नारी, (2013), जगदीश चन्द्र सिन्हा.
2. बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक झलक (2013), राहुल सांस्कृतायन
3. बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, परशुराम चतुर्वेदी
4. धर्म, मार्क्सएंगेल्स.
5. बौद्ध धर्म क्या कहता है, श्री कृष्ण दत्त.
6. धर्मशास्त्र का इतिहास भाग-1, पी.व्ही. काणे.
7. नारी शोषण, जय प्रकाश व्यास, ज्ञानंदा प्रकाशन.





पवाई व्यवस्था एवं कर योग्य पवाईयाँ

- डॉ. अजय शंकर शुक्ल*
□ डॉ. (श्रीमती) प्रवीण पाण्डेय**

शोध सारांश

रीवा स्टेट डायरेक्टरी में राज्य के क्षेत्रफल के दो तिहाई भाग को पवाईयों के अन्तर्गत माना गया है। यद्यपि अनुपात की गणना यथातथ्य रीति से नहीं की गई है। किन्तु मोटे तौर से राज्य के क्षेत्रफल में पवाईयों का अनुपात कोठार की अपेक्षा डयोढ़ा से लेकर दूना तक अधिक था। डायरेक्टरी में 38 प्रमुख इलाकों की फेहरिस्त दी गई है और पवाईयों की संख्या हजार तक बताई गई है। इनमें क्षेत्रफल में एक सिरे पर “नउआ” जैसी पैपखार पवाई तहसील त्योंथर में थी जिसका क्षेत्रफल मात्र 4 एकड़ 79 डिसिमल था। राजस्व के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका एक छोर पर रामपुर नैकिन था जिसके राजस्व की आय रूपया 1,20,421 थी जबकि जबकि दूसरे छोर पर “गिरगो” नामक पैपखारी पवाई तहसील सिरमौर में थी जिसकी राजस्व आय रूपया 1-5-0 एक रूपया पांच आने मात्र थी।

पवाई के प्रकारों में कई दृष्टियों से विभिन्नता पाई जाती है। कालान्तर में पवाईयों की विभेद की रेखायें मिटने लगी। प्रशासन को ऐसा प्रतीत हुआ कि उक्त विभेदीकरण कालातीत हो चुका है। अलग-अलग नाम होते हुए भी एक जैसी थीं। जो नियम एक पर लागू होता था वही नियम दूसरे पर भी लागू हो सकता था। इसलिए पवाई कमेटी ने पवाईयों के वर्गीकरण में सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई। पवाई रूल्स 1934 में पवाई शब्द की परिभाषा लिखते हुए उसमें सभी हकीयतें-मामला, जिसमें गुजारा भी शामिल भी शामिल है, पैपखार, बृत, मुड़वार, नानकार, भाइप, इनाम, देवार्थ पुण्यार्थ, कठवृत्त, जागीर, जनाना जागीर, और 55/45 को सम्मिलित किया गया है। इसलिए पवाई रूल के निर्माण के साथ ही अनेक प्रकार की पवाईयों में जो अंतर पाया जाता था वह समाप्त हो गया तथा निरर्थक भी हो गया। पवाई रूल्स पुराने श्रेणी- विभाजन को रद्द करके पवाईयों को केवल दो कोटियों में विभक्त किया, (1) इलाकेदार, (2) पवाईदार। निम्नलिखित पवाईदारों का शुमार इलाकेदार में किया गया।

* शासकीय महाविद्यालय, गोबिन्दगढ़, जिला-रीवा (म.प्र.)

** शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज, जिला-रीवा (म.प्र.)

वह पवाईदार जिनके पवाई की जमा निकासी 10,000 रुपया से ज्यादा हो। विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा वाले पवाईदार जिनकी पवाई की जमा-निकासी रूपया 5,000 से ज्यादा हो। वह पवाईदार जिनके पवाई की निकासी 5,000 से कम है, लेकिन जो विशेष कारणों से दरबार की राय में इलाकेदारों की कोटि में आने चाहिए। इलाकेदारों को वही अधिकार ओर रियायतें प्राप्त होंगी जिनका जिक्र पवाई रूल्स के परिशिष्ट (ब) में किया गया है, बशर्ते कि पवाई के हस्तान्तरण गृहीता को वे अधिकार और विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होंगे और बशर्ते कि ताजीम और उससे सम्बन्धित विशेषाधिकार दरबार द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए जायेंगे। इलाकेदारों के अतिरिक्त अवशेष सभी पवाईदारों को केवल पवाईदार की संज्ञा दी जाती थी।¹ सन् 1947 में रीवा स्टेट डाइरेक्टरी के अनुसार केवल 38 प्रमुख इलाकेदार मौजूद थे। इनके अतिरिक्त 16 सरदारों को ताजीमी दर्जा मिला हुआ था जो दरबार द्वारा प्रदान किया गया था।² काम्पेन्डियम में इलाकेदारों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि कुछ ऐसे पवाईदार हैं जिन्हें विशेष प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त था। ऐसी रियायत थी कि ऐसे पवाईदारों को इलाकेदार कहा जाता था लेकिन उस समय तक इलाकेदारों को पारिभाषित नहीं किया गया था। इसमें एक सामान्य सिद्धान्त यह था कि बड़े आकार की महत्वपूर्ण पवाईयों को इलाकों की श्रेणी में रखा जाता था।

नालबन्दी-

जब राज्य को किसी इलाकेदार के विरुद्ध मामला की अदायगी न करने अथवा राजाज्ञा की अवहेलना के कारण सैनिक अभियान करने के लिए बाध्य होना पड़ता था, तो इलाकेदार के आत्मसमर्पण करने पर सैनिक अभियान में किए जाने वाले व्यय को वसूल करने के लिए उक्त

इलाकेदार पर जो अर्थदण्ड लगाया जाता था उसे नालबन्दी कहते थे। नालबन्दी को फारसी में "तावान" कहते हैं, उदाहरण के लिए पहाड़ी के सेंगर ठाकुर रणधीर सिंह ने सन् 1848 के "लिखावाट" में इकरार किया है कि वह नालबन्दी के रूप में कोई भी रकम जो पंचों द्वारा तय की जायेगी देने को तैयार है। दूसरा उदाहरण सन् 1778 ई. में बर्दी के इलाकेदार हृदयशाह का "लिखावाट" है कि वह रूपया 13,000 नालबन्दी और मामला की रकम 2 वर्ष में अदा करेगा। बर्दी के ही इलाकेदार अजीत सिंह का तहरीर किया हुआ 1804 ई. का इस आशय का लिखावाट है कि वह रूपया 63003 बतौर मामला और रूपया 32,000 बतौर नालबन्दी बिना किसी उज्र के अदा करेगा। सन् 1840 ई. की इलाकेदार सिंगरौली छत्रशाह के इस आशय की लिखी हुई टीप है कि वह रूपया 30,001 नालबन्दी फी सैकड़ा, फी माह की दर से सूद देगा।

बन्दोबस्त टैक्स, दरबार खर्च सड़क और स्कूल चन्दा-

प्रारम्भ में सन् 1867 ई. में पवाईयों पर बन्दोबस्त, सड़क और स्कूल चन्दा नामक बाब आरोपित किया गया था। इसके लिए दरबार की राजाज्ञा जारी हुई थी किन्तु कुछ सालों बाद बन्दोबस्त का बाब खतम कर दिया गया। जबकि सड़क और स्कूल का बाब 1891 में समाप्त किया गया, क्योंकि बहुत सारा बकाया इकट्ठा हो गया था जिसका वसूल होना मुश्किल था, लेकिन सन् 1906 में सड़क और स्कूल का चन्दा सभी पवाईयों पर पुनः आरोपित किया गया। इसका अपवाद देवार्थ पवाई जमा-निकासी ज्ञात थी वहाँ 2, 1/2 प्रतिशत और जमा-निकासी निश्चित न होने की स्थिति में जमा पवाई पर प्रतिशत की वही दर थी। सन् 1911 में जमा-निकासी पर चन्दा निर्धारित किया गया लेकिन जो जमा-पवाई

पर चंदा दे रहे थे उन्हें उसी दर से अगले उत्तराधिकार तक अदा करने की अनुमति दी गई। पवाई कमेटी के समक्ष यह माँग की गई कि अबवाब को केवल रोड और स्कूल चंदा तक सीमित रखा जाए। किन्तु यह मानी हुई बात है कि देवार्थ को छोड़कर पवाई की सभी हकीयतों पर बाब आरोपित किया जा सकता है, इसलिए बाब को केवल रोड और स्कूल चंदा तक सीमित रखने के तर्क को कमेटी ने स्वीकार नहीं किया। उसकी राय में यदि सन् 1867 में दरबार आर्डर के जरिए नए बाब लगाए जा सकते हैं और सन् 1906 में फिर से वही बाब आरोपित किए जा सकते हैं तो भविष्य में दरबार के हुकम से नये बाब लगाने के विरुद्ध कोई दलील मुनासिब नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए बाब लगाना उचित है। 'बाब' एक प्रकार करारोपण है। राज्य के सम्प्रभुता के अधिकारों में एक अधिकार बाब का आरोपण है। बाब राजस्व से पृथक कर है। संयोग से प्रायः सभी पवाई पाओं में पैपखार को छोड़कर यह शर्त खासतौर से लिखी हुई मिलती है कि पवाईदार को राजबाब देना पड़ेगा।¹³ अतीत में पवाईदारों ने प्रशासनिक व्यय के सम्बन्ध में काफी छूट का उपभोग किया। पहले मामलेदार दरबाद खर्च के नाम से एक बाब राज्य को अदा करते थे किन्तु बाद में मामला की देन में यह सम्मिलित कर दिया गया।¹⁴ 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 20वीं का जुमला दर्ज किया जाता था। अबवाब के विकासक्रम को देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना सहज है कि समय बीतने के साथ-साथ इनकी संख्या और मात्रा घटती गई है। यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है कि अबवाब का विलीनीकरण पवाई के देन में करके एकरूपता और केन्द्रीयकरण का प्रयास राज्य शासन ने किया था।

कर मुक्त पवाई—

सभ्यता की अविकसित अवस्था में राज्य शासन विकेन्द्रित था। दूरदराज क्षेत्रों में फैले हुए इलाके

और पवाईयों के धारक अपनी भूमियों के प्रबन्ध में स्वायत्त थे। संचार एवं आवागमन के साधनों के अभाव के कारण राज्य की केन्द्रीय सत्ता से उनका सम्पर्क नहीं रहता था। राज्य शासन का उनसे वास्ता पवाई और पवाईदारों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। इसलिए कुछ निश्चित मर्यादाओं के अन्तर्गत पवाईदार अपने रैय्यत से मनमानी जमा और गतिविधियों पर भी वसूली की जाती थी। प्रत्येक व्यवसाय पर करारोपण की प्रथा थी जैसे—बागवानी, बुनकरी, दुकानदारी, चमारी, बयाई, लाख बनाना, कत्था बनाना, लोहागिरी, बढईगिरी, लौहधातु निर्माण, पशुपालन इत्यादि। पवाईदार जकात या चूंगी (सीमा शुल्क), आबकारी, नावघाट, मादक द्रव्य पर टैक्स संग्रह करने का अधिकार रखते थे। जंगलों और खदानों की रॉयल्टी भी वह प्राप्त करते थे। उनके विशेषाधिकारों में न्यायिक अधिकार भी शामिल थे अर्थात् दीवानी, फौजदारी और माल-मुकद्दमों की सुनवाई करने और फैसला करने का उन्हें अख्तियार था। यद्यपि सिद्धान्ततः उक्त सभ अधिकार राज्य शासन में निहित थे, प्रबन्ध राज्य शासन की पहुँच से बाहर था। सभ्यता के विकास और ब्रिटिश शासन प्रणाली की स्थापना के बाद रियासती हुकूमत की पवाईयों पर पकड़ मजबूत होती गई। दरबार ने अपने खोए हुए अधिकार क्षेत्र को पवाईयों से वापस लेने का प्रयत्न किया। पवाईदारों के अधिकारों को नियंत्रित करके सीमित किया गया। उन्हें राजाज्ञा और अनुशासन मानने के लिए विवश किया गया। कई एक आय के स्रोत भी राज्य द्वारा पवाईदारों से छीन लिए गए। उनके न्यायिक अधिकारों में भी कटौती की गई। इलाकों में पुलिस थाना कायम कर अपराधों के रोकथाम के लिए दरबार ने कदम उठाये। अपराधियों का चालान फौजदारी अदालतों में होने लगा। इससे जुर्माना में प्राप्त होने वाली

रकम में घाटा आया। शासन द्वारा उठाये गए इन कदमों की प्रतिक्रिया में दरबार के प्रति पवाईदारों में विक्षोभ होना स्वाभाविक था। इसी से दरबार और पवाईदारों के मध्य टकराव की स्थिति पैदा हुई। इस टकराव की वैधानिक पृष्ठभूमि को उजागर करते हुए पवाई कमेटी ने अभिमत व्यक्त किया था कि पवाई का अधिकार, सम्पत्ति का मालिकाना अधिकार नहीं है। मालगुजारी कानून का यह मान्य बुनियादी सिद्धान्त है कि भूमि का स्वामित्व सम्प्रभुता युक्त राज्य में निहित है। पवाई के स्वत्व को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इस सिद्धान्त से राज्य द्वारा निर्मित विधि-विधान और अनुशासन का पालन करना पवाईदार का कर्तव्य है। क्योंकि पवाई राज्य द्वारा निर्मित है या उसका अस्तित्व अन्ततः दरबार की स्वेच्छा पर निर्भर है।⁵

रियासती कानून में निजी सम्पत्ति के उत्तराधिकार और पवाई के उत्तराधिकार में अन्तर था, क्योंकि पवाई को पवाईदार की निजी सम्पत्ति तस्लीम नहीं किया गया था। अतीत में पवाई और निजी सम्पत्ति को नियंत्रित करने वाले कानून एक जैसे ही थे। बाद में निजी सम्पत्ति की विरासत का कानून बहुत उदार हो गया जबकि मौरूसी पवाई की विरासत का कानून यद्यपि उदार था किन्तु उस पर कुछ निश्चित पाबन्दियाँ थीं। सन् 1820 ई. से पहले मृतक पवाईदार के पुरुष संतान और उसके भाई को छोड़कर अन्य कोई रिश्तेदार विरासत का हकदार नहीं था। किन्तु 1820 में निकट सम्बन्धी भी जैसे भाई का पुत्र वारिसों में शामिल कर लिया गया। बड़े आकार की पवाईयों में अंतिम धारक का पुरुष संतान उत्तराधिकार प्राप्त करता था। अन्य सम्बन्धियों की विरासत के लिए दरबार की विशेष स्वीकृति आवश्यक थी। किन्तु सुपरइन्टेन्डेन्सी काल में सन् 1820 का नियम बड़ी पवाईयों के लिए भी लागू माना गया।

अंतिम धारक के कुटुम्ब में पाँचवें दर्जे तक सम्बन्धियों को विरासत का हक दिया गया तथा ब्रिटिश भारत में प्रत्येक उत्तराधिकार अधिनियम के समान ही पाँच अंशों की गणना की जाती थी। बाद में 1911 में अंतिम धारक के छः पुत्र के अन्दर के सगोत्र को विरासत का हक दिया गया। 1914 ई. में यह शर्त जोड़ी गई कि छः पुत्र के अन्दर का उत्तराधिकारी अंतिम धारक के समान पूर्वज का पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र होना चाहिए। किन्तु न तो 1911 या 1914 की छूट को बड़ी पवाईयों पर लागू किया गया। महाराज व्यंकटरमण सिंह ने एक विशेष रिआयत सन् 1913 में अधिराजी तिवारियों को प्रदान की जिन्होंने धार्मिक दृष्टि से राज्य की विशेष सेवा की थी। यह एक ऐसा आदेश था जिसका कभी पालन नहीं किया गया और इसे अपवाद स्वरूप व्यक्तिगत कारणों से जारी किया गया था।

चूँकि यह पहले से चली आ रही परिपाटी और रिवाज के विरुद्ध था इसलिए इस आदेश को सन् 1925 में वापस ले लिया गया। यह परम्परा थी कि जन पवाईयों में उत्तराधिकारी निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं थे वे दरबार द्वारा राजसात कर ली गई। चूँकि इस विषय में एक निश्चित और समान नियम का होना आवश्यक था इसलिए पवाई कमेटी ने 1991 के नियम को 1914 की शर्त के बर्गर मौरूसी पवाईयों के विरासत के लिए उचित ठहराया। यह नियम केवल मामला, पैपखार, बृत, मुडवार इनाम, भाइप, नानकार, कठवृत और 55/45 जेसी मारूसी पवाईयों पर लागू हुआ किन्तु जीवनपर्यन्त अनुदानों पर यह लागू नहीं किया गया। उत्तराधिकारविहीन विधवा को केवल जीवनपर्यन्त पवाई का उपभोग करने का अधिकार दिया गया किन्तु बड़ी पवाईयों के लिए यह नियम नहीं अपनाया गया।⁶

माधवगढ़ के इलाकेदार रामराज सिंह की मृत्यु 21 मई 1881 में निस्संतान हुई। निर्णय के लिए विवाद बिन्दु यह था कि इलाकेदार की मृत्यु के पश्चात इलाका राज्य में प्रतयावर्तित माना जाए या मृतक की विधवाओं को आजीवन उपभोग करने को दिया जाये। इससके पूर्व अमरपाटन इलाका बलभद्र सिंह की मृत्यु पश्चात् रीवा को प्रत्यावर्तित हुआ था। ए.जी.जी. सेण्ट्रल इण्डिया इन्दौर ने यह निर्णय दिया कि रीवा स्टेट को माधवगढ़ इलाका को राजसात करने का आदेश इन्दौर रेजीडेन्सी से 21 सितम्बर 1881 को पारित किया गया था।⁷

खानदान में 6 पुश्त से अधिक दूरी का न हो, उसकी आलोचना करते हुए सरदार नर्मदा सिंह इलाकेदार बैकुण्ठपुर ने रीवा "राज्य पवाई रूल्सनामी काला कानून" में टिप्पणी लिखी है कि "हर जाति में विरासत का कानून उसका खास है। उसी प्रकार हिन्दू और मुसलमानों के विरासत के कानून अलग-अलग है। परन्तु यह धारा बिल्कुल अनर्थकारी है इसमें संदेह नहीं कि रीवा में मित्ताक्षरा के आधार पर वारिस तय किए जाते थे। यानी जब तक किसी के खनदान में कोई है चाहे कितनी ही रू का हो तब तक उसकी जागरी लावारिस नहीं मानी जायेगी, ब्रिटिश भारत में भी यही होता है, उसी तरह मुसलमानों की विरासत उनके इस्लामी शरज के आधार पर तय की जाती है। परन्तु रीवा में इन दोनों धर्मशास्त्रों के विपरीत यहनियम बनाया गया है।⁸

विक्रय दान या वसीयत द्वारा हस्तान्तरण और अनुदान द्वारा हस्तांतरण में अन्तर है, क्योंकि अनुदान द्वारा हस्तांतरण में हस्तांतरण गृहीता अन्तर्गत पवाईदार बन जाता है जबकि पहले वाले हस्तान्तरणों में हस्तांतरणगृहीता हस्तान्तरणकर्ता से स्वतंत्र हो जाता है। यह भेद तथ्यों पर आधारित है और

इसका निर्णय हस्तांतरण के दस्तावेज की शर्तों पर हो सकता है। जहां तक इलाकेदारों का सवाल है उनका निर्वाध अस्तित्व कायम रहना चाहिए। पवाई की जिन हकीयतों की मीयाद केवल जीवनपर्यन्त है कमेटी की राय में उन्हें हस्तांतरण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।⁹

संदर्भ :

1. रीवा राज गजट जुलाई 1934, रीवा राज्य पवाई रूल्स
2. दर्बार प्रेस रीवा पाक्षिक प्रकाशन – रीवा राज गजट
3. सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह – रीवा राज्य का पवाई रूल्स नामी काला कानून सन् 1930 ई.
4. रीवा दरबार प्राकशन – रीवा राज्य का कानून मालुजारी व काश्तकारी सन् 1935 ई.
5. Rewa State Directory- By Krishna Murari Saxsena 1947
6. Siddiqi, NA. - Land revenue administration under the Mughals, Bombay 1970
7. Thomas, E.- the revenue resources of the Mughal empire in India.
8. Rewa State Publication- Rewa State land acquisition Act. 1935

1. पवाई रूल्स नामी काला कानून पृ. 1, 15, 16
2. Rewa State Directory P. 214-218
3. Compendium Part II, P. 36-37
4. Compendium P. 60, 61
5. Compendium P. 60-61
6. Compendium Part II, P. 29-31
7. Compendium Annexure "A" P. 6-10
8. तवारीख पृ. 175, 176
9. Compdium Part II P-32-35





शहडोल जिले में निवास करने वाली बैगा जनजातियों के विकास का अध्ययन

- डॉ. एस.पी. पाण्डेय*
□ सरिता देवी**

शोध सारांश

आदिमानव का जीवन अत्यन्त कठिन था। उसके भोजन के रूप में वन्य पशुओं का माँस, कन्द-मूल एवं फल, वस्त्र में वृक्षों के पत्ते, छाल एवं पशुचर्म थे, धीरे-धीरे गुफावासी मानव बाहर आया जो विकास की पहली सीढ़ी थी। विकास की दौड़ में कुछ तीव्र गति से आगे बढ़े तो कुछ ने वन्य पर्यावरण को ही अंगीकार किये रखा। यद्यपि इन दोनों में एक अलगाव के साथ-साथ सम्पर्क भी बना रहा। भारत में अनेक ऐसे समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, जिनकी संख्या भारतीय संविधान के अनुसार 550 तक अधसूचित की जा चुकी है, इन्हीं वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हीं जनजातियों में से एक बैग जनजाति है जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के घने वन प्रदेश में निवास कर रही है। अन्य जातियों की तुलना में एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। इनकी जीविका के साधनों का निरंतर विकास हो रहा है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और सामाजिक तौर से जनजातीय लोगों का जीवन निर्वहन सुलभ हो सके इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया है।

शब्द बीज : आदिमानव, पर्यावरण, अनुसूचित जनजाति, जीविका शहडोल

अध्ययन क्षेत्र का विस्तार वर्तमान का समग्र शहडोल जिला है जो 230 डिग्री से 240 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 800 से 810 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। जिले के पूर्व में मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला एवं छत्तीसगढ़, उत्तर-पूर्व में सीधी,

पश्चिम में शहडोल मुख्यालय तक बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग एवं रीवा शहडोल सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस भू-भाग में प्राचीन काल से डावीडियन मूल के लोगों का निवास करना मिलता है। महाभारत

* प्राध्यापक, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

** शोधार्थी (भूगोल), शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कालीन विराट नगरी के रूप में स्थापित शहडोल जिला मार्य , गुप्त वाकाटक, कलचुर, बघेल एवं मराठा राज्यों के अंतर्गत समय-समय पर शासित रहा है। यह जिला अपने विषयम धरातलीय उच्चावचन के लिये समग्र मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध रहा। बघेलाण्ड की भौतिक इकाई में स्थित इस जिले में पर्वत श्रेणियों, पठारों एवं समतल मैदानी क्षेत्र का एक क्रम मिला है। केहेजुआ श्रेणी, मानपुर पहाड़ियों, पर्वतीय भाग की ऊँचाई 105 मीटर से अधिक एवं सोहागपुर बेसिन की औसत ऊँचाई 300 मीटर से कम है। इस प्रकार समग्र भू-भाग 254 मीटर से 1500 मीटर ऊँचाई के मध्य सिित है। भौतिक विभागों की दृष्टि से इसे शहडोल अनूपपुर पठार, मानपुर पठार, परसोरा पठार, उत्तर पूर्व उच्च भूमि, दक्षिण सोनघाटी जोहला एवं महानदी घाटी कैमूर-केहेजुआ श्रेणी, उत्तरी सोन एवं बनसधाटी में अमरकण्टक स्थित सोन मूड़ा से निकल कर पेड़ा (बिलासपुर से होते हुये इस भू-भाग में प्रवाहित होती हुई मध्य प्रदेश के सीधी जले में प्रवाहत होती है। इसके अतिरिक्त जाहिला, छोटी महनदी, वनासएवं हंसदो प्रवाहक्रमों का विकास है। जो सोन की परवर्ती नदी घाटियाँ है। प्रत्यानुवर्ती नदी घाटी के रूप में प्रणाली वृक्षाकार है। शहडोल जिला कर्क रेखा के ठीक उत्तर स्थित भू-भाग है जिसके कारण यहां मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहां पर वर्षा, ग्रीष्म एवं शीत प्रमुख ऋतुएँ हैं अध्ययन क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 1115 मि.मी. है।

शहडोल जिले में वनों के घटते क्षेत्रफल के कारण वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण वनों का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। कभी यह जिला लाख उत्पादन के लिये देश में प्रसिद्ध था अब धीरे-धीरे इसका उत्पादन घट गया है। शासन

ने फिर वनोपज पर ध्यान दिया है। यहाँ के जंगलों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है।

सारणी क्रमांक 1 शहडोल जिले में वनों की स्थिति (हेक्टेयर में)

| क्र | विकासखण्ड | कुल क्षेत्र | वन क्षेत्र | प्रतिशत |
|-----|-----------|-------------|------------|---------|
| 1 | सोहागपुर | 81160 | 19410 | 22.80 |
| 2 | गोहपारू | 91143 | 22775 | 25.60 |
| 3 | जयसिंहनगर | 153243 | 73376 | 43.08 |
| 4 | ब्यौहारी | 109509 | 43689 | 30.70 |
| 5 | बुढार | 108852 | 40448 | 30.60 |

सम्पूर्ण शहडोल जिले में वनों का विस्तार है। जयसिंहनगर विकासखण्ड में वनों की अधिकता है। पाँचों के विकास खण्ड का एक चौथाई भाग जंगलों से ढका है।

खनिज:-

शहडोल जिले में कोयला खनिज की बहुलता है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र, धनपुरी कोयला क्षेत्र, अमलाई कोयला क्षेत्र, तथा उमरिया क्षेत्र में पर्याप्त और अच्छी श्रेणी का कोयला पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश कोयला बाहर जाता है। कुछ कोयला यहाँ स्थापित अमरकण्टक, संजय गाँधी ताप विद्युत ग्रहों में उपयोग में आता है।

यहाँ कोयला खनिज के निम्न उपक्षेत्र है, सोहागपुर क्षेत्र में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, इसके दो क्षेत्र है-

(1) जौहिला उपक्षेत्र- वीरसिंहपुर कालरी, नौरोजाबाद, उमरिया, कोढार खदान।

(2) बुढार उपक्षेत्र- बुढार कालरी, अमलाई, रूंगटा, चचाई, धनपुरी, जरवाही आदि खदानें हैं।

धनपुरी, नौरोजाबाद, महाप्रबंधक कार्यालय के आकड़ों के आधार पर 173.5 मिलियन टन कोयले का भंडार विक्षेपित है। सोहागपुर क्षेत्र में कोयले के

उत्खनन का कार्य 1973 से प्रारंभ हुआ। कोयले का उपयोग अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र, चचाई, संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र कौरबा, सीमेंट फैक्टर, सतना, कैमूर आदि के लिए कोयला सप्लाई सोहागपुर बेसिन की कोयले खदानों से ही होता है इस क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण खनिज बाक्साइड, तीसरा महत्वपूर्ण खनिज अग्नि मिट्टी (फायर क्ले) है जो चंदिया, जोधपुर, ताला और बनमनी में मिलती है।

अर्थ व्यवस्था:—

भूमि उपयोग— प्रकृति का भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि का उपयोग मानव अनेक क्रियाकलापों के लिए करता आया है। शहडोल जिले में भूमि का उपयोग निम्नानुसार है—

- (1) अनउपलब्ध भूमि
- (2) अन्य अकृषि भूमि
- (3) पड़त भूमि
- (4) वन क्षेत्र की भूमि

शहडोल जिले की भूमि में उपजाऊपन कम है इसलिए यहाँ पर पड़ती जमीन अधिक पायी जाती है तथा भूमि का असमतल होना भी अन-उपजाऊ होने का मुख्य कारण है। ऊँची-नीची भूमि के कारण उर्वरक तत्व बह जाते हैं जिससे पैदावार कम होती है। मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक है। भूमि में पानी सोखने की क्षमता भी कम है।

सारणी क्रमांक 2

शहडोल जिले में भूमि उपयोग की स्थिति (हेक्टेयर में)

| क्र | विकास खण्ड | कृषि योग्य भूमि | पड़त भूमि | शुद्ध बोया क्षेत्र |
|-----|------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 1 | सोहागपुर | 2255 | 2105 | 611.73 |
| 2 | गोहपारू | 1429 | 2069 | 261.00 |
| 3 | जयसिंहनगर | 2224 | 1022 | 375.78 |
| 4 | व्योहारी | 2024 | 889 | 168.90 |
| 5 | बुढ़ार | 2089 | 319 | 143.00 |

स्रोत— कार्यालय, कृषि विभाग, शहडोल

सारणी यह प्रदर्शित कर रही है कि सोहागपुर विकासखण्ड में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। पड़त भूमि गोहपारू विकासखण्ड में अधिक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र सोहागपुर विकास खण्ड में अधिक है।

फसलें:—

शहडोल जिले में अधिकांश भूमि कृषि योग्य नहीं है। सोहागपुर, गोहपारू, जयसिंह नगर, बुढ़ार, व्योहारी में छोटे-छोटे क्षेत्रों में कृषि युक्त भूमि मिलती है। बोई गई भूमि का अधिकांश भाग एकफसलीय है कुछ क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन हैं वहाँ द्विफसलीय खेती की जाती है। जिले में खरीफ एवं रबी की फसल उगाई जाती है। खरीफ की फसल में मुख्य फसलें धान, कोंदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, तिल समां, उड़द आदि हैं। रबी की फसल में गेहूँ, चना, तुअर, तिलहन आदि प्रमुख हैं।

धान—शहडोल जिले में धान की खेती विशेष रूप से की जाती है। सबसे अधिक धान जैतहरी विकासखण्ड में उसके बाद व्योहारी विकासखण्ड में पैदा होता है।

गेहूँ—धान के बाद गेहूँ की खेती अधिक होती है। व्योहारी तहसील में गेहूँ सबसे अधिक पैदा होता है उसके बाद सोहागपुर, मे पैदा होता है, उपरोक्त फसलों के अलावा मक्का, उड़द, तुअर तिलहन, ज्वार चना, मूँग, कुटकी, राई, जौ, तिल, साग—सब्जी, आलू आदि का भी उत्पादन जिले में किया जाता है।

सारणी क्रमांक 3
शहडोल जिले में प्रमुख फसलें
(हेक्टेयर में)

| क्र. | तहसील | गेहूँ | चना | धान | ज्वार | मक्का | तुअर | उड़द |
|------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1. | सोहागपुर | 5884 | 1394 | 36601 | 330 | 4818 | 2561 | 2132 |
| 2. | जयसिंहनगर | 2646 | 264 | 20917 | 768 | 3021 | 1699 | 1474 |
| 3. | ब्यौहारी | 10821 | 889 | 14607 | 760 | 2024 | 1689 | 1410 |
| 4. | जैतपुर | 2476 | 319 | 38398 | 149 | 2089 | 943 | 1862 |

स्रोत— कृषि विभाग, शहडोल

जिले में सबसे अधिक धान की खेती होती है। जैतपुर तहसील में धान अधिक बोया जाता है। गेहूँ दूसरी प्रमुख फसल है। तुअर एवं उड़द की फसल भी अधिक होती है।

सिंचाई:—शहडोल जिले में सिंचाई का प्रतिशत लगभग 7 प्रतिशत है, ज्यादातर खेती मानसूनी वर्षा पर निर्भर है सबसे अधिक सिंचाई जयसिंहनगर एवं ब्यौहारी तहसील में होती है। जिले का अधिकांश भाग उबड़ खाबड़ होने के कारण सिंचाई योग्य नहीं है। नदी वालों का पानी अधिकांश बहकर बड़ी नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है फिर भी जगह-जगह पर नदियों को बाँधकर एवं बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण कर छोटे-छोटे सिंचित क्षेत्र निर्मित किये गये हैं। जिले में सिंचाई वाला क्षेत्र न्यूनतम है।

सारणी क्रमांक 4
शहडोल जिले में सिंचाई
(हेक्टेयर में)

| क्र. | विकासखण्ड | कुल सिंचित क्षेत्रफल | प्रतिशत |
|------|-----------|----------------------|---------|
| 1. | सोहागपुर | 3004 | 7.5 |
| 2. | गोहपारू | 1003 | 6.6 |
| 3. | जयसिंहनगर | 2452 | 9.6 |
| 4. | ब्यौहारी | 7314 | 37.5 |
| 5. | बुढ़ार | 1220 | 6.2 |

स्रोत— सिंचाई विभाग शहडोल

शहडोल जिले में सिंचाई की सुविधा बहुत कम है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र ब्यौहारी विकासखण्ड में है, शेष विकासखण्डों में सिंचाई की सुविधा बहुत कम है। पशुपालन:—

अर्थ व्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, चाहे इसका स्वरूप औद्योगिक हो अथवा कृषि के साथ, पशुपालन शहडोल की अर्थ-व्यवस्था कृषि प्रधान है तथा यहाँ पठारी भू-दृश्य पाया जाता है। अतः पशुपालन की उपयुक्त दशाएँ इस क्षेत्र को सुलभ हैं। कृषि कार्य लगभग बैलों एवं भैसों द्वारा पूरा किया जाता है। जुताई, बुवाई, मड़ाई आदि कार्यों में इनका ही सहयोग रहता है। इसके अतिरिक्त भारवाहक के रूप में इन जानवरों का उपयोग लोग करते हैं। कृषि कार्य में मदद पहुँचाने तथा दूध के लिये गाय एवं भैंस पाली जाती हैं। हिन्दू धर्म में गाय का पालन-पोषण महान पुनीत कार्य माना गया है। इन पशुओं के अतिरिक्त सुअर, भेड़, बकरियाँ, घोड़े, गधे आदि जानवरों को भी पाला जाता है।

शहडोल जिले में कृषि के साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है। सबसे अधिक गौर वंशीय जानवर, इसके बाद भैंस वंशीय जानवर अधिक पाये जाते हैं, इसके अलावा भेड़, बकरी तथा सूअर पालन भी होता है जो निम्नानुसार हैं—

पशुपालन के स्वरूप

1. **व्यवसायिक पशुपालन** – विकासशील राष्ट्रों में पशुपालन एक उद्योग के रूप में विकसित है। यहाँ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पशुओं को पाला जाता है। उदाहरणार्थ दुग्धपूर्ति, माँसपूर्ति, चमड़ापूर्ति, रोएँ की पूर्ति आदि। पशुओं से प्राप्त इन पदार्थों के आधार पर दूध, चमड़ा, माँस आदि उद्योग स्थापित किए जाते हैं। शुष्क दूध, घी मक्खन, चमड़े की वस्तुएँ, गोशत, ऊनी वस्त्र आदि का निर्माण करते हैं।

2. **मिश्रित अर्थ व्यवस्था के रूप में पशुपालन**— कृषि कार्य में सहायक हेतु पशुओं का पालन-पोषण किया जाता है। जुताई, बुवाई, भारवाहक के रूप में पशु प्रयुक्त होते हैं तथा इनसे

माँस, खाल, दूध व ऊन जैसे पदार्थ भी सुलभ होते हैं।

शहडोल जिले में पशुओं वितरण एवं घनत्व:—शहडोल जिले में पाए जाने वाले मुख्य पशुओं में गौ वंशीय पशु, भैंस, भेड़ बकरियाँ, घोड़े एवं सुअर हैं। गौ वंशीय पशुओं को इस क्षेत्र में विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि गाय से दूध तथा हल चलाने के लिए बैलों की प्राप्ति होती है। संख्या की दृष्टि से भैंस वंशीय पशु दूसरे स्थान पर हैं इनका पालन पोषण दुग्ध प्राप्ति एवं भारवाहक पशु के रूप में किया जाता है। इनकी कुल संख्या 143291 है। बकरियों से दूध एवं माँस प्राप्त किया जाता है। बकरे-बकरियों की कुल संख्या 487871 है। इनके अतिरिक्त भेड़, घोड़े एवं सुअर का पालन भी किया जाता है, किन्तु संख्या की दृष्टि से इनका महत्व कम है।

गौ-वंशीय पशु—इस भू-भाग पर गो-वंशीय पशुओं की अधिकता पायी जाती है। गो-वंशीय पशुओं की कुल संख्या 601502 है। गो-वंशीय पशुओं की अधिकता से पाए जाने का मुख्य कारण क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था में कृषि की प्रधानता तथा कृषि कार्य का बैलों के ऊपर निर्भरता है। गाय का पालन इस क्षेत्र में दुग्ध तथा बैलों के लिए ही किया जाता है, इनके चमड़े का उपयोग धार्मिक दृष्टि से सर्वथा वर्जित है।

जिले में गौवंशीय पशु अधिक पाले जाते हैं। सोहागपुर एवं बुढ़ार विकासखण्ड में पशुओं की संख्या अधिक है। भैंस वंशीय पशु द्वितीय क्रम में स्थान रखते हैं। बकरे-बकरियाँ एवं सुअर पालने का चलन भी जिले में है।

भैंस वंशीय पशु-भैंसों का पालन दुग्ध प्राप्ति तथा भारवाहक पशुओं के रूप में किया जाता है। इनके चमड़े का भी उपयोग किया जाता है। शहडोल जिले में भैंसों की कुल जनसंख्या 143219 है। नर

भैंसों का उपयोग मुख्यतः हल चलाने एवं भार के लिए किया जाता है जबकि मादा भैंसे इसके अलावा दुग्ध के लिए भी उपयोग में लाई जाती है।

बकरे-बकरियाँ-

बकरियाँ दुग्ध, गोशत एवं चमड़े के लिए पाली जाती है एवं बकरे माँस के लिए पाले जाते हैं। इनका पालन प्रायः अहिर जाति के लोग करते हैं। शहडोल जिले में संख्या की दृष्टि से गोवंशीय पशुओं के बाद इनका द्वितीय स्थान है। इनकी

कुल संख्या 487871 है। अन्य पशुओं की अपेक्षा इनका अधिक होने के मुख्य कारण वन भूमि के प्रतिशत की अधिकता है।

भेड़-

भेड़ महत्वपूर्ण माँस एवं रोये प्रदान करने वाला जानवर है किन्तु शहडोल जिले में इनका पालन कम किया जाता है यहाँ भेड़ों की कुल संख्या 6370 है।

सारणी क्रमांक 5 शहडोल जिले में पशुपालन

| क्र | विकासखण्ड | गौ वंशीय | भैंस वंशीय | भेड़ | बकरे/बकरियाँ | घोड़े/घोड़ियाँ | सुअर |
|-----|-----------|----------|------------|------|--------------|----------------|------|
| 1. | सोहागपुर | 156151 | 40739 | 1178 | 37866 | 142 | 3399 |
| 2. | गोहपारू | 75048 | 22834 | 100 | 20115 | 48 | 1434 |
| 3. | जयसिंहनगर | 91453 | 26335 | 1523 | 72812 | 44 | 1180 |
| 4. | ब्यौहारी | 83767 | 15802 | 2337 | 340099 | 25 | 1303 |
| 5. | बुढ़ार | 95073 | 37581 | 1232 | 16979 | 111 | 1390 |

सुअर-

सुअर माँस एवं रोयों प्रदान करने वाला जानवर है, जिसे डोम जाति के लोग पालते हैं। इसके चर्बी से तेल भी प्राप्त किया जाता है। शहडोल जिले में सुअरों की कुल संख्या 8706 है।

यातायात एवं संचार :-

शहडोल जिले का उत्तर से दक्षिण मुख्य सड़क मार्ग जोड़ता है यह सड़क रीवा रियासत की है। दूसरा मुख्य मार्ग कटनी से गुमला राष्ट्रीय राज मार्ग भी जिले से होकर गुजरता है। मुख्य सड़क रीवा को अमरकंटक धार्मिक स्थल से जोड़ती है। महाराजा रीवा ने अपने शासन काल में इस

सड़क का निर्माण कराया था क्योंकि उनकी आखिरी चौकी पुष्पराजगढ़ थी, जहाँ वे आखेट करने आया करते थे। जिले में सड़को का विस्तार अनुपातिक रूप से कम है। पठारी, पहाड़ी क्षेत्र होने से सड़के खराब हो जाती है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़कयोजना द्वारा जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा गया है। सोहागपुर बेसिन में सड़क एवं रेल परिवहन के मुख्य साधन उपलब्ध है यहाँ कटनी से बिलासपुर और कटनी से सिंगरौली बाया ब्यौहारी और कटनी से चिरमिरी बाया शहडोल, अनूपपुर रेल लाइनें हैं। जिले के अन्दर बिलासपुर लाइन की लम्बाई 158 किलो मीटर, चिरमिरी लाइन की लम्बाई 50

किलोमीटर, सिंगरौली लाइन की लंबाई 120 किलोमीटर है।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि शहडोल जिले में गोवंशीय पशु सबसे अधिक पाले जाते हैं, इसके बाद भैंस वंशीय पशु तथा भेड़, बकरी व सुअर काफी कम संख्या में पाले जाते हैं। दूसरे पशुओं की संख्या में कमी का मूल कारण हिन्दू बाहुल्य जनसंख्या तथा उनमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार पशुओं का पालन करना है जैसे—सुअर पालन का कार्य डोम के अतिरिक्त किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण तथा कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप यहाँ गोवंशीय, भैंसे व बकरियाँ पाली जाती हैं। जिससे उनके आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से रहन-सहन में सुधार देखा गया है। वे अपनी जीविका ज्यादातर कृषि पर आधारित कार्यों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार की भावना का

विकास हुआ है। सामाजिक धारा से जुड़ने के लिए सरकारी योजनाएं मददगार हैं।

संदर्भ :

1. मिश्रा, उमाशंकर व तिवारी प्रभात कुमार : भारतीय आदिवासी, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ आकदमी लखनऊ, 1975
2. बघेल, डी.एस. : सामाजिक विघटन, पुष्पराज प्रकाशन, रीवा (म.प्र.)
3. दास, शिवतोष : भारत की जनजातियों, किताबघर नई दिल्ली, 1965
4. श्रीवास्तव, हरिश्चन्द्र : सामाजिक परिवर्तन, समाज शास्त्र प्रकाशन वाराणसी उत्तर प्रदेश, 1971
5. निगुणे, बसंत : बैगा, मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल
6. सिंचाई विभाग, शहडोल 2016
7. कृषि विभाग शहडोल मध्य प्रदेश वर्ष 2016।





प्राचीन कवि उनका साहित्य

(छतरपुर के संदर्भ में)

□ शगुप्ता फातमा*

शोध सारांश

आजादी के बाद हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा परिवर्तनकामी साठोत्तर युवा विद्रोह और आक्रोश का विस्फोट था। मानो कोई बंधा टूट गया हो। विद्रोह और आक्रोश कोई स्थाई भाव तो हैं नहीं, जो देर तक टिकते। हहराकर आए और फिर सहज हो गए। परंतु इससे नदी की धारा बदल गई। आसपास के भूगोल में परिवर्तन हो गया। न जाने कहां-कहां के, कैसे-कैसे कूड़े-कचरों से जमीन पट गई, तो साथ ही नई उपजाऊ मिट्टी भी आ गई। जिससे अग्रज ही नहीं, अग्रजों के अग्रज भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। समकालीन साहित्य (काव्य) में जो आज कई पीढ़ियां सक्रिय हैं, उसके मूल में साठोत्तर आंदोलन ही है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की अगर गहरे छानीबीन करें तो उसके मूल में भी इसे ही पाएंगे। उनके भावबोध और भाषा में जो संतुलन है, वह आक्रोश और विद्रोह के शमन की जमीन पर खड़ा है। उसी उपजाऊ जमीन पर स्वयं प्रकाश ने विविध और विभिन्न कहानियों की फसलें उगाई हैं। कथ्य की विविधता एवं भाषा की गतिशीलता के कारण उनका कहानीकार कर्मठ और जमीनी व्यक्तित्व से संपन्न नजर आता है लगता ही नहीं कि वे कहानी लिखते हैं। कहना मुश्किल है कि वे कहानी सुनाते हुए लिखते हैं या लिखते हुए सुनाते हैं, क्योंकि वह तो पढ़ते समय सुनाई और सुनते समय दिखाई देती है।

मुख्य शब्द—बुन्देली साहित्य, समकालीन व्यक्तित्व, विद्रोह, आक्रोश, भाषा, कहानीकार

प्रस्तावना

छतरपुर का नाम महाराज छत्रसाल से जुड़ा हुआ है। इस नगर की स्थापना को लेकर भिन्न मत व्यक्त किये जाते रहे हैं। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि इसका अस्तित्व महाराज छत्रसाल के समय

अथवा उसके बाद सामने आया। अतः छतरपुर नगर के किसी भी पक्ष पर विचार करें तो वे सूत्र इसके अभ्युदय से जुड़ते हैं। छतरपुर-नगर के प्राचीन कवियों का प्रारंभ भी महाराज छत्रसाल के समय से माना जा सकता है। भारतीय मनीषा मूलतः

* शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

आध्यात्मिकता से जुडती रही है। इस दृष्टि से यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सघन है। इसीलिए यहां के कवियों में धर्म, भक्ति, नीति अध्यात्म और सामाजिकता के स्वर प्रमुख हैं। इस क्षेत्र को शताब्दियों तक नाना प्रकार के संघर्ष करने पड़े हैं। पारस्परिक कलह से लेकर विदेशियों से लोहा लेने की घटनाओं का बाहुल्य है। स्वाभिमान यहां की प्रकृति में हैं प्राकृतिक सम्पदा और दरवारी वातावरण श्रंगारी रचनाओं को पल्लवित करते रहें। फलतः राष्ट्रीयता, ओज और श्रंगार की पर्याप्त रचनाएं हमें मिलती हैं।

समन्वयन यहां का स्वभाव है। यह समन्वय धर्म, समाज, जीवन सर्वत्र मिलेगा। एक ही रचनाकार राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, दुर्गा की स्तुति एक साथ करता दिखाई देता है, एक ही कवि में धर्म, श्रृंगार ओज के भाव तथा ब्रज, अवधी, बुन्देली का लालित्य मिलेगा। छतरपुर नगर का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। आवागमन और विकास के स्रोत साधनों से दूर होने के कारण वह एक ओर जहां अपनी प्राचीनतम परम्पराओं को जीवित रखे हुए है वहीं नवीनतम साधनों से जुडने के प्रयास में गतिशील था। इसीलिए यहां विकास की गति अभी भी मंद है। चूंकि इतिहास पुराना नहीं है इसलिए साहित्य की परम्परायें भी बहुत प्राचीन नहीं कही जा सकती।

यद्यपि इस क्षेत्र में रचनाकारों का अभाव इस क्षेत्र में भी नहीं रहा। समय के साथ मानवीय भावनाओं को स्वर प्रदान करने वाले संवेदनशील स्वच्छन्द रचनाकार सदैव विद्यमान रहे हैं। दीवान प्रतिपाल सिंह ने अपने बुन्देलखंड का इतिहास भाग एक में छतरपुर जिले के 45 रचनाकारों की सूची दी है। जिनका रचनाकार संवत् 1836 से लेकर संवत् 1964 के बीच है। बुन्देल वैभव, मिश्रबंधु-विनोद, सरोज-सर्वेक्षण तथा नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की खोज विवरणों में कई रचनाकारों के नामों का उल्लेख है। दीवान, प्रतिपाल सिंह चूंकि इसी क्षेत्र

के थे और उन्होंने मिश्रबंधु विनोद के साथ ही वब तक प्रकाशित सभी ग्रंथों का आधार लिया है, अतः उनकी दी हुई सूची को अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है। यद्यपि उनकी सूची में नाम तो हैं किन्तु कवियों के विवरण बहुत कम हैं। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने भी यही किया है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें भी सभी ग्रंथ देखने को मिले हों। इधर हुई खोजों से भी कई तथ्य असत्य अधूरे और भ्रमात्मक सिद्ध हो चुके हैं।

महाराज छत्रसाल को छतरपुर नगर का प्रथम कवि माना जा सकता है यद्यपि उनका जन्म संवत् 1706 में ककर ग्राम में हुआ था फिर भी उन्हें छतरपुर से किसी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। वे सफल वीर योद्धा, स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त सक्षम और उदार प्रशासक, विनम्र भक्त तथा संवेदनशील कवि थे। कवि की पालकी में अपना कंधा देकर उन्होंने जो रचनाकार के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है इतिहास का अप्रतिम पृष्ठ है। कलम और करवाल के धनी छत्रसाल ने अपनी रचनाओं में अपनी अर्न्तभावनाओं को बड़ी सहजता से व्यक्त किया है। योद्धा के रूप में एक ओर जहां वे दुष्टों और आतताइयों को मारने की बात करते हैं वहीं प्रशासक के रूप में जनता के पोषण के दायित्व को भी स्वीकार करते हैं। उनके भक्ति और नीतिपरक छन्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियां देखी जा सकती हैं—

चाहौ धन, धाम, भूमि भूषण, भलई भूरि,
सुजस सहरजुत रैयत को लालिमौ।
तोडादार घोडादार, वीरनि सो प्रीति कारि,
साहस सौ जीति जग खेत ते चालियो।
सालियो उर्दडन को, दंडिन कौ दीजौ दंड,
करिकै घमंड घाव दीन पै न घालियो।
बिन्ती छत्रसाल करे होय जो नरेश देस रैहे,
न कलेश लेस मेरो कह्यो मानियो।

उनके दरबार में अनेक रचनाकारों को आश्रय मिला हुआ था। छत्रसाल की दृष्टि रचनात्मक थी। तभी तो वे अपने गुरु स्वामी प्राणनाथ से आदर्श, नीति और भक्ति का मार्गदर्शन लेते थे और प्रजा का पोषण कर रचनाकारों को प्रात्साहित करते थे। वे कवियों को कीरति के बिरवा मानते थे **“कीरति के बिरवा कवि हैं इनको कबहू मुरझान न दीजै।”**

छत्रसाल श्याम-श्चाम के भक्त थे लेकिन उनके मन में किन्ही देवी देवताओं के प्रति भाव नहीं था। यदि विचार कर देखा जाये तो छत्रसाल को बेहद कठिनाईयों, विषमताओं तथा विखरावों का युग था। छत्रसाल ने अपनी प्रतिभा से समाज शासन, स्वभाव और रचना को व्यापक परिवेश से जोड़कर उसे सुनिश्चित दिशा प्रदान की। व्यक्ति को समाज और राष्ट्र से जोड़ने का प्रयास किया ब्रजभाषा के लिखे उनके विभिन्न छंद साहित्य की अमूल्य निधि हैं। वियोगी हरि ने उनकी रचनाओं को ब्रजभाषा को प्रेम, भक्ति और राष्ट्रीयता की आदर्श रचनाएं माना है। मध्यकालीन भक्तिकाव्य की यह आदर्शवादी रचना धारा हमें छतरपुर में आज तक बराबर मिलती है।

इसी कड़ी में श्री जगन्नाथ छतरपुर के दूसरे प्रमुख प्राचीन कवि हैं जिन्होंने संवत् 1845 में कृष्णायन काव्य की रचना की थी। जगन्नाथ के पिता का नाम जुगलदास था। इन्होंने अपने आपको रिछारिया ब्राम्हण बताया है। इनका जन्म लगभग संवत् 1820 के आस पास अनुमानित है। इनकी कई रचना बताई जाती हैं किन्तु प्रमुख रचना कृष्णायन काव्य है जो 169 पन्नों तथा 2028 श्लोकों में आबद्ध है। ग्रंथ को सात खंडों में विभाजित किया जाता है।

1- बालकांड 2-वृन्दावन कांड, 3- रहसकांड, 4-मथुराकांड, 5-द्वारिका कांड, 6- उषा अनिरुद्ध कांड, 7-तीर्थ कांड। इसमें दोहा चौपाई, सोरठा

छंदों का प्रयोग है। भाषा सरल, प्रवाहमयी एवं हृदयग्राही है। ग्रंथ श्रीमद्भागवत पर आधारित है। श्री जगन्नाथ कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने शिवदास के नाम से भी रचनाएं की हैं। ग्रंथ की इन पंक्तियों में कवि ने अपना एवं ग्रंथ का थोड़ा परिचय दिया है-

दुज संतन के हेतु कृष्णायन भाषी करी।
हरि भगता हरि धामे आवै। तिनके सर्व दाससिव पावै।

बाल बिन्दावन रहस लौ, मथुरा करौ बखान।

द्वारका उष्मा तीर्थ है, सात कांड ये जान।

दुज रिछारिया सेव जू, कौंसिक बखान।

कृष्णाइन भाषा करी, लिखी प्रीत उर आन।

नग छतपुर आंत संषषानी। निसदिन आमर वर्षत आनी।
जुगल किशोर निकट मम बासा। सर्न सर्न पैरे निज आसा।
विप्र चर्न निकवासक ध्याउ। तिनको मैं निज दास कहाउ।
नृप पूछै सुष को इक बाता। तुम हरि कथा कहौ दिन राता।
कृष्णाइन सुष अभूत बानी। पियतम ऋषा अभै पद दानी।

दीवान प्रविपाल सिंह ने अपनी पुस्तक में जो सूची दी है उसमें जगन्नाथ को कायस्थ बताया गया है। इन्हें कृष्णायन का रचयिता कहा गया है जिसकी रचना सं. 1845 में की गई थी। जहां तक के रचयिता जगन्नाथ ब्राम्हण (दुज रिछारिया) थे। कायस्थ नहीं। दीवान सा. की छतरपुर की सूची में दो जगन्नाथ है। दोनों कायस्थ हैं। सूची पहले क्रम 278 है और दूसरे 297 हैं। पहले का रचनाकाल संवत् 1845 अंकित है और दूसरे का संवत् 1840। दूसरे जगन्नाथ कायस्थ को स्फुट गद्य लेखक और छतरपुर का हैड अकाउन्टेन्ट बताया गया है। स्पष्ट है कृष्णायन के रचयिता प्रथम जगन्नाथ हैं। और उनका सम्पर्क राजदरवार से भी था। तभी तो लिखा है नृप पूछै सुष को हक बाता। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगन्नाथ एक ही हैं। भूल से दो जगह नाम आये हों। परन्तु इतना निश्चित है कि कृष्णायन के रचयिता जगन्नाथ ब्राम्हण थे। जगन्नाथ कायस्थ नहीं। नागरी प्रचारणी सभा के विवरण में इसे विस्तारी से प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सूची त्रुटिपूर्ण भले हो और जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि जिले की सूची पर्याप्त बड़ी है इतना अवश्य है कि इससे छतरपुर के साहित्यिक योगदान की एक झलक मिलती है और शोध की नई दिशाओं का भी बोध होता है। इनमें से कई नामों का उल्लेख वियोगीहरि जी ने अपनी पुस्तक में किया है। महाराज विश्वनाथ सिंह जी का राज्यकाल साहित्य और साहित्यिक उत्थान की दृष्टि से छतरपुर का सर्वोत्तम और स्वर्णकाल कहा जा सकता है। उन्होंने देश के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विद्वानों को छतरपुर आमंत्रित कर सम्मानित और पुरस्कृत किया। सभी विषयों के उत्तम ग्रंथों को खरीद कर महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की प्रतिलिपि करवा कर एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जो किसी समय बहुत मूल्यवान मानी जाती थी। आज भी पुराने विद्वान उसकी याद करते हैं। उसी सद्भावना का परिणाम है कि इस नगर को पंडित श्याम बिहारी व पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र, बाबू गुलाबराय जैसे समर्थ विद्वानों का सानिध्य मिला वे छतरपुर राज्य के दीवान थे। मिश्र बंधुओं द्वारा तैयार किया गया हजारों रचनाकारों का परिचय ग्रंथ मिश्रबंध विनोद के नाम से हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठित और प्रख्यात है। उसे साहित्येतिहास का आधार ग्रन्थ माना जाता है। बाबू गुलाबराय हिन्दी के श्रेष्ठतम निबंधकारों, समीक्षकों, सम्पादकों, लेखकों में गिने जाते हैं। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले हिन्दी के पाठ्यक्रमों के लिये प्रारम्भ में जिन लोगों ने उच्च कक्षाओं के लिये ग्रन्थों की रचना की उनमें एक नाम बाबू गुलाबराय का भी है। वे यहां कई वर्षों तक रह कर साहित्य साधना करते रहे। जिस प्रकार पं. बनारसी दास चतुर्वेदी आजीवन टीकमगढ़ (कुंडेश्वर) और महाराज वीरसिंह देव की याद करते रहे, उसी प्रकार बाबू गुलाबराय भी जीवन भर छतरपुर और महाराज विखनाथ प्रतापसिंह जी के प्रति कृतज्ञ रहे।

गुलाबराय जी ने 60 से अधिक ग्रंथों की रचना की। वे महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उनके बारे में वियोगी जी ने लिखा है कि—हिन्दी साहित्य के सुपरिचित विद्वान बाबू गुलाब राय उन दिनों महाराज साहिब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। महाराज को विद्या का बड़ा व्यसन था। पूर्वी व पश्चिमी दर्शन शास्त्रों के स्वयं अच्छे ज्ञाता थे। गुलाब राय जी और बाबू भोलानाथ जी के साथ एक दो घंटे शास्त्र चर्चा होती थी।

लाला भगवानदीन 'दीन' इसी नगर की विभूति थे। महाराज हाईस्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुये अपनी प्रतिभा से वे बनारस पहुंचे और नागरी प्रचारिणी सभा तथा बनारस विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की उन्होंने महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय सेवा की। समीक्षक सम्पादक और प्राध्यापक के रूप में उनका उल्लेखनीय योगदान है। केशव ग्रंथावली का सम्पादन कर बुन्देलखंड के इस महान कवि को उन्होंने सर्वसुलभ, सर्व सहज बनाकर तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जुड़वाया। इसके पूर्व केशव उपेक्षित थे। लाला भगवानदीन दीन, बाबू श्यामसुन्दर दास, पंडित रामचंद्र शुक्ल आदि के साथी थे। बुन्देलवाला इनकी पत्नी थी जिनकी स्फुट कविताएं मिलती हैं। वे भी छतरपुर में थीं।

लाला भगवानदीन 'दीन'; वियोगी जी ने अपनी पुस्तक 'मेरा जीवन प्रवाह' में उनका उल्लेख इस प्रकार किया है—'उन दिनों' हिन्दी के प्रख्यात साहित्यिक लाला भगवानदीन सेकेण्ड मास्टर थे। अंग्रजी की पहली पौथी लाल जी से मैंने उनके घर पर पढ़ी थी। लाला जी के काशी चले जाने के बाद उनके यह शिष्य बाबू गोविन्द दास सेकेण्ड मास्टर बना दिये गये थे। वियोगी जी जैसे महान साहित्यकार को प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले दीन जी शीर्ष विद्वानों में से थे। उनके द्वारा लिखे एवं सम्पादित किये गये ग्रंथों की संख्या दर्जनों में है।

पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र लाला भगवानदीन दीन, बाबूगुलाब राय जी आदि से जहां छतरपुर नगर को प्रतिष्ठा मिली वहीं वियोगी हरि जी जैसे प्रख्यात लेखक संत को जन्म देकर छतरपुर की बसुंधरा सचमुच धन्य हो गयी। इसी छतरपुर नगर में संवत् 1952 (1965 ई.) की रामनवमी को एक ब्राम्हण परिवार में जन्म हुआ। 6 साल की अवस्था में इन्हें पिता जी छत्रछाया से वंचित होना पड़ा। नाना पं. अच्छेलाल तिवारी ने उनका लालन-पालन किया। हाई स्कूल तक यहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। संवत् 1918 में इलाहाबाद में नाना की मृत्यु के बाद इन्हें स्वयं परिवार का दायित्व निभाना पड़ा और उसी सिलसिले में वे सन् 1918 में इलाहाबाद पहुंच गये। कविता लिखने, साहित्य पढ़ने और उस पर चर्चा करने के शौक इन्हें बचपन से था। उनकी सबसे पहली रचना 'प्रेम पथिक' प्रेम मंदिर से प्रकाशित हुई थी।

वियोगी जी इलाहाबाद, पन्ना, दिल्ली, वर्धा आदि कई स्थानों पर रहे किन्तु उन्होंने अपने लक्ष्य की कभी अनदेखी नहीं की। सात्विक उदार जीवन साहित्य स्वभाव और राष्ट्रोत्थान में योगदान दलितों-अछूतों उपेक्षितों की सेवा, गांधी जी के सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन और साहित्य सृजन। उन्होंने कई पत्रिकाओं का सम्पादन किया। कितनी ही सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक संस्थाओं का दायित्व संभाला। अनेक रचनाकारों, समाजसेवकों को प्रेरित प्रोत्साहित किया।

व्यक्ति अपनी साधना से निर्मल रहकर अपना कितना व्यापक विस्तार कर सकता है। इसके जीवंत उदाहरण वियोगी जी थे। छतरपुर जैसी छोटी नगरी में जन्म लेकर राष्ट्रगगन पर वे छा गये- अपनी रचना, सर्जना, सेवा और समर्पण से। मन, वाणी, कर्म की एकता उनमें थी। गांधी बनोबा, बापा और वियोगी जी एक ही श्रृंखला के पाये माने जा सकते हैं। छतरपुर के प्रति उनके मन में गहरा

अनुराग था। बचपन की चीजें, स्थान और चित्रा को वे कभी नहीं भूले। छतरपुर का उन्होंने बड़ी आत्मीयता से विस्तार से चित्रण अपनी पुस्तक मेरा जीवन प्रवाह में किया है। ऐसा विस्मृत जीवन, ऐसा अनुराग, ऐसी निश्छला संतों में ही मिलती है। हरिजन सेवा संघ के माध्यम से की गयी उनकी सेवाएं असाधारण हैं। आजीवन अविवाहित रहकर सम्पूर्ण राष्ट्र को अपना घर-परिवार माना।

प्रेमपथिक, प्रेमांजलि, कविकीर्तन, वीरसतसई, अनुराग वाटिका, मंदिर प्रवेश प्रबुद्ध यामुन, आदि उनकी काव्य सी प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य और पद्य में वे समान भाव और समान अधिकार से आजीवन लिखते रहे। काव्य में वे ब्रजभाषा के प्रेमी थे विनम्रता ऐसी कि वे अपने बारे में लिखते हैं- कविताएं अधिक नहीं लिखीं। यद्यपि सहृदय मित्रों ने मेरी गणना सदैव कवियों में की थी। कविता तो थी, पर अपने को कभी कवि कहाने की घृष्टता नहीं की। ऐसा कुछ लिखा भी नहीं, जिसमें कोई खास तत्व हो।

वियोगी जी ने पद्य से अधिक गद्य लिखा। लेखों सम्पादकीयों, व्याख्यानों, भाषणों के रूप में दिया गया उनका गद्य परिभाषण में बहुत अधिक और विचारों में गंभीर है। हरिजनों के प्रति चेतना जागृत करने का उनका अभियान अद्भुत और साहसिक रहा है। सन् 1966 के बाद हृदिजी ने कविताएं लिखना छोड़कर पूरी शक्ति हरिजनों के कार्य में लगा दी। हरि जी ने 'सूरसागर' से लेकर अनेक छोटे बड़े ग्रन्थों का सम्पादन किया। साहित्यविहार, अन्तर्नाद, भावना, प्रार्थना, ठंडे छींटे, गद्य काव्य की रचनाएं हैं। यहां कुछ रचनाओं का उल्लेख मात्र ही किया गया। विवेचनाओं का स्थान नहीं है। वियोगी जी का सन् 1988 में 93 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने अपना मूल नाम (हरिप्रसाद) स्थान (छतरपुर) मूल जाति (ब्राम्हण) का त्याग कर राष्ट्र के प्रति समर्पित

रहकर हरिजनों की सेवा करते हुये वियोगी हरि नाम को जाना।

गंगाधर व्यास इस नगर की गौरवपूर्ण साहित्यिक विभूति है जिन्होंने लोक साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया और जन-जन तक पहुंचाया। लाला भगवानदीन व वियोगी जी जैसे विद्वान इनके प्रारम्भिक शिष्य थे। उनके संबंध में वियोगी जी ने जो लिखा वह उनके परिचय के लिये पर्याप्त है। वियोगी जी लिखते हैं—छतरपुर में पुरानी परम्परा के एक अच्छे नामी कवि थे। उनका नाम था गंगाधर व्यास। अपने शिष्यों में वे ददा के नाम से प्रसिद्ध थे। काव्य मर्मज्ञ लाला भगवान दीन इन्हीं व्यास जी के शिष्य थे। लाला जी ने इनसे आचार्य बलभद्र का “नखशिख” पढ़ा था। व्यास जी आशु कवि थे। कैसी ही कवि समस्या हो तुरन्त इसकी पूर्ति कर देते थे। काव्य शास्त्रके अंगों का इन्हें अच्छा ज्ञान था। लोक प्रसिद्धि में ईसुरी कवि के बाद बुन्देलखण्ड में गंगाधर व्यास का ही नाम है। इनकी हजारों फागों और सैर ख्याल लोक कंटों में प्रचलित हैं। कुछ संकलित किन्तु अप्रकाशित हैं। ईसुरी और व्यास जी की जोड़ी बुन्देली लोक साहित्य का श्रृंगार है। इनके अलावा कन्हैयालाल शुक्ल, मनभावन शुक्ल, राजाराम शुक्ल, रामनाथ गुप्त आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला रचनाकारों में जुगलप्रिया, काँचन-कुँवरि, कँवल कुँवरि, ने इस क्षेत्र को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाई।

साहित्य की इस धारा को अक्षुण्य रखने में कितने ही साधकों का योगदान है। कुछ से हम परिचित हो पाते हैं और बहुत से अपरिचित रह जाते हैं। अपरिचय रचनाकार की अक्षमता का नहीं अपितु आकलन कर्ताओं की अज्ञानता का कारण है। मेरी सीमाएं हैं। मैंने दिवंगत और पुराने उन रचनाकारों की चर्चा की जिनके सूत्र कहीं से प्राप्त हो सके। अधिकांश की कृतियां मैंने स्वयं नहीं देखीं।

कहने की जरूरत नहीं कि स्वयं प्रकाश की कथा शैली में लोक जीवन की रंगत है। दृष्टि की स्पष्टता और लक्ष्य की एकाग्रता के कारण उनकी भाषा और कथा योजना में कोई उलझाव नहीं होता। द्वंद्व कोई भी कहानी निर्द्वंद्व नहीं होती। विरुद्धों की एकता निर्द्वंद्व कैसे हो सकती है। वे केवल ओर से ही नहीं, छोर से भी देखते हैं इसमें भी द्वंद्व बनता है उनकी यही सक्रियता भाषा को सक्रिय करती है, जिससे पाठक भी सक्रिय होता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. आजकल मासिक पत्रिका—2017
2. राष्ट्रगौरव – छतरपुर दर्शन स्मारिका : बुंदेल खण्ड केसरी छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट छतरपुर (म.प्र.) वर्ष 1993,
3. रामचरण हरयाण मिश्र – बुन्देलखण्ड की संस्कृति और साहित्य
4. नर्मदा प्रसाद गुप्ता – बुंदेलखण्ड की लोकसंस्कृति का इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली





शासन की जवाबदेही में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उपयोगिता

□ डॉ. गायत्री मिश्रा*

□ राजेन्द्र कुमार साकेत**

शोध सारांश

सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो विभिन्न अधिकारों तथा दायित्वों से अस्तित्व में आता है। हर व्यक्ति का सरकार –बल्कि कुछ मामलों में निजी संस्थाओं तक— से सूचनाएँ मांगने का निवेदन करने का अधिकार, सरकार का निवेदित सूचनाओं का उपलब्ध कराने का कर्तव्य, बशर्ते उन सूचनाओं को सार्वजनिक न करने वाली सूचनाओं की श्रेणी में न रखा गया हो; और नागरिकों द्वारा निवेदन किये बिना ही सामान्य जनहित की सूचनाओं को स्वयं अपनी पहल पर सार्वजनिक करने का सरकार का कर्तव्य है। भारतीय संविधान विशिष्ट रूप से सूचना के अधिकार का उल्लेख नहीं करता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने काफी पहले इसे एक ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी थी जो लोकतांत्रिक कार्य संचालन के लिये जरूरी है। विशिष्ट रूप से कहें तो सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)ए(ए) द्वारा गारंटी प्राप्त बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभिन्न अंग और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी प्राप्त जीवन के अधिकार के एक आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है।

सूचना तक पहुंच बनाने का अधिकार वस्तुतः इस तथ्य को दर्शाता है कि सूचनाएँ जनता की धरोहर होती हैं, न कि उस सरकारी संस्था की जिसके पास ये मौजूद होती हैं। सूचना पर किसी विभाग या तत्कालीन सरकार का 'स्वामित्व' नहीं होता। सूचनाओं का जन सेवकों द्वारा जनता के पैसे से एकत्रित किया जाता है, उनके लिये सार्वजनिक कोष से पैसा अदा किया जाता है और उन्हें जनता के लिये उनकी धरोहर के रूप में संभाल कर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि आपको सरकारी कार्रवाइयों, निर्णयों, नीतियों, निर्णय प्रक्रियाओं और चर्चा तक कि कुछ

* प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शास. ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

** शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, शास. ठा.र.सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

मामलों में निजी संस्थानों व व्यक्तियों के पास उपलब्ध सूचनाएं मांगने/पाने का अधिकार है। सूचना का अधिकाकार एक असीम अधिकार नहीं है। जहां सूचनाओं को उपलब्ध कराए जाने क से जनहित को नुकसान पहुंच सकता है, वहां कुछ सूचनाओं को गुप्त रखा जा सकता है उदाहरण के लिये, युद्ध के दौर सैनिकों की तैनाती या आने वाले साल में कर की दरों में बढ़ोतरी या कटोती से सम्बन्धित जानकारी तब तक नहीं बतायी जानी चाहिए जब तक ऐसे खुलासे का फायदा गलत तत्वों को होने की अधिक सम्भावना रहे।

मुख्य शब्द :-सूचना अधिकार

प्रस्तावना :-

सूचना तक पहुंच बनाने का अधिकार वस्तुतः इस तथ्य को दर्शाता है कि सूचनाएं जनता की धरोहर होती हैं, न कि उस सरकारी संस्था की जिसके पास ये मौजूद होती हैं। सूचना पर किसी विभाग या तत्कालीन सरकार का 'सवामित्व' नहीं होता। सूचनाओं को जन सेवकों द्वारा जनता के पैसे से एकत्रित किया जाता है, उनके लिये सार्वजनिक कोष से पैसा अदा किया जाता है और उन्हें जनता के लिये उनकी धरोहर सके रूप में संभाल कर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि आपको सरकारी कार्रवाइयों, निर्णयों, नीतियों, निर्णय प्रक्रियाओं और यहाँ तक कि कुछ मामलों में निजी संस्थानों व व्यक्तियों के पास उपलब्ध सूचनाएं मांगने/पाने का अधिकार है। सूचना का अधिकार एक असीम सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुए 6 वर्ष बीत गये है। इस अवधि में पूरे देश में इस कानून का व्यापक प्रयोग हुआ है। अकेले मध्यप्रदेश में एक लाख से अधिक लोगों ने कानून का लाभ उठाते हुए जटिल और प्रायः अनुत्तरदायी शासन तंत्र से सूचना के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं। इनमें से लगभग 7500 लोगों ने राज्य सूचना आयोग में वांछित सूचना न मिलने पर अपील दायर की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि

लगभग 78 प्रतिशत आवेदन कर्तव्यों को बगैर राज्य सूचना आयोग में अपील किये ही सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस देश में अभी तक शायद ही कोई ऐसा कानून बना है जिसने इतने बड़े पैमाने पर जन मानस में आशा व जिज्ञासा पैदा की हो। इसका मुख्य कारण सूचना का अधिकार कानून का सरल और सुगम होना है। इसके प्रयोग की प्रक्रिया बहुत सरल और सस्ती है। इसके प्रावधान जन साधारणों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देते हुए लोक प्राधिकारियों को सूचना देने के लिए बाध्य करते हैं। इस तरह यह पहला कानून है जिसकी धारयें अधिकारियों के विपरीत सूचना मांगने वाले नागरिकों का संरक्षण करती है। इसका न्यायालय 'सूचना आयोग' भी स्वतः सूचना याची को वांछित सूचनायें सुगम हो जायें। वर्षों से उपेक्षित और असहाय नागरिकों को अचानक एक सशक्त हथियार मिलने से जनसाधारण के मन में उम्मीद की एक किरण जागी है।

इतना उपयोगी और सार्थक होने के बावजूद भी सूचना का अधिकार कानून कर अभी तक व्यापक जन हित में बहुत कम प्रयोग हुआ है। अब तक के आंकलन से पता चला है कि इस कानून का सबसे अधिक प्रयोग जागरूक व्यक्तियों व राजकीय कर्मियों द्वारा अपने व्यक्तिगत मसलों के

निस्तारण के लिये किया गया है। यद्यपि सरकारी संस्थाओं में व्याप्त अनियमितताओं से प्रभावित व्यक्तियों व कर्मियों द्वारा सूचना का अधिकार कानून का सहारा लेना अपेक्षित ही नहीं अपितु उचित भी है तथापि इस तथ्य को कतई नहीं भुलाया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार कानून की मूल भावना में व्यापक जनहित निहित है। ऐसे बहुत कम लोग व संगठन हैं जो मुख्यतः जनहित से प्रेरित होकर इस कानून का प्रयोग करते हैं। यह एक बहुत बड़ी कमी है जिससे सूचना के अधिकार का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया है।

अधिनियम के कार्यान्वयन की दूसरी कमजोरी जनसाधारण में इसके प्रयोग के प्रति जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी है। मध्यप्रदेश में जहां विभागीय अधिकारियों को सूचना के अधिकार की चुनौतियों से निपटने के लिए संघन प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं आम जनता को अधिनियम के विभिन्न पहलुओं व प्रावधानों को और इसका सही रूप में कैसे प्रयोग करें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वह भी तब जबकि अधिनियम की धारा 2(1) (क) व (ख) में यह स्पष्ट कहा गया है कि समुचित सरकार अपने से संसाधनों की सीमा में नागरिकों को सूचना के अधिकार का उचित तरीके से प्रयोग करने के लिए विभिन्न लोक प्राधिकारियों के माध्यम से शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगी। जब-जब इस प्रावधान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया तो उच्च अधिकारियों ने दलील दी कि जनशिक्षण का कार्य तो गैर सरकारी समाज सेवी संस्थाओं का है सरकार का नहीं। जहां कहीं जिस स्तर पर समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित भी किये गये तो वे प्रायः उपस्थित दर्ज कर महज औपचारिकता पूरी करने तक सीमित

रहे, फलस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों से सम्बंधित लोक प्राधिकारियों, समाजसेवी संगठनों व आम नागरिकों के द्वारा सूचना प्रकट करने की प्रक्रिया में प्रायः भ्रम व द्वन्द्व उत्पन्न होता है जिससे अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में अनावश्यक शिथिलता व जटिलता पैदा होती है।

कई समाज सेवी संगठनों ने राज्य सूचना आयोग की पहल पर गम्भीरता पूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। इन आयोजनों से कुछ हद तक आम जनता में सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा हुई। लेकिन इन कार्यक्रमों में लोक प्राधिकारियों की भागीदारी सीमित रहने से यह चेतना आशा और जिज्ञासा तक ही सीमित रह गई। अभी तक भी अधिकांश लोगों को यह विश्वास नहीं बन पाया है कि इस अधिकार का प्रयोग करने से उन्हें वांछित सूचना सुगम हो जायेगी। दूसरी ओर लोक प्राधिकारी भी सूचना के अनुरोध पत्र को सहज भाव से न लेते हुए शक की निगाह से देखते हैं। उनको लगता है कि कोई बाहरी व्यक्ति जिसका उनसे और उनके कार्यों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है उन पर उंगली उठा रहा है। क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था। इसलिए वे सामाजिक रूप से इसे अपनी स्वच्छन्दता पर अनावश्यक हस्तक्षेप समझते हैं। इससे प्रायः सूचना के आदान-प्रदान में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है।

इन कठिनाईयों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है यदि सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना के अनुकूल व्यापक जनहित में ही प्रयोग किया जाय। इससे लोक प्राधिकारियों के मन में शंका पैदा नहीं होगी और यदि शंका होगी भी तो कटुता उत्पन्न नहीं होगी।

गैर सरकारी समाज सेवी संगठनों की भी कुछ सीमायें हैं। अधिकांश समाज सेवी संगठन सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन

में भागीदार हैं। वे या तो सरकार द्वारा सुलभ सेवा को जनता तक पहुंचाने के काम में लगे हैं अथवा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। इस सहयोग के लिए समाज सेवी संगठनों को सरकारी विभागों से अनुदान मिलता है। अनुदान सरकारी स्त्रोत से प्राप्त होने से समाज सेवी संगठन भी लोक प्राधिकारियों की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे गैर सरकारी संगठनों पर भी सूचना का अधिकार कानून लागू होता है वे इसके इस प्रभाव से बचना चाहते हैं। इसलिए रचनात्मक कार्यों में संलग्न गैर सरकारी संगठन यह नहीं चाहते कि उनके क्रियाकलापों में सूचना के अधिकार का व्यवधान उत्पन्न हो। इसलिए गैर सरकारी समाजसेवी संगठन को भी सूचना के अधिकार कानून के प्रचार प्रसार में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते जितनी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। इन परिस्थितियों में जनसाधारण को सूचना के अधिकार की जानकारी देने और उसके प्रयोग के लिए प्रेरित करने का दायित्व नगर समाज के उन व्यक्तियों व संगठनों का हो जाता है जो स्वैच्छिक रूप से स्वतः स्फूर्त सूचना का अधिकार कानून का विशुद्ध रूप से जनहित में प्रयोग करने में जुटे हैं। सौभाग्य से ऐसे व्यक्तियों व संगठनों की कमी नहीं है जो अपने सीमित साधनों का जनहित में सूचना का अधिकार के प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिये कर रहे हैं। आवश्यकता यह है कि ऐसे सब लोगों को चिन्हित कर प्रदेश स्तर पर सूचना के अधिकार के प्रयोगकर्ताओं का एक महासंघ बनाया जाय जिससे इस मुहिम में संलग्न सभी लोग अपने-अपने क्षेत्रों व दायरों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता कर सकें। आर0टी0आई0 क्लब इस उद्देश्य के लिये एक उपयुक्त मंच बन सकता है। आने वाले दिनों में हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

आज देश के अधिकांश नागरिकों को इतिहास के ज्ञान से यह तो पता है कि हम शकों/हुणों, गुलाम वंश के गुलामों से लेकर मुगलों, पुर्तगालियों या अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। बाकि हमें पता था कि हम किसके गुलाम हैं। पता था तो हमने उनके विरुद्ध संघर्ष कर विजय पायी। आजादी के बाद हम ऐसे शत्रु के गुलाम बने जो न गोरा न विदेशी। न उसकी जाति है न धर्म है। जो अकेला है परन्तु अनेक रूप और रंग में आक्टोपस की तरह अपने भुजाओं में देश और समाज के हर अंग को जकड़ रखा है भ्रष्टाचार रूपी इस शत्रु से लड़ना इतना आसान नहीं है। यह धन, सत्ता, पद प्रतिष्ठा और अय्यासी के रूप में सदियों से एक दूसरों को ही नहीं लड़ाता आ रहा है बल्कि अपने अपनों को ही लड़ता आ रहा है और आदमी के नैतिक चरित्र का नाश करके उसे भ्रष्ट और राष्ट्रद्रोही तक बनाता आ रहा है। नतीजा सामने है समाचार पत्रों में, तथा टी0वी0 न्यूज चैनलों पर लूट, बलात्कार, धोखाधड़ी, हाय-हाय, मुर्दाबाद के दृश्य इसी भ्रष्टाचार के कारण है। कमजोर इच्छाशक्ति वाले विरोधी को यह आपस में ही लड़ा देता है। उदाहरण सामने है सरकार कहती है कि हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा कानून बनाना चाहिए फिर भी इसके विरुद्ध कड़ा कानून बनाने के नाम पर आपस में खींचातानी हो रही है। सरकार की इच्छाशक्ति कमजोर है इसलिए मतभेद जारी है। भ्रष्टाचार भी जारी है। देश में कानून का राज है यह भ्रष्टाचार आजाद है। देश आजाद है पर भ्रष्टाचार का गुलाम है।

पिछली कुछ पंक्तियों में प्रसंग, लोकनायक जय प्रकाश नारायण के जनआंदोलन का आया है यह बताने के लिये कि लोकनायक जय प्रकाश नारायण के आंदोलन की पृष्ठभूमि भी देशव्यापी आपातकाल में नागरिक अधिकारों की 'स्वतन्त्रता का हनन' जो हर व्यक्ति के लिए असहय था तथा साथ में था पुलिस का निरंकुश दमन। जो उसकी

भेंट चढ़ गया जेलों में सड़ा और जो बाहर रहे वे भयभीत थे। इस जनआकोश का परिणाम चुनावों ने दिया और लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटने वाली सरकार को जाना पड़ा।

आज परिदृश्य बदला हुआ है। लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। काला धन भी भ्रष्टाचार के कारण ही पैदा होता है हम यह जानते हैं परन्तु इस भ्रष्टाचार से लड़ना इसलिये आसान नहीं है कि यह प्रत्यक्ष रूप से न किसी राजनैतिक दल विशेष से सम्बन्धित है, न किसी व्यक्ति विशेष से, न किसी खास नेता, नौकरशाह, आम आदमी, जाति या धर्म से सम्बन्धित है सत्ता का सुख भोग चुकी या भोग रहा है कोई राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जिसके कुछ न कुछ जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप न हो (यदि कोई अपवाद हो मुझे संज्ञान नहीं है) कार्यपालिका के लगभग हर विभाग में इसकी पैठ है। न्यायपालिका जैसे गरिमामय लोकतन्त्र के तीसरे स्तम्भ पर भी पड़े हुए इसके काले साये के उदाहरण मैजूद हैं और लोकतन्त्र के तथाकथित चौथे प्रहरी लगे इसके दाग के बारे में बताया ही जा चुका है।

आजादी के बाद के शुरुआती दौर में भ्रष्टाचार के इने गिने मामले सुखिर्यों में आये तो बड़े-बड़े बाधों व पुलों के निर्माण से लेकर तेल अनाज, सीमेंट और राशन के कोटे में 'लाइसेंसी राज' तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में धीरे-धीरे भ्रष्टाचार पनपने लगा। कड़े कानूनी प्रावधान न होने के कारण तथा सरकार और तन्त्र की जनता के हर पहलू को प्रभावित करने व पीड़ित करने वाले इस भ्रष्टाचार से अधिकतर 'लोक' पीड़ित हैं तो इस अवस्था का लाभ उठाने वाले मुट्ठी भर लोगों के साथ वे लोग भी शामिल हैं जो इस आशा में जी रहें हैं कि भ्रष्टाचार के इस महानद से निकलकर कोई धारा उनके जीवन को ही हरा भरा कर देगी। इसलिए वे भी इस अंधी दौड़ में शामिल

है। वर्तमान में इस देश को सर्वोच्च न्यायपालिका की न्यायिका सक्रियता यदा कदा इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करती दिखायी देती है परन्तु उसका कार्य कानून का पालन कराना है, कानून बनाना नहीं है इसलिये उसके सार्थक प्रयासों की भी सीमा है।

'भ्रष्टाचार' का जो भयावह रूप आज लोक के सामने आया है, जिसे देखकर आम आदमी की आंखों और मुंह हैरानी से फटे रह जाते हैं वह केवल लोक जागरूकता, सरकार की नेनीयत, अन्ना या बाबा के जन आंदोलनों के शुभारम्भ से ही सामने नहीं आया है, बल्कि उसके मूल में आजादी के 56 वर्ष बाद बने और 'लोक' को मिले सबसे प्रभावी कानून 'सूचना के अधिकार' का बहुत बड़ा योगदान है जिसने एक आम आदमी को भी यह अधिकार दे दिया था कि वह अपने तन्त्र से उसकी जवाब देही कर सके और उससे कुछ सवालियों के जवाब पा सके जिसके कारण उसके लोकप्रधिकारियों व सरकार के कार्यों में पारदर्शिता जैसी कल्पना साकार हुई। यह 'जानने का अधिकार' कानून ही है जिसके कारण भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिये प्रमाणिक लक्ष्यों का मिलना संभव हो सका, जिनके बिना हम किसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आरोप लगाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

यद्यपि अनेक कानूनों की तरह इस कानून में भी सुधार की बहुत संभावना व आपेक्षाएं हैं जिनका समावेश आने वाले समय के साथ रहेगा साथ ही और आम नागरिकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए सूचना का अधिकार के आधार पर अपनी समस्याओं को निराकृत करने का प्रयास होगा।

इसी संदर्भ में देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था में कई बहुत बड़ी खामियां हैं। नागरिक उड्डयन पर सुरक्षा ब्यूरो ने जब दिल्ली व पुणे के देश के दो व्यस्त हवाई अड्डों पर सुरक्षा अीयास

किया, तो इसमें कोई खामियां मिलीं। इस सुरक्षा आयास में लगे ब्यूरो के लोग सुरक्षा के सभी चक्रों को पार करते हुए बम को अंदर ले जाने में कामयाब रहे। और अगले ही दिन पता चला कि सुरक्षा व्यवस्था की ये खामियां सिर्फ हवाई अड्डों तक नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के भीतर घातक विस्फोटक पड़ईएनटी का बरामद होना बताता है कि सुरक्षा को लेकर हमें कितना गंभीर होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन में जो हुआ, वह कोई सुरक्षा अभ्यास नहीं था, वह सचमुच का विस्फोटक था और विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी मात्रा इतनी थी कि विधानसभा भवन का एक तिहाई हिस्सा तो उड़ाया जा सकता है। इस इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि विधानसभा के सभी सुरक्षा चक्रों को पार कतरा हुआ कितना बड़ा खतरा सदन तक पहुंच गया, जाहं यह विस्फोटक सफाई के दारान नेता विपक्ष की कुर्सी के करीब पड़ा मिला। यह सचमुच गंभीर होकर ठोस कदम उठाने का समय है, यह कहकर भी नकारा नहीं जा सकता है कि कमली सामग्र पुताई का पेंट मात्र था इसे केवल सुरक्षा की चूक कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय सूचना आयुक्त का निर्णय—तीन सप्ताह के भीतर आवेदक को उपलब्ध करवायी जायें सूचनाएं—

पूर्व सैनिक बेलफेयर एसोसिएशन के केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रामशेर सिंह विष्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत रूप एरिया मुख्यालय से तीन बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी गई थी। परन्तु लोक सूचना अधिकारी/सत्र एरिया मुख्यालय द्वारा यह कहते हुये कि सी.एस.डी. कैन्टीन सूचना का अधिकार के दायरे सबाहर है। अतः सूचनाएं नहीं दी जा सकतीं। इससे असन्तुष्ट होकर आवेदक द्वारा प्रथम विभागीय अपील

योजित की गई। विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के मत का समर्थन करते हुये सूचना उपलब्ध करवाने से मना कर दिया गया।

इससे अंतुष्ट हुये आवेदक द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग दिल्ली में द्वितीय अपील योजित की गई केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्री एम.एल. शर्मा द्वारा सब एरिया मुख्यालय से किसी सक्षम अधिकारी को दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश जारी करते हुए आवेदक को भी इस संबंध में सूचना भेजी। केन्द्रिय सूचना आयुक्त द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अति गंभीरता, पूर्वक संज्ञान में लेते हुए सब एरिया मुख्यालय को तीन सप्ताह के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश निर्गत किये।

आवेदक द्वारा तीन बिन्दुओं पर मांगी गई सूचनाएं निम्नवत हैं —

1. सब एरिया कैन्टीन की वित्तीय वर्ष 2009—10 की कुल बिक्री रही।
2. सब एरिया कैन्टीन ,रा वित्तीय वर्ष 2009—10 में से अर्जित कुल लाभ।
3. उक्त उर्जित लाभ को किस अनुपात में किन किन मदों, में खर्च किया गया।

अब केन्द्रीय सूचना अयुक्त ने द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार सी.एस.डी. कैन्टीन “सूचना अधिकार अधिनियम” के दायरे में आती है अतः किसी भी आवेदक को सी.एम.डी. कैन्टीन से सम्बन्धित सूचनायें देने से इंकार नहीं किया जा सकता।

इस शोध पत्र में सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी की जवाबदेही होगी कि नागरिकों को मूल भूत समस्याओं को निराकृत करने का। साथ ही लोगों के अन्दर जागरूकता पैदा करने का कि हमारा समान अधिकार है हमें अपनी

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार से पा सकते हैं समाज में हो रही विकृतियों को दूर करने के लिए भी सूचना के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है।

‘सूचना का अधिकार’ जैसे लोकप्रियता हितकारी कानून से आम आदमी जोड़ने का प्रयास करते हुए इससे सम्बन्धित पूरे देश में चल रही गतिविधियों से अवगत कराना है तथा इससे सम्बन्धित, जिज्ञासाओं, प्रश्नों का समाधान ढूँढना, लोकहित के मुद्दों पर जनजागरण का प्रयास करना है। समाज के जागरूक लोगों को तथा सूचना का अधिकार के लिये कार्य करने वाले आर.टी.आई

कार्यकर्ताओं के विचार, सुझाव, टिप्पणियां तथा व्यवहारिक अनुभवों से सम्बन्धित लेख आदि का हम स्वागत करेंगे। लोकहित के इस अभियान से जुड़ने का आप सभी को खुला निमंत्रण है।

संदर्भ :

1. राष्ट्रीय जनसूचना अधिकार 24 जुलाई 2017
2. यज्ञभूषण शर्मा : राष्ट्रीय जनसूचना अधिकार दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ 24 जुलाई 2017
3. डॉ. बी.पी. मैठाणी : पूर्व राज्यसमन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
4. सूचना का अधिकार पोर्टल : <http://rti.gov.in>





रीवा लोक सभा निर्वाचन 2014 में महिला मतदाताओं के मतदान व्यवहार का अध्ययन

(रीवा संसदीय क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)

□ डॉ. गायत्री मिश्रा*

□ डॉ. संजली गुप्ता**

मतदाताओं से सम्बंधित प्रारम्भिक तथ्यों का परिचय प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन विषय से सम्बंधित दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि मतदान की प्रक्रिया के पूर्व महिलाओं को विभिन्न चरणों की जानकारी होनी चाहिए। प्रस्तुत अध्याय में मतदान पूर्व प्रक्रियाओं में महिला मतदाताओं की भागीदारी का अध्ययन किया गया है जिसके अन्तर्गत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, संसदीय क्षेत्र का निर्धारण, नामांकन प्रक्रियाएँ, मतदाता सूची की तैयारी, मतदाता सूची का प्रकाशन, चुनाव प्रचार एवं आचार संहिता का निर्धारण व परिपालन आदि सम्मिलित है।

किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव सरकार एवं शासित वर्ग के बीच राजनीतिक सम्पर्क का अधिकार प्रदान करते हैं तथा किसी भी संगठन या राजनीतिक व्यवस्था में एकीकरण लाते हैं। साथ ही अस्तित्व को वैधता प्रदान करते हैं। निर्वाचनों में भारत ने लोकतंत्र और राजनीतिक विकास की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी राजनीतिक पद्धति है जिसमें राष्ट्र के लोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते, बल्कि शासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण

भी रखते हैं। चुनाव व मतदाता जागरूकता का घनिष्ठ सम्बंध है, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। डोनाल्ड स्टोक्स के शब्दों में—“मतदान व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का सामूहिक फ़ैसलों में समाहार करने का एक साधन है।”

मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता का आधार मतदान आचरण है। मतदाता राजनीतिक समझ कितनी रखते हैं, राजनीति में कितनी रुचि लेते हैं और चुनाव के दौरान मतदान में कितना हिस्सा लेते हैं, यह सब अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राजनीतिक जागरूकता का सीधा सम्बंध है, जागरूक मतदाता चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य करते हैं। इसके अलावा राज्य में कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो राजनीतिक प्रश्नों पर अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं। अतः इनका मतदान आचरण अनिश्चित होता है। इसलिए इस सम्बंध में एलेनबाल का मत है—“हर राज्य में दुर्लभ मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ऐसे मतदाता ही चुनाव परिणाम को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं।”²

मताधिकार एक दायित्व है, जो राज्य द्वारा उन व्यक्तियों को सौंपा जाता है जो उस दायित्व

* प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शा0 ठा.र.सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

** एम.ए. राजनीति शास्त्र, पी-एच.डी.

का निर्वाह करने के सुपात्र होते हैं। यह एक विधिक अधिकार है अतः विधि द्वारा मतदान का दायित्व निभाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। कुछ देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है। वेल्जियम ने 1893 में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की। जिसमें मतदान न करने पर एक से लेकर तीन फेंक तक के आर्थिक दण्ड की व्यवस्था की गयी। 4 बार मतदान का प्रयोग न करने पर नागरिक मताधिकार से वंचित करने की व्यवस्था थी। इसी प्रकार अर्जेन्टाइना में 1992, नीदरलैण्ड में 1917 से अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की गयी। 3 1907 ई. में स्पेन में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की गयी। मतदान न करने पर दण्ड का भी प्रावधान बनाया गया। प्रा. जेम्स विल्फर्ड गार्नर के शब्दों में—“स्पेन में अनिवार्य मतदान विधि मृत बनी रही, क्योंकि ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में 80 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिये”। 4

वर्तमान समय में अधिकांश देशों जैसे—अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्विटजरलैण्ड, कनाडा तथा भारत आदि में अनिवार्य मतदान का चयन नहीं है। किसी भी देश में लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उस देश के नागरिकों को वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पद्धति की सुविधा प्राप्त हो। जान स्टुअर्ड गिल ने वयस्क मताधिकार के पक्ष में कहा है कि— राजनैतिक वाद-विवाद के द्वारा एक ही एक हाथ से काम करने वाली महदूर भी राजनैतिक विचारों के सम्पर्क में आ जाता है और राजनैतिक मामलों में रुचि लेने लगता है। ऐसा होने से जनता यह समझती है कि हम सब एक स्तर के नागरिक हैं और एक महान जन समुदाय हैं। 5 जिन लोगों को मताधिकार नहीं मिला होता है, राजनैतिक वाद-विवाद उनके सिर के ऊपर से उड़ते हुए निकल जाते हैं। इस संदर्भ में जे.एस. आगे कहते हैं—“कोई भी व्यक्ति जिसे एक लोकप्रिय सरकार

में रहकर मताधिकार न मिला हो या मिलने की आशा न हो वह असंतुष्ट और विरोधी रहेगा। 6

भारत इस दृष्टि से लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन कर रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में मताधिकार पर अनेक प्रतिबंध थे, भारतीय संविधान में उन सभी प्रतिबंधों का अंतर कर दिया, यह क्रांतिकारी कदम था। भारतीय अधिनियम 1935 के अन्तर्गत केवल 3 करोड़ 50 लाख भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था जिसकी संख्या बढ़कर स्वतंत्रता के बाद 25 करोड़ हो गयी है। 7 वर्तमान समय में यह संख्या और अधिक हो चुकी है।

प्रथम आम चुनाव 1951 के प्रतिवेदन में लिखा गया है कि “यह ध्यान रखे कि भारत के अधिकांश मतदाता निरक्षर हैं तथा उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का कोई अनुभव नहीं है तो हम निश्चय ही इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि देश के प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्रदान करने का निश्चय एक क्रांतिकारी कदम था। प्रथम आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि—“यह निश्चय ही भारत के साधारण आदमी में तथा उनकी व्यावहारिक बुद्धि में विश्वास का काम था। 8

इसी सम्बंध में संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था—“मैं गांव के लोगों को जानता हूँ, जो इस व्यापक निर्वाचन मण्डल के बहुमत की रचना करते हैं, मेरी राय में उनमें वह क्षमता थी, जिससे वे अपने तथा देश के हितों में, यदि वे उनको समझा दिये जाये, रुचि ले सकते हैं। 9

भारतीय चुनाव व्यवस्था को सम्पन्न कराने हेतु संसद ने जन प्रतिनिधित्व कानून का निर्माण किया है, जिसके द्वारा मतदाताओं की योग्यताएँ निर्धारित की जाती हैं। संसद तथा राज्य विधान मण्डलों की सदस्य संख्या का निर्धारण किया जाता है। निर्वाचनों का प्रबंध एवं संचालन, विवादों का निपटारा तथा उप चुनावों की व्यवस्था की

जाती है। विगत कई वर्षों से इन कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये गये हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य चुनावों की विशुद्धता की रक्षा करना है।¹⁰

प्रस्तुत अध्याय में महिला मतदाताओं में मतदान पूर्व प्रक्रियाओं की जानकारियों को जानने का प्रयास किया गया है जिसे सुविधानुसार विभिन्न खण्डों में विभाजित कर अध्ययन किया गया है—

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा :

निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारम्भ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी अधिसूचना से होता है। यह सूचना लोकसभा के निर्वाचन की दशा में, भारत के राष्ट्रपति, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अधीन ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिस निर्वाचन आयोग द्वारा की जाये, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अपेक्षा करेगा कि वे नये सदन के गठन के प्रयोजनार्थ सदस्य निर्वाचित करे, जारी की जाती है।

जिस तारीख को निर्वाचन की उपर्युक्त अधिसूचना निकाली जाए, उसी तारीख को निर्वाचन आयोग के विभिन्न प्रक्रमों के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए उस अधिनियम की धारा 30 के अधीन करते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निकाली जायेगी। ऐसी अधिसूचना के निकाले जाने के तुरन्त पश्चात, रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचनों का संचालन, 1961 के नियम 3 के साथ, पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 के अधीन निर्वाचन की लोक सूचना निकालेगा।

लोकसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे सहायक रिटर्निंग आफिसर/आफिसरों के नाम विनिर्दिष्ट करेगें और वह स्थान भी जहाँ रिटर्निंग /स. रिटर्निंग आफिसरों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेगें।¹¹ यह अधिसूचना अंग्रेजी में और राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषाओं में प्रकाशित की जायेगी।

इस सम्बंध में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया गया।¹²

सारणी-1

Rewa parliamentary election 2014

| S. N. | Election programme | Day and date |
|-------|---|-----------------------|
| 1 | Issue of notification | 15-03-2014(Saturday) |
| 2 | Last date for filling nominations | 22-03-2014(saturday) |
| 3 | Scrutiny of Nomination | 24-03-2014(Monday) |
| 4 | Last date of withdrawal of candidate | 26-03-2014(Wednesday) |
| 5 | Polling date | 10-04-2014(Thursday) |
| 6 | Counting of votes | 16-05-2014(Friday) |
| 7 | Date before which the election shall be completed | 28-05-2014(Wednesday) |

इस प्रकार अधिसूचना के जारी होने के पश्चात चुनाव आयोग चुनाव सम्बंधी समस्त कार्यक्रम की घोषणा करता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात उम्मीदवार और प्रशासन सभी औपचारिक रूप से चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव सम्पन्न कराने हेतु मतदान केन्द्रों के चयन व केन्द्रीय राजकीय कर्मचारियों के चुनाव दल के गठन व चुनाव प्रक्रिया सम्बंधी प्रशिक्षण की कार्यवाही की जाती है। साथ ही चुनाव दल के साथ, पुलिस, विशेष पुलिस बल, केन्द्रीय पुलिस बल के साथ,

नगर सेना के कर्मचारियों को भी तैनात किया जाता है। चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने हेतु परिवहन की व्यवस्था की जाती है।

मतदान केन्द्रों में निष्पक्ष व सुचारु रूप से मतदान कराने हेतु 'जोनल अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है जो चुनाव की सभी गतिविधियों की सतत निगरानी करते हैं।

चुनाव कार्यक्रम के सम्बंध में उत्तरदाताओं से पूँछे जाने पर जो अभिमत प्राप्त हुआ है, तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट है—

तालिका क्रमांक 2

लोकसभा/विधानसभा चुनाव एक साथ होने सम्बंधी अभिमत

| क्रमांक | लोकसभा/विधानसभा चुनाव एक साथ होने सम्बंधी अभिमत | संख्या | प्रतिशत |
|---------|---|--------|---------|
| 1. | हाँ | 376 | 94 |
| 2. | नहीं | 24 | 06 |
| | योग | 400 | 100 |

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि लोकसभा व विधानसभा का चुनाव एक साथ होने पर उन्हें कोई परेशानी नहीं होती बल्कि राष्ट्रहित में होता है। ऐसा करने से आर्थिक बचत के साथ समय की भी बचत होती है। केवल 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लोकसभा व विधानसभा चुनावों को एक साथ करना उचित नहीं माना है।

मतगणना परिणाम की घोषणा —

किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जब गणना का कार्य पूर्ण हो गया हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अंतिम प्रमाण –पत्र तैयार किया

जाता है, जिसमें डाकमत पत्रों की संख्या भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार कुल योग लगाते समय सम्पूर्ण अंतिम परिणाम पत्र की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि कोई प्रविष्टियां अपूर्ण न हों। गणना का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम की प्रारूपिक घोषणा की जाती है। आयोग से आवश्यक अनुमोदन, जहां भी जरूरी हो, प्राप्त कर लेने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचनों का संचालन, नियम 1961 से संलग्न प्रारूप 20 के अनुसार पत्रक भरकर उसमें हस्ताक्षर के बाद अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाता है, जिससे सर्वाधिक विधिमान्य

मत प्राप्त हों। यदि किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ने वाले दो अभ्यर्थियों को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हों और उनके द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बराबर है तो उस निर्वाचन का परिणाम लाटरी निकाल कर धोषित किया जाने का प्रावधान है।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम की प्रारूपिक घोषणा, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के 21 ग या 21 घ में से किसी एक प्रारूप में किया जाता है। इस घोषणा पर वही तारीख दी जानी चाहिए, जिस तारीख का उस निर्वाचन का परिणाम घोषित किया जाता है; न कि वह तारीख जिस तारीख से यह घोषणा भेजी जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद परिणाम की घोषणा की प्रतियां निम्नानुसार भेजनी चाहिए—

1. निर्वाचन आयोग
2. राज्य का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी
3. संघ विधि और न्याय मंत्रालय,
4. लोकसभा का महासचिव, नई दिल्ली या राज्य सरकार

इसके अलावा निर्वाचन विवरणी को प्रमाणित कर प्रतियाँ निम्नानुसार को अग्रेषित की जानी चाहिए—

1. निर्वाचन आयुक्त
 2. राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात सूचना निम्नलिखित को देनी चाहिए—
 1. भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली
 2. निदेशक, समाचार सेवा आकाशवाणी, नई दिल्ली
 3. उस राज्य के मुख्यालय पर आकाशवाणी केन्द्र
 4. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र संसद मार्ग, नई दिल्ली
 5. राज्य के मुख्यालयों पर स्थिति सम्बन्धित दूरदर्शन केन्द्र
 6. सूचना अधिकारी, नई दिल्ली
 7. विधि, नयाय और कम्पनी मंत्रालय, नई दिल्ली
 8. सचिव लोक सभा, नई दिल्ली
 9. राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी
- इस प्रकार से ज्ञात होता है कि रीवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2014 में कुल 14 मुम्मीदवार चुनाव

मैदान में रहे, जिसमें सबसे अधिक मत भाजपा के उम्मीदवार श्री जनार्दन मिश्र को मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री सुन्दरलाल तिवारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 168726 मतों से पराजित किये।

इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि लोक सभा निर्वाचन 2014 में रीवा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी श्री जनार्दन प्रसाद मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी को निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रदान कर अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी।

संदर्भ :

1. भारत निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग आफिसरों के लिए पुस्तिका, निर्वाचन सदन नई दिल्ली 2014
2. रीवा पार्लियामेन्टरी इलेक्शन 2014, इलेक्शन ऑफ द रीवा।
3. भारत निर्वाचन आयोग—2014
 - 1 डोनाल्ड—दि स्टोक्स बोटिंग इन डेबिट सिल्स (सम्पादित) खण्ड 16, पृ. 387
 - 2 बाल, एलेन— “मार्डर्न एण्ड गवर्नमेण्ट”, लन्दन मैकमिलन एण्ड कम्पनी 1977, नृ. 85
 - 3 गार्नर, जे.डब्लू— “राज्य विज्ञान और शासन (अनुवाद)” आगरा पृ. 383
 - 4 गार्नर, जे. डब्लू— “पालिटिकल साइंस एण्ड गवर्नमेन्ट, 1851 पृ. 501
 5. जे.एस. गिल,— आन लिबरिटी एण्ड रिप्रजेन्टेटिव गवर्नमेंट, मैकलन संस्करण, पृ. 211
 - 6 जे.एस. गिल,—आन लिबरिटी एण्ड रिप्रजेन्टेटिव गवर्नमेंट, मैकलन संस्करण, पृ. 311
 - 7 एम. भट्टाभिराम— जनरल इलेक्शन इन इण्डिया 1967 अलाइड पब्लिशर्स 1967 पृ. 2
 - 8 रिपोर्ट आन दि फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इण्डिया, 1951—52, गर्वनमेट आफ इण्डियन—इलेक्शन कमी. पृ. 10
 - 9 संविधान सभा वाद—विवाद खण्ड 11, पृ. 989
 - 10 सिंघवी, लक्ष्मीमल—“कानून व चुनाव दिनमान” 7 फरवरी 1971 पृ. 29
 - 11 भारत निर्वाचन आयोग— रिटर्निंग आफिसरों के लिए पुस्तिका निर्वाचन सदन, अशोका रोड नई दिल्ली, पृ. 32, 33
 - 12 Rewa parliamentary Constituency (Lok Sabha election 2014) Important Information of Rewa District election office Rewa





अंधायुग में व्यक्त आधुनिकता बोध

□ शालिनी सक्सेना*

शोध सारांश

आधुनिकता न काल वाची है और न मूल्य वाची। इतिहास में एक क्रम प्रतीत होता है प्राचीनकाल, मध्यकाल और आधुनिककाल, भूत, वर्तमान और भविष्य, क्लासिकवाद, रोमांसवाद और नवीन। प्राचीन से लेकर आधुनिककाल तक क्लासिकवाद से लेकर नवीनता तक प्रवृत्तिगत क्रम है। कालक्रम यांत्रिक है और यदि काल-दर्शन की दृष्टि से विचार किया जाए तो भूत, वर्तमान आदि काल से खंडित बोध के प्रतीत होता है। खंड काल धारा का बोध ही चिंतन की अंतिम परिणति है। अतीत अपने में प्राचीन और मध्यकाल को समेटे होते हैं। वर्तमान में आधुनिकता और नवीनता आ जाती है और भविष्य एक आशा, एक अनुमान, एक संभावना, एक इंतजार, वर्तमान की परिणति यह सब उसमें दृष्टिगत होता है। वर्तमान की देहली पर खड़े होकर भूत और भविष्य दोनों ओर देखा जा सकता है।

दूधनाथ सिंह के अनुसार, “आधुनिकता युग संदर्भ की भावना नहीं है। यह कथन स्पष्ट संकेत करता है कि आधुनिक होने का मतलब आज का इस दशक का या शताब्दी का होना नहीं है। असल में आधुनिक होना शाश्वत होना है। आधुनिकता की समस्या काल सापेक्ष कम, व्यक्ति सापेक्ष ज्यादा है।”

दूधनाथ सिंह जी ने उस तत्त्व की ओर संकेत किया है, जो अंखंड काल प्रवाह से सम्बद्ध है जो समय को काट कर चलता है आधुनिकता इस या उस काल की स्थिरता नहीं है। यह एक प्रवृत्ति है जो काल से बंध कर नहीं चलती तथाकथित ऐतिहासिक, आधुनिक युग में रहने वाला मानस पूर्णतः या अंशतः मध्ययुगीन हो सकता और मध्यकाल में भी आधुनिकता के कबीर जन्म ले

सकते हैं। रामचंद्र जी की तुलना के कबीर। वास्तविकता व्यक्ति सापेक्षता की है।

आधुनिकता का आशय आधुनिकता के मुक्त होने से और उसके प्रबल सबल होने से है। मध्यकालीन प्रवृत्तियों से जो युग आधुनिकता को जितना ही मुक्त कर पाता है ऐसा नहीं है उस युग में लगता है कि आधुनिकता ने जन्म नहीं तो पुनर्जन्म लिया है। जिस कालखंड में यह शुभ घड़ी आती है। इतिहास उसे ‘आधुनिक युग’ नाम से पुकारता है।

आज जब आधुनिकता के बारे में बात की जाती है तो दृष्टि में यूरोप की ऐतिहासिकता का ध्यान रहता है। जब आधुनिकता ने आँखें खोलीं उसे विस्तृत समर्थन मिला और मध्ययुगीन धुंधलके से भक्ति का मार्ग खुला। अमेरिका का स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति

* कचोरी बाजार, जिला औरया (उ.प्र.)

और रूस की लाल क्रान्ति कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, जिन्होंने मध्ययुगीन मानस के नीचे छुपे-दबे आधुनिक मानस को मुक्त किया। विकासवाद, द्वन्द्वात्मक, भौतिकवाद, मनोविश्लेषणवाद जैसे विज्ञानश्रित दर्शनों की भूमिका भी मिली और आधुनिकता का पुनर्जन्म हुआ।

आधुनिकता के कुछ लक्षण भी होते हैं। इतिहास की दृष्टि से यह एक प्रतिक्रिया है—क्लासिकवाद और रोमांसवाद के प्रति। व्यक्तिगत दृष्टि से परंपरा से एक बौद्धिक असहमति भी इसमें निहित रहती है। बौद्धिकता एक ऐसे विज्ञानवाद को जन्म देती है और इस सबसे प्रेरणा पाकर नए-नए वाद प्रकट होते हैं। वाद अति शीघ्र बदलते हैं। यही आधुनिकता के लक्षण हैं।

जब रोमांसवाद चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने लगा, तभी विज्ञान की शक्तियाँ भी उदित होने लगी। वैज्ञानिक शक्तियों ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया रोमांसवाद मध्ययुग का एक निरर्थक उपसंहार जैसा लगने लगा। रोमांसवाद को विज्ञान और बौद्धिकता ने अतीत में छोड़ दिया। टेनिसन और ब्राउनिंग जैसे अनुभवी रोमांसवादियों के सहारे रोमांसवाद उन्नीसवीं शती के अंत तक चला। बीसवीं शती में यह प्रवेश नहीं कर पाया, रोमांसवाद का करुण अवसान हुआ। आधुनिकता के अग्रदूत एलेनपो में सौंदर्यपरक मूल्यों का कुछ आभास मिलता है।

इस प्रकार आधुनिकता की ललक सारे पश्चिमी उत्तर में बढ़ गयी। बीसवीं शती में आधुनिकता अपने आप में एक मूल्य बना। विभिन्न देशों में प्रतिष्ठित करने वाले आंदोलन पनपे। जिसमें प्रतीकवाद, प्रभाववाद, चित्रवाद, अभिव्यंजनावाद, डाडावाद, अतिवस्तुवाद आदि।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है। वस्तु सम्बन्धी परम्पराओं और मान्यताओं की स्वीकृति, धर्म, नीति और उपदेश के बंधन से मुक्ति, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान और मनोविज्ञान की प्रेरणा शैली के क्षेत्र में नवजागरण और क्रान्ति, भाषा चेतना पर बल प्रतीकवादियों ने संगीतत्व, चित्रवाद ने चित्रात्मकता, इससे उत्पन्न बिंबवाद ने एन्द्रीय मूर्तता आदि तत्व काव्य साहित्य शैली में जोड़े और लघु काव्य रूपों गीत और मुक्तक का प्रधान आधुनिकता विकास के मुख्य तंतु हैं।

भारतीय साहित्य में आधुनिकता का जन्म

विकास की प्रथम अवस्था में ज्ञान-विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व होता है। ज्ञान की नवीन दिशाएँ क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। हमारे देश का इतिहास इस बात का साक्षी है। भारत में सामाजिक क्रांति का परोक्ष दायित्व अंग्रेजों का ही था।

कार्ल मार्क्स के अनुसार, “यह सच है कि हिंदुस्तान में इंग्लैंड ने निकृष्टतम उद्देश्यों से प्रेरित होकर सामाजिक क्रांति की थी और अपने उद्देश्यों को साधने का उसका तरीका भी बहुत मूर्खतापूर्ण था, किन्तु प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या एशिया की सामाजिक व्यवस्था में एक बुनियादी क्रांति के बिना मानव जाति अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है? यदि नहीं तो मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड के चाहे जो गुनाह कर रहे हों, उस क्रांति को लाने में वह इतिहास का एक अचेतन उपकरण था।”¹

ईस्ट इंडिया कंपनी की विचित्र नीति थी वह बिना भारतीय जीवन के किसी भी क्षेत्र में दखल दिये लूट-खसोट और भ्रष्टाचार का दामन पकड़े हुए थी। परन्तु 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किया। इसके पीछे इंग्लैण्ड के चर्च का हाथ था। चर्च के दबाव के कारण वहाँ की संसद ने भारत में ‘अपनी प्रजा’ के लिए सुधारवादी नीति अपनायी। मूल उद्देश्य वहाँ के राजनीतियों का था। अपने समाजवादी हितों की पूर्ति में भारतीय बाजारों का विकास व अन्य सुधार लाना जरूरी था इस दिशा में ईसाई मिशनरियों ने जो भूमिका अदा की। एक ब्रिटिश प्रशासन की टिप्पणी के अनुसार वह फौजी अफसरों, न्यायाधीशों और गवर्नरों की सेवाओं से कहीं अधिक मूल्यवान हैं।

1817 में कोलकाता में हिन्दू कॉलेज (प्रेसीडेंसी) की स्थापना हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट ने उस समय अपनायी जाने वाली शिक्षा नीति की भर्त्सना की। उनके अनुसार उसका उद्देश्य देश को अंधेरे में रखना था। “उन्होंने उदार शिक्षा पर बल दिया। एक दशक के बाद मैकाले ने उसी प्रकार के स्कूल भारत में खुलवा दिये जिस प्रकार के स्कूलों का सुझाव राम मोहनराय ने दिया था। ‘फोर्ट

विलियम कॉलेज' की स्थापना 1800 में हो चुकी थी। 28 अक्टूबर 1824 से इस कॉलेज की भाषा नीति बादल गयी। हिन्दी का महत्व समझ कर उसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। तब हिन्दी से तात्पर्य खड़ी बोली से था। यह सब विलियम प्राइस के प्रयासों के हुआ। कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स हिन्दू कॉलेज की प्रगति को देख काफी प्रभावित था। विलियम बैंटिक से पूर्व नियुक्त समितियों ने निश्चय किया था कि अंग्रेजी के अध्ययन के लिए अलग कॉलेजों की स्थापना की जाए। कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने महसूस किया कि भारतियों की उन्हीं की भाषाओं में शिक्षा दी जाए।

इस संबंध में तीन तिथियाँ महत्वपूर्ण हैं—1824, 1830, 1834 अंतिम तिथि में मैकाले का 'शिक्षा कार्य वृत्त' लिखा गया था। कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के चेयरमैन विलियम बैंटिक को लिखे पत्र में यह चिंता व्यक्त की कि भारतियों को हर संभव शिक्षा सुविधा प्रदान की जाए। 4 अक्टूबर 1830 को मैकाले द्वारा प्रस्तुत 'शिक्षा कार्यवृत्त' 1834 में लॉर्ड हार्डिंग ने अंग्रेजी पढ़े लोगों को सरकारी नौकरियाँ देने की घोषणा की। 1853 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी को नए चार्टर के अनुसार नयी शिक्षा पद्धति के गुण-दोषों को परखना था। 1854 में सर चार्ल्स वुड ने शिक्षा प्रसार की एक नयी योजना बनायी जिसके अनुसार हर जिले में कम-से-कम एक हाईस्कूल और गाँव-गाँव में पाठशाला खोलने की नीति अपनायी गयी। वे देशी भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। पर, अपने उद्देश्य में कृतकार्य न हो सके क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन इस बात के विरुद्ध था। मिशनरियों ने शिक्षा का धुआँधार प्रचार तो किया था पर ईसाई धर्म का प्रचार दुगने उत्साह से किया। 1857 के गदर के मूल में ईसाई धर्म का प्रचार तथा धर्म परिवर्तन की गतिविधियाँ भी अन्य अनेक कारणों में से इस गदर के पश्चात वो स्थिति पैदा हुई उसके बारे में डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, "यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था केवल सामाजिक शक्तियों के एक-दूसरे टकराने का भी समय नहीं था। बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय

था। जहाँ से हमारा देश नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया और उसके साथ-ही-साथ देश की साहित्य चेतना भी नवीन दिशा की ओर मुड़ी। प्राचीन भारतीय सरकार तब भी प्रबल रूप में वर्तमान में थी परन्तु वे भी बिलकुल नयी दिशा में मुँह करके खड़े हो गए यहाँ से शिक्षित समुदाय में एक दृष्टिकोण की संभावना उत्पन्न हुई। मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों और अंतर वैयक्तिक सम्बन्धों के मान में परिवर्तन होने लगा और क्रमशः पुराने संस्कारों से मुक्त नवीन दृष्टि उत्पन्न हुई जिसने राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक मनोभाव इंग्लैंड में जड़ जामाता जा रहा था। और उसकी लहरें भारतवर्ष के वायुमंडल को भी तरंगित कर रही थीं।"¹

आधुनिक शब्द की परंपरीय अर्थ है समकालीन के साथ समन्वित होना। समकालीन विचारों, अनुभूतियों संवेगों और दशा में उनकी अनुभूति के तरीकों के स्वर मिलना और उससे कुछ आगे भी होना। यह शब्द निरंतर परिवर्तनशील विषय केन्द्र बिन्दु की ओर संकेत करता है यह एक प्रक्रिया की विधि से सम्बन्धित धारणा है जो कटाव की चेतना को नियंत्रित करती है।

कवि की अपनी चेतना होती है। वह अपनी अनुभूति और चेतना के बीच एक संबंध स्थापित करता है। इन दोनों में घनिष्ठता विलयन का रूप ग्रहण करती है। चेतना और अनुभूति के परस्पर विलयन से तीव्र और घनीभूत काव्यात्मक अनुभूति का जन्म होता है। कवि इनमें से एक को लेकर भी अपने कर्म में प्रवृत्त हो सकता है और दोनों को लेकर भी वह अपने से भिन्न समय की अनुभूति को ग्रहण करके।

सन्दर्भ :

1. आधुनिक बोध और विद्रोह, डॉ. हरदयाल, पृ. 94
2. भारतीय चिन्तन परम्परा : के. दामोदरन से उद्धृत, पृ. 344
3. द्विवेदी, हजारीप्रसाद, हिन्दी साहित्य संस्करण 1952, पृ. 82





कूर्म पुराण में नारी सशक्तिकरण : एक अध्ययन

□ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी*

ब्रह्मा की सृष्टि में नारी अपूर्व वस्तु है, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो; किंतु उसका मानव-रूप तो और भी विलक्षण है इस रूप में तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानों समस्त सृष्टि का सौन्दर्य-माधुर्य, सुख-शान्ति, लालन-पालन और रक्षणावेक्षण उसके अपने ही हाथ की वस्तु है। इस पर यह बात भी मुक्तकण्ठ से कही जा सकती है कि नारी का भारतीय रूप तोन केवल अद्भुत, अपितु लोकोत्तर महिमान्वित है। कहना यह चाहिये कि विधि ने भारतेतर देशों की नारियों के निर्माण में जिस मृत्तिका का उपयोग किया है उससे भारतीय नारी की रचना नहीं हुई है, अपितु इसके लिए उसने किसी दूसरी ही दिव्य मृत्तिका से काम लिया है। कदाचित् यह कहना भी असंगत न होगा कि भारतीय नारी देखने में प्राकृतिक मालूम होती है, परंतु है वह असल में विशुद्ध पारमार्थिक तत्त्वों की बनी वस्तु। तभी तो वह अपने माता, भगिनी, पुत्री, पत्नी आदि विविध और विभिन्न रूपों में आज भी प्रतिमावत् पूज्य है। झाँकी लेने और आरती उतारने की वस्तु है। कुमारसम्भव में हिंदूरानी की इसी रूपरेखा की कालिदास ने इन शब्दों में आरती उतारी है –

इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः।
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं
तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः॥

यही कारण है कि आर्य जाति की आज की पतनोन्मुख अवस्था में भी यही आर्योचित सम्पूर्ण सुख-सौभाग्यको सदैव अपने उत्तरीय में सँभाले रहती है।

भारत की नारी अपने प्रत्येक प्रकार, रूप और दशा में आज भी अनन्वयालंकार का विषय बनी हुई है। उसकी गुणगरिमा पर पूर्णतः विचार कर सकना मनुष्य की शक्ति से बाहर की बात है। उसकी महनीय विलक्षणता तो इसी में सन्निहित है कि वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के दोनों क्षेत्रों में सती, साध्वी और तपस्विनी ही बनी हुई है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण तप, त्याग और बलिदान की अनन्त गाथाओं का विषय है। बड़े-से-बड़ा समाजसेवक साधु-संत आज भी इसकी पवित्रता और कर्तव्यतत्परता के सम्मुख निष्प्रभ है।

यदि भारतीय नारी अपने सार्वजनिक और सार्वभौम दृष्टिकोण को विस्फारित और व्यक्तित्व को विस्तारित कर ले तो विश्वकुटुम्ब के प्रत्येक कार्य का इस समय भी सुचारु रूप में संचालन कर सकती है। इसलिये कि उसके राग रेशे में आज भी उसकी अपनी लोकोत्तर प्राचीन दैवी भावनाएं और अलौकिक उदात्त परम्पराएं नामशेष नहीं हुई हैं। ज्ञान में याज्ञवल्क्य और शक्ति में मधुकैटभ और शुभ-निशुम्भको परास्त करने वाली उसकी परम्परा का तात्त्विक आभास अपने अविकृत रूप में इस समय भी हिंदू-कुटुम्ब-संस्था में प्रायः दृष्टिगोचर

* प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), शा.ठा.रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

होता रहता है। आज भी हमारी गृहस्थी के प्रत्येक प्रांगण में अपने उमा, रमा और गिरा के रूपों में संसार वन्द्य भारतीय संस्कृति को इसी ने कायम रख छोड़ा है। शील, संकोच, लज्जा और धर्म—जैसे समाज—पोषक तत्वों को इसी ने अनुप्राणित कर रखा है।

वैसे ही वैज्ञानिक क्षेत्र में वैदिक मुनिपत्नियों और ब्रह्मवादिनी देवियों की ज्ञान—परम्परा और दर्जनों ऋषिकल्प मन्त्राविष्कारिणी मुनि—कन्याओं की अलौकिक प्रतिभा आज भी तत्त्वज्ञों और मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में भारतीय नारीकी विचारधारा और कल्पना—सृष्टि में जीवित है। इसका पता गार्हस्थ की उसकी अपनी रसायनशाला और परिवेषण की नव—नव्य परिकल्पनाओं में नित्य ही हमें मिलता रहता है। आधुनिक वैज्ञानिक क्षेत्र में इसकी नवीन विज्ञान—कुमारिकाओं की चमत्कारपूर्ण बातें भी इस बात के आनुषंगिक प्रमाण हैं। इनके अपने घरेलू प्रकाश, वायु और जल के विविध वैज्ञानिक और यान्त्रिक प्रबंध—निबन्ध भी इसकी अपनी वैज्ञानिक रुचि के ही परिचायक हैं। विशेषतः इसका अपनी गृहस्थी का इस क्षण का संस्कृतिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, नीतिवाद, अर्थवाद और सौन्दर्यवाद क्या किसी भी दृष्टि से नगण्य कहे जा सकते हैं?

यह सत्य है कि स्त्रियों में श्रद्धा—विश्वास अधिक है, धार्मिक भावना विशेष है; और यह भी सत्य है कि आज भी धर्म को बहुत कुछ स्त्रियों ने बचा रखा है। पढ़े—लिखे बाबुओं को जहाँ न तो अवकाश है और न श्रद्धा है, वहाँ उनकी माता और पत्नियों पुत्र और पति की मंगल—कामना से, परलोक के विश्वास से और आत्मोद्धार के उद्देश्य से धर्म का आचरण, भगवान् का भाजन, दान—पुण्य, अतिथि—सत्कार, पूजा—पाठ और व्रतोपवास करती हैं, कथा—कीर्तन सुनाती हैं, मन्दिरों में देवदर्शन को जाती हैं और तीर्थों में जाकर संत—महात्माओं के

दर्शन—सत्संग करती हैं। यह सभी कुछ मंगलमय हैं और इससे लोक—परलोक दोनों में अतुलित लाभ होता है; परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि आजकल जैसे प्रायः सभी क्षेत्रों में दम्भ, धोखा, भ्रष्टाचार, अनाचार तथा ठगी चलती है, वैसे धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में अनाचार और धोखाधड़ी बेशुमार चलती है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में आजकल अनाचार का विशेष प्राबल्य है। कई तीर्थों में तो खास तौर पर अनाचार तथा व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं। गुरुओं की चारों ओर बाढ़ आ गयी है और लोगों के मनो में, खास करके सरलहृदय स्त्रियों के मनो में, ये संस्कार बद्धमूल कर दिये गये हैं कि 'गुरु से दीक्षा लिये बिना आत्मोद्धार की कोई आशा ही नहीं है। गुरु का दर्ज भगवान् से भी ऊँचा है तथा गुरु को सर्वस्व अर्पण कर देना ही शिष्य या शिष्या का एकमात्र कर्तव्य है।' सिद्धान्ततः यह सत्य है कि परमार्थ—मार्ग में सद्गुरु की आवश्यकता है और गुरु के प्रति समर्पण—भाव अवश्य होना चाहिये परंतु आजकल न तो प्रायः वैसे सद्गुरु ही दृष्टिगोचर होते हैं और न विशुद्ध आत्मसमर्पण का भाव ही। फिर स्त्रियों के लिये तो एकमात्र पति ही परम गुरु माने गये हैं। उन्हें अन्य गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि देवदासी—प्रथा जैसे आरम्भ में देवताओं के प्रति शुद्ध समर्पण—भाव की द्योतक थी, परंतु पीछे से उसमें महान् पाप आ गया, उसी प्रकार गुरुकरण—प्रथा का मूल भी पवित्र था, परंतु आजकल तो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। परंतु इस अनाचार का समूल नाश करने में नारी समर्थ हो चुकी है।

कूर्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो नारी पतिव्रता है और पति की सेवा—शुश्रूषा में अनुरक्त है, उसके लिये न तो इस लोक में कोई पाप है और न परलोक में।

पतिव्रता तु या नारी भर्तृशुश्रूषणोत्सुका ।
न तस्या विद्यते पापमिह लोके परत्र च ॥

धर्मपरायण पतिव्रता रुद्राणी ही होती है, इसमें संदेह नहीं। इस संसार में कोई भी मनुष्य इसे कभी भी पराजित करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिये दशरथ के पुत्र राम की तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुन्दर पत्नी देवी सीता ने राक्षसेश्वर को पराजित कर दिया था। उससे बड़ा नारी का सशक्तीकरण क्या हो सकता है ? काल से प्रेरित राक्षसराज रावण ने राम की सुन्दर तथा विशाल नेत्रों वाली भार्या सीता को प्राप्त करने की इच्छा की। उसने माया से तपस्वी का वेष धारणकर जनशून्य वन में विचरण करती हुई सीता का अपहरण करने का विचार किया। तब पतिव्रता भगवती सीता ने रावण के दुष्ट भाव को समझकर अपने पति दशरथ-पुत्र राम का स्मरण किया और पवित्र मुसकान वाली उन सीता देवी ने आवसथ्य अग्नि की शरण ग्रहण की।

गृहीत्वा मायया वेषं चरन्तीं विजने वने ।
समाहर्तुं मतिं चक्रे तापसः किल कामिनीम् ॥

कूर्म पुराण में नारी के शक्तिमती होने और लोक कल्याण करने वाली नारियों के उदाहरण भरे पड़े हैं। नारी जिस रूप में थी है वह शक्तिमती है। धैर्य के कारण वह शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती, परन्तु आवश्यकता आने पर पीछे भी नहीं रहती है।

संदर्भ :

- एकादशोपनिषद्-शंकराचार्य कृत-गीता प्रेस गोरखपुर।
- अष्टादशपुराण महर्षि व्यास-गीताप्रेस/चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी।
- समकालीन दर्शन-डॉ. लक्ष्मी सक्सेना, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
- पाश्चात्य चिन्तन में आत्मतत्त्व-विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
- जैन दर्शन/बौद्ध दर्शन-डॉ. बलदेव उपाध्याय, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
- भारतीय दर्शन में चेतना का स्वरूप, डॉ. श्री कृष्ण सक्सेना, चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी।
- दिव्य जीवन, महर्षि अरविन्द, पांडिचेरी प्रकाशन।
- गीता, महर्षि व्यास, गीता प्रेस गोरखपुर।
- पाश्चात्य दर्शन, डॉ. बद्दीनाथ सिंह एवं चन्द्रधर शर्मा, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
- भारतीय दर्शन, पं. बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी।
- रहस्यवाद, डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
- षडदर्शन समुच्चय, डॉ० रामेश्वर नाथ मिश्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
- कूर्मपुराण, महर्षि वेदव्यास, गीता प्रेस गोरखपुर।
- मत्स्य पुराण, महर्षि वेदव्यास, चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी।
- पद्मपुराण, महर्षि वेदव्यास, चौखम्बा संस्कृत संस्था वाराणसी।
- वामनपुराण, महर्षि वेदव्यास, खेमराज श्रीकृष्णदास, प्रकाशन मुम्बई सन् 2002।
- अष्टादश पुराण दर्पण, ज्वाला प्रसाद मिश्र, खेमराज श्रीकृष्णदास स्टीम प्रेस, मुम्बई श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, वि०सं० 1962।
- पुराणविमर्श, डॉ० बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 1987।





बाल साहित्य और राष्ट्रीय-चेतना

□ सरिता*

□ डॉ. निलय गोस्वामी**

बीसवीं सदी के प्रारंभ में लंबी कथात्मक बाल कविताएँ लिखने का चलन था। बहुत-से कवियों ने बच्चों के लिए रुचिकर नाटकीय अंदाज में लंबी-लंबी कविताएँ लिखीं। हिन्दी के प्रसि कवियों ने माखनलाल चतुर्वेदी ने भी बचपन के रस में डूबकर कविताएँ लिखी हैं। एक समय था जब उनकी एक 'फूल की चाह' कविता प्रत्येक बच्चे के होंठों पर नाचती थी। राष्ट्रभक्ति के भाव में डूबी यह कविता सहज ही मन में ओज भरती है। इस कविता में फूल न देव मूर्तियों पर चढ़ना पसंद करता है न हार में गूँथा जाना चाहता है। उसके मन में केवल इतना है कि जिस रास्ते पर देश पर अपने प्राण बलिदान करने वाले शहीद जाएँ वह उस रास्ते में पड़ा हो। उनके चरणों का स्पर्श कर सकें। राजगिरे के लड्डुओं पर लिखी कविता में कुछ अलग तरह का आनंद है—

“ले लो दो आने के चार,
लड्डू राजगिरे के यार।
यह है पृथ्वी जैसे गोल,
ढुलक पड़ेंगे गोल मटोल।
इनके मीठे स्वादों में ही,
बन जाता है इनका मोल।
दामों का मत करो विचार
ले लो दो आने के चार।”¹

कविता की अंतिम पंक्तियाँ भी मन भावन हैं—

“मौसी की नजरें इन पर है,
फूफा पूछ रहे क्या दर है।
जल्द खरीदो लुटा बाजार,
ले लो दो आने के चार।”

चौथे पाँचवें दशक में रघुनन्दन शर्मा ने बच्चों के लिए लोकप्रिय कविताएँ लिखीं हैं। 'जलेबी', 'रसगुल्ला', 'समोसा' जैसी उनकी पुस्तकें के नाम यह प्रकट कर देते हैं कि बच्चों के लिए उपदेशात्मक कविताएँ लिखने में उनकी रुचि नहीं है वे ऐसा कुछ लिखना चाहते जिसे बच्चे खुद-ब-खुद गाएँ व गुनगुनाएँ। 1929 में शिशु मासिक में छपा उनका यह गीत आज भी बहुत आकर्षक लगता है—

‘डम डमा डम
खेलें-कूदें हम,
डम डमा डम-डम।
ढोल बजाते हम।
झम-झमा झम-झम
नाचे कूदे हम।
ढम-ढमा, ढम-ढम।’²

* शोधार्थी, रजि. नं. ए-13-1942, शासकीय पी.जी. कालेज, दतिया, मध्यप्रदेश

** प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, शासकीय पी.जी. कालेज, दतिया, मध्यप्रदेश, सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

कोई सत्तर साल गुजर जाने के बाद भी रघुनन्दन शर्मा के शिशु गीत हमें रोमांचित करते हैं। रघुनन्दन शर्मा की बाल कविता बच्चों को बहुत प्रभावित करती हैं।

प्रो. केसरी अपनी कविता में कहते हैं—“आज खेलने का दिन है माँ, मुझे न यह दिन खाने दे’ उनकी कविता बच्चों के मन को व्यक्त करने की ताकत रखती है। उनकी इस कविता में ऐसा लगता है मानो बच्चे का मन बोल उठा हो—

“आज खेलने का दिन है माँ,
मुझे न यह दिन खोने दें,
घिरती है तो घिरे बदरिया
दुर्दिन है, तो होने दे,
आज बंद स्कूल, छुट्टियों
की घड़ियाँ मनचाही,
कसम कन्हैया की न आज मैं
छूऊँगा कागज-स्याही।
इसे छोड़कर पढ़ूँ किताबें,
यह कितनी नादानी है।”³

आगे बच्चों के इस संसार का वर्णन है जो पढ़ाई के बोझ और दूसरी जिम्मेदारियों से अलग रखकर बचपन का विकास करने की प्रेरणा देता है। सरस्वती पत्रिका के सम्पादकीय विभाग से सम्बद्ध रहे प्रसिद्ध साहित्यकार पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी ने बच्चों के लिए जो कविताएँ उससे उस दौर की सामर्थ्य और ऊँचाई का अंदाजा हो सकता है। यह कविता उस दौर में बेहद चर्चित थी—

‘बुढ़िया चला रही थी चक्की,
पूरे साठ साल की पक्की।
दोने में थी रखी मिठाई,
उस पर उड़कर मक्खी आई,
बुढ़िया बाँस उठाकर दौड़ी,
बिल्ली खाने लगी पकोड़ी,
झपटी बुढ़िया घर के अन्दर,
कुत्ता भागा रोटी लेकर।”⁴

बेचारी बुढ़िया रोटी लेकर भागते कुत्ते को मारने के लिए बाहर भागी तो अन्दर बकरा घुस आया। बुढ़िया के चलने से मटका टूट गया। इस शोर-शराबे में बकरा न जाने कहाँ चला गया। बुढ़िया हैरान परेशान थककर बैठ गयी और आखिर में “सौंप दिया बिल्ली को ही घर....”

विश्वप्रकाश कुसुम की बाल कविताओं का स्वर मनमोहक है। वे अपनी कविताओं में जादुई भाषा से बच्चे के मन के चारों ओर रहस्य का घेरा बनाकर चलते हैं। बच्चों को आलू-गोभी पसंद है तो विश्वप्रकाश कुसुम की भाषा में ये सारी चीजें संगीतात्मकता में ढल जाती हैं—

“दावत ने है मन ललचाया,
क्या लोगे तुम? आलू गोभी!
क्या लोगे तुम? आलू गोभी!
गोभी का है स्वाद बढ़ाया,
सबकी यही पुकार, आलू गोभी!
सब करते तकरार आलू गोभी!”⁵

इस कविता के अन्त में दुनिया की हर चीज छोटी हो जाती है—

‘गोभी जैसे हो रसगुल्ला,
नरम नरम खाते अब्दुल्ला,
नहीं चाहिए हमें मिठाई,
आलू गोभी दे दो भाई!’

बच्चों के मन की गहरी थाह लेने वाले एक और सशक्त कवि पण्डित भूप नारायण दीक्षित रसगुल्ले के जरिए बच्चों के मन की बात कहते हैं—

‘तू धन्य-धन्य है रसगुल्ला,
तुझमें रस है कोमलता है,
नीरसता का है नाम नहीं,
तुझको खाने में रसगुल्ले,
दातों का कोई काम नहीं,
सब इसीलिए तुझ पर लट्टू,
चाहे काजी हो या मुल्ला।”⁶

भूप नारायण दीक्षित की कविताओं में कथात्मक प्रतिभा का कमाल अधिक है।

आजादी से पहले की बाल कविता में बच्चों के लिए नित्य नये विषयों को तलाश कर उन्हें बाल साहित्य में लाने का काम शुरू हो गया था। जहूर बख्श ने ऐसी कविताएँ लिखी हैं उनकी बढई पर लिखी गयी कविता बहुत आकर्षक है। इसमें बढई की मेहनत और कला का आत्मीय चित्र है। हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है। इसे आरामदायक बनाने वाला बढई दिन रात मेहनत करता रहता है—

“बढई हमारे यह कहलाते,
जंगल से लकड़ी मँगवाते।
फिर उस पर हथियार चलाते,
चतुराई अपनी दिखलाते।
लकड़ी आरे से चिरवाते,
फिर आरी से हैं कटवाते।
उसे वसूले से छिलवाते,
रंदा रगड़-रगड़ चिकनाते।
कुर्सी टेबल यही बनाते,
बाबू जिनसे काम चलाते।
खाट पलंग यह हमको देते,
बदले में कुछ पैसे लेते।”⁷

जहूर बख्श की तरह ठाकुर गोपाल शरण सिंह की कविता में ऐसा सजीलापन है जो हमें बार-बार याद आती है। आसमान में उड़ने वाले बच्चे का मन गोपालशरण सिंह की इस कविता में हमें दिखाई देता है—

“सुन्दर सजीला चटकीला वायुयान एक,
भैया हरे कागज का आज मैं बनाऊँगा,
चढके उसी पे सैर नभ की करूँगा खूब,
बादल के साथ-साथ उसको उड़ाऊँगा।
मंद-मंद चाल से चलाऊँगा, उसे मैं वहाँ,
चहक-चहक चिड़ियों के संग मैं गाऊँगा,
चन्द्र का खिलौना, मृग छूना वह छीन लूँगा,
भैया को गगन की तरैया तोड़ लाऊँगा।”⁸

इस कविता में कल्पना की सजीवता मन की गहराई में उतर जाती है। ऐसे ही प्रो. मोहन सिंह दीवानों की यादगार कविता में बचपन की खूबसूरती और चंचलता का यह चित्र मन को बहुत अच्छा लगता है—

“जब नन्हा-सा मैं बच्चा था,
तब सूरज मुझे जगाता था,
तब किससे चाँद सुनाता था,
तब पानी मेघ पिलाता था,
जब नन्हा-सा मैं बच्चा था,
फूलों से मेरी बातें थीं,
सुख स्वप्न भरी मेरी रातें थीं,
मनमोहक तब बरसातें थीं,
अद्भुत छवि, अद्भुत बातें थीं...।”⁹

यह कविता बचपन का अभिनन्दन है। यह झाँकी बड़े होने पर भी मन में उतरती है। बाल साहित्य में गद्य साहित्य हमारी वैचारिकता को बढ़ाता है। हम गद्य के माध्यम से व्यवहार का पक्ष समझ पाते हैं। कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी बच्चों को व्यवहार का पक्ष सिखाते हैं। बिना भावनाओं के जीवन को सजाया नहीं जा सकता। अर्थात् हमें भौतिक सुख-सुविधाओं की ओर ले जाता है। जहाँ हमें केवल अपना हित दिखाई देता है। बाल साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का प्रथम आधार भावनाएँ हैं जिनके चलते बालक अपने आस-पास के वातावरण से जुड़ता है। राष्ट्रीय कविताओं के माध्यम से राष्ट्र से जुड़ने के लिए भी भावनाओं की आवश्यकता होती है। डॉ. रोहिताश्व अस्थाना की राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत रचनाएँ बच्चों को देश से जोड़ती हैं—

“गाँधी जी का जन्म दिवस था,
दो अक्टूबर बड़ा महान,
आओ हम सब मिलकर गाएँ,
उनके जीवन का यशगान।”¹⁰

राष्ट्रीय बाल चेतना में देशप्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावनाएँ भरने के लिए इस बात पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है कि बालकों में भावनाओं को समझने का

जज्बा विकसित हो। इसके लिए बालकों में भावनाओं को विकसित किए जाने वाले साहित्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

विज्ञान के युग में केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान बाल साहित्य की दिशा में महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या बच्चों का बचपन समाप्त हो जाना है। बालकों के दिमाग में इतनी सारी जानकारियाँ एकत्रित हो गयी हैं जिनके चलते बालकों को अपनी दिशा चुनने में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

बच्चों को समय से पहले इतना सारा सूचनात्मक ज्ञान उपलब्ध है कि वे अपने इस ज्ञान के चलते अपने से बड़ों से बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। ऐसे में इंसान का इंसान से रिश्ता ही समाप्त हो रहा है। आने वाली पीढ़ी केवल अपने लिए जीना चाहती है। ऐसे में बाल मनोविज्ञान के सारे स्वाभाविक विकास के क्रम दिशाहीन हो गये हैं। आज बालक के मन में केवल अर्थ प्रबंध की बात को महत्वपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया जा रहा है। उसे यह सिखाया जा रहा है कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, चरित्र, सबकुछ खरीदा जा सकता है। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय चेतना की भावनाओं को बढ़ाने के लिए

सबसे महत्वपूर्ण आधार कविताएँ हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. हिन्दी बाल कविता का इतिहास : माखनलाल चतुर्वेदी की कविता, पृ. 52
2. हिन्दी बाल कविता का इतिहास : रघुनन्दन शर्मा की कविता, पृ. 53
3. हिन्दी बाल कविता का इतिहास : प्रो. केसरी की कविता, पृ. 54
4. हिन्दी बाल कविता का इतिहास : पदुमलाल पुत्रालाल की कविता, पृ. 54
5. हिन्दी बाल कविता का इतिहास : विश्वप्रकाश कुसुम की कविता, पृ. 55
6. हिन्दी बाल कविता का इतिहास : पं. भूप नारायण दीक्षित की कविता, पृ. 55
7. हिन्दी बाल कविता का इतिहास : जहूर बख्श की कविता, पृ. 56
8. हिन्दी बाल कविता का इतिहास : गोपाल शरण सिंह की कविता, पृ. 56
9. हिन्दी बाल कविता का इतिहास : प्रो. मोहन सिंह दीवाना की कविता, पृ. 57
10. साठोत्तरी हिन्दी बाल साहित्य : डॉ. शेषपाल सिंह 'शेष', पृ. 137





Integrated Nutrient Management for Soil Sustainability

- Shiv Prasad Vishwakarma*
- Dr. Sheetla Prasad Verma**

Corresponding Authors : drspverma_kadc@rediffmail.com

ABSTRACT

The continued degradation of soil resources is considered an important factor in lowering the total and partial factor productivity of agriculture in the country. The future agricultural growth at higher rate cannot be sustained with deteriorating soil resources base. Fertilizers and manures are the pivots of improved technology, contributing 50-60% increase in productivity of food grains in India. But without an integrated use of fertilizers and manures, increased production is not possible. INM technology envisaging conjunctive use of inorganic and organic sources holds great promise in maintenance of soil quality, enhancing nutrient use efficiency and realizing optimum and sustainable yield of crops. India will need to produce 301 million-ton food grain in addition to other commodities. For production of this much food, at least 45 Mt plants nutrient would be needed.

Key Words: *Resource base, sustainability, integrated nutrient management, soil health.*

The continued decreasing resources, increasing food demand and deteriorating environment present challenge to the agricultural scientists to develop strategies for global sustainability. For sun, air, rainfall, plants animals, soil and humans and depended on natural processes and ecological association for its productivity. For about last hundred when internal resources started replacing by external inputs such as synthetic fertilizers, pesticides, other agrichemicals and fuel for mechanical operations (Doran et. al. 1996).

The gradual degradation of soil resources is considered an important factor in lowering the total and partial factor productivity of agriculture in the country. The future agricultural growth at higher rate cannot be sustained with deteriorating soil resources base (Samra & Sharma, 2005). We need to constantly monitor the quality of soil resources and devise appropriate management strategies for sustained productivity and least environmental degradation. So many other unaddressed and unnoticed problems are suspected that may have

* Kulbhaskar Ashram PG College, Allahabad-211 001

** Kulbhaskar Ashram PG College, Allahabad-211 001

global perspective. At the same time, low crop yields with restricted nutrients supply can not be compromised in view of expanding human population. Therefore solution lies in achieving a balance between nutrient requirement of crops and nutrient reserves in the soil through parameters integrated management of nutrients.

Fertilizers and manures are the pivots of improved technology, contributing 50-60% increase in productivity of food grain in India. But without an integrated use of fertilizers and manures, increased production is not possible. INM is an integrated approach of effective and which are locally available, economically viable, and socially acceptable and ecofriendly for sustaining and increasing crop production. INM technology envisaging conjunctive use of inorganic organic sources holds great promise in maintenance of soil quality, enhancing nutrient use efficiency and realizing optimum and sustainable yield of crops. The strategy largely ratifies the ill effects of chemical intensification on crop, water, soil, atmosphere, animal and human being. For feeding a population of 1.4 billion by 2025, India will need to produce 301 million-ton food grain in additional to other commodities. For production of this much food, at least 45 Mt plants nutrient would be needed. Demand of chemical fertilizer would be 35 Mt. At least 10Mt should come from organic sources thus food security of future realize on INM (Singh, 2003). Keeping above facts integrated nutrients management is must for soil quality improvement and sustainable crop production due to following facts.

1. Present scenario of agriculture, neither chemical fertilizers alone nor the organic sources exclusively can achieve the production sustainability under highly intensive cropping system.

2. Fertilizers use is inadequate imbalance, non integrated and poorly managed in India.

3. The advantage of combined use of organic and inorganic matters have already been well established.

4. Integrated Nutrient Management is helpful in optimizing the physical, chemical and biological properties of soil.

5. Decreasing soil fertility has also raised concerns about the sustainability of agriculture production at current level.

6. 'INM' concept is economically viable, environmental friendly, socially acceptable, sustaining productivity and fertility of soil.

Major issues before Integrated Nutrient Management

The indiscriminate chemicalization of agriculture led to some issues related to soil health, environmental health and human as well as animal health.

Consequently, it has lead to the evolution of integrated nutrient management system or integrated plant nutrition system Major issues confronting development and implementation of Integrated Nutrient Management Supply are briefly discussed.

Problems of organic manure availability

Nutrient supply through organic sources is essential for making an agricultural system sustainable. Even then synthetic fertilizers continue to dominate with NPK content only. Sources are also confined to urea, DAP and muriate of potash. Consequently nutrient mining from soil continues unabated. Several doubts are raised about availability of organic manures for such a large area but appropriate rotational applications managed with all organic wastes available at and around farms, nutritional needs of soil and crop can be sustainably fulfilled.

Declining crop productivity

Declining crop productivity due to intensive crop management has drawn the attention of agricultural scientists throughout the world, The reason for this imbalanced

fertilization of crops , abandoning of organic manures in favour of chemical fertilizers, appearance of secondary and micro-nutrient deficiency in many soils and shift from multiculture to monoculture. Soil degradation in India due to nutrient and organic matter loss is about 4 million ha. Widening of N:P:K ratio from 5.9:2.4:1 in 1991-92 to 16:4:1 in 2009-10 indicates the preponderance of imbalance plant nutrient.

Fertilizers pollution

Chemical fertilizers pollution are many, diverse and astonishing. They warrant immediate redressal. Soil degradation ground water contamination, global warming and ozone depletion are included by agro-chemical pollution. This has led to revival of the concept of organic farming where synthetic fertilizers as well as other chemicals have not been accommodated in nutrient management or crop needs. However, integrated nutrient management recommends use of chemical fertilizers in combination with organic manures. Integrated Plant Nutrient Supply developed after long-term experimentation on integrated nutrient management have shown more nutrient uptake by plants, increased crop yields and reduced nutrient losses.

Deteriorating soil health

The natural resource soil is a finite natural resource. Its quality is essential for plant health as it serves a natural growth medium for plants. The soil in its latest understanding is considered to be a well organized biodynamic system where its quality becomes synonymous to its health and a number of physical, chemical and biological parameters are known to indicate soil health status.

Table (1)

Long term effect of fertilizer and FYM on some physical attributes of soil quality (after 13 years) :

| Treatment | Bulk Density Mgm^{-3} | | Mean weight diameter (mm) | | Water Retention g/100g | | | Infiltration rate cm hr^{-1} |
|---|--------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|---------|---------------------------------------|
| | 7.5cm | 7.5-15cm | 7.5cm | 7.5-15cm | 0 bar | 1/10 bar | 1/3 bar | |
| Control | 1.19 | 1.29 | 1.78 | 3.79 | 41.8 | 27.8 | 25.3 | 8.5 |
| 100% N | 1.14 | 1.25 | 3.17 | 2.69 | 55.7 | 26.4 | 24.6 | 9.0 |
| 100% NP | 1.29 | 1.24 | 2.80 | 3.49 | 52.7 | 27.7 | 26.5 | 10.9 |
| 100% NPK | 1.19 | 1.21 | 3.04 | 2.58 | 53.2 | 30.0 | 25.9 | 10.6 |
| 100% NPK+ FYM@ 10t ha^{-1} | 1.03 | 1.23 | 3.93 | 3.80 | 59.0 | 31.0 | 27.8 | 18.9 |
| CD(0.05) | 0.18 | 0.19 | 0.88 | 0.86 | - | - | - | 10.3 |

Source: Acharya et. al. (1988)

Table (2)
Long term effect of fertilizer and organic manure on some chemical and biological attributes of soil quality:

| Treatment | Organic carbon g kg ⁻¹ | | pH | | Exchange Acidity C Mole (P ⁺)/kg | Available sulphur kg ha ⁻¹ | | DTPA mg kg ⁻¹ | | Microbial biomass – C mg kg ⁻¹ | Microbial Count X 10 ⁶ g ⁻¹ CF4 | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|--|---------------------------------------|------|--------------------------|------|---|---|-------|
| | 1972 | 2000 | 1972 | 2000 | | 1972 | 2000 | 1972 | 2000 | | Bacteria | Fungi |
| Control | 7.9 | 7.8 | 5.8 | 5.64 | 0.17 | 13.5 | 5.3 | 1.9 | 0.48 | 257 | 5.6 | 0.3 |
| 100% N | 7.9 | 8.4 | 5.8 | 4.67 | 0.20 | 13.5 | 15.9 | 1.9 | 0.41 | 190 | 3.7 | 0.3 |
| 100% NP | 7.9 | 7.4 | 5.8 | 4.94 | 0.19 | 13.5 | 22.2 | 1.9 | 0.58 | 205 | 5.4 | 6.6 |
| 100% NPK | 7.9 | 8.9 | 5.8 | 5.10 | 0.15 | 13.5 | 17.5 | 1.9 | 0.41 | 316 | 34.0 | 5.0 |
| 100% NPK-S | 7.9 | 9.0 | 5.8 | 4.93 | - | 13.5 | 5.3 | 1.9 | 0.60 | 207 | 34.0 | 4.1 |
| 100% NPK+ FYM@ 10t ha ⁻¹ | 7.9 | 13.3 | 5.8 | 4.95 | 0.07 | 13.5 | 14.7 | 1.9 | 1.57 | 410 | 71.0 | 62.0 |
| CD (0.05) | | 0.4 | | 0.11 | 0.04 | | 2.0 | | 0.37 | 19 | | |

Source: Sharma *et al.* (2002)

Water management and responsive varieties must be adapted along with INM to make the system economically viable and reduce nutrient losses. The approach will increase crop response ratio and will be minimizing the present skewed nature of fertilizers use between crops, regains and seasons.

Crop health

Indiscriminate use of chemical fertilizers with incomplete nutrient requirements of crop plants has caused poor health of crops because of quality and quantity deterioration of grain yields. Nutritional disorders and disease, insect-pest outbreaks have been often correlated with deficiency of a nutrient. Plant foods act as a source of micronutrients in human nutrients. Fe, Zn, I and vitamin A deficiencies are recognized worldwide. Billions of people are deficient in iron and iodine. Iron and vitamin A deficiency is common in infants, children and pre-menopausal women and pre school children. Plant foods are able to supply all these minerals and plants for accumulation of micronutrients in high concentrations. Management can be modeled to improve crop health that can subsequently help

in tackling malnutrition problems of human society.

Human nutrition

Crop plants are major source of various vitamins and proteins besides the main energy source of carbohydrates. According to WHO (1999) about 50% deaths in less than 5 years old children are due to protein energy malnutrition in human diets. Iron zinc and vitamin A deficiencies have taken shape of global problem. It is suggested that the agricultural systems must increase micronutrient output as a primary tool to eliminate micronutrient malnutrition (hidden hunger). It requires intentional efforts in increasing micronutrient density in the major staple food crops and cereals have to be the top priority.

Human population pressure

Advancement of technologies of 21st century man are challenged by global climate change, depletion of protective agricultural land and growing malnutrition and food insecurity. Natural resources are limited but expansion of human population seems uncontained till 2050 (UNO estimate). Any technology or system, how

best is it, cannot be accepted socially unless it has the capability to feed growing human masses. By 2020, a rise of 60% in food production is required over the present level to feed nearly 9.0 billion humans population on the earth. According to an estimate India will need to produce 30 m ton food grains in addition to other commodities.

In such situation of new paradigm, integrated nutrient management systems for different crops. Cropping systems including trees of horticultural, agro forestry and medicinal importance, have to be evolved. Soil nutrition and crop nutrition will have to be integrated to enhance food quantity as well as food quality to tackle menace of growing malnutrition in human society.

Components of Integrated Nutrient Management System

Integrated nutrient management aims to improve crop nutrition and economic benefits at the farm in an eco-friendly manner. The major components of INM are-

Chemical fertilizers

Chemical fertilizers, besides expansion in irrigated area use HYV and other production input, have played a major role in enhancing food production in HYV era. The food production increased from 133.3m ton in 1981-82 to 208.6m ton in 2005-06 with corresponding increase in consumption of NPK 121.60 m ton to 203.0m ton, respectively. For sustainable agriculture low fertilizer based production model is ruled out for India. Thus integrated nutrient supply has to be based on need based application of fertilizer nutrient and other amendments which may be required for correcting any fertilizer induced imbalances in soil environment and health.

Organic sources

Lot of data and observations on organic manure induced improvement of soil quality and sustainable crop production or available in the country.

Organic manures

The main sources for organic manures in India are farm yard manure, crop residues and green manuring. They are adequate in micronutrient and supply organic carbon in plenty. Application of organic manures besides supplying nutrients of their own, they also regulate transformation of nutrients available from chemical fertilizers or bio-fertilizers. Organic manures are bulky but now fortified and enriched commercial formulations are available. Their recommendations along with standard dose of chemical fertilizers vary with crop 5-10 ton/ha FYM is recommended for grain legumes, 10-20 ton/ha is recommended for various cereals, oilseeds and horticultural plants should be used for quality produce.

Legumes as green manuring

Usefulness of legume as soil building practice in multiple cropping systems is well established. Symbiotic association of atmospheric N₂ in the soil plant system to the extent of 25-50 % of the chemical fixed N requirement of the succeeding cereal crop can be met by atmospheric N fixed by legume (SubbaRao, 1998).

Bio-fertilizers

Bio-fertilizers are micro organisms that have capabilities of improving host plant nutrition. Nitrogen fixing microbes constitute the predominant group. They may be free living or associated. Among the associated micro organisms, Rhizobiums are leading in contribution to biological nitrogen fixation. PSB and PMB are second important group for phosphorus availability.

Recycling of agricultural waste

Composting is the best method of recycling. Enriching of the nutrient value of compost is possible with gypsum, rock phosphates, microbial inoculants and press mud resumes production from sugar factories is a good source

of amendment for acid and sodic soils. For quick decomposition of agriculture waste application of efficient strategies of microorganisms is a practical.

Conclusion

There is not negative balance of soil nutrients in relation to the total uptake of nutrients by crops and the nutrients added to soil. Progressive soil fertility depletion will assume as one of the serious limitations in future for sustainable agriculture. The integrated nutrients management is for optimization of all the effects of all available sources of plant nutrients to improve soil fertility and productivity availing nature's gift.

References

Acharya, C.L.; Bisnoi, S.K. and Yaduvanshi, H.S.C. (1998) Effect of long term application of fertilizers and organics amendments under continuous cropping on soil

physical and chemical properties in an Alfisol. Ind. J. of Agril.Sc. 58(7), 509-516.

Sarma, J.B. and Sharma, P.(2002) Quality of soil resources in India in: Soveniers Intl. Conf. on soil water and environmental quality held at New Delhi, Jan 28 to Feb 02, 2005, pp 1-23.

Sharma, S.P.; Subehia, S.K. and Sharma, P.K.(2002) Long term effect of chemical fertilizers on soil quality, crop producing and sustainable by research bulletin. Dept of Soil Sc., SK H PKV, Palampur, Himanchal Pradesh, 33p.

Singh, Sobaran(2005), Integrated Nutrient Management for soil quality improvement and sustainable crop production. Winter School on Soil Quality from Dec 01 to 20, 2005. Manual published by G.B. Pant Uni of Agr. And Tech. Pant Nagar, pp 136-144.

Subbarao, N. S.(1998) Biological Nitrogen Fixation, Recent Development. Oxford and 113+1, New Delhi.





Rabies free India : Challenges

□ Dr. Sheetla Prasad Verma*

Corresponding Authors : drspverma_kadc@rediffmail.com

ABSTRACT

Present paper is to draw the attention of research worker, Govt. and peoples engaged in work for common cause. Around fifty five thousand people end their life from rabies each year in the world. More than half of the total incidents of rabies in the world occur in India only. Most of countries of the world are rabies free. In India there is great challenge for rabies free India. These are mainly (i) lack of responsible pet ownership and registration of pet dogs (ii) lack of realistic financial outlay for mass anti rabies vaccination and stylization programme (iii) unconcerned stakeholders (iv) limited infra structure of NGOs (v) lack of training facilities and skilled manpower shortage (vi) lack of public awareness (vii) lack of authentic data (viii) rabies is still not in list of notifiable disease (ix) lack of data on epidemiology of rabies in Indian (x) lack of inter departmental synergy mission for rabies control (xi) limited diagnostic facilities. If proper measures are taken against these challenges then rabies free India will be possible.

Key Words : Rabies, Public awareness, Infrastructure facilities, Epidemiology

INTRODUCTION

If a dog bite case is detected in an area following action to be taken for the particular area to be free from rabies:-

1. The bitten case is treated as per WHO guidelines.
2. The dog is impounded, watched and subjected to laboratory confirmation of rabies after death or scarified.
3. A through investigation is made to list out men and animal exposed to this rabid dog.
4. A list of other animals in the area is also prepared.
5. The area is defined and quarantine is imposed.
6. Special vaccination camp is organised for the animals and human being exposed. Also the unexposed but unlicensed and unvaccinated dogs, all are vaccinated, license issued (proceedings drawn if so stipulated).

* Department of A.H. & Dairy Science, Kulbhaskar Ashram P.G. College, Allahabad-211001

7. Unwanted stray dogs and cats are picked up and sterilized/vaccinated/destroyed.
8. No case of rabies or hydrophobia after the index canine case should appear in the area after this operation.
9. Quarantine is lifted.

[A] THE CHALLENGES

(a) Lack of Responsible Pet ownership and Registration of Pet dogs:

It is indeed sad that all Pet Dog owners do not look in to the preventive health care and well being of their pets, and do not get regular immunization against Rabies and other canine diseases. Most Civic bodies do have regulations for Registration/licensing and Anti Rabies inoculation of Pet Dogs but there is hardly any implementation of these rules. There is an urgent need to create awareness in society for responsible pet ownership through regular advertisements in the news papers. The civic bodies need to take on this function, and impose penalties on defaulting pet owners who do not get their pet dogs immunized against Rabies and register with them. Some pet owners allow their pets to roam freely. These dogs mate with the stray dogs, thereby adding to the population growth of dogs. The civic bodies need to address this problem through responsible pet ownership and implementing Pet owner registration and mandatory annual anti rabies vaccination.

(b) Lack of Realistic Financial outlay for Mass Anti Rabies vaccination and sterilization Programme:-

No realistic estimate for mass AR and ABC programme has been made by any federal body because it is not the national priority of Central and State Governments. More than Rs. 400 Crore is spent annually on post exposure Rabies Immunization of human beings and animals who are exposed to dog bites. In order to control rabies in man and animals in India there is need to have a well structured National Rabies Control

Programme with realistic financial outlay. The total budgetary allocation for Animal Birth Control/Anti Rabies Programme under Central Sector Scheme is only Rs. 3.60 Crores which is like a drop in the ocean.

(c) Unconcerned Stakeholders:-

At present, there is hardly any involvement of the Ministry of Agriculture (Dept. of Animal Husbandry), Ministry of Health and Ministries of Urban and Rural Development in controlling the incidence of Rabies and the population of stray dogs. A few civic bodies have come forward to join hands with AWBI in the participatory model of Animal Welfare by sharing 50% cost of sterilization of stray dogs in their civic areas. Good response has come from Tamil Nadu, MCD Delhi and Municipal Corporation of Kolkata in ABC/AR programme. Even in J&K the municipal authorities of Srinagar and Jammu showed some interest in ABC/AR programme and had requested AWBI to guide and train their officials but did not implement sterilization/vaccination programme even after training and then, poisoned a huge population of street dogs when few rabies deaths took place in human beings.

In fact, the entire responsibility of looking after the stray animals lies with the civic bodies and Panchayats. The role of AWBI in this regard is of a facilitator. Similarly, the menace of Rabies needs to be addressed by Ministry of Agriculture Dept. of Animal Husbandry and Ministry of Health and the Urban and Rural Development Ministries. Therefore, involvement and active participation of these Ministries as joint stakeholders in National Rabies eradication scheme is very much required in controlling Rabies and the Population of Stray dogs in India.

(d) Limited Infrastructure of NGOs:

At present only 65 NGOs/SPCAs are actively involved in the conduct of Animal Birth control/Anti Rabies programme, with limited

space and limited infrastructure. There infrastructure is grossly inadequate to address the problem at the national level.

In order to address the menace of Rabies and over population of stray dogs at the national level, we need to create adequate infrastructure/capacity in Govt. Veterinary Hospitals being run by the State Governments, as also in the Civic bodies, SPCAs and existing NGOs, besides making a separate allocation in the Central Budget for capacity building, training, awareness creation in society, mass scale Rabies immunization and sterilization of stray dogs.

(e) Lack of Training facilities and skilled manpower shortage:-

At present the NGOs/AWOs/SPCAs/Civic bodies involved in carrying out ABC/AR Programme are facing problems in efficient conduct of the programme due to lack of availability of trained Veterinarians and Para Vets in surgical protocols for sterilization of stray dogs. There is limited availability of well trained dog catchers with the civic bodies. This is/one of the main causes of limiting the scope of ABC/AR Programme in India.

In order to address the problem of training we had started Project Vet Train at the National Institute of Animal Welfare, for imparting 3 weeks practical training programme in surgical protocols of ABC surgery in dogs. This training/programme were jointly organized at the National Institute of Animal Welfare by the Ministry of Environment and Forests and Animal Welfare Board of India with the help of Vets Beyond Borders, an Australian NGO. This was an excellent practical training programme for empowering our Vets/ Para Vets and Dog Catchers to accomplish pin whole ABC surgery in an Internationally approved professional manner. Moreover, it was proposed that fresh graduates passing out from 33 Veterinary Colleges in India should be imparted at least 2 weeks practical training in ABC surgery for dogs

during their internship period of training in their respective institutions. Now an International Training Centre has been started at Ooty in Nilgiris (TN) by Worldwide Veterinary Services India to train Vets, Paravets and Dog Catchers. This a very good training facility runs by Dr. Ilona Otter with the help of International funding.

(f) Lack of Public Awareness:

There is a need to create public awareness and sensitize citizens and RWA about the benefits of rabies control and the dog/sterilization programme. Public awareness campaigning should aim at preparing the public for their active co-operation in the programme, through the press, and the media highlighting the advantages of mass anti rabies vaccination of dogs and effective Birth Control of stray/community dogs as to control rabies and ultimately to eradicate this horrible disease from India.

(g) Lack of Authentic data:-

At present there is no authentic information regarding the data on the total population of stray and pet dogs in India. In order to plan our strategies for Rabies & stray Dog Population control programme, we must have statistics about their numbers. Statewise survey of the stray and pet dogs from every city, town and village is required to be carried out/arranged by the State Dept. of Animal Husbandry/Civic bodies/ Panchayat etc. to formulate strategies for mass ABC/AR programme.

(h) Rabies still not in list of Notifiable Diseases:-

Despite casting such a heavy burden both in terms of loss of human/animal life as well as financial loss, Rabies has not been included in the list of Notifiable diseases. The actual prevalence of Rabies, its mortality and morbidity is not recorded either in human beings or animals as there is no mandatory reporting system of this disease in medical or veterinary hospitals/institutions. This can only happen if Rabies is

made a Notifiable disease by Govt. of India, both by Ministry of Health and Agriculture (Dept. of Animal Husbandry) so that its incidence/occurrence is reported immediately by the State Animal Husbandry/Health Departments to Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture (Dept. of Animal Husbandry), DGHS, Ministry of Health and Family planning and Animal Welfare Board of India, Ministry of Environment and Forests.

(i) Lack of data on Epidemiology of Rabies in India:-

At present no agency in the country is making any serious effort to study the prevalence of this important disease in India to identify High Risk Rabies Zone to plan strategy for action plan.

(j) Lack of Interdepartmental Synergy Mission Rabies Control:-

Inter-Sect oral collaboration among health, veterinary, civic bodies and Panchayat Raj Institutions, RWAs, police and communities is most important for achieving success in ABC/AR programme.

(k) Limited Diagnostic facilities/centres:

There are only 10 Rabies Diagnostic Labs in the country (Kasuali, Ludhiana, New Delhi, Coonoor, Bangalore, Chennai, Bhopal, Bombay IVRI and Meerut). At present only a small fraction of total Rabies related diagnostic material available is being sent for diagnostic/confirmation of Rabies to these labs, which is the reason for incomplete data on mortality/morbidity from Rabies. We need to increase the diagnostic facilities and infrastructures so that each state has a Rabies Diagnostic Centre.

[B] VISION RABIES FREE INDIA:

In view of the heavy burden of Rabies on India, there is an urgent need to draw and implement an action plan in order to make India a Rabies free country.

The responsibility of controlling/eradication of animal diseases at the National level has to

rest with Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture. While the responsibility of addressing the problem of population of stray animals including stray dogs in their civic areas, falls in the domain of local bodies/Panchayats (Ministry of Urban and Rural Developments). Rabies being a zoonotic disease also affects human health, thus involving the Ministry of Health and Family welfare. While the animal Welfare Board of India, working under the aegis of Ministry of Environment and Forests is currently implementing the Govt. of India's Central Sector Scheme of Animal Birth Control for stray dog and their immunization against Rabies in some metros in India with the help of 65 NGOs, SPCAs and Local (Civic) bodies, sterilizing and immunizing over 1.3 lac dogs every year with financial grant of Rs.3.60 crores.

National Rabies eradication and stray dog population control (ABC/AR) project should have a separate dedicated Budget outlay. The exact mechanism of control of expenditure can be fixed after inter ministerial discussion on the subject. The State Governments should bear the cost of mass anti rabies immunization of stray dogs in their respective States through their Department of Animal Husbandry. Budget for the National Rabies Eradication project can be pooled from the following Ministries:-

- (i) Ministry of Agriculture - Dept. of Animal Husbandry
- (ii) Ministry of Health
- (iii) Ministry of Urban Development
- (iv) Ministry of Rural Development
- (v) Ministry of Environment and Forests

[C] OPTIONS IN CURRENT SCENARIO :

(a) Let the Department of Animal Husbandry (Ministry of Agriculture) in collaboration with Ministry of Urban/ Rural Development and Ministry of Health draw their action plan for mass immunization of stray and pet dogs against Rabies and also implement mass sterilization

(ABC/AR.) of stray dogs, under the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960, Animal Birth Control (Dogs) Rules 2001 throughout the country.

(b) The other option is to expand the scope of AWBI's ongoing ABC/AR programme throughout the country to implement the National Rabies eradication and stray dog population control project working under the aegis of Ministry of Environment and Forests, with active participation and responsibility sharing by local bodies/ Panchayats (Ministry of Urban and Rural Development), State Department of Animal Husbandry and Department of Health's co-stakeholders (Ministry of Agriculture and Ministry of Health and Family Welfare). The responsibility/role of each Ministry/Department can be identified by the central coordinating committee which will involve reps from the above mentioned ministries.

In case the road map is to be proposed and executed by AWBI, then recommendations of AWBI would be as under:-

Keeping the WHO guidelines in view, the project of mass immunization and mass sterilization of stray dogs should cover at least

80% population of stray dogs and 100% population of Pet Dogs in civic/Panchayat area under mass Anti Rabies immunization using the best tissue culture vaccines. Anti Rabies vaccine be centrally procured for the project. While under the mass sterilization programme at least 80% of the stray dog population in the country must be sterilized.

References:

1. Presence/Absence of Rabies worldwide - 2006. Geneva: Department of Food Safety, Zoonoses and Food borne diseases, (WHO: 2008). Available: www.who.int/rabies/rabies_maps/en!4ex.html.
2. Rabies Free India (2006 July-Dec) in Animal Citizen Page 1-64 (The Quarterly Magazine of AWBI).
3. Standard Operating Procedure for Sterilization of Dogs under ABC programme (July 2009) publication AWBI.
4. Kharb, RM(2011) vision for Rabies free India., Animal citizen March 2011, Page 6-12.
5. Narayan, K.G. (2004) Epidemiology, Diagnosis and Management of Zoonoses Pub. ICAR, New Delhi, Page 83-93.





कानपुर जनपद में स्थित भीतरगाँव मन्दिर की मृणमूर्तियाँ

□ डॉ. राजेश कुमार*

शोध सारांश

कानपुर जनपद के घाटमपुर तहसील के अर्न्तगत बसा भीतरगाँव गुप्तकालीन निर्मित ईंटों के मन्दिर को स्मृति के रूप में आज भी अपने आँचल में संजोये हुये हैं। यह मन्दिर प्राचीन भारत की भवन एवं मन्दिर निर्माण शैली तथा उसके अलंकरण में प्रयुक्त मूर्तिकला शैली एवं अन्य परम्पराओं को प्रचुर रूप से अभिव्यक्ति करने में पूर्ण सक्षम है।¹

अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस मन्दिर की खोज 1877 ई० में की थी।²

ग्रामवासियों ने मन्दिर स्थल पर बताया कि 200 वर्ष पूर्व यह सम्पूर्ण क्षेत्र घनी झाड़ियों के जंगल से घिरा हुआ था। इस मन्दिर के विषय में न तो किसी को विशेष ज्ञान था और न ही आस-पास के निवासियों की कोई परम्परा ही इससे जुड़ी रही है।³

मन्दिर में उत्कीर्ण मृणमूर्तियाँ

भीतरगाँव के मन्दिर में अभी तक चिन्हित किये गये 128 पटलों पर उत्कीर्ण मृणमूर्तियों के चित्र लिये गये हैं। मन्दिर में लगे 128 पटलों के अतिरिक्त दो पटल कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में हैं और लखनऊ में मृणमूर्तियों के प्रचुर संग्रह में से 12 को चिन्हित कर भीतरगाँव के मन्दिर का होना बताया गया है।⁴ भीतरगाँव के मन्दिर में पटलों पर उत्कीर्ण विभिन्न मृणमूर्तियों का संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत है:-

1. गरुण पर आरुढ़ विष्णु 63×34 से०मी०

इस पटल पर भगवान विष्णु को गरुण पर आरुढ़ दिखाया गया है। विष्णु की पहचान बायें हाथ में उत्कीर्ण चक्र तथा गरुण की पहचान उसके धड़, बाँया पंख तथा पहने हुये वस्त्रों से की गई है।⁵

2. गंगा, 77×55 से०मी०

इस पटल पर उत्कीर्ण आकृति अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में है किन्तु जो भी शेष है उससे यह पता चलता

है कि यह आकृति मगर पर खड़ी नदियों की देवी गंगा की है।⁶

3. यमुना, 77×58 से०मी०

इस पटल पर उत्कीर्ण आकृति बहुत हद तक मिटी हुई है। छत्रप एवं उड़ती चिड़िया की आकृतियाँ ही शेष बची हैं। 401 शताब्दी की उदयगिरी की गुफाओं में जो नदियों की देवियों की मूर्तियाँ जिस व्यवस्था से उत्कीर्ण पायी जाती हैं, उनसे केवल यह परिकल्पना ही की जा सकती है कि इस पटल पर यमुना की मूर्ति ही उत्कीर्ण रही होगी।⁷

4. एक पुरुष अपने शत्रु पर तलवार से आक्रमण करता हुआ, 31×32 से०मी०

आक्रमण करते हुये पुरुष का मुख क्षतिग्रस्त हो गया है। दोनों आकृतियाँ नग्न हैं, लेकिन उनकी केश सज्जा काफी निखरी हुई है।⁸

* प्राध्यापक एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग, धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़

5. तपस्वी, 71×35 से0मी0

इस पटल पर एक तपस्वी को कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है जिसका बायाँ पैर पाद पीठ (Foot Rest) पर रखा हुआ है।⁹

6. शिव को हाथी की खाल उतारकर अपने को ढकते हुये, 77×63 से0मी0

प्रस्तुत आकृति में शिव ने पिशाच हाथी का वध कर उसकी खाल उतार ली थी और उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया था। यह कथानक कूर्म पुराण में वर्णित है।¹⁰

7. गणेश, 77×66 से0मी0

इस पटल पर उत्कीर्ण आकृति का सिर, भुजाओं के हिस्से तथा कुछ धड़ ही अवशेष रह गया है बाकी सब नष्ट हो चुका है। धड़ से स्पष्ट है कि यह गणेश की ही प्रतिमा है।¹¹

8. शिव और पार्वती, 77×67 से0मी0

इस पटल पर दो सिर विहीन बहुत ही सुन्दर आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं, साथ ही तीन नारी आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। अवशेष भाग से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह आकृतियाँ शिव और पार्वती की ही हैं। पार्वती के गले में, ऊपरी बाँह एवं पैरों में आभूषण पहने हुये दिखाई देते हैं। गुप्तकाल में शिव और पार्वती की प्रतिमा उस काल की मूर्तिकला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है।¹² (चित्र सं0 – 01)

9. विष्णु, 76×51 से0मी0

इसमें एक हाथ में गदा दूसरे हाथ में चक्र लिये हुये हैं और दो हाथ जो अब शेष नहीं हैं वे सम्भवतः शंख और पद्म लिये रहें होंगे।¹³

10. विष्णु दो राक्षसों का वध करते हुये, 31×26 से0मी0

इस पटल पर उत्कीर्ण आकृति दाहिने हाथ में चक्र धारण किये हुये है इस आकृति में कृष्ण द्वारा मधु और कैटव का वध करते हुये दिखाया गया है।¹⁴ (चित्र सं0–02)

11. नागदेवता, 32×28 से0मी0

इस आकृति में सात फनों वाले नागदेवता को पद्मासन पर बैठे देवता पर फनों से छाया किये हुये उत्कीर्ण किया गया है। इसे बलराम की आकृति बताया गया है जो एक परिकल्पना मात्र है।¹⁵ (चित्र सं0–03)

12. कृष्ण को वृषभासुर का वध करते हुये, 31×25 से0मी0

इस पटल की आकृति में कृष्ण को वृषभासुर से भंयकर युद्ध करते हुए दर्शाया गया है। इस आकृति के सीने की पसलियों, कमर, पेट, जॉधे एवं पैर मात्र शेष बचे हैं, जो शिल्प सौन्दर्य की एक उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत करते हैं। साड़ की, आकृति भी बहुत स्पष्ट है।¹⁶

13. नाग झुकी हुयी आकृति के साथ, 70×34 से0मी0

इस पटल पर जो आकृति उत्कीर्ण की गयी है, उसमें एक या अधिक सापों पर एक झुकी आकृति उत्कीर्ण है। इसे देखकर शेषारुढ़ विष्णु की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।¹⁷

14. वाराह अवतार के रूप में विष्णु, 70×65 से0मी0

इस पटल पर तीन आकृतियों के अवशेष हैं जिनमें एक विष्णु दूसरी भू-देवी एवं एक सेविका की आकृति उत्कीर्ण है। देवता की आकृति अपनी बायाँ भुजा से भू-देवी (पृथ्वी) को उठाये हुये है। यह विष्णु के वाराह अवतार की परिकल्पना है।¹⁸

15. विष्णु एवं आयुध पुरुष, 77×64 से0मी0

इस पटल पर विष्णु की अष्टभुजाधारी मूर्ति उत्कीर्ण है। विष्णु की इस आकृति के अतिरिक्त दो आकृतियाँ और भी हैं जिन्हें चक्र पुरुष एवं आयुध पुरुष का होना बतलाया गया है।¹⁹ (चित्र सं0 –05)

16. चतुर्भुजी देवी, 70×35 से0मी0

इस पटल पर उत्कीर्ण आकृति के अवशेष को देखकर निश्चित रूप से दुर्गा की आकृति कहा जा सकता है।²⁰

17. राम और सीता, 20×25 से0मी0

इस पटल पर काकासुर के कथानक की परिकल्पना उत्कीर्ण की गयी है। इस कथानक में इन्द्र का पुत्र कौये का रूप धारण कर सीता के हृदय स्थल पर उस समय चोंच मार जाता है, जब राम सीता की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कौये की इस धृष्टता से राम ने क्रुद्ध होकर घास की एक पत्ती को उठाकर ब्रह्मास्त्र

से अभिमंत्रित किया और उसे कौवे की तरफ फेंका। कौआ ब्रह्मास्त्र से अपनी सुरक्षा के लिए सभी जगह शरण मांगता फिरा किन्तु उसे कहीं भी शरण नहीं मिली। अन्ततः वह राम के पैरों पर आ गिरा और उनसे अपने इस अपराध की क्षमा याचना की। अंत में कौवे को राम के पास ही शरण लेनी पड़ी राम ने उसे क्षमा तो कर दिया किन्तु उसे सदा के लिए एक आंख वाला कर दिया।²¹ (चित्र सं० –06)

18. नारी आकृति पुरुष आकृति को जलपात्र भेंट करती हुयी, 58×51 से०मी०

इस पटल में एक नारी आकृति अपने दोनों हाथ में जलपात्र लिये हुए घर से निकलकर वह पात्र दरवाजे पर खड़े पुरुष को भेंट करना चाह रही है। गृह पार्श्व में एक कबूतर की आकृति भी उत्कीर्ण है। इस आकृति को देखकर रावण द्वारा सीताहरण की परिकल्पना की गयी है।²² (चित्र सं० –07)

19. गजलक्ष्मी, 69×34 से०मी०

इस पटल पर उत्कीर्ण आकृति के अवशेष से यह आकृति देवी लक्ष्मी की प्रतीत होती है।²³

20. राक्षसों का वध करते हुए विष्णु, 77×63 से०मी०

इस पटल के अवशेषों को देखकर विष्णु द्वारा राक्षसों का वध करते हुए दिखाया जाना प्रतीत होता है।²⁴

21. राक्षसों का वध करते हुए देवी दुर्गा, 76×66 से०मी०

इस आकृति में देवी दुर्गा को दो राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध करती हुयी दिखाया गया है।²⁵

22. कृष्ण और बलराम, 76×66 से०मी०

यह पटल दो भागों का है। नीचे का पटल पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। अन्य जो भी अवशेष उपलब्ध है उससे इन पर उत्कीर्ण आकृतियों कृष्ण और बलराम की प्रतीत होती हैं।²⁶

23. धनुंधारी, 64×35 से०मी०

इस पटल पर उत्कीर्ण आकृति भगवान राम की लगती है।²⁷

24. कृष्ण द्वारा कंस के शाही हाथी का वध 31×30 से०मी०

इस पटल पर उत्कीर्ण आकृति में कृष्ण को कंस के शाही हाथी का वध करते हुये दिखाया है।²⁸

25. पुरुष आकृति दो महिला सेविकाओं के साथ, 54×52 से०मी०

इस पटल पर उत्कीर्ण पुरुष आकृति प्रचुर आभूषणों से अलंकृत है तथा सुन्दर परिधान धारण किये हैं और जिनके अगल-बगल दो सेविकायें खड़ी हुई हैं।²⁹

26. नर-नारायण की परिकल्पना, 47×52 से०मी०

इस पटल पर उत्कीर्ण आकृति में नर-नारायण की परिकल्पना है। जिसमें इन्द्र ने नारायण को लुभाने के लिए अप्सरायें भेजी थीं किन्तु नारायण ने प्रति-उत्तर में अपनी जाँघ से उर्वशी को पैदा कर इन्द्र की चतुराई का जवाब दिया था।³⁰

27. कलकत्ता संग्रहालय में मौजूद पटल पर विष्णु मधु और कैटब के साथ, 48×24 से०मी०

कनिंघम ने इस पटल को तॉख से ढीला पाकर उसे कलकत्ता के संग्रहालय में भिजवा दिया था जो अब भी वहाँ सुरक्षित है और जिस पर विष्णु की आकृति मधु और कैटब के साथ उत्कीर्ण है। यह पटल कुछ विशेष रूप से संरक्षित है।³¹ (चित्र सं० –08)

28. लखनऊ का राजकीय संग्रहालय, गणेश को मोदक की थाल लिये हुए, 44×23 से०मी०

यह पटल लखनऊ के संग्रहालय में संरक्षित है। जिसमें गणेश को एक मोदक की थाल लिये हुए उत्कीर्ण किया गया है। इस पटल को संग्रहालय संख्या 2026 प्रदान की गयी है।³² (चित्र सं० –09)

29. मिथुन आकृतियाँ

मिथुन आकृतियों के दस पटल चिन्हित किये गये हैं जिनमें एक पुरुष एवं नारी की आकृतियों विभिन्न मुद्राओं में दर्शायी गयी हैं।³³ (चित्र सं० –10)

30. मूर्तियों के सिर

झरोखे के आकार के बने 12 पटलों में मानव आकृतियों उत्कीर्ण पायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त आठ

ऐसी ही मृण्मूर्तियाँ जिनकी पहचान भीतरगाँव के मन्दिर से की गयी है राज्य संग्रहालय में रखी गयी हैं। पुरुषों के सिर वाले मात्र दो पटल चिन्हित किये गये हैं। इनमें से एक सिर गंजे पुरुष का है और दूसरे सिर पर छोटे-छोटे बाल हैं।³⁴

31. पहलवानीरत एवं युद्धरत पुरुष आकृतियाँ

इस विषय वस्तु के तीन पटल चिन्हित किये गये हैं जिनमें से एक राजकीय संग्रहालय लखनऊ में संरक्षित है। इन पटलों पर उत्कीर्ण आकृतियाँ पुरुषों को पहलवानी करते हुए या दृढ़ युद्ध करते हुये दिखाई गयी हैं।³⁵

32. पुरुष एवं पशु

इस विषय वस्तु के आठ पटल चिन्हित किये गये हैं जिनमें कहीं पर चीते के आगे भागते हुये पशु को दिखाया गया है। कहीं पर मगर द्वारा पुरुष को लीलते हुए दिखाया गया है। किसी पटल पर पुरुषों को जुलूस के रूप में दर्शाया गया है। एक पटल पर एक पुरुष बैल पर बैठा हुआ अपने सेवकों के साथ दिखाया गया है। एक अन्य पटल पर एक योद्धा हाथी पर आक्रमण करते हुए दर्शाया गया है। एक पटल ऐसा है जिस पर एक पुरुष ऐसे पशु पर सवार है जिसके पंजे की आकृति फोंकों के सदृश्य है। एक पटल पर पुरुष को कटे सिर वाले पशु की बायीं तरफ बैठा हुआ दिखाया गया है। एक पटल ऐसा है जिस पर पुरुष एवं मगर की आकृति उत्कीर्ण है।³⁶

33. मगर के अतिरिक्त अन्य पशुओं की आकृतियाँ

इस समूह के 10 पटलों की पहचान की गयी है। इनमें से कुछ पटलों पर काल्पनिक पशुओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। एक पटल पर परों वाला शेर बना है। एक मुख वाले दो शेरों की एक आकृति है। एक आकृति एक हाथी एवं एक शेर की है। आठ आकृतियाँ मगर की हैं। (चित्र संख्या-11) एक आकृति ऐसी है जिसमें दो मगर अपनी पीठ जोड़े हुए दिखाये गये हैं। (चित्र संख्या-12) मगर की आकृतियों को अलंकरण के रूप में उत्कीर्ण किया गया है।³⁷

34. पक्षी आकृतियाँ

पक्षी आकृतियों के नौ पटल चिन्हित किये गये हैं जिनमें से अधिकतर पटलों पर मोर की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं और कुछ पटलों पर पक्षियों की आकृतियाँ बनी हुई हैं।³⁸

35. कमल पदक आकृतियाँ

यह पटल मन्दिर के उत्तरी मुख के ऊपरी भाग में लगा है। जिसके बाह्य वृत्त का अलंकरण वृत्त के चारों ओर एक समान नहीं है। बाह्य वृत्त से लगे अलंकरण के बाद एक सादी पट्टी चारों ओर उत्कीर्ण है। इसके बाद कमल की पंखुड़ियों का अलंकरण किया गया है। केन्द्रीय भाग पर भी इसी तरह का अलंकरण है।³⁹

36. अस्पष्ट आकृतियों के पटल


पूरब, दक्षिण एवं उत्तर मन्दिर मुख्य की ओर ऐसे तीन पटल चिन्हित किये गये हैं जिन पर उत्कीर्ण आकृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं तथा किसी भी तरह से उनकी पहचान सम्भव नहीं हो सकी है। इन पटलों पर उत्कीर्ण अवशेषों से कोई अवधारण नहीं बन पायी है।⁴⁰

इन मृण्मूर्तियों को विभिन्न आकार के तॉखो के अनुरूप गीली मिट्टी के पटलों पर चाकू एवं स्टाइलस⁴¹ की सहायता से उकेरा गया है और बाद में उच्च तापमान पर पकाकर तॉखों में लगाया गया है। मृण्मूर्तियों को पहनाये गये वस्त्र, आभूषण, एवं नारी मूर्तियों की केश-सज्जा, मन्दिर-निर्माणकाल में प्रचलित वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार इत्यादि का एक रुचिपूर्ण इतिहास अपने में संजोये हुए है। पशुओं, पक्षियों एवं जलचरों की मृण्मूर्तियाँ निर्माण काल के समाज की अभिरुचि दर्शाने में पूर्ण सक्षम है। इस प्रकार यह मन्दिर समाज की तमाम विशेषताओं का एक जीवन्त स्मारक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मो0 जहीर, द टेम्पल ऑफ भीतरगाँव, पृ0 02.
2. ए0 कनिंघम, भीतरगाँव, आर्किथोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट खण्ड-x1 (ए0एस0आई0आर0) पृ0 40.
3. स्थल के स्वयं सर्वेक्षण एवम साक्षात्कार के आधार पर श्री अमर सिंह कुशवाहा पुत्र श्री महादेव कुशवाहा

- उम्र 75 वर्ष, श्री बलराम सिंह कुशवाहा उम्र 78 वर्ष एवं श्री छोटे लाल पुत्र श्री सीताराम उम्र 77 वर्ष के परिवार भीतरगाँव में लगभग 200 वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। इन्होंने अपने पूर्वजों की जानकारी के आधार पर साक्षात्कार में बताया।
4. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 83.
 5. वही.
 6. ओ० विन्नांट, लेख डिवाइनिटीज फ्लूवेल्स गंगा एट यमुना आक्स प्रोटेस डेस सेनचुरी डी-1 इंडी, पेरिस, 1964, पृ० 30-38.
 7. वही.
 8. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 85.
 9. एच० कोजेन्स, सोमनाथ एंड अदर मिडिवल टेम्पिल्स इन काठियावाड़, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया इम्पीरियल सीरीज खण्ड XLV, कलकत्ता, 1931, प्लेट – XXXV.
 10. टी०ए० गोपीनाथ राव, ऐलीमेन्ट ऑफ हिन्दू इकनोग्राफी मद्रास, 1916, खण्ड-II, पार्ट-1 पृ० 152.
 11. सी० शिवराममूर्ति, जेग्रोफिकल एण्ड क्रोनोलॉजिकल फैक्टर्स इन इण्डियन इकनोग्राफी, एनसियन्ट इण्डिया, नं०-06 नई दिल्ली, 1950, पृ० 30.
 12. आर० एस० गुप्ता एण्ड वी०डी० महाजन, अजन्ता, एलोरा एण्ड औरंगाबाद केव्स, बाम्बे, 1962, पृ० 224
 13. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 87.
 14. वही, पृ० 88.
 15. वही.
 16. वही.
 17. वही.
 18. ए० कनिंघम, ए०एस०आई०आर० खण्ड-X प्लेट XVIII
 19. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 89.
 20. वही.
 21. वही.
 22. सी०फवरी, ए० हिस्ट्री ऑफ इण्डियन ड्रेस, कलकत्ता, 1960, पृ० 03
 23. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 91
 24. वही, पृ० 92
 25. वही
 26. ए० कनिंघम, ए०एस०आई०आर० खण्ड-X पृ० 40.
 27. जे०एच०मार्शल, एक्सकेवेशन एट वेहटा, ए०एस०आई०आर०, 1911-12, पृ० 29.
 28. मुल्कराज आनन्द, आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर ऑफ हयूमिनिज्म, खण्ड-xxii मार्च 1969, न०2, पृ० 22.
 29. एम० एम० वत्स, द गुप्ता टेम्पिल एट देवगण, ए०एस०आई०आर० मेमोयर नं० 70 दिल्ली 1952, प्लेट-x(B)
 30. वही.
 31. एन०पी०जोशी, अर्ली विष्णु इमेजेस, बुलटिन ऑफ म्यूजियम एण्ड आर्कियोलॉजी इन यू०पी० नं० 2, दिसम्बर 1968, पृ० 26.
 32. जे०पी०एच०वोगल, ए०एस०आई०आर० 1908-09, पृ० 10.
 33. आर० नाथ०, भीतरगाँव – द टेकनिक ऑफ आर्किटेक्चर, मार्ग, खण्ड-XXII नं० 2 मार्च 1967, पृ० 33.
 34. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 102.
 35. ए० कनिंघम, ए०एस०आई०आर० खण्ड-XI पृ० 44.
 36. एसिस सेन, एनीमल मोटिफस इन एनसियन्ट आर्ट, कलकत्ता, 1972, पृ० 34.
 37. एच० कोजेन्स, द मकरा इन हिन्दू ऑरनामेन्ट, ए०एस०आई०आर० 1903-04, पृ० 227.
 38. वही.
 39. आर०डी०बनर्जी, द टेम्पिल ऑफ शिवा एट भूमरा, मेमोरीज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया नं० 16, कलकत्ता-1924, प्लेट-IX, X, XI
 40. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 113.
 41. मूर्तिकला में अंगों के कटावों एवं उनकी विशिष्टताओं में प्रयुक्त किये जाने वाले यन्त्रों को स्टाइलस कहते हैं।



शिव और पार्वती
चित्र संख्या (1)




भगवान विष्णु दो राक्षसों का वध करते हुए
चित्र संख्या (2)



नाग देवता
चित्र संख्या (3)



कृष्ण वृष्भासुर का वध करते हुए
चित्र संख्या (4)



विष्णु एवं आयुध पुरुष
चित्र संख्या (5)



श्रीराम और माँ सीता
चित्र संख्या (6)



नारी पुरुष को जल पात्र भेंट करती हुई
चित्र संख्या (7)



विष्णु मधु और कैटभ के साथ
चित्र संख्या (8)




गणेश मोदक की थाल लिए हुए
चित्र संख्या (9)



मिथुन आकृति
चित्र संख्या (10)



मगर
चित्र संख्या (11)



कमल पदक
चित्र संख्या (12)



दो मगर पीठ जोड़े
चित्र संख्या (13)





ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन

□ डॉ. जे.पी. सिंह*

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन का अध्ययन किया गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले अनेक सूक्ष्म तथा व्यापक स्तरीय कारक हैं। स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय व्यवस्थाओं, उपलब्धियों तथा बैंक एवं सरकार की नीतियों के प्रभावात्मक परिणाम स्वरूप ग्रामीण रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हैं। समूहों की सूक्ष्म स्तरीय उपलब्धियों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गत्यात्मक स्वरूप के मध्य सकारात्मक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा समूह के संचालन संबंधी उन समस्याओं का भी विश्लेषण किया गया है जो रोजगार सृजन को किसी भी दिशा में ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं इसमें रोजगार सृजन के विभिन्न प्रश्नों के मध्य उन सभी चरों का भी अध्ययन शामिल किया गया है जो अर्थव्यवस्था एवं समूहों की कार्यप्रणाली दोनों को ही प्रभावित करते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा रोजगार सृजन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की मूमिका को सही रूप में निर्धारित करना भी कठिन है। एक ओर अर्थव्यवस्था समूहों को प्रभावित करती है वही समूहों की संचालन प्रणाली भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को प्रभावित करती है

भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट के बाद आज भी कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां श्रमिकों की बढ़ती संख्या के अधिकतर हिस्से को रोजगार प्राप्त है। सहायता समूहों के माध्यम से कृषि कार्यों में रोजगार सृजन की अधिक संभावनाएं

व्याप्त हैं। स्वयं सहायता समूहों के आंदोलन से पूर्व कृषि कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी समय समय पर महसूस की गई जिसके चलते कृषि कार्यों की कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर पाना एक कठिन कार्य बन गया। गांवों में एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। बड़ी संख्या में किसान दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण अपने खेतों में उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खादों की पूर्ण पूर्ति, कीटनाशक दवाओं एवं सिंचाई के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके। वित्तीय संसाधनों के अभाव में कृषि कार्यों की आगतों की उत्पादकता पर

* एसो0 प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी0एस0 कालेज, अलीगढ़

प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सहायता समूहों के गठन के बाद जो वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति कृषि कार्यों के लिए की गई उससे कृषि कार्यों को गति मिली तथा कृषि कार्यों के विकास के लिए बाधक समस्याओं को हल किया गया।

स्वयं सहायता समूह द्वारा औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती करके रोजगार के और अवसर सृजित किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारे देश की कंपनियां बहुत सारी औषधीय सामग्री को विदेशों से आयात कर रही हैं जिससे विदेशी मुद्रा का अपव्यय हो रहा है और रोजगार के एक बड़े भाग से वंचित रहना पड़ रहा है। हमें औषधियों की व्यावसायिक खेती के विकास के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज का युग निजीकरण का युग है। आज सरकार स्वयं निजी संस्थाओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। औषधी पौधों का देश में प्रचुर रूप में उत्पादन संभव है। जनपद में सहायता समूहों को ऐसी संभावना को तलाशने की आवश्यकता है जिससे समूहों के सदस्यों को आसानी से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। सहायता समूहों के सदस्य कृषि कार्यों से भली भांति परिचित हैं तथा जनपद में कृषि कार्य में रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं इसीलिए औषधी पादकों की खेती करके कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती और कृषि में रोजगार के अधिक अवसरों को सृजित किया जा सकता है।

बागवानी मिशन के तहत किसानों को पारंपरिक फसलों से कृषि विविधीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। इस विविधीकरण के माध्यम से सहायता समूहों के आय में और अधिक वृद्धि हो सकती है। कृषि में मौसमी रोजगार की अपेक्षा पूरे वर्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे इसके साथ औषधी पादकों के विपणन संबंधी क्रिया कलापों के माध्यम से भी समूहों के सदस्यों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

ग्रामीण व कृषि विकास के लिए भारत सरकार सतत प्रयत्नशील है तथा इसके लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। सहायता समूहों द्वारा सरकारी योजनाओं में सहभागिता करके भी सहायता समूह के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी पर्याप्त पारदर्शिता बनी रहेगी। सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाकर रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

शोध विश्लेषण में पाया गया कि जो किसान अपनी वित्तीय समस्याओं के चलते कृषि ठीक रूप से करने से अक्षम थे उन्हें वित्तीय संसाधनों की पूर्ति की गई तथा आगे भी समूहों की वित्तीय स्थिति में सुधार के चलते इन वित्तीय संसाधनों की पूर्ति एक बड़ी सीमा तक की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर वित्तीय सहायता के लिए आने वाली कठिनाइयों का भी निराकरण स्थानीय स्तर पर इन समूहों के माध्यम से किया गया है। इस आधार पर यह अनुमानित किया जा सकता है कि आने वाले वर्षों में समूह सदस्यों तथा समूह से जुड़े व्यक्तियों के लिए कृषि कार्यों के लिए वित्तीय समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो सकेगा। इसके साथ कृषि के विकास में सहायक सुविधाओं जैसे पशुपालन, परिवहन के साधन, नवीन तकनीकी प्रशिक्षण आदि की समस्याओं का समाधान भी सहायता समूहों के माध्यम से संभव होगा।

समूहों द्वारा लगातार की जाने वाली बचतों तथा बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के एक बड़े भाग का प्रयोग कृषि कार्यों में किया गया जिसका कृषि कार्य की प्रकृति, तकनीकी, उत्पादकता तथा विस्तार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय स्थिति की और सरकार द्वारा इसी प्रकार ध्यान दिया जाता रहा तो कृषि कार्य ग्रामीण जनसंख्या के बढ़ते भार को सहन करने में काफी सीमा तक सक्षम होगा तथा कृषि में रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ेगी जिसका आने वाले वर्षों में गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।

विश्लेषण में यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ है कि भूमिहीन समूह को सदस्यों द्वारा भी पट्टे पर कृषि कार्य किया गया तथा समूहों की संख्या में वृद्धि तथा वित्तीय सहायता में वृद्धि के साथ-साथ पट्टेदारों की संख्या में वृद्धि पाई गई।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए गए किया कलापों की सफलता के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह उल्लेखनीय सफलता हासिल कर सकते हैं। टमाटर के उत्पाद, निर्जलीकृत सब्जियां, अचार मुरब्बा, जैम, जैली, चावल मिलें, आटा चक्की, तेलमिल, दालचक्की, तिलहन मिलों की भी स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

ग्रामीण बढ़ती जनसंख्या के कृषि पर बढ़ते रोजगार सम्बन्धी भार एवं खाद्यान्न समस्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि छापान्न की वितरणात्मक समस्या के समाधान के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। गैर मौसमी वस्तुओं उत्पादों की बढ़ती मांग तथा स्वास्थ्य के अनुकूल मांग को ध्यान में रखते हुए गैर मौसमी के उत्पाद के लिए खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक अति आवश्यकता बन गई है।

खाद्य प्रसंस्करण की क्रिया में न केवल उत्पादन में रोजगार के अवसर विद्यमान है अपितु उत्पादों की बिक्री/विपणन के क्षेत्र में भी रोजगार के असर सृजित किए जा सकते हैं।

आने वाले समय में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते प्रचलन की उम्मीद विभिन्न शोध कार्यों ने दर्शाई है। सरकार ने देश के कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए 48 कृषि निर्यात क्षेत्र 16 राज्यों में स्थापित किए हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की पूरी-पूरी संभावनाएं हैं। देश के 14 मुख्य सब्जी उत्पादक राज्यों में सब्जियों से सम्बन्धित 18 कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना से सब्जियों के प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को उच्च प्राथमिकता दी है और उत्पाद के वाणिज्यीकरण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, फसल क्षति को कम करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं।

आर्थिक उदारीकरण के परिदृश्य में निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अपनी सार्थक भूमिका निभानी होगी। खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पेश किए गए 5138 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, गैर शहरी क्षेत्रों के लिए थे। इनमें से लगभग 39 प्रतिशत निवेश पिछड़े इलाकों के लिए है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक है। प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के विश्व व्यापार में देश का हिस्सा अभी भी एक प्रतिशत से कम है। बढ़ते हुए विश्व बाजार में निर्यात के काफी अवसर हैं। ऐसा अनुमान है कि बाजार विकास प्रयासों से नए उत्पादों को अधिक निर्यात बाजार में स्वीकार किया जाएगा। आयात-निर्यात नीतियों में परिवर्तनों तथा विनिमय दर में समायोजन से निर्यात संभावनाओं में सुधार लाने में काफी सहायता मिली है। कुछ प्रसंस्कृत उत्पादों की अन्य देशों में अच्छी मांग है। भारत में तुलनात्मक रूप से उपलब्ध सस्ते श्रम का इस्तेमाल घरेलू और निर्यात बाजार के वास्ते कम लागत वाले विस्तृत उत्पादन बेस लगाने के लिए कारगर ढंग से किया जा सकता है।

उक्त तथ्यों के आधार पर यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों द्वारा रोजगार के बड़े स्तर पर अवसर सृजित किए जा सकता है।

आटा, तेलमिल के क्षेत्र में सहायता समूहों द्वारा रोजगार सृजन के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई उसके आधार पर यह अनुमानित किया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ग्रामीणों को अधिक कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को उच्च प्राथमिकता दी है और उत्पाद के वाणिज्यीकरण और मूल्य सम्बर्द्धन को बढ़ावा देना, फसल क्षति को कम करना, रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात बढ़ाने में उद्देश्य से कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए। खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग में महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है— फल सब्जी प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, मास और पोल्ट्री प्रसंस्करण, पैकेज्ड खाद्य, शराब एवं मृदु पेय और अनाज प्रसंस्करण, आदि। असंगठित क्षेत्र में भी कई हजार बेकरी, परम्परागत खाद्य यूनिट, फल सब्जीधमसाला प्रसंस्करण यूनिट है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक की उपलब्धता तथा समूहों की पूंजी के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। विश्व बाजार में प्रसंस्कृत खाद्यानों की बढ़ती मांग को देखते हुए ग्रामीण खाद्य उत्पादों को अन्तराष्ट्रीय बाजार से आसानी से जोड़ा जा सकता है तथा रोजगार के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया जा सकेगा?

वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन के माध्यम से भी स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए एक आधार तैयार कर सकते हैं। अलीगढ़ जनपद में स्वयं सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन के लिए कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। सन् 1967 ई. में हरित क्रान्ति के लिए आन्दोलन से कृषि में अचानक रासायनिक खादों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया। अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग का प्रतिकूल तथा हानिकारक प्रभाव आज कृषि भूमि में दिखाई देने लगा। वर्तमान में कृषि कार्य के वास्तविक विकास के लिए वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग आसानी से उत्पादित किया जा सकता है।

वर्मीकम्पोस्ट की बिक्री में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया में भी ग्रामीणों को स्वरोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कैचुआ खाद के लिए कच्चे माल की आपूर्ति ग्रामीणों को बिना किसी शुल्क के प्राप्त होगी।

कृषि उत्पादन में वृद्धि से कृषि रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव होगा। जो समूह नवगठित हैं उनकी अपेक्षा परिपक्व समूहों द्वारा रोजगार सृजन की क्षमता अधिक है। नव गठित समूहों द्वारा रोजगार क्षेत्र में पूर्ण संलग्नता नहीं पाई गई। एक वर्ष अवधि तक समूह बचत करने में ही लगे रहते हैं। नवगठित समूहों द्वारा बचत करने में कठिनाइयां भी पाईं बड़े।

समूहों द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन की यही गति चलते रहने पर 2 वर्ष बाद नवगठित समूह पूर्ण परिपक्व होंगे तथा पूर्ण परिपक्व समूह रोजगार के क्षेत्रों का विस्तार कर सकेंगे तथा नए क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकेंगे।

पुराने समूहों की उपलब्धियों की प्रेरणा में नए समूहों का गठन किया जाना ग्रामीणों को अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिए अतयंत आवश्यक है। ग्रामीण बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नए समूहों के गठन पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

स्वयं सहायता समूहों के बैंक से मिलने वाली वित्तीय सहायता समूहों की वचत राशि तथा समूह संचालन की स्थिति पर निर्भर है। समूहों द्वारा द्वितीय सहायता प्राप्त करने में वृद्धि होगी। इस वित्तीय सहायता का के साथ-साथ समूहों की कुल बचतों में वृद्धि होगी तथा कुल बचतों में वृद्धि के आधार पर बैंकों से मिलने वाली वित्तीय सहायता में भी वृद्धि होगी जिससे समूहों द्वारा संचालित रोजगार क्षेत्रों में वृद्धि तथा विस्तार की संभावनाएं हैं।

समूहों के मध्य समयवधि के मध्य धनात्मक सहसंबंध होने के कारण उनकी बचत तथा वित्तीय सहायता रहा है। भविष्य में सहायता समूहों के द्वारा वित्तीय सहायता तथा बचतों में वृद्धि के माध्यम से रोजगार विस्तार के द्वारा रोजगार सृजन की काफी संभावनाएं हैं।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा जिन क्षेत्रों में रोजगार सृजित किया गया वह समूह के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किया गया है इससे समूहों को मिलने वाली

वित्तीय सहायता तथा समूहों की बचतों का कुशलतम प्रयोग नहीं हुआ है।

समूहों द्वारा रोजगार सृजन के विभिन्न क्षेत्रों में जो निवेश किया गया वह मुख्यतया व्यक्तिगत स्तर पर ही किया गया। व्यक्तिगत स्तर पर पूंजी निवेश करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार के अवसर सृजित किए गए उनमें और वृद्धि की पूर्ण संभावना है।

“नाबार्ड की स्वयं सहायता समूहों के लिए अग्रिम रणनीति में यह तय किया गया है कि व्यक्तिगत स्तर पर किए जा रहे रोजगार सृजित करने वाले लघु और कुटीर उद्योगों को सामूहिक क्रिया कलापों की श्रेणी में समाहित किया जाएगा और प्रत्येक समूह की कुल

बचत तथा वित्तीय सहायता का सामूहिक स्तर पर रोजगार क्षेत्रों में प्रयोग होगा। प्रत्येक समूह की वित्तीय क्षमता का पूर्ण प्रयोग होने की स्थिति में स्वयं सहायता समूहों की एक दूसरे से संबंध करते हुए रोजगार क्षेत्रों को विस्तार होगा जिससे रोजगार सृजन की क्षमता में भी पर्याप्त वृद्धि होगी।”

संदर्भ—

1. उत्तर प्रदेश 2020
2. जिला सांख्यिकी पत्रिका, अलीगढ़
3. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, अलीगढ़ के विभिन्न प्रकाशित अभिलेख
4. योजना, भारत सरकार





Lead, Zinc, Chromium and cadmium concentration in the soil of Talanagri area of Aligarh District

□ Dileep Gupta*

शोध सारांश

The present study was undertaken to study the effects of industrial effluents on the soil of Talanagri Industrial area of Aligarh District of Uttar Pradesh. The sampled soils were studied for the concentration of metal ions at two depths. The results showed that area which is near to industries has more concentration of metal ions than area which is farther. The concentration of Pb, Zn, Cr and Cd was determined in the soil samples collected from five different areas of Talanagri. The results showed that concentration of total heavy metals in river irrigated soil samples were two times higher for zinc, 0.52 times higher for Cr, 1.10 times higher for Pb, and 1.4 times higher for Cd than that of groundwater irrigated soils.

Key Words: River irrigated, Ground water irrigated, organic carbon

INTRODUCTION

It is a matter of utmost concern that present age agriculture is being threatened, continuously by the constant decline in the already depleted resources particularly soil and water due to ever increasing population, fast urbanization and environmental pollution emanating from industrial mismanagement. Due to rapid industrialization heavy metals get introduced into the environment which changes the physico-chemical parameters of the soil.

In the present research study the concentration of heavy metal ions have been determined at two different depths.

MATERIALS AND METHODS

Aligarh is a city located in U.P. state of northern India. The city is about 90 miles east to New Delhi. The site for soil sampling was at a distance of 040 m, 140 m and 260 m away from effluent sludge site. The georeference of this area under study is latitude N 27o53' and longitude E 78o35'. Soil

* Department of Chemistry, D.S. College, Aligarh (U.P.)

samples were collected from five different sites in the duration September 2015 – January 2016. Two sites were sewage irrigated, two partially sewage irrigated and two ground water irrigated. From each site two samples were collected, one at a depth of 5 cm and other at a depth of 20 cm. The primary soil samples were collected according to standard procedures by means of a plastic rod. Prior to extraction of soil the places were first cleared, carefully demarcated and marked with the help of knife. The surface was pricked with a knife to show structures, colours and compactness of the soil particles. The samples were collected by making the pit at the marked area. First the soil sample of size 20 g at Site I was collected at a depth 5 cm and then second sample was collected at a depth of 20 cm. Soils from different depths were collected separately, put in separate airtight polythene bags and kept for further laboratory analysis. Samples were marked as S1 and S2. Samples were collected similarly from the other four sites (Site I, II, III, IV) and their samples in the polythene bags were named as S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Total number of samples were 10.

RESULTS AND DISCUSSION

Heavy metal determination in soil samples

Heavy metal concentrations showed variations in different soil samples of Talanagri area. The results are given in the Table-1.

The concentration of chromium (Cr) in soil samples analysed ranged from 33.6 mg/kg to 40.6 mg/kg for river irrigated soils and 21.6 mg/kg to 40.3 mg/kg for ground water

irrigated soils. The site S9 recorded the lowest and site S7 near recorded the highest mean concentration of Cr. The mean concentration of Cr at the site S7 was below the WHO permissible limit of 50.0 mg/kg for the soils. The highest concentration of Cr at the site recorded may be due to the result of residential areas and market area where the car washing, printing etc. takes place.

The mean concentration of lead (Pb) in soil samples analyzed ranged from 11.0 mg/kg to 11.7 mg/kg in ground water irrigated soil site S9 and S10 has the highest concentration and sites S-3 and S4 has the lowest concentration of Pb. The mean concentration of lead is below the WHO permissible limit of 50 mg/kg for soils. The mean value of Pb recorded in this study was however lower than the mean value of 13.5 mg/kg reported by Bansal et al. (2014).

The mean concentration of zinc (Zn) ranged from 47.2 mg/kg to 48.9 mg/kg in RI soil and 44.9 mg/kg to 50.9 mg/kg in GI soil. The highest value of zinc was recorded highest for S9 site and lowest for S3 site. The mean concentration of Zn recorded was well below the permissible limit given by WHO/FAO. Zinc is an essential micronutrient and plays a very important role in various catalytic reactions and the content of zinc also depends upon the type of soil but its higher concentration prove to be harmful to the human health.

The concentration of Cd ranged from 0.25 mg/kg to 0.27 mg/kg. There is not much difference in the river irrigated soil and ground water irrigated soil. The mean concentrations of Cd recorded at all the sites were found to be below the WHO

permissible limit of 3 mg/kg. Cadmium is associated with nonresidential fractions of heavy metals and thus it is more mobile and potentially bioavailable for the uptake by most of the plants (Zhang 2009)

Table :1 Average concentration (in mg kg-1 soil) of heavy metals in collected soil samples of Talanagri area.

| S.No. | Sample no. | Cr | Pb | Zn | Cd |
|-------|------------|------|------|------|------|
| 1 | S1(RI) | 33.7 | 11.0 | 48.4 | 0.29 |
| 2 | S2(RI) | 33.6 | 11.0 | 48.1 | 0.28 |
| 3 | S3(GI) | 29.8 | 10.8 | 45.0 | 0.26 |
| 4 | S4(GI) | 28.6 | 10.8 | 44.9 | 0.25 |
| 5 | S5(GI) | 30.6 | 10.6 | 46.2 | 0.33 |
| 6 | S6(GI) | 29.0 | 10.5 | 45.8 | 0.32 |
| 7 | S7(RI) | 40.6 | 11.3 | 47.5 | 0.27 |
| 8 | S8(RI) | 33.5 | 11.7 | 47.2 | 0.25 |
| 9 | S9(GI) | 21.6 | 11.6 | 50.9 | 0.35 |
| 10 | S10(GI) | 40.3 | 11.3 | 50.4 | 0.31 |

RI-River irrigated GI- Groundwater irrigated

CONCLUSION :

Results showed that pH was generally higher in the soils which were not affected by effluents than in the area affected by effluents. In most soils pH tend to increase with depth because the upper layer of soil receive maximum leaching by rainfall which increases carbonic acids, nitric acid which removes metal cations and replace them with H⁺. Lower soils are not leached. Organic fertilizers also make the soil acidic. Organic carbon was comparatively lower at the areas which are not affected by effluents than the areas affected by effluents. There was no significant difference between the values obtained at the top soil than the lower soil.

Table 2 showed that nitrogen content of the deep soil is higher than that of top soil. The availability of phosphorus depends upon the soil pH. Phosphorus availability is more at pH between 6.0 to 8.0 while it is less available at lower pH i.e. less than 6.0. The available phosphorus increases with the depth. The total number of cations, a soil can hold or its negative charge is CEC, there was no significant difference in CEC of top soil and lower soil

REFERENCES

1. L Jaishree; Somwanshi; SK Akuskarint; Int.J.chem.Sci.2008, 6(1), 255-261.
2. K Kanimozhi; APanneerselvam; Archives of Applied Science Research. 2011, 3 (2), 525-536.
3. AK Gupta; MLVarshney; Practical Manual for Agricultural Chemistry.Kalyani Publisher, 1994, 3-26.
4. NN Garba; A.Isma'Ilia; UK Asma; ZN Garba; B.I Tijjini,; European Journal of Applied Engineering and Scientific Research., 2013, 2 (2), 23-27.
5. KP Kordlaghari; SN Sisakht; A. Saleh; J of Biological Research., 2013, 4 (3), 105-108.
6. KK Borah,;B.Bhuyan; HP Sharma; Archives of Applied Science Research., 2009, 1 (2), 159-164.
7. I.Ifenna; LC.Osuji; Archives of Applied Science Research.,2013, 5 (3), 184-192.
8. AF Aiyesanmi; AE Okoronkwo,; OM Sunday; Archives of Applied Science Research,, 2012, 4 (1), 360-371.
9. M C Onojake; LC Osuji; Archives of Applied Science Research. 2012, 4 (1), 8-58. [10]CC Trasar; MC Leiros; S Seoane; F. Gilsotres; Soil Biol. Biochem., 2008, 1, 301-307

